अष्टम माला, खंड 3, अंक 16

सोमवार, 1 अप्रैल, 1985
11 चैत्र, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 3, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 16, सोमवार, 1 अप्रैल, 1985/11 चैत्र, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
मंत्री परिचय	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	2—21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 263 से 265, 268, 270 और 271	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	22—126
तारांकित प्रश्न संख्या : 266, 267, 269 और 272 से 281	22—30
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1579 से 1589, 1591 से 1674 और 1678 से 1706	30—126
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	126—133
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	134—158
कतिपय राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा एक भारतीय व्यापारी के स्वामित्वाधीन लंदन-स्थित फर्म के लिये बहुत बड़ी धनराशि के ऋण मंजूर किये जाने के कपटपूर्ण सौदों का समाचार	
श्री जयप्रकाश अग्रवाल	134
श्री जनार्दन पुजारी	134
श्री ललित माकन	137
प्रो० मधु दंडवते	143
श्री इन्द्रजीत गुप्त	143
नियम 377 के अधीन मामले	158—162
(एक) विदिशा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में पेयजल की व्यवस्था करने तथा विदिशा, रायसेन और सेहोर जिलों को सूखाग्रस्त जिले घोषित करने की आवश्यकता	
श्री प्रताप सिंह भानु	158

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(दो) रामगुंडम में और उसके आसपास के क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा कोयला खानों द्वारा नियोजित कर्मकारों के लिए मकान बनाने की आवश्यकता

श्री जी० भूपति 159

(तीन) लोहा तथा इस्पात के सम्बन्ध में भाड़ा समकरण योजना को समाप्त करने के समाचार तथा उन आदेशों को वापिस लेने अथवा केरल राज्य को मुआवजा देने की आवश्यकता

श्री वी० एस० विजयराघवन 159

(चार) अफीम उत्पादकों की सहायता करने के लिए अफीम के मूल्य पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत 159

(पांच) बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिये हेलीकोप्टर सेवा

जी जय प्रकाश अग्रवाल 160

(छः) मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) में बैंकों की और अधिक शाखायें खोलना

श्रीमती गीता मुखर्जी 160

(सात) उत्तर प्रदेश की कताई मिलों में रेशा-सूत (स्टैपल यार्न) तैयार करने के लिये अनुमति देने की आवश्यकता

श्री राम प्यारे सुमन 161

(आठ) उन सभी व्यक्तियों को, जो अपेक्षित शर्तें पूरा करते हैं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित करने के लिये एक व्यापक विधेयक का शीघ्र अधिनियमन

श्री राम प्यारे पनिका 162

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86 162—225

गृह मंत्रालय 163

श्री डी० एन० रेड्डी

श्री ब्रह्म दत्त 168

श्री राम स्वरूप राम 172

श्री बाजूबन रियान 176

श्री सोमनाथ रथ 181

श्री राम प्यारे पनिका 184

लोक सभा

सोमवार, 1 अप्रैल, 1985/11 चैत्र, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मंत्री परिचय

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज तो आप अकेले स्टालवर्ड लग रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या करें, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है आपसे ।

[अनुवाद[

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री-द्वारा मंत्री जी का परिचय कराया जायेगा ।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे श्री चन्द्र शेखर सिंह जी, जो पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री और स्वतंत्र रूप से प्रभारी राज्य मंत्री हैं, का आपसे तथा सभा से परिचय कराते हुए हर्ष हो रहा है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : चेहरा तो जाना-पहचाना है । जाने-पहचाने लगते हैं ।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : इस सभा से अस्थायी रूप से अलग रहने के लिए आप उन्हें अवश्य ही क्षमा कर देंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह एक नया विभाग बनाया गया है ? मैं समझता हूं कि 'वस्त्र' को वाणिज्य मंत्रालय से अलग कर दिया गया है । क्या ऐसा केवल 'वस्त्र' के लिए किया गया है ?

श्री राजीव गांधी : जी हां ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस मंत्रालय में सूती, पटसन तथा अन्य सभी प्रकार के वस्त्रों को शामिल किया जाएगा या केवल सूती वस्त्रों को ?

श्री राजीव गांधी : सभी प्रकार के वस्त्रों को ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें यह पता चलना चाहिए कि हम किसके नाम से प्रश्नों की सूचनाएं दे सकते हैं ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों की खरीद

[अनुवाद]

*263. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए मछली पकड़ने वाले जहाजों की खरीद की गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, इस प्रकार के कितने मछली पकड़ने वाले जहाज खरीदे गए; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश के भीतर ही मछली पकड़ने वाले इस प्रकार के जहाजों का निर्माण करने का है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) सरकार सार्वजनिक तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में देश के भीतर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के विनिर्माण को प्रोत्साहन दे रही है।

श्री विजय एन० पाटिल : उत्तर संतोषजनक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको पता है, गहरे समुद्र में मछली पकड़ना एक उच्च कोटि की विशेष कला है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह बात आपने जो अनुभव प्राप्त किया, उसके आधार पर कह रहे हैं ?

श्री विजय एन० पाटिल : इसमें आधुनिकतम प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ती है। यह काम तट के निकट मछली पकड़ने जैसा नहीं है, यह दैनिक या साप्ताहिक कार्य नहीं है। मछली पकड़ने के लिए मछली पकड़ने वाले जहाजों को महीनों गहरे और विशाल समुद्र में रहना पड़ता है। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि समुद्री केकड़ों और अन्य प्रकार की मछलियों के, जिन्हें हमें गहरे सागर के जल में से पकड़ना होता है, निर्यात से हमें भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अभी-अभी प्रधान मंत्री जी ने वस्त्र मंत्री श्री चन्द्र शेखर सिंह का परिचय दिया है। हम लोग सिलेसिलाये वस्त्रों और हीरों के निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी प्रकार समुद्री केकड़ों और अन्य प्रकार की मछलियों के निर्यात की ओर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा। विदेशों के लोग हमारे क्षेत्र में अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने आते हैं, ऐसा मद्रास बन्दरगाह के पास भी होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जहाज के निर्माण कार्य को क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

श्री बूटा सिंह : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के नवीनतम प्रौद्योगिकी वांछित रूप से विकसित नहीं हो पाई है और अभी हमें पूरे लाभ नहीं मिल रहे हैं।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उद्योग के मामले में सरकार की नीति यह है कि भारतीय

उद्यमियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि वे यथासंभव कम से कम समय में गहरे सागर में मछली पकड़ने के अधिकाधिक जलयान प्रयोग करें जिससे कि 200 समुद्री मील के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में प्राप्त मत्स्य संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान गहरे सागर में मछली पकड़ने के 200 जलयानों को प्रवर्तित करने का पुनरीक्षित लक्ष्य रखा गया है। 1984 के अन्त तक ऐसे 75 जालपोत थे। छठी योजना के दौरान मछली पकड़ने के विभिन्न प्रकार के जलयान प्राप्त करने के लिए नौवहन विकास निधि समिति के माध्यम से सुगम ऋण देने के लिए योजना में 50 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। महोदय, जहां तक अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने का संबंध है, सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय कर रही है कि हमारे तटवर्ती क्षेत्र में अनधिकृत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।

श्री विजय एन० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने लगभग 75 जलयानों का उल्लेख किया है। मेरे विचार से ई० आई० डी० पैरी, इंडियन टैबेको कम्पनी, न्यू इंडिया फिशरीज, टाटा आयल मिल्स जैसी कुछ कम्पनियां हैं जो मछली पकड़ने का कार्य करती हैं, उन्होंने विदेशी मुद्रा व्यय करके विदेशों से जलयान खरीदे हैं। उनके पास वे जलयान हैं और गहरे सागर में मछली पकड़ने का काम जारी है। किन्तु मैं ऐसा महसूस करता हूं कि गहरे सागर में मछली पकड़ने के कार्य के व्यस्त कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे कार्मिकों को इस प्रकार का प्रशिक्षण देने का प्रबंध मंत्रालय द्वारा किया गया है।

श्री बूटा सिंह : जी हां, अपने मत्स्य उद्योग के लिए प्रशिक्षण देने हेतु भारत सरकार के पास कुछ काम और सुविधायें उपलब्ध हैं। महोदय, अपने मछुआरों को प्रशिक्षण देने के लिये भारत सरकार ने विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये हैं। मत्स्य उद्योग के लिये श्रम शक्ति उपलब्ध कराने हेतु 'सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ फिशरीज नौटिकल एण्ड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग' ने 1982-83 तक 2242 प्रशिक्षुओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया है जिनमें से 1664 प्रशिक्षु 'फिशिंग सेकेन्ड हैन्ड्स' और 'इंजिन ड्राइवर पाठ्यक्रमों' में प्रशिक्षित किये गये हैं और शेष प्रशिक्षुओं को बोट बिल्डिंग फोरमैन, गीयर टैक्नीशियन, रेडियो टेलीफोन आपरेटर आदि जैसे सहायक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है। वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार हैं। छठी योजना के अन्तर्गत मुख्य पाठ्यक्रम में 651 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किये जाने की संभावना थी और सातवीं योजना में 600 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। 'फिशिंग सैकेन्ड हैण्ड' प्रशिक्षुओं के लिए, सातवीं योजना में 27 व्यक्तियों को जूनियर डैकहैण्ड में और 5,14 तथा 10 व्यक्तियों को इंजिन ड्राइवर प्रशिक्षण में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। सहायक पाठ्यक्रमों के लिये, छठी योजना में 335 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था और सातवीं योजना के लिये प्रायोजित लक्ष्य 200 और अल्पकालिक पाठ्यक्रम के लिये प्रायोजित लक्ष्य 150 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का रखा गया है। छठी योजना में पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए 89 व्यक्तियों का लक्ष्य था और सातवीं योजना के लिए प्रायोजित लक्ष्य 150 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का है। अतः इससे पता चलता है कि सरकार देश में मत्स्य कार्मिकों के प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम इस तरह चला रही है।

श्री आनंद गजपति राजू : इस संबंध में मैं एक संगत अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मछली पकड़ने का काम 200 समुद्री मील के अन्तर्गत छोटी

नावों के मालिकों के द्वारा किया जाता है और तट रक्षकों द्वारा यान्त्रिक नावों से यह काम किया जाता है। अब इन क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिये जलयान और यान्त्रिक नाव उपयोग में लाई जाती हैं। ऐसी स्थिति में छोटे मछुआरों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि छोटे मछुआरों के हितों की ओर ध्यान दिया जाएगा और उनकी सुरक्षा की जायेगी ?

श्री बूटा सिंह : यदि आप गहरे सागर में मछली पकड़ने के लिये उपयोग में लाये जाने वाले जलयानों की ओर ध्यान देंगे तो आपको वास्तविकता का पता चल जायेगा। यान्त्रिक नावों की तुलना में गैर-यान्त्रिक नावों की संख्या 1,53,495 है। मछली पकड़ने के लिये इस्तेमाल की जाने वाली यान्त्रिक नावों की संख्या 19,796 है। किन्तु ये गहरे सागर में मछली पकड़ने के जलयान नहीं हैं। गहरे सागर में मछली पकड़ने के प्रयोजन के लिये केवल 83 बड़े जलयान हैं। इसके अलावा, बड़े और प्रमुख नौवहन जहाज केवल अधिनियम में उल्लिखित सीमा तक मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं। वे तटवर्ती क्षेत्रों में मछली पकड़ने वाले परम्परागत मछुआरों को मछली पकड़ने से वंचित नहीं कर रहे हैं। उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, किन्तु माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव पर हम लोग ध्यान देंगे। यदि यान्त्रिक नावों के कारण साधारण मछुआरों को वंचित रह जाना पड़ता है, तो हम लोग कठोरतम कदम उठायेंगे।

श्री जी० जी० स्वैल : मंत्री जी ने जलयानों का निर्माण देश ही में किये जाने के बारे में बताया है और उन्होंने मछुआरों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक सूची भी दी है। मेरे विचार से, केवल इतने से ही इस बात की पुष्टि हो जाती है कि गहरे सागर में मछली पकड़ने का क्षेत्र नया है जिसके लिये हमारे पास अपेक्षित प्रौद्योगिकी नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कम से कम कोई ऐसा सर्वेक्षण कराया है और इस बात का अनुमान लगाया है कि हमारे आर्थिक क्षेत्र में कितनी मछलियां हैं और उनमें से कितनी मछलियां स्वयं हम लोगों द्वारा पकड़ी गई हैं ? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि हमारे आर्थिक क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में अनधिकृत रूप से मछली पकड़ी जाती हैं। इस क्षेत्र में दक्षिण कोरिया, चीन, थाइलैण्ड और जापान के लोग अनधिकृत रूप से मछली पकड़ते रहे हैं। हमारा आर्थिक क्षेत्र इन लोगों के लिये एक तरह से निर्बाध क्षेत्र है। प्रायः हम लोगों को समाचार पत्रों में पढ़ने को मिल जाता है कि हमारी नौसेना ने इनमें से कुछ लोगों को रोका और उन्हें बंदी बनाया।

मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे आर्थिक क्षेत्र में अनुमानतः मछलियों की संख्या कितनी है।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मछलियों की उपलब्धता।

श्री जी० जी० स्वैल : जी हां, मछलियों की संख्या अथवा पकड़ने योग्य मछलियां। हमारे देशवासियों ने कितनी मछलियां पकड़ी हैं। दूसरे यह कि गत दो वर्षों के दौरान हमारे आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विदेशी जहाजों द्वारा अनाधिकृत रूप से कितनी बार मछलियां पकड़ी गई हैं ? उनमें से कितनों को रोका गया और कितने भाग निकले ? क्या यह सच है कि मछली पकड़ने वाले कुछ देशों ने हमें इस प्रौद्योगिकी में सहयोग देने का प्रस्ताव किया है ? यदि हां, तो हम लोग इस प्रस्ताव का लाभ क्यों नहीं उठा सके ?

श्री बूटा सिंह : मत्स्य क्षेत्र में हमने अपने संसाधनों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया है। यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 20 लाख वर्ग कि० मीटर के अपने विशिष्ट क्षेत्र से हमें वर्ष

भर में 45 लाख टन मछली प्राप्त हो सकती है। इस समय हम लोग केवल 16 लाख टन अर्थात् मछली की उपलब्ध मात्रा की एक तिहाई मछली पकड़ पाते हैं। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि यह मात्रा वास्तव में बहुत कम है। मछली की यह मात्रा भी अधिकांशतः हमें लगभग 70 मीटर गहरे पिछले तटवर्ती जल से प्राप्त हो जाती है न कि गहरे सागर से। गहरे पानी में बड़े यान्त्रिक जहाजों से इस समय जो मछली प्राप्त हो रही है वह देश में उपलब्ध मछली की कुल मात्रा का लगभग एक प्रतिशत है। अनुमान यह है कि समुद्र से पकड़ी गई हमारी कुछ मछलियों में से लगभग 99 प्रतिशत मछलियां हमारे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के केवल 15-20 प्रतिशत भाग से ही पकड़ी जाती हैं। भविष्य में जो अतिरिक्त मछलियां प्राप्त होंगी उनमें से अधिकांश निश्चित रूप से .तट से दूर के क्षेत्र से तथा गहरे सागर से प्राप्त होंगी। यदि हमारा तात्कालिक उद्देश्य वर्तमान उत्पादन को दूना करने का भी हो, तो मछली पकड़ने के जहाजों के बहुत बड़े-बेड़े की आवश्यकता पड़ेगी जिसके लिये बहुत अधिक पूंजी परिव्यय की आवश्यकता पड़ेगी।

इस प्रक्रिया के लिये हम दो तरीके अपना सकते हैं। इस समय, हमारे पास गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के अपने जहाज नहीं हैं। या तो हमें उन्हें दूसरों से खरीदना पड़ता है अथवा उन्हें किराये पर लेना पड़ता है। अस्थाई तौर पर, सरकार की यह नीति है कि हम गहरे सागर में मछली पकड़ने के जलयानों को किराये पर लेने की अनुमति दे रहे हैं, और जब तक अपने देश में जलयान निर्मित करके अथवा इस क्षेत्र में विकसित देशों से उन्हें खरीद कर हम लोग अपने जलयान प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक अधिकांश तथा हमें किराये के जहाजों पर ही आश्रित रहना होगा। यह सच है कि किराये पर लिए गये जहाजों से सदा ही खतरा बना रहता है, क्योंकि गहरे सागर में मछली पकड़ने का व्यापार घोटाले का व्यापार है, मछली पकड़ने का काम पूरा हो जाने के बाद वे जहाज किनारे तक नहीं आते हैं, बल्कि मछलियों के निर्यात के लिए वे अन्य देशों को चले जाते हैं। स्पष्ट रूप से कहना पड़ता है कि हमारे पास इस बात के कोई आंकड़े नहीं होते कि कितनी मछली पकड़ी जाती है और कितनी बेची जाती हैं। गहरे सागर में जाकर मछली पकड़ने वाले जलयानों पर हमें निर्भर रहना पड़ता है और उनकी सूचना के आधार पर हम अपने उत्पादन का अनुमान लगाते हैं। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि किराये पर जलयान लेने का व्यापार देश के लिये अधिक उपयोगी नहीं है। हमें इस क्षेत्र में अभी बहुत काम करना होगा।

इस समय देश में, भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर स्थित 24 शिपिंग यार्डों में ही मछली पकड़ने के जलयानों का निर्माण होता है। तेरह पंजीकृत शिपयार्ड निर्माण कम्पनियों को विशेष रूप से मछली पकड़ने के जलयान बनाने का काम सौंपा गया है। अनुमानित क्षमता प्रति वर्ष कुल 40 से 50 जहाज बनाने की है और जहां तक ब्यौरेवार क्षमता का संबंध है, यदि आप अनुमति दें तो मैं प्रत्येक जलयान निर्माता कम्पमी का नाम पढ़कर सुना सकता हूं। किन्तु इससे सभा का बहुत अधिक समय बर्बाद होगा। किन्तु मैं स्थिति की व्यापकता महसूस करता हूं और हम इस बात को सुनिश्चित करने की चेष्टा कर रहे हैं कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का कार्य यथासंभव हमारे मत्स्य उद्योग के दायरे में रहे और हमारे देश के अन्दर ही गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलयानों का निर्माण किया जाए। किन्तु उस समय तक, हमें किराये पर जलयान लेने की प्रणाली पर आश्रित रहना होगा। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मछली पकड़ने के कार्य में यही प्रणाली सामान्यतया अपनाई जाती है।

श्री जी० जी० स्वैल : महोदय, मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं। अनधिकृत मछली पकड़ने की घटनाओं को कम से कम करने के उद्देश्य से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम लोग मछली पकड़ने वाले कुछ राष्ट्रों के साथ मिलकर काम करने को सहमत हैं ? ऐसी स्थिति में मछली बाहर नहीं जायेगी। हम लोग अनधिकृत रूप से मछली पकड़ने पर और विदेशों द्वारा हमारी मछलियों की चोरी करने पर पर्याप्त मात्रा में रोक लगा सकते हैं। मेरा यही प्रश्न है।

श्री बूटा सिंह : आज की किराये पर जलयान लेने की प्रणाली के अन्तर्गत भी हमने अपने उन व्यक्तियों को, जिनकी गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में रुचि है, मछली पकड़ने वाले देशों, विशेषकर दक्षिण पूर्व में एशियाई क्षेत्र के देशों के सहयोग से काम करने की अनुमति दी हुई है। हमारे पास बहुत संख्या में प्रार्थना पत्र बकाया हैं और हम गुणदोष के आधार पर उन सभी पर विचार कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, प्रश्न पूछने से पहले मैं प्रो० स्वैल को याद दिलाना चाहता हूं कि न सिर्फ विदेशी जहाज हमारे क्षेत्र में बिना अनुमति के प्रवेश करते हैं, बल्कि इस सदन में कांग्रेस भी विपक्ष के क्षेत्र में अवैध रूप से अतिक्रमण कर रही है। मेरा प्रश्न है……

अध्यक्ष महोदय : क्या यह कानूनी अतिक्रमण नहीं है, मान्यवर ?

श्री बूटा सिंह : यह महासागर है।

प्रो० मधु दण्डवते : चूंकि माननीय मंत्री जी ने यन्त्रचालित नौकाओं का जिक्र किया है, इस बारे में मैं एक खास प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या यह सही नहीं है कि, जहां तक वर्तमान बजट प्रावधानों का सम्बन्ध है, जो लोग 150 अश्व शक्ति से अधिक शक्तिशाली बड़ी नौकाएं प्रयोग करते हैं उनके लिए वास्तव में रियायत हैं और उन्हें डीजल पर उत्पाद-शुल्क में यह छूट प्राप्त है ? लेकिन उन नौकाओं पर जिनके इंजिन की अश्व शक्ति 150 से कम है, अर्थात् गरीब तबके के मछुओं को कोई राहत उपलब्ध नहीं है। इसके विपरीत वे लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें 100 प्रतिशत राहत दी जाये। क्या माननीय मंत्री जी अपने पद का उपयोग करते हुए मंत्री जी से बात करेंगे और वित्त मंत्री जी अपने पद का इस्तेमाल प्रधान मंत्री से बातचीत करने के लिए करेंगे ताकि इन मछुवारों की मांग पूरी हो सके ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : यह बहुत लम्बी कड़ी है।

श्री बूटा सिंह : यह ठीक है कि ऐसी एक स्कीम है जिसमें 13.7 के जहाजों को, जिनमें 150 अश्व शक्ति के इंजिन लगे हों, हाई स्पीड डीजल पर उत्पाद-शुल्क में छूट का प्रावधान है। यह स्कीम 1968 में शुरू की गई थी और अभी तक चल रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत उत्पाद-शुल्क में 50 प्रतिशत छूट मिलती है चाहे निर्यात किया गया हो या नहीं। प्रत्येक एक टन झींगा निर्यात करने पर 1.08 किलोलीटर डीजल पर उत्पाद-शुल्क में 50 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाती है। माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय वित्त मंत्री यहां मौजूद हैं। मुझे खेद है, वह तो यहां नहीं हैं, लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी यहां पर हैं। अगर कम अश्व शक्ति के इंजिन लगी छोटी नौकाओं के लिए किये गये इस अनुरोध पर विचार किया जाये तो यह मछुआरों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा।

श्री राजीव गांधी : मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह वैसा ही करें जैसा प्रो० दण्डवते ने कहा है और उसके बाद वित्त मंत्री के माध्यम से आगे कार्यवाही करें।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने सही मार्गदर्शन किया है।

राजस्थान के लिये कृषि विश्वविद्यालय

[हिन्दी]

*264. **श्री मूल चन्द डागा : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में कोई परिपूर्ण कृषि विश्वविद्यालय नहीं है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान में भी कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) मौजूदा समय में राजस्थान में कोई पृथक कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। एक कृषि विश्वविद्यालय यानी राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर की स्थापना 1962 में की गई थी। फिर भी, राज्य सरकार द्वारा 1963 में इसे एक सामान्य विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और उसका नाम उदयपुर विश्वविद्यालय रखा गया। अगस्त, 1983 में फिर इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मोहन लाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय रखा गया, लेकिन कुछ महीनों के बाद 1983 में अपने आप इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय रख दिया गया।

(ख) कृषि विश्वविद्यालय राज्य सरकार के संस्थान हैं जिसकी स्थापना राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाये गये कानून के अन्तर्गत की जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राज्य सरकार से राज्य में एक पृथक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए निरन्तर अनुरोध करती रही है। फिर भी, राजस्थान सरकार ने अभी तक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की है।

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट कार्रवाई की जानी है। अन्य सभी बड़े सोलह राज्यों में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, 16 राज्यों में आपने 22 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज खोली हैं, लेकिन राजस्थान में कोई नहीं है। अब अध्यक्ष महोदय, आप भी राजस्थान से आये हैं और मंत्री महोदय भी राजस्थान से आये हैं, मंत्री महोदय ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने उत्तर पढ़ा है या नहीं ?

श्री मूल चन्द डागा : मैंने पढ़ा है। इन्होंने लिखा है—

[अनुवाद]

"भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद निरन्तर राज्य सरकार से अनुरोध करती रही है……"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हम और आप क्या करते हैं।

श्री मूल चन्द डागा : आपने कब-कब राजस्थान गवर्नमेंट को शुरू में लिखा और आखिर में कब लिखा और जवाब क्या है ? हम पहले और पिछले लैटर का जवाब चाहते हैं ?

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राजस्थान राज्य सरकार से राज्य में एक पृथक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए निरन्तर अनुरोध करती रही है। इसी से आप इस नतीजे पर पहुंच जायेंगे कि कमी कहां पर है, हमारी कोई कमी नहीं है। हम राज्य सरकार द्वारा एक पृथक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नाम नहीं बदला है, कंसैप्ट ही बदल दिया है।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : राजस्थान सरकार ने एक अध्यादेश द्वारा अधिनियम में परिवर्तन करके विश्वविद्यालय का कृषि स्वरूप आंशिक रूप से पुनःस्थापित कर दिया। इस संशोधन के बाद से इस विश्वविद्यालय में दो स्कन्ध हैं; अर्थात् कृषि स्कन्ध तथा शिक्षा स्कन्ध, जिनके अन्तर्गत कृषि तथा इससे सम्बन्धित विषयों का कालेज और बुनियादी विज्ञानों का कालेज तथा विधि कालेज हैं।

विश्वविद्यालय के कृषि स्कन्ध के अन्तर्गत दो कृषि कालेज एक उदयपुर में तथा दूसरा जबनेर में और एक पशु चिकित्सा तथा जीव विज्ञान कालेज, एक तकनीकी तथा कृषि इंजीनियरी कालेज और गृह विज्ञान कालेज आते हैं।

परन्तु अक्तूबर, 1983 में एक दूसरे अध्यादेश द्वारा फिर से विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय रख दिया गया; और 'कृषि' शब्द को इस विश्वविद्यालय के नाम में से हटा दिया गया। 1984 में भी उन्होंने पाठ्यक्रम को जारी न रखने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया—यह बहुत महत्वपूर्ण है—ऋण तथा आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली को छोड़ कर अध्ययन तथा मूल्यांकन करने की परम्परागत प्रणाली पर वापिस आ गये। अतः कृषि विश्वविद्यालय को स्थापित करने का मूल उद्देश्य तथा उनके पीछे जो भावना थी, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में उसे बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। अतः अब यह एक कृषि विश्वविद्यालय के रूप में नहीं चल रहा है। एक कृषि विश्वविद्यालय के लिए कौन-कौन से मूल सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद, भारत सरकार ने यह मामला लिया……

श्री मूल चन्द डागा : मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है।

श्री बूटा सिंह : मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूं।

श्री मूल चन्द डागा : उसका क्या जवाब है ? मुझे इस सबकी आवश्यकता नहीं है। मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है। आपने पहला पत्र कब लिखा और आपने आखिर में कब लिखा तथा जवाब क्या है ?

श्री बूटा सिंह : मैं आखरी पत्र पर आ रहा हूं। पहले पत्र के बारे में मैं उत्तर दे चुका हूं। कृषि मंत्री ने 28 मार्च, 1984 को अपने एक अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से राजस्थान के मुख्य मंत्री को सरकार के निर्णय से अवगत करा दिया था। इस निर्णय से विश्वविद्यालयों के अनुदान अस्थाई तौर पर निलम्बित कर दिये गये और उनसे कहा गया था कि वे विश्वविद्यालय के उद्देश्य को फिर से एक कृषि विश्वविद्यालय के रूप में बहाल करें, जिसके लिए हमें आश्वासन दिया गया था। हमें नहीं मालूम कि वह आश्वासन पूरा किया गया है या नहीं। लेकिन मुख्य मंत्री द्वारा हस्तक्षेप करने तथा यह कहने पर कि अनुदान नहीं रोके जायें हमने अनुदान फिर देना शुरू कर दिया—इस आश्वासन पर कि विश्वविद्यालय को पुनः कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जायेगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एग्रीकल्चर की नई यूनिवर्सिटी बनायें।

श्री मूल चन्द डागा : यह तो सरकार का निर्णय है कि हर राज्य में एक फुल-फ्लैज्ड यूनिवर्सिटी खुल जानी चाहिए और यह निर्णय 1967 में ले लिया है। उस निर्णय के बाद मैंने आपने यह पूछा कि राजस्थान सरकार को आपने कहा। मैं बराबर लिख रहा हूं कब लिखा है, उसका उत्तर क्या आया है, उन्होंने क्या लिखा है ?

[अनुवाद]

श्री राम सिंह यादव : माननीय मंत्री ने ठीक सुझाव दिया है और इस पर कार्य होना चाहिए।

श्री बूटा सिंह : 1984 में लिखा गया हमारा अन्तिम पत्र था और उसके उत्तर में माननीय मुख्य मंत्री ने एक आश्वासन दिया था।

श्री मूल चन्द डागा : राजस्थान सरकार का क्या उत्तर है ?

श्री बूटा सिंह : एक आश्वासन दिया गया था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिए, उन्होंने इंशोरेंस दी है। राजस्थान सरकार ने कहा है हम बनायेंगे, लेकिन अभी बना नहीं है।

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, फुल-फ्लैज्ड यूनिवर्सिटी बनाने का क्या क्राइटेरिया है। कहां तक पूरा करने के लिये तैयार नहीं हैं। आप क्या चाहते हैं जिससे राजस्थान को आपरेशन नहीं करता है।

श्री राम सिंह यादव : राजस्थान सरकार ने अभी अलग से यूनिवर्सिटी खोलने की मांग की है।

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, आप सहमत होंगे कि आई० सी० ए० आर० के माध्यम से 10.18 करोड़ रुपया इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिये दिया गया है। इसके अतिरिक्त कितने ही रिसर्च प्रोजक्ट भी हैं। इतना हेवी इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी अगर यूनिवर्सिटी का करैक्टर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं होता है तो यह स्वाभाविक है कि वहां की प्रादेशिक सरकार को चाहिए कि इसका वह एग्रीकल्चर करैक्टर रेस्टोर करे। एक नई यूनिवर्सिटी के लिए 10.18 करोड़ रुपया अच्छे काम के लिए लग चुका है और उन्होंने बहुत सारे काम भी पूरे कर लिए हैं। (व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में फुल-फ्लेज्ड यूनिवर्सिटी कब तक खोल दी जायेगी ? सरकार का क्या निर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी इसी यूनिवर्सिटी को फुल-फ्लेज्ड बनाने के पक्ष में हैं।

श्री बलराम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी तथा अन्य व्यक्तियों ने कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों से लगातार इस बात का आह्वान किया कि देश में तिलहन व दालों की अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियों का विकास करें तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो बस इतना है कि यूनिवर्सिटी बनाई जायेगी या नहीं।

श्री बलराम सिंह यादव : माननीय मन्त्री जी को सम्भवतः इसकी जानकारी होगी।

अध्यक्ष महोदय : आप तो यूनिवर्सिटी बनाइये।

श्री बूटा सिंह : हमारी तरफ से यही यूनिवर्सिटी है। राजस्थान सरकार को चाहिए कि इसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का करैक्टर दे।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : यह एक पूर्ण विश्वविद्यालय है और इतनी धनराशि इस पर खर्च की गई है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : मन्त्री जी यह उत्तर दे दें कि कब यूनिवर्सिटी खोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय : वे तो कह रहे हैं उसी को बनायेंगे। इसी का नाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होना चाहिए और यह पहले से बनी हुई यूनिवर्सिटी है।

समाचार पत्र उद्योग द्वारा अखबारी कागज का आयात

[अनुवाद]

*265. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्र उद्योग ने अखबारी कागज का सीधे आयात करने की इच्छा प्रकट की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। समाचार पत्रों, विशेषकर बड़े समाचार पत्रों के एक वर्ग से ये मांगें रही हैं कि उन्हें विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से अखबारी कागज का सीधे आयात करने की अनुमति दी जाए।

(ख) समाचार पत्रों के इस वर्ग का सामान्यतया यह विचार है कि अखबारी कागज का सीधे आयात करने से उन्हें अखबारी कागज बेहतर शर्तों पर प्राप्त हो सकेगा। सरकार ने मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री अमर राय प्रधान : सूचना और प्रसारण विभाग की अखबारी कागज मूल्य निर्धारण सलाहकार समित ने जो एक नया विभाग है, जनवरी से मार्च तक के चौथाई वर्ष के लिए सीमा शुल्क सहित मानक (स्टेण्डर्ड) अखबारी कागज का मूल्य 5,990 रुपये तथा चिकने अखबारी कागज का मूल्य 6,300 रुपये निर्धारित किया है। यह भी सत्य है कि खुले बाजार में अखबारी कागज के बारे में जो दर आपने निर्धारित की है उससे बहुत ही कम दर पर बेचा जा रहा है। (व्यवधान) यह बाजार में हो रहा है। आप इससे इन्कार कर सकते हैं। कुल कितना अखबारी कागज आयात किया जा रहा है तथा कौन-सी एजेंसियां इस अखबारी कागज को आयात करेंगी।

श्री वी० एन० गाडगिल : वर्ष 1984-85 के लिए अनुमान लगाया गया था, उसके अनुसार आवश्यकता 3.85 लाख मीट्रिक टन कागज की होगी। इसमें से यह आशा की जाती है कि देश में 2 लाख मीट्रिक टन कागज का उत्पादन होगा। अत: 1.85 लाख मीट्रिक टन कागज का आयात करने की आवश्यकता होगी। यह सारी मात्रा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात की जाती हैं। दूसरी कोई अन्य एजेंसी इस कार्य को नहीं करती हैं। जहां तक माननीय सदस्य के पहले वाले भाग का संबंध है, मूल्य का निर्धारण अखबारी कागज उद्योग से बातचीत करके किया जाता है। उनके दो प्रतिनिधि मूल्यांकन समिति में हैं। दो प्रतिनिधि मूल्य निर्धारण समिति में हैं। जहां तक मुझे मालूम है कभी भी कोई पक्षपात नहीं किया गया है। समिति में दो प्रतिनिधि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के, दो प्रतिनिधि राज्य व्यापार निगम तथा अखबारी कागज उद्योग के हैं और वह समिति मूल्य निर्धारित करती है।

श्री अमर राय प्रधान : मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार छोटे समाचार पत्रों को रियायती दरों पर अखबारी कागज देने के लिए तैयार है।

श्री वी० ए० गाडगिल : पहले ही उन्हें रियायती दर पर कागज दिया जा रहा है और सीमा शुल्क उनसे वसूल नहीं किया जाता है।

श्री एडुआर्डो फलीरो : इस अखबारी कागज की समस्या से समाचार पत्रों को बहुत परेशानियों तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि प्रैस परिषद ने भी कहा है कि उन्हें काफी परेशान किया जाता है और इससे समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है। मैं कुछ कहूं इससे बेहतर है कि प्रैस परिषद के प्रतिवेदन से ही उद्धृत करूं :

> "परिषद महसूस करती है कि राज्य व्यापार निगम अधिकतर समाचार पत्रों की ठीक से सेवा नहीं कर रहा है। समाचार पत्र कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं जैसे देर से कागज आना, राज्य व्यापार निगम द्वारा पैसा वापिस न करना, अखबारी कागज

का समय पर समाचार पत्रों तक न पहुंचना, राज्य व्यापार निगम द्वारा बहुत अधिक ऊपरी प्रभार इकट्ठे करना आदि। परिषद का यह विचार है कि राज्य व्यापार निगम, जोकि अखबारी कागज के आयात करने तथा बांटने में एक एकाधिकार प्राप्त संगठन है, के साथ समाचार पत्रों का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। अखबारी कागज के देरी से आपूर्ति किये जाने के कारण समाचार पत्रों के वितरण के मामलों में अत्यन्त कठिनाई आ जाती है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए परिषद सुझाव देती है कि बड़े समाचार पत्रों को अपनी वार्षिक मंजूरी का 50 प्रतिशत कागज सीधे ही उन संभरकों से, जिनसे राज्य व्यापार निगम का ठेका है, मंगाने की अनुमति दी जाये।"

यह 1981 में कहा गया था। मैं जानना चाहूंगा कि समाचार-पत्र परिषद की इस सिफारिश पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

दूसरे, मैं जानना चाहूंगा कि मंत्रालय के अपने उस प्रस्ताव का क्या हुआ जिसमें समाचार पत्र वित्त निगम बनाने की बात थी। फिल्म वित्त निगम की तरह समाचार पत्र वित्त निगम बनाने का मंत्रालय का अपना प्रस्ताव था। मैं माननीय मंत्री से कोई आश्वासन चाहूंगा अथवा वह इसके लिए कुछ करें।

श्री वी० एन० गाडगिल : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है जो प्रैस परिषद की टिप्पणियों के बारे में है, ये तो की गई हैं। अब, मेरे विचार में हम एक मिनट में यह निर्णय नहीं ले सकते कि इसे राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाये अथवा नहीं। बहुत से मुद्दे हैं। अगर हम निगम के माध्यम से नहीं करते हैं तो इससे छोटे समाचार पत्र बहुत प्रभावित होंगे। उनके पास भण्डारण की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ देशों के साथ हमारे समझौते हैं, उनकी अदायगी रुपयों में है। अगर हम समाचार पत्रों को सीधी अनुमति देते हैं तो इसमें 65 करोड़ रुपये तक की विदेशी मुद्रा का प्रश्न आता है और इसीलिए हमने अभी तक फैसला नहीं किया है। लेकिन मैं आपको यहां बता सकता हूं कि जल्दी ही हम अखबारी कागज की समस्या के सभी पहलुओं, जैसे कागज की कुल जरूरत, आयात का निर्धारण, वर्तमान नीति तथा अन्य सभी बातों पर नये सिरे से विचार करने जा रहे हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : समाचार पत्र वित्त निगम के प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री वी० एन० गाडगिल : मेरा कहना यह है कि यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बालासाहेब विखे पाटिल। अनुपस्थित। श्री जंगा रेडी। अनुपस्थित। श्री लक्ष्मण मलिक।

कम लागत के मकानों के लिए डिजाइन

*268. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विशेषकर तबाही वाले क्षेत्रों में स्थानीय सामग्री के प्रयोग से कम लागत वाले मकानों के डिजाइन तैयार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या हाल ही में "प्राकृतिक विपदाएं अवशमन अनुसंधान और व्यवहार" पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कुछ सुझाव दिए गए थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इस सम्मेलन द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(i) कीच, ईंट, चिनाई, लकड़ी, बांस इत्यादि जैसी स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का अच्छा उपयोग करते हुए मकानों के साधारण डिजाइनों के स्व-सहायता के माध्यम से सुरक्षित तथा दुर्घटना रोधक मकानों के निर्माण के लिए प्रचार किया जाना चाहिए।

(ii) किसी दुर्घटना के प्रति सुदृढ़ बनाने में मितव्ययी उपायों को ढूंढ़ निकालने के लिए विद्यमान मकानों का अध्ययन किया जाना चाहिए।

(iii) विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक दुर्घटनाओं के घटित होने के बारे में सूचना एकत्र की जानी चाहिए तथा उसे लेखबद्ध किया जाना चाहिए ताकि प्राकृतिक खबरों को काम करने की नीतियां और कार्यक्रम बनाने के लिए पर्याप्त आंकड़ा आधार प्राप्त हो सके।

(iv) दुर्घटना में कमी करने तथा जानकारी का प्रसार करने पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए और गतिविधियों में तेजी लाई जानी चाहिए।

(v) अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा विशेषज्ञता प्राप्त संयुक्त राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा प्राकृतिक आपदाओं में कमी लाने की प्रणाली बनाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग।

श्री लक्ष्मण मलिक : लगभग 68 लाख भूमिहीन परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जिनके पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं है तथा 77 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास मकान बनाने के लिए जगह तो है परन्तु मकान बनाने या वर्तमान मकान में सुधार करने के लिए संसाधन नहीं हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में इन लोगों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने कुछ राज्यों में कम लागत की आवास योजना शुरू की है। यदि हां, तो वे राज्य कौन से हैं जहां यह योजना चालू की गई है, ऐसे मकानों की संख्या कितनी है तथा विभिन्न राज्यों में कम लागत के मकान बनाने में कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है ?

श्री अब्दुल गफूर : मकानों की व्यवस्था करने का काम राज्य सरकारों का है तथा वे ऐसे मकान बना रही हैं, जहां तक लागत के मकानों का निर्माण करने का सम्बन्ध है, आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) जैसे निगमों ने बड़े पैमाने पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए मकान निर्माण का काम शुरू किया है। केरल, तमिलनाडु तथा गुजरात में यह योजना बहुत सफल रही है। देश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित बहुत से राज्य इसमें पीछे हैं। कम लागत की आवास योजना के बारे में फिर कुछ और बातें भी हैं। जब सरकार या आवास तथा शहरी विकास निगम ऐसे मकान बनाता है तो जो पैसा खर्च हुआ है वह उन्हें वापस करना पड़ता है। परन्तु महाराष्ट्र सरकार ने यह प्रस्ताव दिया है कि वह अपनी निर्धारित धनराशि में से पैसा देगी तथा जिन लोगों के मकान बने हैं वह उनसे कोई पैसा नहीं लेगी। परन्तु जिस समय तमिलनाडु तथा केरल के ग्रामीण क्षेत्र में बहुप्रयोजनीय सहकारी समिति या ऐसी किसी अन्य योजना के अन्तर्गत मकान बनाये गए थे तब उन्होंने लागत का लगभग 62 से 70

प्रतिशत तक वापस कर दिया था। अतः यह इस कार्य को तीव्रता से करने का प्रश्न है तथा यह केवल राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है। केन्द्रीय सरकार तो केवल उनकी सहायता करने के लिए है।

श्री लक्ष्मण मलिक : सम्मेलन ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। क्या सरकार का उन सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने का विचार है, यदि है तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में कौन से कदम उठाए गए हैं।

श्री अब्दुल गफूर : सातवीं योजना को अन्तिम रूप देने का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। जहां तक सम्मेलन की सिफारिशों का सम्बन्ध है ये स्वीकार की जा रही हैं। सीमेंट अनुसंधान संस्थान तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम जैसे देश में बहुत से अनुसन्धान संस्थान हैं। ये इस प्रश्न पर विचार कर रही हैं कि उन लोगों के लिए, जिनके पास सर छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं है, कम खर्च करके बढ़िया से बढ़िया मकान कैसे बनाए जा सकते हैं। केवल इतना ही नहीं उन क्षेत्रों में भी, जो तूफान या भूकम्प प्रधान क्षेत्र हैं, ऐसे मकान बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुसन्धान कार्य चल रहे हैं, ताकि वे क्षतिग्रस्त न हों। इसीलिए इन सभी बातों पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि हुडको ने राजस्थान प्रदेश के अन्तर्गत पंचायत समितियों को आश्वासन दिया था कि वहां पर गरीबों के लिए, खास कर देहात में रहने वाले लोगों के लिए, मकान बनाने के लिए रुपये की व्यवस्था की जायगी। इसके लिए प्रोजेक्ट भी तैयार की गई और गरीब लोगों ने आपके आश्वासन पर पक्के मकान बनाने के लिए अपने कच्चे मकान तुड़वा डाले, लेकिन अभी तक पंचायत समितियों को इस स्कीम के तहत कोई रुपया नहीं दिया गया। पंचायत समितियों को जो आश्वासन दिया गया, उसको दृष्टि में रखते हुए क्या मंत्री महोदय देखेंगे कि उस रुपये को दिए जाने की व्यवस्था की जाये ?

श्री अब्दुल गफूर : आपने राजस्थान के बारे में पूछा, जैसा मैंने पहले बतला दिया है यह स्कीमें तमाम स्टेट्स के जिम्मे हैं, वे जितना चाहें एलाट करें। जो स्टेट्स ज्यादा इफेक्टिवली काम करती हैं, जैसे तमिलनाडु, केरल, वगैरह हैं, वहां पर रुपया खर्च हुआ उसको वापस भी कर दिया गया। इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट इसको देखे।

श्री राम सिंह यादव : पंचायत समितियों को आश्वासन दिया गया था···

श्री अब्दुल गफूर : राजस्थान गवर्नमेन्ट जिस तरह से चाहे बनाये।

श्री राम सिंह यादव : लेकिन अभी तक रुपया आपने नहीं दिया है, स्कीम आपके यहां आ गई है। आपकी एशोरेंस पर गरीबों ने पक्के मकान बनाने के लिए कच्चे मकान तुड़वा दिये हैं।

श्री अब्दुल गफूर : ऐसी खबर मेरे पास नहीं है कि हुडको ने इन्कार कर दिया है। यदि आप चाहें तो जानकारी लेकर बतला सकता हूं।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मन्त्री महोदय का जवाब कम लागत वाले मकानों की अपेक्षा अधिक कीमती लगता है। भूतपूर्व प्रधान मन्त्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा जी की ग्रामीण गरीब

लोगों को मकान देने की इच्छा के कारण भारत सरकार ने इस विषय को 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। इसीलिए मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को यह पता लग गया है कि मकान की समस्या ग्रामीण गरीब लोगों के लिए और भी अधिक गंभीर होती जा रही है। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित एकीकृत आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गरीबों को अपना मकान बनाने के लिए केवल 1500 रुपये दिये गये। परन्तु इन मकानों को बनाने के लिए यह राशि ठीक तरह से खर्च नहीं की गई, क्योंकि मकान बनाने के लिए 1500 रुपये तो बहुत कम राशि है। इसीलिए, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार कर लिया है तथा क्या इस योजना के बारे में जानकारी ली जा रही है तथा क्या सातवीं योजना में ग्रामीण गरीब लोगों के लिए मकान निर्माण को भी प्राथमिकता दी जायेगी यदि हां, तो सरकार ने इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल गफूर : जहां तक सातवें प्लान का ताल्लुक है—यह बात सही है कि हिन्दुस्तान में हाउसिंग प्राबलम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है। आबादी बढ़ रही है। लेकिन साथ-साथ जो भी काम हो रहा है, उसमें अगर हिन्दुस्तान की हर स्टेट गवर्नमेंट मुस्तैदी से काम करे तो सैन्ट्रल एस्सिटैंस के जरिये जो भी हो सकता कुछ हद तक इस डिफिकल्टी को कम कर देंगे।

आपने कहा कि रूरल एरियाज में काफी डिफिकल्टीज हैं। मैं एक मिसाल देता हूं—हुडको का इन्सेप्शन जिस दिन हुआ उस रोज से 28-2-1985 तक 3441 स्कीम्ज सारे हिन्दुस्तान में सैंक्शन हुईं। कहां-कहा की गईं, डिटेल्ज इस वक्त मेरे पास नहीं हैं। इनमें डवेलिंग यूनिट्स 1366605 हैं और इनके अलावा 1005846 प्लाट्स डवेलप करके इकानामिकली वीकर सैक्शन्ज को, जिनमें 40 परसेन्ट वीकर सैक्शन्ज हैं उनको दिये गये। कौन-सी स्टेट है जो गरीबों के लिए ज्यादा मेहनत करती है, यह तो स्टेट्स से जानकारी मंगाने से पता चलेगा कि उन्होंने अपनी-अपनी स्टेट्स में क्या-क्या किया है, लेकिन यह एक लम्बा प्रोसेस है। हुडको के बारे में मैंने बताया है कि इतनी मुद्दत में इतने यूनिट्स बनाए और इतने प्लाट्स को डैवलप करके एलोट किया।

धान की प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ाने हेतु उठाए जाने वाले कदम

[अनुवाद]

270. **श्री के० रामभूर्ति** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1983 में धान की प्रति हेक्टेयर उपज 2195 कि० ग्रा० थी, जबकि विश्व में धान की उपज का प्रति हेक्टेयर औसत 3108 कि० ग्रा० है; और

(ख) यदि हां, तो देश में प्रति हेक्टेयर धान की उपज में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1983 के दौरान भारत में धान की प्रति हेक्टेयर उपज 2185 किलोग्राम थी, जबकि विश्व में धान की प्रति हेक्टार औसत उपज 3114 किलोग्राम है।

(ख) देश में प्रति हेक्टार धान की उपज में वृद्धि करने के लिए दिए जा रहे उपाय निम्न प्रकार हैं :—अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत अधिक से अधिक क्षेत्र लाना, पैकेज की उन्नत पद्धतियों को अपनाना, किस्मों का विविधिकरण, जल का प्रभावी उपयोग, उर्वरकों का वर्धित उपयोग, आवश्यकता पर आधारित पौध संरक्षण उपाय और समस्याग्रस्त क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास। इसके अलावा, 1984-85 के दौरान विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम की पहले से चल रही योजना के रूप में असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के छः पूर्वी राज्यों के 51 चुनींदा खण्डों में मार्गदर्शी परियोजनाओं की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई है, ताकि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन राज्यों में चावल के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की जा सके।

श्री के० राममूर्ति : माननीय मन्त्री द्वारा दिया गया जवाब मेरे प्रश्न को सामान्य बनाने के एक प्रयास के सिवाय और कुछ नहीं है। मैं तो स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि कृषि मन्त्रालय ने चावल के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? देश में धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व के औसत उत्पादन से लगभग 1000 किलोग्राम कम है। यह अन्तर कम नहीं है। इसीलिए मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्रालय इस समस्या से कम से कम अवगत है। क्या इसने चावल का प्रति हैक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम का पता लगाया है। मैं यह जवाब नहीं चाहता कि आप यह बताएं कि ये अधिक उपज देने वाली परियोजनाएं तथा बीज हैं। ये सभी चीजें आजकल बहुत सामान्य हैं।

दूसरे, माननीय मन्त्री ने कुछ राज्यों से अग्रणी के रूप में विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम का अभियान चलाने के लिए कहा है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इससे चावल की विशेष किस्मों का उत्पादन होगा या इसमें उत्पादिता बढ़ेगी।

श्री बूटा सिंह : मैंने प्रश्न के अपने मुख्य उत्तर में यह बताया है कि सरकार ने हमारे देश में धान का उत्पादन बढ़ाने तथा इसकी किस्म में सुधार लाने के लिए कुछ चुने हुए खण्डों में पहले से ही विशेष अभियान शुरू कर दिया है। परन्तु मैं यह भी उल्लेख कर दूं कि धान के उत्पादन स्तर में विभिन्न राज्यों में बड़ा अन्तर है तथा पांच-छः राज्यों—आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, तथा उत्तर प्रदेश, जो मुख्य रूप से धान पैदा करने वाले राज्य हैं, में उत्पादन स्तर कम है। जो राज्य परम्परागत धान पैदा करने वाले राज्य नहीं हैं जैसे पंजाब तथा हरियाणा, उनमें उत्पादन में वृद्धि हुई है। जिन राज्यों का मैंने उल्लेख किया है उनमें समस्या वैसी नहीं है जैसी कि अधिक धान पैदा करने वाले राज्यों की है। यहां मुख्य रूप से पानी की व्यवस्था की समस्या है। हमें कोई ऐसा तरीका निकालना है जिससे इन क्षेत्रों में उपलब्ध पानी के संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग हो सके तथा अधिक पैदावार देने वाले बीजों की कुछ किस्में शुरू की जा सकें जो पूर्वी क्षेत्र में अधिक भागों मे उपलब्ध पानी में भी कारगर सिद्ध हो सकें। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने प्रायोगिक परियोजना के माध्यम से इन चुने हुए राज्यों में धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी योजना तैयार की है जो चुने हुए 15 खण्डों में शुरू की गई है।

श्री के० राममूर्ति : मन्त्री महोदय बड़ी सुगमता से मेरे प्रश्न को टाल रहे हैं। मैं एक बहुत ही विशेष प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या योजना में विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम अर्थात् इसकी विशेष किस्में तैयार करने या उत्पादन बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। उन्होंने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

श्री बूटा सिंह : प्रश्न को टालने की कोई बात नहीं है। धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम को केन्द्रीय क्षेत्र योजना के कार्यान्वियन से सहयोग मिलता है। मैं इसी पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं।

नई प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए हमारे पास एक योजना भी है जिसमें धान का नया कम्युनिटी नर्सरी कार्यक्रम, मिनिकिट प्रदर्शन, तथा विस्तार कार्मिकों का प्रशिक्षण शामिल है। ये कम्युनिटी नर्सरी योजनाएं हैं। मैं इसके उत्पादन की मात्रा भी निर्धारित करने जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का साधारण-सा जवाब है। इसका उत्तर है कि अच्छी क़िस्म तथा अच्छी तकनीक के बगैर अधिक उत्पादन नहीं हो सकता।

श्री बूटा सिंह : मैं भी इसी पर जोर दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : उत्पादन के लिए दोनों ही आवश्यक हैं।

श्री बूटा सिंह : मैं भी यही बताने का प्रयास कर रहा हूं। भारत सरकार भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद तथा विस्तार सेवा के माध्यम से यही करने का प्रयास कर रही है। सभी भाग लेने वाले किसानों को आदान की कीमत को अंशतः पूरा करने के लिए प्रति हैक्टेयर नर्सरी के लिए 1500 रुपए की राजसहायता दी जाती है। उगाई गई पौध को बहुत ही कम दाम में दूसरे किसानों में बांट दिया जाता है। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य बोने के समय को पहले रखना है, ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके तथा रबी की फसल के लिए खेतों को समय पर खाली किया जा सके। 'कम्युनिटी नर्सरी' के अधीन क्षेत्र, जो सन् 1979-80 में 13.951 हैक्टेयर था, अब सन् 1984-85 में बढ़कर 23,250 हेक्टेयर कर दिया गया है।

नव विकसित विभिन्न प्रकार के बीजों पर किसानों की प्रतिक्रिया जानने के बाद मिनिकिट कार्यक्रम के अन्तर्गत नव विकसित (न्यूलीरिलीन्ड) तथा पूर्व विकसित किस्म के बीज थोड़ी मात्रा में किसानों के खेतों पर प्रदर्शन के लिए निःशुल्क सप्लाई किये जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के बीजों से विविध प्रकार का उत्पादन करने में सुविधा हो सके। सन् 1980-81 में 0.5 लाख मिनिकिट वितरित किये गये जबकि सन् 1984-85 में 12.5 लाख मिनिकिटों का वितरण किया गया। यही वे भारी प्रयास हैं, जो भारत सरकार भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के माध्यम से उन क्षेत्रों में धान के उत्पादन तथा किस्म में सुधार करने के लिए प्रयास कर रही है, जो हमारे देश के पूर्वी क्षेत्र में परम्परागत रूप से धान उगाने वाले क्षेत्र हैं।

श्री के० राममूर्ति : मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय मेरे साथ सहमत होंगे कि कृषि मूल्य आयोग ने जो खरीद मूल्य निर्धारित किया है वह भी किसानों के लिए प्रोत्साहनकारी नहीं है जिसके परिणामस्वरूप देश में कम उत्पादन हो रहा है। हमारे देश में इस मूल्य के निर्धारण के मामले में अभी तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : नियम 193 के अधीन हम इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। उसे अब मत उठाइए। लाभकारी मूल्यों पर पूरे विस्तार से चर्चा की गई थी। हमने इस पर पूर्ण रूप से चर्चा की थी। यदि आप चाहते हैं तो कोई और प्रश्न पूछें।

श्री सोमनाथ रथ : मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि प्रायोगिक योजना के अन्तर्गत प्रत्येक खण्ड को चावल की गहन खेती करने के लिए कितनी धनराशि दी जाती है तथा इस योजना के लिए कितने वर्षों के लिये धनराशि निर्धारित की गई है।

क्या पंचायत समितियों के लिए आबंटित की गई धनराशि सभी राज्यों में खर्च कर दी गई है तथा क्या सरकार इस योजना के अधीन कुछ और पंचायत समितियों को शामिल करने जा रही है ?

श्री बूटा सिंह : केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत पूर्व उल्लिखित 6 पूर्वी राज्यों के 51 चुने हुए ब्लाकों में सभी प्रायोगिक परियोजनाओं को 1984-85 के दौरान बीज, उर्वरक, ऋण, कृषि उपकरण तथा भूमि विकास आदि जैसी अल्पकालीन कठिनाइयां दूर करने के लिए शुरू किया गया है। विभिन्न विकासात्मक उपायों के लिए इन राज्यों को अनुदान के रूप में 5 करोड़ रु० मंजूर किए गए थे।

यदि आप प्रत्येक मद का अलग-अलग ब्यौरा चाहें……

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

प्रो० एन० जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा-सा अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : रंगाजी, अगला प्रश्न और अधिक महत्वपूर्ण है।

प्रो० एन० जी० रंगा : तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे पारम्परिक रूप से चावल की फसल उगाने वाले राज्यों को सहायता देने के बारे में क्या हुआ ?

श्री बूटा सिंह : महोदय, जब मैंने कहा था "यह छः राज्य" तो इसका यह तात्पर्य नहीं है इसमें अन्य राज्य शामिल नहीं हैं। मैं इस बात का उल्लेख कर रहा था कि एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। आंध्र, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र को जो सहायता अब मिल रही है वह मिलती रहेगी।

भारत में तिलहनों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन

[अनुवाद]

*271. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**† :
श्री अमर सिंह राठवा :

क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलहनों के बारे में कितने वैज्ञानिक शोध कार्य कर रहे हैं और छठी योजना के दौरान इस कार्य पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ख) क्या विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में तिलहनों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है;

(ग) क्या बड़े पैमाने पर और ऊंचे दामों में वनस्पति तेलों का आयात करना अनिवार्य है; और

(घ) वर्ष 1982 से 1984 की अवधि में देश में कितनी मात्रा में वनस्पति तेल और तिलहनों का उत्पादन किया गया ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) विभिन्न तिलहन परियोजनाओं में 508 वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन परियोजनाओं पर

हुआ व्यय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	धनराशि (लाख रुपए)
1980-81	109.88
1981-82	130.04
1982-83	143.89
1983-84	141.07
1984-85	105.56
(फरवरी, 1985 तक)	

(ख) खाद्य एवं कृषि संगठन के वार्षिक उत्पादन शब्दकोश, 1983 के अनुसार, भारत में उगाए गए विभिन्न तिलहनों की प्रति हैक्टार औसत उपज विश्व के प्रति हैक्टार औसत उत्पादन से कम है, तथापि, चुनिंदा तिलहनों के संबंध में यह कुछ देशों के मुकाबले अच्छी है।

(ग) खाद्य तेलों की कुल मांग और देशी उत्पादन के बीच अंतर है। इस हेतु अल्पावधि उपायों के रूप में खाद्य तेलों का आयात करके इस अंतर को पाटा जाता है।

(घ) उगाए गए तिलहनों और उनके समतुल्य तेल की मात्रा निम्नलिखित है :—

वर्ष	तिलहन	समतुल्य तेल
	(लाख मी० टन)	
1982-83	100.0	25.2
1983-84	128.1	32.0
1984-85	130.0	33.0

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि मांग और उत्पादन में अंतर होने के कारण तिलहनों और तेलों का आयात करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि यह एक अस्थायी उपाय है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि अभी समाप्त हुए वर्ष अर्थात् 1984-85 के दौरान आयात किए गए खाद्य तेलों की कुल लागत कितनी है। क्या यह सही है अथवा नहीं कि खाद्य तेलों के आयात पर व्यय की जाने वाली कुल राशि संभवतया 1500 करोड़ रु० से ऊपर है और पेट्रोलियम के बाद खाद्य तेलों का सर्वाधिक महंगी आयातित मदों में स्थान आता है। और यदि ऐसा है तो क्या वे हमें बताएंगे कि इतनी अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करने के बावजूद यदि हम उनके द्वारा दिए छः साल के आंकड़ों को जोड़ें तो वे लगभग 800 करोड़ रु० या 1000 करोड़ रु० बनेंगे, 500 वैज्ञानिक पूर्णकालिक तौर पर काम कर रहे हैं—ऐसा क्यों है कि न तो प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि हो रही है और न ही कुल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो रही है।

मेरे पास कृषि विभाग की वर्ष 1982-83 की वार्षिक रिपोर्ट के आंकड़े हैं। पिछले 30 सालों में जब से गणराज्य बना है, 1950-51 से 1980-81 के दौरान तिलहनों की फसल के लिए कृषि क्षेत्र 166.40 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 176.02 लाख हैक्टेयर हो गया है लेकिन

1980-81 में उत्पादन 96.30 लाख टन से घटकर 93.72 लाख टन रह गया। इसका अर्थ है कि 1951 में पैदा होने वाली उपज प्रति एकड़ 579 से घटकर 1980-81 में 532 हो गई है। 30 सालों में हम यहां तक पहुंचे हैं।

अतः मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है अथवा नहीं कि तिलहनों तथा तेल का आयात करने का यह अस्थायी उपाय तथा इनके आयात पर इतनी अधिक विदेशी मुद्रा व्यय करना तब तक जारी रहेगा जब तक प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि नहीं होती। इससे तो विदेशी मुद्रा बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। उन्हें ऐसी असन्तोषजनक परिस्थितियों के लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए।

श्री बूटा सिंह : माननीय मंत्री जी जानते होंगे कि देश भयंकर सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है·······

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हर साल।

श्री बूटा सिंह : पिछले 3-4 सालों से लगातार सूखा पड़ रहा है। यदि माननीय मंत्री राज्यों में सूखे की हालत के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रतिवेदनों पर नजर डालें तो वे पूर्णतया संतुष्ट होंगे। खेतों में जाने पर भी स्पष्ट पता चल जायेगा कि पिछले तीन-चार सालों से सूखे की स्थिति चल रही है। 1982-83 में देश में सबसे भयंकर सूखा पड़ा था। इसके बावजूद देश अपने को संभाले रहा—सूखे से तो देश का कृषि उत्पादन ही समाप्त हो सकता था—लेकिन इस दिशा में हमारे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा की जा रही कड़ी मेहनत तथा व्यापक अनुसंधान के कारण ही देश अपने को संभाले रख सका, वैसे तो ये किसान लोग ही हैं जिन्होंने इन अनुसंधान कार्यक्रमों को लागू किया है।

माननीय मंत्री उत्पादन के आंकड़ों का उल्लेख कर रहे थे। उनकी जानकारी के लिए मैं बता दं कि जिस वर्ष सबसे अधिक सूखा पड़ा उस वर्ष देश में 87.4 लाख टन पैदावार हुई थी जोकि अब बढ़कर 130 लाख टन हो गई है। यह कोई कम उपलब्धि नहीं है। इस पर हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि मांग और पूर्ति के बीच अंतर को पाटा जाना चाहिए और देश में खाद्य तेलों की कमी दूर करने के लिए खाद्य-तेलों के आयात द्वारा अस्थायी तौर पर इस अंतर को समाप्त किया जा रहा है।

माननीय सदस्य ने आयात के संबंध में राशि का उल्लेख किया है। क्या मैं उनके ध्यान में यह बात लाऊं कि 1983-84 में खाद्य-तेलों के आयात पर 1,319 करोड़ रुपए व्यय हुए थे जबकि 1984-85 के दौरान, जनवरी तक 410 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि हम देश में तिलहन की पैदावार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में बहुत कुछ किया जाना चाहिए क्योंकि ज्यादातर तिलहन सूखी खेती के अन्तर्गत आते हैं। जहां-जहां सिंचाई की व्यवस्था है वहां तिलहन की खेती बंद हो जाती है। उसका स्थान बढ़िया फसलें ले लेती हैं। जहां भी सिंचाई की व्यवस्था है वहां किसान तिलहन की बजाय चावल या गेहूं बोते हैं, अतः तिलहनों तथा दालों के मामले में यह समस्या आड़े आती है। हमें चाहिए कि हम प्रचार···

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कह रहे हैं। हमें उस पर विचार करना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक बात और आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आप भी बैठे हैं, फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर भी बैठे हैं, कल परसों जब मैं आया था तो···

[अनुवाद]

तिलहनों की बढ़िया फसल मंडी में आ रही है।

श्री बूटा सिंह : इस बार अपेक्षाकृत कम वर्षा हुई है। लेकिन इससे इस फसल को फायदा होगा क्योंकि तिलहन के पौधों को कोई बीमारी नहीं लगी है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : किसानों को कम कीमतें मिलेंगी।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : एक माननीय सदस्य का कहना है कि कीमतें गिर रही हैं और एक का कहना है कि बढ़ रही हैं।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : मैं फसल उगा रहा हूं। तेल किसी और द्वारा बनाया जा रहा है···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : राव साहब, क्राप आ रही है, उसको खरीदने का बंदोबस्त देख लीजिए, सपोर्ट प्राइस का भी देख लीजिए···

[अनुवाद]

यह सब मुझे लोग कह रहे हैं। मैं इसे राव बीरेन्द्र सिंह के नोटिस में लाना चाहता हूं। आप···पहले तैयारी कर लें।

[हिन्दी]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : हम कोशिश कर रहे हैं कि प्राइसेस ज्यादा न गिरें।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वनस्पति तेल निर्माताओं की लाबी बहुत शक्तिशाली है। वे उत्पादन बढ़ाने के बजाय सरकार द्वारा आयात किए जाने को अधिक प्राथमिकता देते हैं।

[हिन्दी]

यह एक महत्त्वपूर्ण सवाल है। इस पर हाफ एन आवर में डिसकशन करवाइए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, करवायेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नवीन प्रयास किए गए हैं। प्रधान मन्त्री वहां जा रहे हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चीनी उद्योग में लाइसेंस देने के लिए संशोधित दिशानिर्देश

*266. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग में लाइसेंस देने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन संगठनों ने अपने सुझाव दिए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार का दिशानिर्देशों को कब तक अन्तिम रूप देने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) चीनी उद्योग में लाइसेंस देने संबंधी संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांन्तों के बारे में नेशनल फैडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड तथा इण्डियन शुगर मिल्स एसोसिएशन से औपचारिक रूप से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) लाइसेंस देने संबंधी संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों में, जो 30.9.1985 तक लागू हैं, मुख्यतः सन्तुलित अन्तक्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करने की कल्पना की गई है। चुने हुए इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में, गुण-दोष के आधार पर, 3500 टी० सी० डी० से अधिक विस्तार करने वाले यूनिटों में कृषि-औद्योगिक काम्प्लेक्स की स्थापना करने की भी परिकल्पना की गई है। चूंकि संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त 24 सितम्बर, 1984 की प्रैस रिलीज द्वारा पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं, इसलिए, इस समय मर्गदर्शी सिद्धान्तों को अन्तिम रूप देने का प्रश्न नहीं उठता।

महानगरों में झुग्गीवासियों को आवास सुविधाएं प्रदान करना

[हिन्दी]

*267. **डा० ए० के० पटेल** :
श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में झुग्गीवासियों की राज्यवार संख्या कितनी है और उनमें से कितने लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में रहते हैं;

(ख) उन्हें आवास सुविधाएं प्रदान करने संबंधी योजना की रूपरेखा क्या है; और इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(ग) इस सम्बन्ध में प्रत्येक महानगर के लिए 1985-86 के वर्ष हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक महानगर में झुग्गीवासियों की संख्या में कितनी वृद्धि/कमी हुई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) राज्य में झुग्गी निवासियों की संख्या का पता लगाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने कतिपय 'मलिन बस्ती निवासियों' की संख्या का पता लगाया है। विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा यथा पता लगाई गयी मलिन बस्ती जनसंख्या का एक विवरण सभा पटल पर रखा है। राज्य सरकारों द्वारा यथा सूचित दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता (कलकत्ता महानगीय विकास प्राधिकरण) तथा मद्रास महानगरीय शहरों की मलिन बस्ती जनसंख्या क्रमशः 18.00 लाख, 28.31 लाख, 30.28 लाख तथा 13.77 लाख है।

(ख) सरकार की वर्तमान नीति बेघर लोगों को प्राथमिकता के आधार पर आवास सुविधायें प्रदान करने की है। झुग्गी निवासियों या मलिन बती जनसंख्या के बारे में उद्देश्य क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत नगरीय मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार के लिए जलपूर्ति, बरसाती पानी की नालियां, गलियों में खड़ंजे बिछाना, पथ प्रकाश तथा सामूहिक स्नानगृहों और शौचालयों के प्रावधान जैसी सुविधाओं द्वारा मलिनवस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की योजना को आरम्भ करता है। जनसंख्या के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास की योजना के अन्तर्गत झुग्गी निवासी आवास सुविधाओं के पात्र हैं। इस योजना के अन्तर्गत लाभभोगियों को 3,000 रुपये प्रति एकक तक की ऋण सहायता दी जाती है जिसे ब्याज की रियायती दरों पर 20 से 25 वर्षों की अवधि में अदा किया जा सकता है। 28.2.1985 तक छठी योजना अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत 8.02 लाख आवास एकक निर्मित किए गए हैं। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की आवास योजनायें आरम्भ करने के लिए आवास तथा नगर विकास निगम राज्य सरकारों, आवास अभिकरणों तथा विकास प्राधिकरणों को भी सहायता देता है। इस योजना के अन्तर्गत 28.2.1985 तक 8.38 लाख आवास एककों का निर्माण पूरा हो गया है। सातवीं योजना अवधि के दौरान इन योजनाओं को जारी रखने का प्रस्ताव है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों या मलिन बस्ती निवासियों की सम्पूर्ण जनसंख्या को लाभान्वित करना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ग) चूंकि ये योजनायें राज्य सरकारों द्वारा बनाई तथा कार्यान्वित की जाती हैं इसलिए यह सूचना उनसे एकत्र की जा रही है।

(घ) राज्यों में झुग्गी निवासियों की संख्या का पता लगाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

विवरण

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा यथा सूचित
पता लगाए गए मलिन बस्ती जनसंख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पता लगाए गये मलिन बस्ती जनसंख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2857955
2.	असम	123589

1	2	3	
3.	बिहार	3269928	
4.	गुजरात	1531644	
5.	हरियाणा	274214	
6.	हिमाचल प्रदेश	76188	
7.	जम्मू और कश्मीर	627000	
8.	कर्नाटक	574452	
9.	केरल	410062	
10.	मध्य प्रदेश	1074936	
11.	महाराष्ट्र	4314890	(1971 की जनगणना के अनुसार
12.	मणिपुर	16500	
13.	मेघालय	66000	
14.	नागालैण्ड	—	
15.	उड़ीसा	282025	
16.	पंजाब	1166751	
17.	राजस्थान	1025155	
18.	सिक्किम	2425	
19.	तमिलनाडु	2676000	
20.	त्रिपुरा	18415	
21.	उत्तर प्रदेश	2580000	
22.	पश्चिम बंगाल	3028000	(कलकत्ता महा-नगर विकास प्राधिकरण)
	संघ राज्य क्षेत्र		
1.	दिल्ली	1800000	
2.	गोआ, दमण और द्वीव	24217	
3.	लक्षद्वीप	—	
4.	मिजोरम	उपलब्ध नहीं	
5.	पाण्डिचेरी	94164	
	योग:	27904510	

खाद्यान्नों का उत्पादन

[अनुवाद]

*269. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या इस वर्ष आदानों के उपयोग में काफी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या छठी योजना के उत्पादन लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे; और

(घ) खाद्यान्न की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) खरीफ और रबी फसलों के उत्पादन के अंतिम अनुमान सभी राज्यों से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। वास्तव में, रबी के अनुमान अभी देय नहीं हुए है। अतः इस समय 1984-85 के दौरान समग्र खाद्यान्नों का उत्पादन बताना सम्भव नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्यों से प्राप्त हुई प्राथमिक रिपोर्टों के आधार पर हाल ही में यह मूल्यांकन किया गया है कि 1984-85 के दौरान खाद्यान्नों का उत्पादन छठी योजना लक्ष्य के 1536 लाख मीटरी टन से मामूली कम हो;

(घ) अत्यावश्यक आदानों अर्थात सिंचाई, उर्वरकों, अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों, पौध संरक्षण उपायों आदि के उपयोग में वृद्धि करने के अलावा, देश में फसल उत्पादनों को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में मिनिकिटों का निःशुल्क वितरण, राज्य स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन लाभकारी मूल्य नीति अपनाना, प्रौद्योगिकी आदि का अन्तरण करना आदि शामिल हैं।

सूखा-प्रवण क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव

*272. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सामाजिक-आर्थिक अध्ययन संस्थान के कृषि वैज्ञानिकों ने सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए सूखा-प्रवण क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन सुझावों पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो इन सुझावों को किस हद तक क्रियान्वित कर दिया गया है;

(घ) क्या सभी राज्यों ने ऐसे प्राधिकरण स्थापित करने का समर्थन किया है; और

(ङ) सरकार भविष्य में विभिन्न राज्यों में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए अन्य

कौन से कदमों पर विचार कर रही है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को दीर्घकालीन उपाय के रूप में चौथी पंचवर्षीय योजना से लागू किया जा रहा है, ताकि भूमि, जल एवं पशुधन संसाधनों की उत्पादकता में सुधार लाने तथा पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखने के लिए योजनाओं द्वारा सूखे के हानिकर प्रभावों को कम किया जा सके। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि और नमी संरक्षण, सूखी भूमि पर खेती, वनरोपण और चरागाह विकास, बागवानी, पशुधन विकास आदि की योजनाएं शामिल हैं। इस मंत्रालय की प्रेरणा से स्थापित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में चुनिंदा सूखा-ग्रस्त इलाकों में विभिन्न तकनीकी विभागों की सहायता से इस कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है और उसे लागू किया जाता है। यह कार्यक्रम क्षेत्रीय आधार पर चलाया जाता है और इस दिशा में चुने गये छोटे-छोटे जल संभरों को समन्वित आयोजना हेतु लिया जाता है जिनमें विभिन्न विभागों के कार्यक्रम शामिल किये जाते हैं। इस कार्यक्रम को सातवीं योजना में भी जारी रखने का प्रस्ताव है।

मजदूर संघों की सदस्यता की जांच

*273. **श्री चित्त महाता** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूर संघों की सदस्यता की जांच के लिए अपनाई जाने वाली नई प्रक्रिया के बारे में सरकार को सम्बन्धित पक्षों की सहमति प्राप्त हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) 31-12-1980 की स्थिति के अनुसार सत्यापन आंकड़ों की घोषणा करते समय, केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के साथ परामर्श करके इस बात पर विचार करने का निर्णय किया गया कि क्या वर्तमान सत्यापन प्रक्रिया में किसी संशोधन की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में, मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ने केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों से अनुरोध किया कि वे अपने सुझाव भेजें और मुख्य श्रमायुक्त ने 11-2-1985 को उनके प्रतिनिधियों से बैठक की। प्रतिनिधियों ने यह निर्णय लिया कि वे आपस में अनौपचारिक बैठकें करें ताकि आम राय हो सके। उन्होंने 13-3-1985 और 20-3-1985 को पहले ही दो बार विचार-विमर्श कर लिया है।

इन्दिरा गांधी पर दूरदर्शन फिल्म

*274. **श्री बृज मोहन महन्ती** :
श्री राम भगत पासवान :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिलवर चेलिएस प्रोडक्शन के जूडिथ डि पाल को इन्दिरा गांधी पर

एक चार घण्टे की दूरदर्शन फिल्म बनाने की अनुमति प्रदान की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या उक्त फिल्म की पटकथा सरकार द्वारा मंजूर की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इसके लिए किस स्रोत से वित्तीय सहायता का प्रबन्ध करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आकाशवाणी के बंगलौर केन्द्र को शार्टवेव केन्द्र बनाकर दर्जा बढ़ाना

*275. **श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक के लोगों के लाभ के लिए बंगलौर स्थित आकाशवाणी के वर्तमान केन्द्र को शार्टवेव केन्द्र बनाकर उसका दर्जा बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) बंगलौर के मौजूदा आकाशवाणी ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने का फिलहाल कोई अनुमोदित प्रस्ताव नहीं है।

धान का समर्थन मूल्य

*276. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य घोषित करने के बावजूद किसानों को अपने धान के लिए 137 रुपए और 145 रुपए के बीच का घोषित समर्थन मूल्य मिल नहीं रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उनमें भारी असन्तोष व्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि इस प्रयोजन के लिए भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य-एजेंसियों द्वारा जहां कहीं आवश्यक हो, खोले गए क्रय केन्द्रों के माध्यम से, किसानों को उनके धान के लिए घोषित समर्थन मूल्य प्राप्त हो। कुछ मामलों में, जहां समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बिक्री की ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं, वहां यह पाया गया था कि वह अनाज भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई विनिर्दिष्टियों से कम स्तर का था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए बोर्ड

*277. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड का गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं तथा उसके निर्देश-पद क्या हैं; और

(ग) बोर्ड द्वारा कितने समय में अपनी सिफारिशें सरकार को दे दी जायेंगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की रचना की अधिसूचना सं० के-14011/75/84-रा० रा० क्षे०, दिनांक 27 मार्च, 1985 की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 754/85**]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड एक सांविधिक निकाय है जिसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत शक्तियां तथा कार्य दिए गये हैं। बोर्ड के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए योजना तैयार करना तथा सहभागी राज्यों एवं दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र द्वारा योजना के प्रवर्तन तथा कार्यान्वयन में समन्वय स्थापित करना शामिल है। यह बोर्ड केन्द्रीय तथा राज्य योजना निधियों से क्षेत्र में चुनिन्दा विकास कार्यक्रमों के लिए वित्त की व्यवस्था करेगा और उसकी देखरेख भी करेगा। बोर्ड के कार्य सतत प्रकृति के हैं। अधिनियम की योजना के अन्तर्गत बोर्ड के लिए सरकार के समक्ष अन्तिम रिपोर्ट या सिफारिशें प्रस्तुत करना उपेक्षित नहीं है।

अल्मोड़ा में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

[हिन्दी]

*278. **श्री हरीश रावत** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा में स्थापित किए जा रहे आकाशवाणी केन्द्र में अब तक कितने कर्मचारी नियुक्त किये गए हैं; और

(ख) इस आकाशवाणी केन्द्र के स्टूडियो से कार्यक्रमों का निर्माण और उनका नियमित प्रसारण कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) अभी तक किसी की तैनाती नहीं हुई है।

(ख) वर्तमान संकेत के अनुसार इसकी सितम्बर, 1985 तक संभावना है।

केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक द्वारा विकसित चावल की नई किस्म

[अनुवाद]

*279. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक स्थित केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने चावल की एक नई किस्म विकसित की है जो 70 दिन में तैयार हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस किस्म को आगामी खरीफ मौसम में जारी किया जायेगा; और

(ग) क्या विगत में किये गये इस प्रकार के अनुसंधान दावे, खेतों में वास्तविक उपज पर खरे उतरे हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान। केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक ने चावल की एक नई किस्म, जिसका नाम "सत्तारी" है, विकसित की है जो 70-75 दिनों में तैयार हो जाती है।

(ख) इस किस्म को उड़ीसा सरकार ने 1980 में तथा केन्द्रीय किस्म रिलीज समिति ने 1983 में रिलीज किया था।

(ग) जी हां, श्रीमान। इस किस्म को जब ऊंची भूमि में सीधे बीज द्वारा उगाया गया तथा ठीक समय पर इसमें से खरपतवार निकाला गया और बुआई के बाद दो बराबर हिस्सों में 15 तथा 30 दिनों में प्रति हैक्टर 40-50 कि० नाइट्रोजन का उपयोग किया गया तो इससे किसानों के खेतों में करीब दो टन प्रति हैक्टर धान प्राप्त हुआ। यह किस्म विशेषकर मध्य प्रदेश, असम तथा तमिलनाडु की बारानी ऊंची भूमि के लिए बहुत अनुकूल पायी गयी।

अन्य आशाजनक ऊंची भूमि में उगाई जाने वाली किस्में निम्नलिखित हैं जो कि 90-95 दिनों में तैयार हो जाती हैं। ये किस्में विभिन्न राज्यों के लिए विकसित एवं रिलीज की गई हैं जैसा कि प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है।

किस्म का नाम	**जिस राज्य के लिए सिफारिश की गई है**
पूर्वा, प्रतिभा	मध्य प्रदेश
तुलजपुर-1	महाराष्ट्र
कल्चर 1, रुद्र, पल्लवी, केशरी तथा सुभद्रा	उड़ीसा
प्रसाद, नर्मदा-1	उत्तर प्रदेश
एम डी यू-1	तमिलनाडु

पश्चिम बंगाल के लिए ग्रामीण जल सप्लाई हेतु स्वीकृत धनराशि

*280. **प्रो० मनोरंजन हाल्दर** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को वर्ष 1980-84 के लिए ग्रामीण जल सप्लाई हेतु कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई; और

(ख) राज्य सरकार ने उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया और जिसे वापस लौटा दिया गया ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) 1980-81 से 1984-85 तक की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम तथा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कुल 59.72 करोड़ रुपये का केन्द्रीय अनुदान रिलीज किया गया था।

(ख) रिलीज किये गये केन्द्रीय अनुदानों में से उपयोग में न लाए गये अनुदान के वर्षवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

1980-81	2.22 करोड़ रुपये
1981-82	0.53 करोड़ रुपये
1982-83	शून्य
1983-84	8.72 करोड़ रुपये

किसी विशिष्ट वर्ष में प्रयोग में न लाई गई राशि को आगामी वर्ष में शामिल करने की छूट है तथा उसे बाद के वर्ष में उपयोग में लाया जाता है। इसलिए इस राशि को वापस करने की आवश्यकता नहीं होती है।

देश में बागान श्रमिकों की संख्या

*281. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बागान श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए विधान लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) वर्ष 1983 के दौरान, विभिन्न राज्यों में उन बागानों में, जो विवरण भेजते हैं, औसत रोजगार संख्या 8,26,003 (अनन्तिम) है।

(ख) और (ग) पहले से ही बागान श्रम अधिनियम, 1951 है जो बागान श्रमिकों के कल्याण तथा उनकी सुरक्षा से संबंधित है। इस अधिनियम में 1981 में संशोधन किया गया था ताकि बागान श्रमिकों को दी जाने वाली चिकित्सा, सामाजिक और कल्याण सुविधाओं में सुधार किया जा सके। इस सम्बन्ध में सरकार के पास और कोई विधायी प्रस्ताव नहीं है।

करोल बाग, नई दिल्ली में प्लाटों का आबंटन

[अनुवाद]

1579. **श्री गदाधर साहा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण और आवास मंत्रालय ने काफी समय पहले रेहगड़पुरा, करोलबाग, नई दिल्ली की गली संख्या 31-34 में खाली पड़े प्लाट 8 हरिजन परिवारों को आबंटित करने का निर्णय किया था;

(ख) क्या मंत्रालय ने इन आवेदनों को अन्तिम निर्णय के लिए वित्त मंत्रालय को भेज दिया है;

(ग) क्या इस बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (घ) अनुसूचित जाति के 8 परिवारों से इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे कि 1977-79 की अवधि के दौरान उन्हें गली नं० 31-34, रेहगड़पुरा, करोलबाग नई दिल्ली से हटाया गया था और कि उन्हे गली नं० 31-34 रेहगड़पुरा, करौलबाग में ही वैकल्पिक प्लाट, आबंटित किये जाने चाहिए जहां खाली प्लाट उपलब्ध हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय योजना में यह प्लाट आसपड़ोस के पार्क/बगीचे के लिये उद्दिष्ट है और इसलिये यह आबंटन के लिये उपलब्ध नहीं है। इन व्यक्तियों को वैकल्पिक प्लाट के आबंटन के प्रश्न तथा उसकी शर्तों की वित्त मंत्रालय/दिल्ली विकास प्राधिकरण के परामर्श से जांच की जा रही है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा उड़ीसा को घटिया किस्म की गेहूं की सप्लाई

1580. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए घटिया किस्म का गेहूं सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में उड़ीसा से कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) इस प्रश्न की सूचना मिलने की तिथि तक उड़ीसा से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं की घटिया किस्म की सप्लाई के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। तथापि, 29-3-1985 को खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रियों के सम्मेलन में उड़ीसा के खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री ने उनके द्वारा घटिया किस्म का गेहूं पाये जाने के बारे में शिकायत की थी। इस बारे में छानबीन की जा रही है।

किसानों के लिए नये कृषि उपकरण

1581. **श्री जी० बी० रामा राव** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् सहित केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त कई अन्य संस्थाओं की नए और उन्नत कृषि उपकरण विकसित करने की विशेष परियोजनाएं और योजनाएं थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) छठी योजनावधि के दौरान नए कृषि उपकरणों के विकास और डिजाइन करने पर कितना व्यय किया गया तथा इस दिशा में विशिष्ट उपलब्धियां क्या हैं; और

(घ) क्या किसानों ने इन नए कृषि उपकरणों को स्वीकार कर लिया है और अपना लिया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने इस विषय पर 16 सहयोगी केन्द्रों सहित अखिल

भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम चला रखा है । ये केन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, परिषद् व इसके संस्थानों में स्थित हैं । इस प्रायोजना में 3 तरह की गतिविधियां हैं—जैसे अनुसंधान व विकास, प्रोटोटाइप उत्पादन और सक्षमता जांच आदि । सहयोगी केन्द्र इन सभी गतिविधियों में कार्यरत हैं जैसे कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है ।

इसके अलावा, कृषि औजारों के विकास के लिए अनुसंधान कार्य केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, भोपाल में विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप चलाया जा रहा है । यह कार्य परिषद् के अन्य संस्थानों एवं प्रायोजनाओं में तथा कृषि विश्वविद्यालयों में भी चलाया जा रहा है ।

(ग) उत्तर के पैरा 1 (भाग ख) में बताई गई प्रायोजना छठी योजना में 118.33 लाख रु० की लागत में स्वीकृत हुई थी । यह रकम उन केन्द्रों के लिए स्वीकृत थी जो परिषद् के संस्थानों में स्थित नहीं हैं । अनेक औजार जो विकसित हुए उन्हें प्रोटोटाइप उत्पादन बनाने हेतु ले लिया गया है और उनकी कार्यक्षमता की परख की जा रही है । इनमें से कुछ को कई निर्माताओं ने व्यापारिक उत्पादन हेतु भी लिया है । इन औजारों में बीज-कम-उर्वरक ड्रिल/रोपाई यंत्र, डिब्लर (चोबाई यन्त्र), उर्वरक बिखेरने वाला यंत्र, हाथ से धान रोपने वाला यन्त्र, हाथ से निराई करने वाला यन्त्र, खड़ा कन्वेयर रीपर (कटाई यन्त्र), उन्नत हसिया, मूंगफली के छिलके उतारने वाला यंत्र, बहु उपयोगी गहाई यन्त्र आदि हैं ।

(घ) कृषि औजारों को लोकप्रिय बनाने का काम राज्यों के कृषि विभाग करते हैं । फिर भी, इन औजारों के प्रोटोटाइप विभिन्न संगठनों और किसानों को भी उनकी मांग के अनुसार प्रदर्शन/लोकप्रिय बनाने तथा प्रशिक्षण के उद्देश्य से वितरित कर दिए जाते हैं । अब तक ऐसे 5,000 से भी अधिक प्रोटोटाइप बांटे जा चुके हैं । कृषि यन्त्रों की लोकप्रियता का अन्दाज इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 50 से अधिक यन्त्र निर्माताओं ने इन्हें व्यापारिक उत्पादन हेतु ले लिया है ।

विवरण

	सहयोगी केन्द्र	गतिविधियां		
		अनुसंधान तथा विकास	प्रोटोटाइप उत्पादन	व्यवहार्यता की जांच
1	2	3	4	5
1.	केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, भोपाल	*	*	*
2.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	*	*	*
3.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	*	*	*
4.	आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	*	*	*

1	2	3	4	5
5.	उ० पू० प० क्षेत्र भा० कृ० अ० प० अनुसंधान केन्द्र, शिलांग	*	*	*
6.	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, पुणे	*	*	*
7.	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	—	*	*
8.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची	—	*	*
9.	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	—	—	*
10.	केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर (प० बंगाल)	—	—	*
11.	गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर	—	—	*
12.	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, जूनागढ़	—	—	*
13.	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	—	—	*
14.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेल्लानिकर	—	—	*
15.	सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	—	—	*
16.	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी	—	—	*

— समन्वयक केन्द्र केन्द्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, भोपाल में स्थित है ।

* दर्शाता है कि केन्द्र इस गतिविधि में संलग्न है ।

कृषि सम्बन्धी उच्च अध्ययन केन्द्रों की स्थापना

1582. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने अपनी कृषि शिक्षा तथा त्वरित कृषि विकास हेतु अनुसंधान संबंधी परियोजना के अन्तर्गत उच्च अध्ययन के अधिक केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने नये केन्द्र स्थापित किये जाने की सम्भावना है और उन्हें कहां-कहां स्थापित किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या उड़ीसा में एक ऐसा केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी स्थापना के लिए कौन-सा चुना गया है तथा इन केन्द्रों को स्थापित करने में कितना समय लगेगा ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) ग्यारह नए केन्द्र स्थापित किए जाने की सम्भावना है । जिन स्थानों पर ये केन्द्र स्थापित किए जाने हैं, उनका निर्णय अभी नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) केन्द्रों के ठीक स्थान तथा उनके शुरू होने की तिथि का अभी निर्णय नहीं किया गया है ।

उड़ीसा में सहकारी चीनी मिलों और सहकारी कताई मिलों की स्थापना

1583. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में सहकारी चीनी मिलें और सहकारी कताई मिलें स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने इस प्रयोजन हेतु उड़ीसा को कितनी धनराशि स्वीकृत की है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने छठी योजना के दौरान राज्य सरकार को निम्न के लिए 12.45 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं :—

(क) दो नयी सहकारी चीनी मिलों के लिए 1.8 करोड़ रु० ।

(ख) सहकारी कताई मिलों के लिए 10.65 करोड़ रुपए—तीन नई मिलें । एक मिल का विस्तार तथा परियोजना लागतों के संशोधन के कारण एक मिल के लिए अतिरिक्त सहायता ।

कृषि उत्पाद मण्डियों का विकास

1584. **श्री सी० डी० गामित** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विपणन कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि उत्पाद मंडियों के विकास के लिए राज्यवार निर्धारित की गई सहायता राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) गुजरात सरकार ने अपनी किन-किन कृषि उत्पाद मंडियों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) कितनी मांगों पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान पिछड़े इलाकों में चुनिंदा नियमित बाजारों, प्राथमिक ग्रामीण बाजारों और थोक बाजारों के विकास हेतु केन्द्रीय सहायता की मंजूरी के लिए प्रस्तावित परिव्यय 603 लाख रुपये का है । अब तक यह पद्धति रही है कि धनराशि राज्य-वार निर्धारित न की जाए, बल्कि राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से प्राप्त मामलों पर उनके महत्व के आधार पर विचार किया जाए ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1984-85 के दौरान, 20 मार्च, 1985 तक, कृषि उपज बाजारों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता की मंजूरी हेतु गुजरात राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के विवरण और उन पर की गई कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	कृषि उपज बाजारों के नाम	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	हिम्मतनगर	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और 1.50 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त मुक्त की गई।
2.	बीजापुर	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और 2.00 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त मुक्त की गई।
3.	पाटन	प्रस्ताव का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया कि राज्य सरकार द्वारा इस बात की पुष्टि की जाए कि अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि के प्रबन्ध कार्य को अन्तिम रूप दे दिया गया है। केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त राज्य सरकार से अपेक्षित पुष्टि प्राप्त हो जाने पर मुक्त की जाएँगी।
4.	दोहाद	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और 2.25 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त मुक्त की गई।
5.	भिलोदा	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और 2.50 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त मुक्त की गई।
6.	वर्गा	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और 1.00 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त मुक्त की गई।
7.	घोघोम्बा	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और 1.00 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त मुक्त की गई।

1	2	3
8.	पालेज	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और 1.00 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त मुक्त की गई।
9.	पिपलोद	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और 1.00 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त मुक्त की गई।
10.	अमलसाड़	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया और 1.00 लाख रु० की केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त मुक्त की गई।
11.	धारी, राजुला, व्यारा, अनावल, संखवाव, नौटा, बचछिपा, हलोट, हरसौल, धंधूका, पाटी, करचेलिया, मंगरोल, रामपुरा, बार्धरी और मोजरिया	प्रस्ताव विचाराधीन है।
12.	सिजार, मंडल, चकलाशी, दीसा और नेत्रांग	प्रस्ताव में पाई गई कमियां राज्य सरकार को सूचित कर दी गई हैं ताकि वह इन्हें सुधार सके।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ठेका मजदूरों का नियोजन और उनको नियमित करना

1585. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या **श्रम मंत्री** सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ठेका मजदूरों का नियोजन और उन्हें नियमित बनाने के बारे में 21 अगस्त, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3974 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सम्बन्धित उपक्रमों से अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जानकारी देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या अग्रेत्तर कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से एकत्र की गई सूचना की जांच की जा रही है। पूर्ण सूचना यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

कृषि विस्तार के लिए विश्व बैंक से ऋण

1586. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 मार्च, 1985 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "वर्ल्ड

बैंक लोन फार फार्म एक्सटैनशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कृषि विस्तार परियोजना के दूसरे चरण में कर्नाटक के लिए 24.8 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से "बीदर" जिले के लिए कितनी राशि का आबंटन किया गया है;

(ग) कृषि विस्तार की प्रशिक्षण तथा निरीक्षण प्रणाली में क्या कमियां हैं;

(घ) इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) कर्नाटक राज्य के लिए समझौते के तहत परिव्यय (लागत के आधार पर) 20.061 करोड़ रुपए है । इसका मूल्यांकन स्टाफ, निर्माण कार्य, वाहन-उपस्कर, प्रशिक्षण आदि की जरूरतों के आधार पर पूरे राज्य के लिए किया गया था ।

(ग) कार्यान्वयन के पहले चरण में, प्रशिक्षण और दौरा प्रणाली में रिक्तियों को भरने, प्रशिक्षण सुविधाओं और अनुसंधान समर्थन सम्बन्धी कार्य पर्याप्त न होना और निर्माण कार्यों की प्रगति मन्द होना जैसी कुछ खामियां महसूस की गई हैं ।

(घ) इन समस्याओं से निपटने के लिए राज्यों ने पहले ही समुचित कदम उठा लिए हैं । प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ और कारगर बनाने, विस्तार कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी सहायक सामग्री और उपस्कर मुहैया कराने, अनुसंधान और विस्तार कार्य में बेहतर ताल-मेल सुनिश्चित करने की दृष्टि से कृषि विश्वविद्यालयों के विस्तार स्कन्धों को सुदृढ़ करने के लिए विशेष रूप से कदम उठाए गए हैं । इस प्रणाली में कमी को पूरा करने की दृष्टि से विशेष उप-परियोजनाओं के लिए एक घटक परियोजना में शामिल कर लिया गया है ।

लक्ष्मीबाई नगर के सरकारी क्वार्टरों में पुरानी जाफरियों को बदलना

1587. **श्री जुल्फिकार अली खां** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्ष्मीबाई नगर का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सेवा केन्द्र टाइप II तथा टाइप IV के सरकारी क्वार्टरों की जाफरियों तथा दरवाजों को बदलने की शिकायतों को दूर करने के लिये समुचित ढंग से कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) क्या सरकार का क्वार्टरों की पुरानी जाफरियों को, जिन्हें दीमक ने नष्ट कर दिया है, बदलने का विचार है; और

(ग) जनवरी, 1983 से जनवरी, 1985 की अवधि के दौरान इस कालोनी में कितनी जाफरी तथा दरवाजे बदले गये ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) टाइप-II तथा IV के जिन सरकारी क्वार्टरों की जाफरियां तथा दरवाजों में दीमक लग गई है, उनको चरणबद्ध रूप से बदला जा रहा है । लक्ष्मीबाई नगर स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का पूछताछ कार्यालय कार्यक्रम के अनुसार इस कार्य को कर रहा है ।

(ग) जनवरी, 1983 से जनवरी, 1985 की अवधि के दौरान इस कालोनी में 193 जाफरियां और 115 दरवाजे बदले गए ।

सेवानिवृत्ति/मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को आवास का तदर्थ आबंटन

1588. **श्रीमती माधुरी सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को आवास का तदर्थ आबंटन अगली निम्न श्रेणी में किया जाता है;

(ख) क्या इस प्रकार के कुछ मामलों में अर्थात "ग" और "घ" श्रेणी के आवास नियमित किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) सेवा-निवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को आवास का तदर्थ आबंटन उनकी पात्रता के टाइप से नीचे के टाइप में किया जाता है बशर्ते कि सिवाय अन्यथा विनिर्दिष्ट किसी मामले में सेवा निवृत्त/दिवंगत अधिकारी के कब्जे वाले किसी वास से उच्चतर टाइप के वास का आबंटन नहीं किया जाएगा। किन्तु, यदि पात्र अधिकारी टाइप-बी वास का या किसी उच्चतर टाइप के वास का पात्र है, तो आश्रित को तदर्थ आधार पर टाइप-बी के वास का आबंटन किया जाएगा। चाहे सेवा-निवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारी टाइप-ए के वास में ही क्यों न रह रहा हो।

(ख) जी, हां।

(ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

उन मामलों का विवरण जहां सेवा-निवृत्त/मृत्यु के कारण टाइप-सी में उच्चतर टाइप का वास नियमित किया गया है

क्रम सं०	आश्रित का नाम सर्वश्री/श्रीमती	कार्यालय	नियमित किया गया वास का विवरण
1	2	3	4
1.	एस० एस० कटियाल, कनिष्ठ इंजीनियर	के० लो० नि० वि०	एच-511, सरोजिनी नगर
2.	पुलक राय, सहायक इंजीनियर	आकाशवाणी	ई-87, सरोजिनी नगर
3.	के० वगीस, प्रोग्राम ऐक्जीक्यूटिव	आकाशवाणी	बी डी-906, सरोजिनी नगर
4.	श्रीमती बिमला मल्होत्रा अन्वेषक	के० लो० नि० वि०	1328, एल० आर० काम्पलेक्स
5.	श्रीमती टी० जी० कनाकम एस० जी० आडीटर	लेखा परीक्षा निदेशालय	1071/सै-III आर० के० पुरम

1	2	3	4
6.	कु० नीना, अ० श्रे० लि०	ग्रामीण विकास विभाग	सी-83, सरोजिनी नगर
7.	डी० आर० सरीन अ० श्रे० लि०	श्रम मंत्रालय	सी-120, सरोजिनी नगर
8.	श्रीमती इन्दिरा माथुर अवर श्रेणी लिपिक	डी० जी० एस० एण्ड डी०	आई-86, सरोजिनी नगर
9.	राकेश विष्ट, अ० श्रे० लि०	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	वाई-238 सरौजनी नगर
10.	श्रीमती सी० के० वैद, सहायक	भारतीय महापंजीकार	सै० 8/790, आर० के० पुरम
11.	आर० के० भाटिया, प्रोडयूसर ग्रेड-II	दूरदर्शन केन्द्र	बी-4/24, लोधी कालोनी
12.	आर० पी० एस० वर्मा सहायक समाचार सम्पादक	समाचार सेवा मण्डल आकाशवाणी	बी-10/166, लोदी कालोनी
13.	वी. के. सिन्हा अनुसंधान सहायक	अनुसंधान तथा संदर्भ सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	बी-18/398, लोदी कालोनी
14.	आर० एस० ठाकुर प्ले असिस्टेंट	नगर तथा ग्राम आयोजना संगठन	बी-13/486, लोधी कालोनी
15.	श्रीमती सुशील मेहता, अध्यापक	रा० बा० उ० मा० वि० जंगपुरा	बी-8/540, लोदी कालोनी
16.	जी० एल० डुडानी, सहायक	निर्माण और आवास मंत्रालय	बी-8/554, लोदी कालोनी
17.	गौतम चटर्जी, अनुभाग अधिकारी	ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग	बी-5/635, लोदी कालोनी
18.	श्रीमती मायागांधी, तकनीकी सहायक	सी० डब्लू० एण्ड सी० (डब्लू० डब्लू०),	बी-14/809 -वही-
19.	श्रीमती सुशीला सक्सेना, पी० जी० टी०	रा० उ० मा० बा० वि० निकल्सन रोड,	बी-14/826 -वही-
20.	डा० आशा तिवाड़ी फिजीशियन (आयुर्वेद)	आयुर्वेदिक पी० जी० एच० एस० डिसपेंसरी किदवई नगर	बी-14/852, लोदी कालोनी

1	2	3	4
21.	श्रीमती विमला भल्ला, अनुसंधान अन्वेषक	आर्थिक तथा सांख्यकीय निदेशालय	बी-17/891, लोदी कालोनी
22.	एस० के० कटयाल, अ० श्रे० लि०	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	बी-17/9140, लोदी कालोनी
23.	ए० के० सूद, सहायक डी० आई० आर०	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	बी-22/1042, लोदी कालोनी
24.	श्रीमती सावेत्री देवी अहूजा, स्टेनो	रक्षा मंत्रालय	बी-19/1006, लोदी कालोनी
25.	परमा नन्द, सहायक	समाज कल्याण	बी-22/1077, लोदी कालोनी
26.	डा० आर० के० गुप्ता	सी० जी० एच० एस०	बी-22/1097, लोदी कालोनी
27.	श्रीमती निरमल भसीन, पी० ई० टी०	रा० बा० उ० मा० वि०	बी-22/1100, लोदी कालोनी
28.	आर० के० रैना	एक्टरनल सर्विसिस म० ए० आई० आर०	914, बी० के० एस० मार्ग
29.	डी० के० जैन, अ० श्रे० लि०	कैबिनेट सैक्रैटिएट	बी-13/18, देव नगर
30.	ए० के० भारद्वाज, कनि० इंजी०	बाढ़ नियंत्रण विभाग	बी-13/13, देव नगर
31.	मिथलेश कुमार, अनु० अ०	व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	ई-25, करोल बाग
32.	श्रीमती मंजु सक्सेना, टी० जी० टी०	रा० बा० उ० मा० वि० जामा मस्जिद	डी-740, मन्दिर मार्ग
33.	सुभाष चन्द्र, मुख्य अन्वेषक	शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग	डी-763, मन्दिर मार्ग
34.	रवीन्द्र कुमार माथुर उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी	डी० जी० ई० एण्ड टी० श्रम विभाग	सी-78, मिन्टो रोड
35.	अलाउद्दीन, सहायक कलाकार	बाह्य सेवा मण्डल, आकाशवाणी	सी-271, मिन्टो रोड
36.	डा० अनिल शर्मा, वैज्ञानिक-सी	रक्षा सेवा केन्द्र, रक्षा मंत्रालय,	18 (एम० एस०) तिमारपुर
37.	बिनोद कुमार, सुप्रिटेंडिंग ई/एम ग्रेड	रक्षा मंत्रालय	10-x चित्रगुप्ता रोड
38.	श्रीमती राज बावा	दिल्ली प्रशासन	सी-127, मिन्टो रोड

उन मामलों का विवरण जहां सेवा निवृत्त/मृत्यु के कारण टाइप-डी में उच्चतर टाइप का वास नियमित किया गया है ।

क्रम सं०	आश्रित का नाम	कार्यालय	नियमित किया गया वास का विवरण
1	2	3	4
	सर्व/श्री		
1.	सुशील कुमार, अनुभाग अधिकारी	श्रम मंत्रालय	सै-XII, 189, आर० के० पुरम
2.	श्रीमती शारदा माथुर, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	योजना आयोग	सी-227, नानकपुरा
3.	कुमारी विजय लक्ष्मी शर्मा, उप निदेशक	सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय आबकारी निरीक्षण निदेशालय	509/सै०-IX, आर० के० पुरम

तमिलनाडु में कृषि विज्ञान केन्द्रों पर व्यय

1589. **श्री एन० डेनिस :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, खास तौर पर तमिलनाडु राज्य में, कृषि विज्ञान के लिए कितने केन्द्र स्थापित किये गए और इन केन्द्रों पर कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ख) इन केन्द्रों के रखरखाव के लिए इनको आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) तमिलनाडु में चार कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए गए हैं । पिछले तीन वर्षों में इन केन्द्रों का खर्च निम्न प्रकार है :—

रु० लाख में

	1981-82	1982-83	1983-84
1. नवलूर, कुटापट्टु, तिरुचिरापल्ली	1.98	2.54	2.45
2. विवेकानन्दपुरम, कोयम्बटूर	3.08	2:62	3.30
3. कुनूर, नीलगिरि	—	0.63	7.11

4. कट्टूअक्कम, चिंगलपुर केवल हाल ही में स्वीकृत

(ख) कृषि विज्ञान केन्द्र योजना को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है । इनके रखरखाव हेतु आवर्ती तथा गैर-आवर्ती दोनों मदों के लिए आवश्यक निधियां प्रदान की जाती हैं ।

स्किम्ड मिल्क और बटर आयल के मूल्य

1591. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा डेरियों को सप्लाई किया जा रहा "स्किम्ड मिल्क" और बटर आयल किस-किस मूल्य पर दिया जाता है; और

(ख) उक्त मूल्यों के निर्धारण का आधार क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सरकार स्किम्ड मिल्क तथा बटर आयल डेरियों को सप्लाई नहीं कर रही है। ये जिस भारतीय डेरी निगम द्वारा डेरियों को दिए जा रहे हैं और निगम ने 1.3.1985 से निम्नलिखित मूल्य निर्धारित किया है:—

(रु० प्रति मीटरी टन)

	स्किम्ड मिल्क पाउडर	बटर आयल	बटर
1. महागनरों के लिए			
1. अधिकृत कोटा के अनुसार	18,000	24,000	19,700
2. अधिकृत कोटा से अधिक	20,000	24,000	19,700
2. अन्य शहरों तथा कस्बों के लिए			
अधिकृत कोटा के अनुसार	20,000	24,000	19,700

(ख) जिंसों के मूल्य इस तरीके से निर्धारित किए जाते हैं, जिससे कि जिंसों पर डेरी संयंत्रों की निर्भरता कम की जा सके और मूल्य देशी दुग्ध उत्पादन के लिए हतोत्साहित करने वाले न हों।

दूरदर्शन पर दिखाई गई फीचर फिल्में

[हिन्दी]

1592. **श्री आर० एम० भोये** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन पर कितनी भाषा-वार और राज्यवार फीचर फिल्में दिखाई गईं; और

(ख) उनमें से कितनी फिल्में एक से अधिक बार दिखाई गईं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 755/85**]

(ख) विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा 1982-84 के बीच 35 फीचर फिल्में एक से अधिक बार टेलीकास्ट की गईं।

राष्ट्रीय बीज निगम के पास बिक्री के लिए बीजों का बहुत अधिक जमा हो जाना

[अनुवाद]

1593. **श्री धर्मवीर सिंह** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम को अधिक उपज वाली किस्म के बीजों की भरमार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो बीज प्रतिस्थापना के कम अनुपात के बावजूद इस भरमार के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय बीज निगम से बीजों की खरीद के प्रति किसानों की अनिच्छा का मुख्य कारण विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा बिक्री किए गए बीजों की किस्म पर विश्वास में कमी होना है; और

(घ) क्या बीजों की भरमार से उत्पन्न स्थिति से निपटने और किसानों में राष्ट्रीय बीज निगम की साख को बहाल करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) राष्ट्रीय बीज और निगम में बीज की उच्च-उत्पादकता वाली किस्में भारी मात्रा में जमा नहीं हैं। तथापि, बफर स्टाक के रूप में रखी जाने वाली मात्रा के अलावा 30,000 क्विटल गेहूं के प्रमाणीकृत बीज बने हुए हैं।

(ख) गेहूं के बीजों की अधिकता के कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) खरीफ, 1984 के दौरान सूखा/अपर्याप्त वर्षा के कारण महाराष्ट्र, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में गेहूं क्षेत्र का एक हिस्सा कम नमी चाहने वाली अन्य फसलों के अन्तर्गत बदल दिया गया है।

(2) नवम्बर, 1984 के पूर्वार्द्ध, जो गेहूं के बीजों को ले जाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवधि है, में सड़क परिवहन में गड़बड़ी के कारण भी बीजों की सुपुर्दगी पर प्रभाव पड़ा। इसके फलस्वरूप, खपत में कमी आई।

(3) कुछ राज्य सरकारों और राज्य एजेंसियों ने गेहूं के बीजों की वायदे के अनुरूप मात्रा को नहीं उठाया।

(ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम और राज्य बीज निगमों द्वारा उत्पादित बीज देश में किसानों में ही लोकप्रिय नहीं हैं, बल्कि बाहर भी इसकी मांग हैं।

(घ) बचे हुए स्टाक के निपटान पर विचार किया जा रहा है और राष्ट्रीय बीज निगम के विपणन कार्यकलापों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ राज्यों में विस्तार कार्य-तंत्र को मजबूत बनाया जा रहा है।

नई दिल्ली की राजनगर, साधनगर और पालम कालोनियों में
पीने के पानी की पर्याप्त सुविधाएं

[हिन्दी]

1594. **श्री भरत सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या राजनगर, साधनगर और पालम कालोनी, नई दिल्ली की जनसंख्या लगभग डेढ़ लाख है;

(ख) क्या इन कालोनियों में पीने के पानी की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) क्या इन कालोनियों के निवासी हैंड पम्प का पानी पीने के कारण विभिन्न बीमारियों से पीड़ित रहते हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार वर्ष 2000 तक ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो जल प्रदाय विभाग द्वारा पालन कालोनी के निवासियों को पीने का पानी कब तक उपलब्ध कराया जाएगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । पेय जल की कमी सूचित की गई है ।

(ग) इन क्षेत्रों से किसी संक्रामक रोग का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है ।

(घ) तथा (ङ) अन्तर्राष्ट्रीय जलपूर्ति तथा स्वच्छता दशक (1980-1991) का उद्देश्य मार्च, 1991 तक पर्याप्त एवं स्वच्छ पेय जल सुविधाओं से 100 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को लाभान्वित करना है । तथापि, इस उद्देश्य की प्राप्ति अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है । इन कालोनियों में विकास कार्य लाभभोगियों द्वारा विकास प्रभार जमा कर दिए जाने के बाद ही आरम्भ किया जाएगा ।

जल पूर्ति के लिए छठी योजना में राज्यों को दिया गया अनुदान

[अनुवाद]

1595. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जल पूर्ति के लिए प्रोत्साहन योजना के राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980-85 के दौरान सहायता अनुदान/अतिरिक्त अनुदान दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिमी बंगाल सरकार उक्त अवधि के दौरान इस योजना का लाभ उठाने में कहां तक सफल रही है; और

(घ) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को किस आधार पर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अनुदान/अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-85 की अवधि के दौरान समस्याग्रस्त ग्रामों के लाभान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिये गये अनुदानों के अतिरिक्त 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य-निष्पादन पर आधारित प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने अनुदान दिये हैं ।

(ख) प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दिये गये अनुदान संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-85 की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को दिये गये 5372.98 लाख रुपये के अतिरिक्त 1983-84 से 1984-85 के दौरान प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उसे 600 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये हैं।

(घ) प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत जो अनुदान दिये गये वे समस्याग्रस्त ग्रामों के लाभान्वयन के सामान्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विभिन्न राज्यों के कार्य निष्पादन पर आधारित थे। ये अनुदान अन्तर्विभागीय समिति की सिफारिशों पर आधारित थे।

विवरण

1983-85 के दौरान प्रोत्साहन योजना* के अन्तर्गत दिए गए अनुदान।

(लाख रुपयों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1983-84	1984-85	योग
1 2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	400.00	300.00	700.00
2. असम	420.00	100.00	420.00
3. बिहार	277.00	140.00	417.00
4. गुजरात	350.00	300.00	650.00
5. हरियाणा	450.00	235.00	685.00
6. हिमाचल प्रदेश	200.00	200.00	400.00
7. जम्मू और कश्मीर	—	100.00	100.00
8. कर्नाटक	72.00	255.00	327.00
9. केरल	400.00	300.00	700.00
10. मध्य प्रदेश	600.00	300.00	900.00
11. महाराष्ट्र	93.00	250.00	243.00
12. मणिपुर	135.00	150.00	285.00
13. मेघालय	—	—	—
14. नागालैण्ड	115.00	115.00	230.00
15. उड़ीसा	450.00	400.00	850.00
16. पंजाब	150.00	200.00	350.00
17. राजस्थान	750.00	400.00	1150.00
18. सिक्किम	125.00	100.00	225.00

1	2	3	4	5
19.	तमिलनाडु	500.00	348.00	848.00
20.	त्रिपुरा	70.00	150.00	220.00
21.	उत्तर प्रदेश	750.00	300.00	1050.00
22.	पश्चिम बंगाल	300.00	300.00	600.00
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
25.	चण्डीगढ़	—	—	—
26.	दिल्ली	—	—	—
27.	दादर तथा नागर हवेली	—	—	—
28.	गोआ, दमण और दीव	4.00	—	4.00
29.	लक्षद्वीप	—	—	—
30.	मिजोरम	—	57.00	57.00
31.	पाण्डिचेरी	—	—	—
	योग :	6611.00	5000.00	11611.00

*1983-84 में आरम्भ की गई थी।

महाराष्ट्र में आवास और शहरी विकास निगम द्वारा आरम्भ की गई योजनाएं

1596. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास और शहरी विकास निगम द्वारा महाराष्ट्र में कितनी आवास परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं और इन परियोजनाओं की लागत क्या है; और

(ख) महाराष्ट्र में आवास और शहरी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) हुडको द्वारा महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न आवास अभिकरणों को अब तक 275.79 करोड़ रुपये की परियोजना लागत सहित 406 परियोजना/योजनायें स्वीकृत की गई हैं।

(ख) परियोजनाओं का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

28.2.85 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में स्वीकृत योजनाओं का विवरण ।

	योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (लाख रुपयों में)	स्वीकृत ऋण राशि	रिहायशी एकक					
				ई डब्लू एस	एल आई जी	एम आईजी	एच आईजी	अन्य	योग
आवास बोर्ड	140	8570.19	5486.26	40328	20609	6923	1731	137	59728
विकास प्राधिकरण	4	214.96	161.18	548	989	0	0	0	1537
सुधार न्यास	7	408.79	306.26	80	2132	192	0	0	2404
नगर निगम आदि	16	1533.45	963.22	1045	4210	306	0	0	5361
सार्वजनिक क्षेत्र	222	16380.78	10670.50	18566	28255	15732	6501	0	69054
प्राथमिक सहकारी समिति	6	199.67	138.11	0	0	644	10	0	654
विश्वविद्यालय	1	50.61	33.05	0	0	0	80	0	80
राज्य सरकार अभिकरण	10	220.30	108.80	0	0	0	0	18826	18826
योग :	406	27,578.75	17,867.38	60567	56195	23797	8322	18963	1,67,844

प्लाट

	ई डब्लू एस	एल आई जी	एम आई जी	एच आई जी	अन्य	योग
आवास बोर्ड	1796	1990	300	0	0	4086
विकास प्राधिकरण	0	0	0	0	0	0
सुधार न्यास	0	0	0	0	0	0
नगर निगम आदि	1249	0	0	0	0	1249
सार्वजनिक क्षेत्र	285	0	0	0	0	285
प्राथमिक सहकारी समिति	0	0	0	0	0	0
विश्व विद्यालय	0	0	0	0	0	0
राज्य सरकार अभिकरण	0	0	0	0	0	0
योग :	3330	1990	300	0	0	5620

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विकास कार्यों के विषय क्षेत्र की पुनरीक्षा

1597. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विकास कार्यों के विषय-क्षेत्र की पुनरीक्षा करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास कार्यों के वर्तमान विषय-क्षेत्र में परिवर्तन लाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इन कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य टिकाऊ स्वरूप की ग्रामीण परिसम्पत्तियों का सृजन करके ग्रामीण रोजगार को बढ़ाना है। इसे जारी रखने का प्रस्ताव है।

महानगर परिवहन सम्बन्धी राष्ट्रीय गोष्ठी

1598. **श्रीमती गीता मुखर्जी** :
श्रीमती माधुरी सिंह :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 1 मार्च, 1985 को दिल्ली में महानगरीय परिवहन सम्बन्धी राष्ट्रीय गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए योजना मंत्री द्वारा दिए गये भाषण की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को विशेष रूप से बहुसंख्यक दैनिक यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुशल बस सेवा को प्राथमिकता देने पर जोर दिया था;

(ख) क्या सरकार वास्तव में कारों के निर्माण को, चाहे उसके लिए विदेशी सहयोग भी देना पड़े, उदार बनाकर यातायात के निजी साधनों को प्रोत्साहन दे रही है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने जन परिवहन वाहनों जैसे कि बसों तथा व्यक्तिगत परिवहन वाहनों जैसे कि मोटरयुक्त दो पहिये वाले वाहन और सवारी कारों के निर्माण को उदार बनाया है। कारों के निर्माण के लिए विदेशी सहयोग के प्रस्तावों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

खतरनाक उद्योगों के निकट बस्तियां बनाने पर प्रतिबन्ध

1599. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खतरनाक उद्योगों के निकट बस्तियां बनाने पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) सरकार की विद्यमान नीति के अन्तर्गत जनसंख्या के संकेन्द्रण वाले क्षेत्रों के हानिकारक उद्योग लगाने की अनुमति नहीं है।

(ख) देश की अधिकतर सभी योजनाओं/वृहत योजनाओं में औद्योगिक उपयोग के वर्ग विनिर्दिष्ट हैं। जो हानिकारक या अनिष्टकारी हैं और इसलिए, इन्हें या तो परिधीय क्षेत्रों में या विकसित क्षेत्र से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। इन योजनाओं में विद्यमान एकक भी विनिर्दिष्ट हैं। जिन्हें इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है और जिन्हें निर्धारित समयावधि के भीतर स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित है। अधिकतर राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का भी गठन गया किया है और किसी नये उद्योग के स्थापित किए जाने से पहले इस प्रकार के बोर्ड का अनुमोदन लेना आवश्यक है। ये बोर्ड इस सम्बन्ध में किए जाने वाले रक्षोपाय भी निर्धारित करते हैं।

विशेष कार्य अधिकारी तथा मुद्रण सलाहकार की पुनः नियुक्ति

1600 **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने मुद्रण निदेशक के पद पर कार्य करने वाले एक अधिकारी के मामले में उसकी 31 जनवरी, 1985 को सेवा-निवृत्ति की आयु पूरी हो जाने के साथ उसके कार्यकाल में वृद्धि करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने उक्त मामले को इस दलील के साथ अस्वीकार कर दिया है कि अधिवर्षिता सेवा-निवृत्ति की आयु के बाद कार्यकाल में वृद्धि अथवा पुनः नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए;

(ग) क्या उक्त अधिकारी के मामले को अस्वीकार किए जाने के बाद उनके मंत्रालय में संबंधित अधिकारियों ने उक्त विशेष कार्य अधिकारी तथा अधिकारी की मुद्रण सलाहकार के रूप में पुनः नियुक्ति कर दी है और मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति की अनुमति के बिना ही उसको मुद्रण निदेशक के पद के सभी वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दे दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) जी, हां। उस अधिकारी के सेवाकाल में वृद्धि के सम्बन्ध में, जो मुद्रण निदेशक के पद पर था, इस मंत्रालय के प्रस्ताव को सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

(ग) इस विषय पर सरकार के विद्यमान निर्देशों के अनुसार अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। तथापि, मुद्रण निदेशक के कार्य मंत्रालय में एक संयुक्त सचिव द्वारा निपटाये जा रहे हैं।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

देश के उत्तरी क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों में श्रम-घंटों की हानि

1601. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान बिजली की भारी कमी, कोयले की अपर्याप्त सप्लाई, घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई, भट्टी तेल की कमी और तांबे तथा अल्यूमिनियम आदि जैसे कच्चे माल की कम सप्लाई के कारण देश के उत्तरी क्षेत्र में रसायन, खाद्य उत्पाद, इन्जीनियरी, कपड़ा, सिरेमिक्स, और कांच का सामान बनाने वाले उद्योगों में कितने श्रम-घंटों की हानि हुई;

(ख) इसी अवधि के दौरान उपर्युक्त कारणों से उपरोक्त उद्योगों में उत्पादन की कितनी हानि हुई;

(ग) इस क्षेत्र में इस प्रकार की कमियों के लिए कौन से व्यक्ति अथवा एजेंसियां उत्तर-दायी हैं; और

(घ) ऐसी त्रुटियों के लिए इस प्रकार के व्यक्तियों और एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (घ) बिजली तथा कच्चे माल की कमी के कारण श्रम दिवसों तथा उत्पादन की हानि सम्बन्धी सूचना क्षेत्र-वार नहीं रखी जाती।

उत्तरी क्षेत्र में तालाबंदी और श्रमिकों की छंटनी

1602. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उत्तरी क्षेत्र में बिजली की भारी कमी, कोयले की अपर्याप्त सप्लाई, घटिया कोयले की सप्लाई, भट्टी-तेल की कमी और देश के उस भाग में आम उपयोग के कुछ कच्चे माल की भी कमी के कारण बड़े पैमाने पर तालाबंदी हुई है और श्रमिकों की छंटनी की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थिति में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) छंटनी किये गये श्रमिकों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) कुल कितने श्रमिक प्रभावित हुए हैं;

(ङ) उत्तरी क्षेत्र में इस प्रकार की कमी के लिए कौन से व्यक्ति अथवा एजेंसियां जिम्मेदार हैं; और

(च) उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (च) बिजली की कमी और कच्चे माल की कमी के कारण तालाबंदियों और छंटनी संबंधी क्षेत्र-वार सूचना नहीं रखी जाती।

कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार की सिफारिशें

[हिन्दी]

1603. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1982-83 और 1983-84 के लिए गेहूं, धान, सोयाबीन, चना और अन्य कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य के संबंध में केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिशें भेजी हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन्त सिफारिशों पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो इन फसलों का निम्न समर्थन मूल्य निर्धारित करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने 1982-83 तथा 1983-84 के लिये गेहूं, धान, सोयाबीन, चना और अन्य कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य के संबंध में कृषि मूल्य आयोग को, अब जिसका नाम बदल कर कृषि लागत तथा मूल्य आयोग कर दिया गया है, अपनी सिफारिशें भेजी हैं। राज्य सरकार ने भी अधिकांश फसलों के संबंध में आयोग द्वारा सिफारिश किए गये समर्थन मूल्यों पर अपने विचार भेजे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) समर्थन मूल्य कई घटकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गये हैं। इसमें न केवल जिन्स की उत्पादन लागत शामिल होती है, बल्कि मूल्यों में रुझान, मांग तथा आपूर्ति की स्थिति औद्योगिक लागत संरचना पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर और निर्वाह व्यय पर प्रभाव तथा विभिन्न राज्य सरकारों के विचार जैसे घटक भी शामिल होते हैं।

कम शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाना

[अनुवाद]

1604. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के अन्त तक देश में राज्य-वार कम शक्ति वाले कितने दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने का विचार है तथा इनके किन तिथियों को चालू हो जाने की संभावना है; और

(ख) कम शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के लगाए जाने पर प्रत्येक राज्य के कितने प्रतिशत लोग लाभान्वित होंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) पहले से कार्य कर रहे 172 दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के अतिरिक्त निम्नलिखित 7 अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के 1985 के दौरान चालू होने की उम्मीद है :—

राज्य	केन्द्र	चालू होने का संभावित माह
1	2	3
बिहार	दरभंगा	जून, 85
	बेतिया	जून, 85

1	2	3
जम्मू व काश्मीर	पुन्छ	जून, 85
मध्य प्रदेश	कोरबा	जून, 85
	सिंगरौली	जून, 85
मणिपुर	उखरूल	जुलाई, 85
तमिलनाडु	नेवेली	जून, 85

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र के अल्प शक्ति वाले तथा उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के संबंधित राज्य और संघ शासित क्षेत्र में मौजूदा दूरदर्शन कवरेज का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

दूरदर्शन ट्रांसमीटरों का मौजूदा दूरदर्शन कवरेज

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	कवर की गई जनसंख्या की प्रतिशतता
1	2	3
1.	असम	49.9
2.	आंध्र प्रदेश	39.9
3.	बिहार	40.1
4.	गुजरात	47.6
5.	हरियाणा	84.4
6.	हिमाचल प्रदेश	38.6
7.	जम्मू व कश्मीर	62.7
8.	कर्नाटक	46.7
9.	केरल	24.7
10.	मध्य प्रदेश	35.1
11.	महाराष्ट्र	47.9
12.	मणिपुर	19.3
13.	मेघालय	32.0
14.	नागालैंड	13.0

1	2	3
15.	उड़ीसा	49.7
16.	पंजाब	75.8
17.	राजस्थान	35.2
18.	सिक्किम	32.7
19.	तमिलनाडु	69.7
20.	त्रिपुरा	16.17
21.	उत्तर प्रदेश	79.2
22.	पश्चिम बंगाल	89.6
	संघ शासित क्षेत्र	
1.	अंडमान निकोबार द्वीप	36.1
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.0
3.	चंडीगढ़	100.0
4.	दिल्ली	100.0
5.	गोवा दमन और दीव	67.0
6.	मिजोरम	23.0
7.	पांडिचेरी	100.0

श्रीमती इन्दिरा गांधी पर फिल्म

1605. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी फिल्म निर्माताओं ने भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी पर फिल्म बनाने की इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो इन फिल्म निर्माताओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या भारत के कुछ फिल्म निर्माता भी श्रीमती इन्दिरा गांधी पर फिल्म बनाने के इच्छुक हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन फिल्म निर्माताओं के नाम क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) निम्नलिखित तीन विदेशी फिल्म निर्माताओं ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी पर फिल्म बनाने के लिए भारत सरकार को अपनी इच्छा व्यक्त की है :—

1. श्री वेदा नायक, इन्टर-कल्चरल फिल्म्स इंटरनेशनल इंक, लास एन्जेलस (यू० एस० ए०),

2. मैसर्ज सैन्ट्रनोच फिल्म स्टूडियो इंड सोविम फिल्म, मास्को; और

3. सुश्री जुडिथ डे पाल, सिल्वर चेलिस प्रोडक्शन्स, यू० के०।

(ग) और (घ) एक भारतीय फिल्म निर्माता, रीनगरा क्रिएशन, मद्रास के श्री आर० के० शनमुगम ने भूतपूर्व प्रधान मन्त्री पर एक फिल्म बनाने में अपनी रुचि व्यक्त करते हुए भारत सरकार को लिखा है।

नारियल की फसल का विकास

1606. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नकद फसलों के विकास के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) क्या तटवर्ती राज्यों में नारियल एक महत्वपूर्ण नकद फसल है; और

(ग) छठी योजना के दौरान उड़ीसा तथा अन्य तटवर्ती राज्यों में शुरू किए गए नारियल विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) छठी योजना के दौरान उड़ीसा तथा अन्य तटवर्ती राज्यों में निम्नलिखित केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना तथा परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :—

(रुपए लाखों में)

योजना/परियोजना का नाम	सभी राज्यों के लिए छठी योजना में केंद्रीय सरकार का परिव्यय	उड़ीसा के लिए छठी योजना में केन्द्रीय सरकार का परिव्यय
1	2	3
(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना		
1. नारियल विकास सम्बन्धी पैकेज कार्यक्रम	186.69	12.09
(ख) नारियल विकास बोर्ड की परियोजना		
1. केरल राज्य में नारियल पाम को प्रभावित करने वाला जड़ मुर्झान दूर करने के लिए नारियल उत्पादकों को वित्तीय सहायता मुहैया करने की परियोजना	54.75	—

1	2	3
2. तमिलनाडु में संकर बीज उद्यान तथा क्षेत्रीय पौधशालाओं में 12 मार्गदर्शी संकर परीक्षण केन्द्रों की स्थापना करने की परियोजना	12.37	—
3. नारियल के बढ़िया पौधों के उत्पादन की परियोजना	159.00	9.69
4. नारियल के तहत क्षेत्र का विस्तार करने की परियोजना	125.97	4.55
5. उड़ीसा में नहर के किनारे नारियल रोपण की परियोजना	70.24	70.24
6. प्राथमिक संसाधन तथा विपणन सम्बन्धी कार्य-कलापों का सम्वर्द्धन करने की परियोजना	24.20	3.00
7. नारियल प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों की स्थापना करने की परियोजना	10.10	—
8. कर्नाटक के माण्डया में नारियल सम्बन्धी प्रदर्शन व बीज उत्पादन फार्म स्थापित करना	18.225	—
9. नारियल उत्पादकों के सिंचाई की सुविधाओं के लिए सहायता मुहैया करने की परियोजना	29.604	3.00
10. तमिलनाडु में जड़ मुर्झान रोग दूर करना	14.40	—

रत्नगिरि में दूरदर्शन केन्द्र का चालू होना

1607. श्री हुसैन दलवाई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रत्नगिरि में दूरदर्शन केन्द्र कब तक चालू हो जायेगा;

(ख) क्या यह पूर्ण विकसित केन्द्र होगा अथवा केवल रिले केन्द्र होगा; और

(ग) इस परियोजना पर कितनी लागत आने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) रत्नगिरी में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की फिलहाल कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1608. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में प्रति उचित दर दुकान परिवारों की संख्या के सम्बन्ध में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए वस्तुगत उद्देश्य क्या थे;

(ख) प्रमुख खाद्यान्न, मिट्टी की तेल और चीनी आदि जैसी कितनी मदों का वितरण किया जाना था;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लक्ष्यों की प्राप्ति में कितनी कमी रही और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार तत्सम्बन्धी कमी को पूरा करने और प्रगति की गति को तेज करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्धारित सम्पूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में यह उल्लेख किया गया था कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में उचित दर की दुकानों, जिनमें निजी बिक्री केन्द्र भी शामिल हैं, की कुल संख्या 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.50 लाख करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, केन्द्रीय सरकार, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से और उचित दर की दुकानें खोलने का अनुरोध करती रही है, ताकि प्रत्येक 2000 व्यक्तियों के लिए एक उचित दर की दुकान के मानदण्ड को प्राप्त किया जा सके। कठिन, पहाड़ी और छितरी आबादी वाले इलाकों के मामले में, इस मानदण्ड में छूट दी जा सकती है और 2000 से कम व्यक्तियों के लिए भी एक उचित दर की दुकान खोलने पर विचार किया जा सकता है।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सात वस्तुयें शामिल की गई हैं, जिनकी अधिप्राप्ति और आपूर्ति की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार ने ले रखी है। ये वस्तुएं हैं :—गेहूं, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, साफ्ट कोक और नियंत्रित कपड़ा। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र अपनी-अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किन्हीं भी वस्तुओं, जिनकी अधिप्राप्ति तथा आपूर्ति की व्यवस्था उन्हें स्वयं करनी होगी, को शामिल करने के लिए स्वतंत्र है।

(ग) और (घ) उचित दर की दुकानों की संख्या, जो 1979 में 2,39,204 थी, 1984 में बढ़कर 3,11,374 हो गई है। केन्द्रीय सरकार पत्राचार, बैठकों तथा अधिकारियों द्वारा विभिन्न राज्यों के दौरों के जरिये उचित दर की दुकानों के विस्तार के बारे में हुई प्रगति की परिवीक्षा करती है। इन उपायों के अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की पुनरीक्षा एक परामर्शदात्री समिति द्वारा भी की जाती है, जिसके केन्द्रीय खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री अध्यक्ष हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री, सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। इन बैठकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कठिनाइयों तथा समस्याओं पर विचार किया जाता है और उन्हें सुलझाने के लिए निर्णय किये जाते हैं।

रोजगार समाचार का उड़िया भाषा में प्रकाशन

1609. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रोजगार समाचार किन-किन प्रादेशिक भाषाओं मे प्रकाशित किया जाता है;

(ख) क्या इसे उड़िया भाषा में प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक तथा किस स्थान से प्रकाशित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) इस समय "एम्पलायमेंट न्यूज" हिन्दी तथा उर्दू में "रोजगार समाचार" शीर्षक से और अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाता है। इसे किसी अन्य प्रादेशिक भाषा में प्रकाशित नहीं किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में राज्य उद्योगों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के क्षेत्राधिकार से अलग रखना

1610. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के उद्योगों ने मजदूर संघों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा बोर्ड की 4 मार्च, 1985 को कलकत्ता में हुई बैठक मे राज्य उद्योगों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के नये संशोधन के क्षेत्राधिकार से छूट देने का सर्व-सम्मत संकल्प पारित किया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) यह सूचित किया गया है कि इस मामले पर पश्चिम बंगाल की क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा बोर्ड की 4 मार्च, 1985 को हुई बैठक में विचार किया गया था। तथापि, इस बैठक के कार्यवृत अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें

[हिन्दी]

1611. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दौरान उनके मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की कितनी बैठकें हुईं;

(ख) इन बैठकों में कौन-कौन से संकल्प पारित किए गए हैं; और

(ग) इन संकल्पों के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) इस मन्त्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 1984 में कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकी क्योंकि पहले की हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यकाल जून, 1984 में समाप्त हो गया था और नई समिति के गठन की प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) तथा (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भुवनेश्वर में दूरदर्शन स्टुडियो का निर्माण

[अनुवाद]

1612. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने दूरदर्शन को भुवनेश्वर में एक दूरदर्शन स्टुडियो के निर्माण हेतु भूमि का आबंटन कर दिया गया है; और

(ख) इस स्टुडियो का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) इस प्रयोजन के लिए चुने गये प्लाट का वास्तविक कब्जा अभी राज्य सरकार द्वारा दूरदर्शन को दिया जाना है।

(ख) भुवनेश्वर में दूरदर्शन स्टुडियो का निर्माण, स्कीम जो दूरदर्शन के सातवीं योजना प्रस्तावों का अंग है, की स्वीकृति पर निर्भर करेगा। सातवीं योजना अभी अनुमोदित होनी है।

हानिकर कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

1613. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनुष्यों और फार्म पशुओं पर घातक प्रभाव के कारण कई कीटनाशकों पर रोक लगा दी गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसे कई कीटनाशकों के प्रयोग पर रोक लगाने की सिफारिश की है;

(ग) क्या ("डी० डी० टी०" जो कि देश में बड़े पैमानों पर प्रयोग की जाती है, ऐसा ही एक घातक रसायन है और यदि हां, तो क्या सुधारात्मक कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या देश में कृषि में कीटनाशकों के प्रयोग और खतरों के बारे में कोई क्षेत्रीय सर्वेक्षण कराया गया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां। कीटनाशी अधिनियम

1968 की धारा 5 के तहत गठित पंजीकरण समिति ने 18 कीटनाशी दवाओं को मंजूरी नहीं दी है, दो कीटनाशियों के उपयोग को धीरे-धीरे बन्द करने और दो कीटनाशियों के आयात की अनुमति नहीं दी गई है।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कृमिनाशियों के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश नहीं की है।

(ग) कृषि में डी० डी० टी० का उपयोग बहुत ही सीमित मात्रा में होता है, क्योंकि इस कीटनाशी के प्रायः रेशे वाली फसलों में उपयोग करने की सिफारिश की जाती है। तथापि, डी० डी० टी० के उपयोग के सुरक्षा सम्बन्धी पहलुओं के बारे में कुछ रिपोर्टों के कारण कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने एक समिति का गठन किया है ताकि डी० डी० टी० सहित सभी कृमिनाशियों तथा उन कीटनाशियों, जिन पर विकसित देशों में रोक/प्रतिबन्ध लगाया गया है और जिनका हमारे देश में उपयोग हो रहा है, की समीक्षा की जा सके।

(घ) समिति को जैसा कि प्रश्न के भाग (क) में बताया गया है, सुरक्षा मापदण्डों सम्बन्धी व्यापक आंकड़ों की आवश्यकता है। अन्य बातों के साथ-साथ आंकड़ों सम्बन्धी आवश्यकताओं में क्षेत्रीय स्वास्थ्य देख-रेख सर्वेक्षण सम्बन्धी आंकड़े शामिल हैं ताकि उपभोक्ताओं और किसानों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। यह वैज्ञानिक सलाहकार समिति द्वारा अपनी पांचवीं अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अन्तर्राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संघ की कृमिनाशी दवाओं के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों के अनुरूप भी है।

हैदराबाद में केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना

1614. **श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हैदराबाद में केन्द्रीय फिल्म सैंसर बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए भी कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) क्या सरकार को हैदराबाद में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का कार्यालय स्थापित करने के लिए भी कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) हैदराबाद में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। उम्मीद है यह शीघ्र ही कार्य करने लगेगा। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के मामले में भी हैदराबाद में एक कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है, किन्तु वित्तीय अभावों के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं हुआ है।

बावरा और नागर हवेली के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था

1615. **श्री सीताराम जे० गावली** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दादरा और नागर हवेली के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए बोर किए गए अधिकांश कुएं काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण जनता को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) "बोर" किए गए कुओं के काम न करने की स्थिति में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) दादरा तथा नागैर हवेली प्रशासन इस प्रकार की कोई रिपोर्ट इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता । 1980 में किए गए समस्याग्रस्त ग्रामों के सर्वेक्षण के अनुसार दादरा तथा नागर हवेली प्रशासन द्वारा कोई भी समस्याग्रस्त ग्राम सूचित नहीं किया गया है ।

उड़ीसा के फूलबनी जिले में सूखा

1616. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा का फूलबनी जिला इस समय भारी सूखे का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कुप्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त राहत पहुंचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) उड़ीसा सरकार से मिली सूचना के अनुसार 1984 में मानसून के बाद की अवधि में 13 जिले सूखे से प्रभावित हुए, जिनमें फूलबनी भी शामिल है ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार फूलबनी जिले में निम्नलिखित राहत कार्य शुरू किए गए हैं :—

(1) रबी की फसलें लगाने के लिए किसानों को उत्थित-सिंचाई स्थल से और डीजल से चलने वाले पम्पों के माध्यम से पानी की सप्लाई की सुविधा रियायती दरों पर सुलभ कराई गई ।

(2) सूखाग्रस्त लोगों को न्यूनतम आवश्यक सिंचाई तथा श्रम प्रधान कार्य मुहैय्या कराने के लिए क्रास-बांध के निर्माण हेतु एक लाख पचास हजार रुपए मंजूर किए गए ।

(3) सूखाग्रस्त इलाकों में श्रम-प्रधान कार्य चलाने के लिए 9 लाख रुपए विशेष रूप से आबंटित किए गए थे ।

(4) पीने के पानी की कमी दूर करने के लिए इस जिले के चुने हुए गांवों में पचास ट्यूबवैल लगाए जा रहे हैं ।

(5) इससे पहले 1984 में तीस ट्यूबवैल लगाने के लिए इस जिले के लिए छः लाख रुपए मंजूर किए गए थे।

केन्द्रीय सरकार ने अन्तिम मंजूरी जारी होने तक के लिए तात्कालिक खर्च चलाने हेतु उड़ीसा सरकार को 500.00 लाख रुपये की राशि "विशेष-भुगतान" के तौर पर दी है। इसके साथ ही राहत सम्बन्धी आपाती खर्च के लिए राज्य सरकार के पास 871 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध है।

पौध संजनन के लिए तंतु (टिशु) संवर्धन तकनीक

1617. **डा० के० जी० अदियोडी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संजनन के लिए किन-किन फसलों में तंतु (टिशु) संवर्धन तकनीक सफलतापूर्वक प्रारम्भ की गई है;

(ख) क्या इसका नारियल में भी प्रयास किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(घ) जिन भारतीय वैज्ञानिकों ने नारियल पर काम किया था उन्हें किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा रहा है; और

(ङ) तंतु संवर्धन के माध्यम से नारियल की पौध की आशा किसान कब तक कर सकते हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) मार्च, 1983 में पौध ऊत्तक कल्चर पर राष्ट्रीय सेमिनार हुआ। इसमें निम्नलिखित फसलों को चुना गया। इन फसलों के लिए एक स्तर तक तकनीक विकसित की जा चुकी है, जिसमें ऊत्तक कल्वर का उपयोग हो सकता है। फल—नींबू वर्गीय फल, केला, अनन्नास और अनार। मसाले—इलायची, अदरक तथा हल्दी। सजावटी पौधे—आर्किड्स, कार्नेशन, ग्लैडिओलस, बोगैनविल्लिया, क्राइसैन्थमम तथा फर्न्स। वन्य वृक्ष—सागौन तथा यूकेलिप्टस। व्यापारिक फसलें—गन्ना। औषधीय पौधे—ग्लाइसिर्टिजा, ओजोबा तथा डाइओस्कोरिया, डेल्टोइडिया।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान में कुछ क्लोनल नन्हें पौधे मंगाए गये। ये दो वर्ष पुरानी पौदों से अलग किए गये नन्हीं कोंपलों के रूप में थे। यह भ्रूणों को सीधे अलग करने की नारियल की कोपलों को अलग करने की पहली मिशाल थी। इन नन्हें पौधों को क्रिमी मिश्रित मिट्टी में जमा दिया गया और वहां इनकी बढ़वार को बारीकी से जांचा जा रहा है।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने वैज्ञानिकों के प्रोत्साहन के लिये और कृषि तथा सम्बद्ध विज्ञानों में किए गये विशिष्ट शोधकार्य के लिये 9 पुरस्कार रखे हैं। सम्बन्धित नारियल के वैज्ञानिकों पर भी इन पुरस्कारों को देने के सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है।

(ङ) ऊत्तक कल्चर सामग्री के उत्पादन की इस तकनीक को बड़े पैमाने पर लागू करने का काम अगले 4-5 वर्षों में शुरू हो जाने की संभावना है।

वीडियो फिल्मों के अनाधिकृत निर्माण का फिल्म उद्योग पर प्रभाव

1618. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को बड़े पैमाने पर वीडियो फिल्मों के अनाधिकृत निर्माण के कारण फिल्म उद्योग के समक्ष उत्पन्न समस्या का पता है;

(ख) यदि हां, क्या सरकार ने फिल्म उद्योग से प्राप्त होने वाले राजस्व पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ग) सरकार का इस बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग) वीडियो पाइरेसी के रोकने की आवश्यकता सभी स्वीकार करते हैं तथा भारत सरकार ने वीडियो पाइरेसी की समस्या से निपटने के लिये अनेक विधायी तथा कार्यकारी कदम पहले ही उठा लिये हैं।

कुछ फसलों के अनुसंधान और विकास पर व्यय

1619. **श्री आई० रामा राय** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान काजू, काली मिर्च, अदरक, नारियल, इलायची और हल्दी जिनसे उक्त वर्ष के दौरान क्रमशः 13 करोड़ रुपये, 29 करोड़ रुपये, 5.9 करोड़ रुपये, 134 करोड़ रुपये, 16 करोड़ रुपये और 4.2 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी, के सम्बन्ध में अनुसंधान और विकास पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) क्या उक्त उत्पादों से प्राप्त विदेशी मुद्रा तथा सरकार द्वारा इनकी फसलों के संबंध में अनुसंधान और विकास पर किए गए व्यय का आपस में कोई संबंध है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) वर्ष 1982-83 के दौरान अनुसंधान और विकास कार्य पर खर्च की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

रुपये लाख में

फसल	अनुसंधान	विकास	योग राशि
1	2	3	4
( ) काजू	5.22	104.93	110.15

1	2	3	4
(ii) काली मिर्च (iii) अदरख (iv) हल्दी	21.31	5.76	27.07
(v) इलायची	5.77	102.00	107.77
(vi) नारियल	118.98	29.51	148.49
(vii) गरम मसाले और काजू पर अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना	9.85	—	9.85
(viii) नारियल और सुपारी पर अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना	11.37	—	11.37
(ix) उपरोक्त फसलों पर उपकर निधि तदर्थ अनुसंधान योजनाएं	2.16	—	2.16
कुल :	174.66	242.20	416.86

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा कृषि मूल्य आयोग का गठन

1620. श्री एन० वी० रत्नम् : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अलग से अपना कृषि मूल्य आयोग गठित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस समय मामले की क्या स्थिति है; और

(ग) अनुमति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश में हिन्दूपुर में एक दूरदर्शन केन्द्र खोलना

1621. श्री के० आर० रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आन्ध्र प्रदेश में हिन्दूपुर में एक दूरदर्शन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हिन्दूपुर बंगलौर के दूरदर्शन ट्रांसमीटर के सेवा क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। अभी तक पूर्ण रूप से कवर न हुए क्षेत्रों के लिए दूरदर्शन सेवा में सुधार भावी योजना अवधियों में दूरदर्शन के विस्तार के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

देश में भवन निर्माण सम्बन्धी गतिविधियां

1622. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) देश में भवन निर्माण संबंधी गतिविधियों में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) सातवीं योजना में कितने मकान बनाने का विचार है;

(ग) देश में इन मकानों से आवास की समस्या किस हद तक हल हो जाएगी; और

(घ) प्रत्येक परिवार को मकान उपलब्ध करने का लक्ष्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (घ) देश में आवास गतिविधियों को बढ़ाने के बारे में दिए गए विभिन्न सुझाव 7वीं पंचवर्षीय योजना के सूत्रीकरण से सम्बद्ध हैं जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

महाराष्ट्र को चावल की सप्लाई

1623. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार ने उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण के लिए वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान चावल का कितना कोटा मांगा था;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र की मांग के अनुसार चावल का आबंटन नहीं किया;

(ग) क्या महाराष्ट्र को चावल की पर्याप्त सप्लाई न होने के कारण उस राज्य में उचित दर की-दुकानों से प्रतिमास प्रति व्यक्ति 1 कि० ग्राम से भी कम चावल बांटा गया; और

(घ) महाराष्ट्र को आवश्यकतानुसार चावल न देने के क्या कारण हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के सम्बन्ध में केन्द्रीय भण्डार से चावल की मांग और आबंटन निम्नानुसार हैं :—

(हजार मीटरी टन में)

वर्ष	मांग	आबंटन
1981-81	900.0	900.0
1982-83	750.0	385.0
1983-84	900.0	300.0

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अपर्याप्त आबंटन के कारण, वे राज्य के अधिकांश जिलों में प्रति वयस्क प्रति मास 1 किलोग्राम से कम चावल वितरित कर रहे हैं।

(घ) महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों को चावल के आबंटन, केन्द्रीय भण्डार में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं। ये आबंटन खुले बाजार में उपलब्धता के केवल अनुपूरक होते हैं।

सरसों और अरण्डी के अलाभकर मूल्य

1624. **श्री प्रो० के० गंधावी** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरसों और अरण्डी का वर्तमान मूल्य पिछले वर्ष के दौरान व्याप्त मूल्यों से काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अरण्डी अथवा अरण्डी के तेल के निर्यात में वृद्धि करने का है; और

(घ) अरण्डी के तेल के निर्यात में वृद्धि के मार्ग में क्या रुकावटें हैं और इन रुकावटों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) चालू मौसम के पिछले कुछ महीनों के दौरान, सरसों और अरण्डी के बीजों के मूल्य पिछले साल की इसी अवधि के मूल्यों की तुलना में कम हुए हैं।

(ख) भारत सरकार ने तोरिया और सरसों की 1984-85 की फसल (1985-86 के दौरान विपणन की जाने वाली) के लिए समर्थन मूल्य 385 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यह मूल्य पिछले साल के लिए निर्धारित किए गए मूल्य से 25 रुपए अधिक है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) को खरीद समर्थन कार्यों के लिए एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। तोरिया और सरसों के मूल्यों को न्यूनतम समर्थन स्तर के नीचे न गिरने देने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सहकारी समितियों को बाजार में रहने का निदेश दें। मूल्य-स्थिति की लगातार समीक्षा की जा रही है और नेफेड तथा अन्य एजेंसियों को तत्काल दखल देने के लिए सतर्क किया गया है।

अरण्डी बीज के लिए, जो मुख्यतः अखाद्य तिलहन है, सरकार ने फिलहाल कोई समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया है। अरण्डी के दाम, जो पिछले वर्ष उंचे चढ़ गए थे, नीचे गिर गए हैं मगर यह अभी भी 1983 के स्तर से ऊंचे हैं। तथापि, सरकार अरण्डी के तेल के निर्यात को बढ़ावा देती रही है, ताकि किसान अरण्डी के लिए लाभप्रद मूल्य प्राप्त कर सकें।

(ग) और (घ) अरण्डी के बीजों के निर्यात पर रोक है। तथापि, अरण्डी के तेल का पर्याप्त मात्रा में निर्यात किया जा रहा है। उत्पादन में उतार-चढ़ाव, मूल्य-प्रतियोगता और मांग और पूर्ति की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति सहित कई कारकों की वजह से अरण्डी के तेल के निर्यात में अड़चनें आती हैं।

अरण्डी के तेल के निर्यात के लिए एक दीर्घावधि नीति तैयार करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय में एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ यह दल उत्पादकों को लाभप्रद और निश्चित मूल्य प्राप्त करवाने के लिए सांस्थानिक प्रबंध के सवाल पर और निर्यात व्यापार में मात्रा और मूल्य के स्थिरीकरण पर भी विचार करेगा।

सहरसा जिले में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

[हिन्दी]

1625. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, तथा विशेषकर बिहार में, इस समय कितने दूरदर्शन केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय का विचार सहरसा जिले (बिहार) में भी एक दूरदर्शन केन्द्र खोलने का है जो कोशी कमिश्नरी का मुख्यालय भी है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) देश में 172 दूरदर्शन केन्द्रों में से 9 केन्द्र बिहार राज्य में स्थित हैं। बिहार में दो और केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) सहरसा जिले के भागों में दूरदर्शन सिगनल, कुर्सियांग में स्थापित किए जा रहे उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर के चालू वर्ष के दौरान 10 किलोवाट की पूर्ण शक्ति पर चालू होने पर प्राप्त होने की उम्मीद है। देश के विभिन्न भागों में दूरदर्शन सेवा का और विस्तार करना भावी योजना अवधियों के दौरान इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

केन्द्रीय मुर्गी पालन फार्म द्वारा बेचे गए चूजे

[अनुवाद]

1626. **श्री के० राममूर्ति** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मुर्गी पालन फार्म द्वारा 1982 से 1985 तक प्रति वर्ष कितने वाणिज्यिक लेयर और ब्रायलर चूजे बेचे गए;

(ख) केन्द्रीय मुर्गी फार्म के कार्यचालन की सावधिक पुनरीक्षा करने वाली प्रबंध समिति की रचना क्या है; और

(ग) क्या वाणिज्यिक चूजों की सप्लाई के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भरता के बावजूद सरकार का विचार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की समन्वित योजना को इसके 15 वर्ष तक कार्य करने के पश्चात् भी जारी रखने का है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1981-82 से 1984-85 तक केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्मों में बेचे गय लेयर और ब्रायलर चूजों को संख्या नीचे दी गई है :

(संख्या लाख में)

	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85 (फरवरी, 1985 तक)
बेचे गए लेयर चूजों की सं०	2.83	2.54	2.64	3.25
बेचे गए ब्रायलर चूजों की सं०	1.35	2.02	3.32	1.99

(ख) प्रबन्ध समिति की संरचना नीचे दी गई है :—

1. अवर सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग — अध्यक्ष
2. पशुपालन आयुक्त कृषि और सहकारिता विभाग — सदस्य
3. संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, कृषि और सहकारिता विभाग — सदस्य
4. निदेशक, केन्द्रीय कुक्कुट प्रजनन फार्म तथा केन्द्रीय बत्तख प्रजनन फार्म — सदस्य
5. निदेशक, कुक्कुट उत्पादन तथा प्रबन्ध संबंधी केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान — सदस्य
6. अधीक्षक, यादृच्छिक नमूना परीक्षण एकक — सदस्य
7. संयुक्त आयुक्त (कुक्कुट) कृषि और सहकारिना विभाग — सदस्य-सचिव

(ग) कुक्कुट प्रजनन संबंधी अखिल भारतीय समन्वित परियोजना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का इरादा लेयर और ब्राइलरों को अधिक उत्पादकता वाली नसलों का विकास करना है और इसका उद्देश्य कई शुद्ध तथा संकर प्रजनित नसलों के कार्य निष्पादन की जांच करना आर्थिक महत्व की विशेषताओं के अनुवांशिक और लाक्षणिक मानदण्डों और अनुवंशिक विवधता के अवयवों और विभिन्न प्रजनन कार्यक्रमों की जांच सम्बद्ध कार्यक्षमता का आकलन करना है। यह परियोजना अण्डों और ब्रायलरों की उच्च-उत्पादकता वाली संकर नसलों को विकसित करने का कार्य करती रही है। कुक्कुट सुधार के अन्य पहलुओं अर्थात् लेयर और ब्रायलर चूजों को अधिक उत्पादकता वाली किस्मों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण और कुक्कट आवास को भी अब इस परियोजना के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाएगा।

राज्यों को सूखा संबंधी केन्द्रीय सहायता

1627. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने 21 जिलों में 17,637 गांवों में सूखा राहत कार्य हेतु 145 करोड़ रुपए मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र को कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) वर्ष 1984 के दौरान सूखे से कुल कितने राज्य प्रभावित हुए और प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी गई; और

(घ) सूखे की स्थिति से निपटने के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी वित्तीय सहायता की मांग की गई थी ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अक्तूबर, 1984 में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया कि 22 जिलों के 16581 गांव अभाव स्थिति से प्रभावित थे और उन्होंने 183.11 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया था। राहत कार्यों को जून, 1985 तक जारी रखने के लिए मार्च, 1985 में 62.51 करोड़ रु० की अतिरिक्त धनराशि मांगी है।

(ख) 30.63 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा तक केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की जा चुकी है। बाद में किए गए अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

(ग) तथा (घ) आठ राज्य प्रभावित थे और इन्होंने 1984 की वर्षा ऋतु के बाद की अवधि के दौरान सूखे की स्थिति की सूचना दी। इन राज्यों द्वारा मांगी गई और इन्हें स्वीकृत की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1984-85 (वर्षा ऋतु के बाद की अवधि) के दौरान सूखे से प्रभावित राज्यों द्वारा मांगी गई केन्द्रीय सहायता और भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र० सं०	राज्य	राज्य सरकार द्वारा मांगी गई केन्द्रीय सहायता	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	416.58 (पूरक ज्ञापन की मांग शामिल है)	54.42
2.	हिमाचल प्रदेश		
	1984-85	47.83	विचाराधीन
	1985-86	28.99	

1	2	3	4
3. कर्नाटक		209.50	32.73
	पूरक मांग	54.50	विचाराधीन
4. महाराष्ट्र		183.11	30.63
	पूरक मांग	62.51	विचाराधीन
5. मध्य प्रदेश			
1984-85		51.20	11.38
1985-86		61.72	3.76
6. उड़ीसा		115.73	विचाराधीन
7. राजस्थान			
1984-85		45.47	5.43
1985-86		114.42	विचाराधीन
8. उत्तर प्रदेश		181.45	8.10

सोवियत संघ को गेहूं का निर्यात

1628. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1984 में सोवियत संघ को 20 लाख टन गेहूं का निर्यात किया;

(ख) यदि हां, तो क्या 1420 लाख टन के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 1510 लाख टन वसूली होने के फलस्वरूप यह संभव हुआ है;

(ग) यदि हां, तो गेहूं की वसूली की अन्तिम स्थिति क्या है और क्या सरकार सोवियत संघ तथा अन्य देशों को अधिक गेहूं का निर्यात करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो कितनी मात्रा में; और

(ङ) वर्ष 1985 में अब तक क्या स्थिति है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) रबी विपणन मौसम 1984-85 के दौरान 23.3.1985 तक, लगभग 93 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई थी।

सूखे से प्रभावित कुछ अफ्रीकी देशों को सहायता के रूप में एक लाख मीटरी टन गेहूं की आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है।

चालू भारत-सोवियत संघ व्यापार प्रोतोकोल (जनवरी-दिसम्बर, 1985) में सोवियत संघ को पांच लाख मीटरी टन गेहूं निर्यात करने के लिए प्रावधान किया गया है।

(ङ) अफ्रीकी देशों को हमारी एक लाख मीटरी टन गेहूं की आपूर्ति करने की वचनबद्धता के प्रति 15.3.1985 तक उन्हें 22021 मीटरी टन गेहूं भेजा जा चुका था।

खुले बाजार में बिक्री के लिए चीनी जारी करना

1629. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1982-83 और 1983-84 के उत्पादन में से प्रोत्साहन एककों को खुले बाजार में बिक्री की अतिरिक्त चीनी कितनी मात्रा में, फैक्ट्रीवार, जारी की गयी तथा इन वर्षों के दौरान इस प्रकार के प्रत्येक कारखाने को कुल कितने प्रतिशत खुली बिक्री की चीनी जारी की गयी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : 1982-83 और 1983-84 मौसमों के उत्पादन में से प्रोत्साहन यूनिटों को फैक्ट्री-वार निर्मुक्त की गई खुली बिक्री की चीनी की अतिरिक्त मात्रा और 1982-83 और 1983-84 मौसमों के उत्पादन में से प्रत्येक चीनी फैक्ट्री विस्तार परियोजनाओं और नई स्थापित चीनी फैक्ट्रियों, दोनों को निर्मुक्त की गई खुली बिक्री की चीनी की कुल प्रतिशतता को बताने वाले दो विवरण क्रमशः परिशिष्ट-1 और 2 के रूप में अलग-अलग संलग्न हैं। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 756/85]

प्रत्येक श्रेणी की चीनी का उत्पादन

1630. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों-राज्यों में 1983-84 के दौरान प्रत्येक श्रेणी की चीनी का कितने प्रतिशत उत्पादन हुआ ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

चीनी वर्ष 1983-84 के दौरान चीनी की श्रेणी-वार उत्पादन-प्रतिशतता बताने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चीनी वर्ष 1983-84 के दौरान चीनी की श्रेणीवार उत्पादन-प्रतिशतता					
	ए-30 बी-30 सी-30	डी-30	ई-30	ए-29 बी-29 सी-29	डी-29	ई-29
1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश	62.7	27.1	3.3	3.6	1.9	0.3

1	2	3	4	5	6	7
बिहार	55.6	30.9	6.4	3.2	1.6	0.3
पश्चिम बंगाल	—	58.0	15.9	—	16.6	1.4
असम	—	23.4	45.7	0.6	30.1	—
हरियाणा	86.9	11.9	0.3	0.1	0.2	0.1
पंजाब	53.6	32.7	12.8	—	—	0.03
राजस्थान	17.6	41.9	24.7	2.1	9.2	3.8
मध्य प्रदेश	29.9	57.6	10.4	0.1	0.5	0.1
उड़ीसा	2.6	69.3	20.2	—	2.9	3.4
महाराष्ट्र	28.0	65.6	6.1	—	—	—
गुजरात	26.9	60.6	11.7	0.3	0.1	0.01
कर्नाटक	6.8	68.3	20.0	0.05	3.6	0.8
केरल	—	60.2	39.8	—	—	—
आन्ध्र प्रदेश	3.2	69.4	23.8	0.1	2.0	1.7
तमिलनाडु	—	25.3	72.9	—	0.02	1.4
पांडिचेरी	—	7.0	90.6	—	—	1.9
नागालैण्ड	15.2	44.6	40.2	—	—	—
गोआ	2.4	86.9	9.9	—	—	—

नोट :—इसमें गैर-श्रेणी की बी० आई० एस० एस० चीनी शामिल नहीं है।

चीनी की खपत

1631. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1982-83 और 1983-84 के दौरान राज्यवार, चीनी की कितनी खपत हुई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : एक विवरण संलग्न है, जिनमें चीनी वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान चीनी की खपत का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

चीनी वर्ष 1982-83 और 1983-84 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान चीनी की राज्यवार खपत को बताने वाला विवरण ।

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

राज्य	1982-83	1983-84
1. आन्ध्र प्रदेश	379	453
2. असम/अरुणाचल प्रदेश	139	157
3. बिहार	386	425
4. गुजरात	492	598
5. महाराष्ट्र	975	1188
6. केरल/लक्षद्वीप	288	332
7. मध्य प्रदेश	405	428
8. तमिलनाडु	424	501
9. कर्नाटक	315	381
10. उड़ीसा	141	144
11. पंजाब	379	454
12. हरियाणा	182	225
13. चण्डीगढ़	18	21
14. राजस्थान	308	389
15. उत्तर प्रदेश	852	1008
16. पश्चिम बंगाल	480	531
17. जम्मू और कश्मीर	36	38
18. दिल्ली	134	152
19. हिमाचल प्रदेश	34	37
20. मणिपुर	3	6
21. त्रिपुरा	9	11
22. पांडिचेरी/कराइकल/माहे/यनम	6	7
23. सिक्किम/भूटान	3	3
24. गोवा/दमन/दीव	17	20
25. नागालैण्ड, अण्डमान और मिजोरम	8	9
26. मेघालय	2	4
अखिल भारत	6415*	7522*

*इसमें सेना क्रय संगठन, गेट पर बिक्री, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल आदि के लिए की गई निर्मुक्तियां शामिल नहीं हैं ।

गायों के लिए प्रजनन कार्यक्रम

1632. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने गायों को ऐसी विदेशी नस्ल के प्रजनन-कार्यक्रम में अब तक हुई प्रगति के बारे में कोई मूल्यांकन किया है जो कि और अधिक दूध देने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों के अधिक अनुकूल हो सकती हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : जी, हां। देश के विभिन्न क्षेत्रों में समय-समय पर विदेश नस्लों में, होलस्टाईन, फ्रेसियन, जर्सी ब्राऊन स्विस, रेड डेन, एयरशायरें तथा गेर्नसे जैसी नस्लें हैं। जर्सी नस्लें देश के पर्वतीय क्षेत्रों में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक उपयुक्त पाई गई हैं।

असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के कल्याण के लिए केन्द्रीय कानून

1633. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेती, जूता और बीड़ी उद्योग जैसे अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को संगठित करने और न्याय प्राप्त करने में सहायता करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए हैं;

(ख) क्या सरकार खेतिहर श्रमिकों और चमड़ा तथा जूता उद्योग में कार्य स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए कोई केन्द्रीय कानून लागू करने की स्थिति में है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यों को इस संबंध में क्या निर्देश अथवा सुझाव जारी किए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) बीड़ी श्रमिकों की सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का निर्णय किया गया है। एक योजना तैयार की गई है और इसे अनुवर्ती कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों को भेजा गया है। केरल, महाराष्ट्र और गुजरात में बीड़ी सहकारी समितियां गठित की गई हैं।

कृषि श्रमिकों के बारे में न्यूनतम मजदूरी के उपबंधों को लागू करने के लिए जोरदार कार्यवाही की जा रही है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे कृषि श्रमिकों की कार्य-दशाओं को विनियमित करने तथा उनके कल्याण के लिए उपयुक्त कानून बनाएं। ग्रामीण श्रमिकों को, जिनमें कृषि श्रमिक भी शामिल हैं, संगठित करने के लिए 11 राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रवर्तित प्लान स्कीम लागू की जा रही है।

श्रम मंत्रालय द्वारा एक त्रिपक्षीय अध्ययन दल का गठन किया गया है जो चमड़ा और जूता उद्योग में लगे श्रमिकों की कामकाज तथा रहन-सहन की दशाओं का गहन अध्ययन करेगा। आशा है कि यह अध्ययन दल श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रशासनिक और कानूनी उपायों का सुझाव देगा।

भूमिहीन ग्रामीण जनसंख्या

1634. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीन ग्रामीण व्यक्तियों की देश भर में संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में भूमिहीन ग्रामीण जनसंख्या की सहायता करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) भूमिहीन गरीब व्यक्तियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन कृषि श्रमिकों के आंकड़े उपलब्ध हैं। जनगणना के समय कृषि श्रमिकों की सूचना मजदूरों के प्रतिशत में एकत्र की जाती है। ये आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

जनगणना का वर्ष	मजदूरों के प्रतिशत में कृषि श्रमिक
1951	14.17
1961	16.71
1971	26.31
1981	24.94

तथापि, यह कहना युक्तिसंगत है कि उनकी परिभाषा में परिवर्तन होने के कारण विभिन्न जनगणना के आंकड़ों की सही अर्थ में तुलना नहीं की जा सकती है। विभिन्न जनगणनाओं के दौरान पता लगाये गये कृषि श्रमिकों की संख्या में भिन्नताओं के बारे में इस मंत्रालय द्वारा कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) भूमिहीन ग्रामीण लोगों की सहायता करने के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए जा रहे हैं :

1. 1972 में जारी किए गए राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत सभी राज्यों से यह आग्रह किया गया है कि वे भूमि सीमा को लागू करने से प्राप्त हुई फालतू भूमि का वितरण करते समय भूमिहीन कृषि श्रमिकों, विशेषकर अनुसूचित-जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के श्रमिकों को प्राथमिकता दें। संशोधित भूमि की अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत कब्जे में ली गई 30.04 लाख एकड़ फालतू भूमि में से 21.64 लाख एकड़ भूमि का वितरण 16.28 लाख लाभार्थियों में किया गया है, जो सभी भूमिहीन थे। इनमें से 9 लाख लाभार्थी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं, जिनको 11.22 लाख एकड़ भूमि बांटी गई है।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं जिनमें भूमिहीन लोग भी शामिल हैं। छठी योजना में इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब तक 1905 मिलियन श्रम दिनों का सृजन किया गया है। इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए श्रम-दिनों का प्रतिशत लगभग 45 आता है।

3. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे लोगों को सहायता दी जाती है ताकि वे गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें। छठी योजना के दौरान 15 मिलियन परिवारों का लक्ष्य था, किन्तु फरवरी, 1985 तक 15.6 मिलियन परिवारों को सहायता प्रदान की गई है (अनन्तिम)। इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लाभार्थी 5.98 मिलियन हैं जो सहाय्यित लाभार्थियों का 38 प्रतिशत है।

कपास के समर्थन मूल्य में वृद्धि

1635. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास का वर्तमान समर्थन मूल्य क्या है;

(ख) क्या कपास उत्पादक राज्यों ने कपास के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने की सिफारिश की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1984-85 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न किस्मों के कपास के समर्थन मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) कृषि मूल्य आयोग ने (जिसका नाम अब कृषि लागत तथा मूल्य आयोग हो गया है) कपास की दो मूल किस्मों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए हैं। एक मध्यम/बढ़िया मध्यम समूह (एफ 414/एच-777) और दूसरा लम्बे तथा बढ़िया लम्बे समूह (एच 4)। आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकारों को उनके विचार/टिप्पणियों के लिए परिचालित की गई। जबकि अधिकांश राज्य सरकारों ने न तो अपनी टिप्पणी दी है और न ही आयोग की सिफारिशें मंजूर की हैं। आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा तथा गुजरात ने अधिक मूल्यों के लिए कहा है।

(ग) कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें, राज्य सरकारों के विचार/टिप्पणियां और केन्द्र में संबंधित आर्थिक मंत्रालयों के विचार/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा कार्यवाही की गई। कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों तथा केन्द्रीय आर्थिक मंत्रालयों/राज्य सरकारों तथा अन्य सम्बद्ध घटकों के विचार/टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए कपास तथा इसकी विभिन्न किस्मों के लिए समर्थन मूल्य नियत करने का अंतिम निर्णय लिया गया।

विवरण

1984-85 के कपास के मौसम के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किए गए बढ़िया औसत किस्म कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य

किस्म	कपास की बढ़िया औसत किस्म के लिए मौके पर समर्थन मूल्य (रुपया प्रति क्विंटल)
1	2
छोटे रेशे :	
1. बंगाल देशी/जी-27	327

1	2
2. एल० डी०/133	337
3. वगद/कलगी	353
मध्यम रेशे :	
4. जे-34/बीकानेरी नरमा	395
5. सी० जे०-73	395
6. एम० पी० विरनार/197-3	415
7. बी-797	425
उत्तम मध्यम रेशे :	
8. सुयोधर	395
9. जयाधर	405
10. गाओरानी 22/46	405
11. एफ-414/एच-777/अगट्टी	410
12. जी-कोट-12	425
13. लक्ष्मी-बी	430
14. खानदेश विरनार/वाई-1/ज्योति	436
15. ए० के० 235 तथा 277/ए० के० एच०-4	452
16. खण्डवा-2	452
17. ए०-51/9	455
18. एल०-147	467
19. जी० कोट० 11	495
20. दिग्विजय "ए" (गुजरात)	503
21. एल० आर० ए०-5166	505
22. दिग्विजय "बी" (महाराष्ट्र तथा राजस्थान)	477
23. एस० आर० टी०-1 (ए) गुजरात	503
24. एस० आर० टी०-1 (बी) महाराष्ट्र	477
लम्बे रेशे :	
25. 1007/डी० एच० वाई०	500
26. एम० सी० यू० 7	500

1	2
27. 170-सी० ओ०-2 (बी)	500
28. देवी राज	505
29. जे० के० एच० वाई०-1	535
उत्तम लम्बे रेशे :	
30. एच-4	535
31. शंकर-6	550
32. शंकर-4 (बी) सौराष्ट्र	550
33. शंकर-4 (ए) दक्षिण गुजरात	555
34. एम० सी० यू०-5/एम० सी० यू० 9/ एम० सी० यू०-5 वी० टी० (दक्षिण भारत)	555
35. वरलक्ष्मी (महाराष्ट्र)	492
36. वरलक्ष्मी (मध्य प्रदेश)	487
37. वरलक्ष्मी (गुजरात)	555
38. वरलक्ष्मी (दक्षिण भारत)	577
39. डी० सी० एच०-32	600
40. सुविन	900

किराया नियंत्रण अधिनियम का पुनरीक्षण

1636. **श्री चिन्तामणि जैन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किराया नियंत्रण अधिनियम के पुनरीक्षण के संबंध में आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच इस बीच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने किराया नियंत्रण कानून में संशोधन करने के लिए विभिन्न राज्यों और संघशासी क्षेत्रों को रिपोर्ट परिचालित कर दी है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) तथा (ख) दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम, 1958 के संशोधन के संदर्भ में यह मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

(ग) तथा (घ) आयोग की रिपोर्ट राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने विचार व्यक्त करने

के लिए परिचालित कर दी गई है। अपने भाटक नियंत्रण नियमों में संशोधन करने का निर्णय राज्य सरकारों को लेना है क्योंकि यह राज्य का विषय है।

मछली पकड़ने की यंत्रीकृत नौकाओं का प्रयोग बंद करना

1637. **श्री चिन्तामणि जैना : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्द महासागर में मछली पकड़ने की कितनी यंत्रीकृत नौकाएं कार्यरत हैं;

(ख) क्या मछुआरों की एक पुरजोर मांग है कि मछली पालन उद्योग के हित में पंजीकृत नौकाओं की, विशेषकर केरल के तटीय क्षेत्रों में, प्रयोग बंद कर दिया जाए;

(ग) क्या फिलीपीन और इन्डोनेशिया जैसे अन्य देशों ने अपने क्षेत्रों में ऐसी यंत्रीकृत नौकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) छोटे यन्त्रीकृत क्षेत्र के तहत भारतीय समुद्र में लगभग 20,000 नौकाएं हैं। इसके अतिरिक्त, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले 166 जलयान (लम्बाई में 20 मीटर तथा इससे अधिक) वाणिज्यिक क्षेत्र में (75 भारतीय तथा भाड़े पर लिए गए 91 जलयान) को हिन्द महासागर में कार्य करने के लिए अनुज्ञा पत्र दिए गए हैं। इसके अलावा, समन्वेषी, प्रशिक्षण और प्रयोगात्मक मत्स्यन कार्यों के प्रयोजनों के लिए सरकार के पास 20 मीटर लम्बाई से अधिक के 21 जलयान हैं।

(ख) केरल सरकार से मिली सूचना के अनुसार मत्स्यन उद्योग के लाभ के लिए मछली पकड़ने के यंत्रीकृत साधनों के प्रयोग को बंद करने की मछुआरों की कोई मांग नहीं है। परन्तु मछुआरे जून, जुलाई तथा अगस्त के दौरान ट्रालिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा रात्रि ट्रालिंग पर प्रतिबंध लगाने का भी विरोध कर रहे हैं।

(ग) तथा (घ) बताया गया है कि विभिन्न देशों द्वारा अपनी सम्बद्ध स्थायी निधि के स्रोतों, पारिस्थितिकी हालातों और दोहन नीति के संबंध में अपने मत्स्यन संसाधनों की व्यवस्था करने हेतु विभिन्न उपाय अपनाए गए हैं।

गुजरात में दूरदर्शन सुविधा-विहीन क्षेत्र

1638. **श्री मोहन लाल पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में वर्तमान दूरदर्शन ट्रांसमीशन केन्द्रों के पूरे राज्य में दूरदर्शन सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां वर्तमान ट्रांसमीशन केन्द्रों से कार्यक्रम अभी नहीं देखे जा सकते हैं; और

(ग) उक्त क्षेत्रों में दूरदर्शन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नही।

(ख) और (ग) साबरकंठा, पंचमहल, बनासकंठा तथा डांग्स जिलों को छोड़कर, गुजरात में अन्य सभी जिलों में इस समय पूर्णतः या अंशतः दूरदर्शन सेवा उपलब्ध है। चालू वर्ष के दौरान अहमदाबाद तथा द्वारका के दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की मौजूदा शक्ति बढ़ा कर 10 किलोवाट कर दिए जाने पर साबरकंठा, पंचमहल तथा बनासकंठा जिलों के भागों को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध हो जायेगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए धनराशि

1639. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हेतु वर्ष 1985-86 के लिये कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ख) वर्ष 1985-86 के लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ग) क्या ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के साथ विलय करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1985-86 के बजट में केन्द्रीय अंश के रूप में कुल 230 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव किया गया है। इतनी ही धनराशि राज्य सरकारों द्वारा भी जुटायी जायेगी।

(ख) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए 1985-86 के बजट में 400 करोड़ रुपये के आबंटन का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा बराबर का कोई अंशदान नहीं जुटाया जाना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1985-86 के दौरान कृषि उत्पादों के विपणन हेतु व्यवस्था

1640. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान कुल कितने मूल्य के कृषि उत्पादों को विपणन किया गया;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1985-86 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से कृषि उत्पादों की विपणन व्यवस्था का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो 1985-86 में विभिन्न कृषि उत्पादों के विपणन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय डेरी विकास निगम के अधिनियम के अनुसार राष्ट्रीय डेरी विकास निगम का उद्देश्य सरकारी सिद्धान्तों पर कृषि उत्पाद, खाद्य पदार्थों और अनेक अन्य जिन्सों के उत्पादन, परिसंस्करण, विपणन, भण्डारण, निर्यात और आयात के कार्यक्रमों की योजाना बनाना और उन्हें बढ़ावा देना है। यह निगम सम्वर्धनात्मक और वित्तीय सहायता से सहकारी समितियों की सहायता करता है। यह निगम विपणन संबंधी कोई कार्य नहीं करता।

कृषि उत्पाद का विपणन करने के लिए किसानों की सहकारी समितियों की एक अवसंरचना है, जिसमें प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (94,000), प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां (3,632), जिला/केन्द्रीय सहकारी विपणन समितियां (171), राज्य स्तर के सहकारी विपणन संघ (29) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ शामिल हैं। विपणन संबंधी कार्य-कलापों का विस्तार करने के लिए इस संरचना को सुदृढ़ किया जायेगा।

1983-84 में सहकारी समितियों द्वारा विपणन किये गए कृषि उत्पाद का अनुमानित मूल्य 2500 करोड़ रुपये है और वर्ष 1984-85 के सम्बन्ध में यह मूल्य 2600 करोड़ रुपये होने की आशा है। वर्ष 1985-86 में 2900 करोड़ रुपये के मूल्य के विभिन्न कृषि जिन्सों का विपणन संबंधी एक कार्यक्रम शुरू करने का विचार है।

इस प्रयोजन के लिये किये जाने वाले उपाय ये हैं : सहकारी समितियों के पूंजीगत आधार को सुदृढ़ बनाना, कार्मिकों के प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी प्रचालन क्षमता में सुधार करना, मूल्य समर्थन/विपणन हस्तक्षेप संबंधी कार्यों में बड़े पैमाने पर सहकारी समितियों को शामिल करना और सहकारी समितियों को उनके विपणन संबंधी कार्यों के लिए ऋण की बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराना।

भूमि की अधिक अम्लता के कारण कम पैदावार होना

1641. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भूमि की अधिक अम्लता के कारण कम उत्पादकता वाले विभिन्न राज्यों में ऐसी कुल हेक्टेयर भूमि का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार क्या ब्यौरा है;

(ग) छठी योजना के दौरान भूमि को अधिक अम्लता से बचाने के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र आदि में अम्ल वाली मृदा होने का पता चला है। इस मन्त्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों में अम्ल से प्रभावित क्षेत्र का कोई क्रमबद्ध सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) "सघन क्षेत्रों में क्षार/अम्ल वाली मृदा के सुधार की प्रायोजिक परियोजना" नामक एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान असम, बिहार, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा तथा सिक्किम में और 1976-77 से 1978-79 तक पश्चिमी बंगाल में चल रही थी, और अम्ल वाले लगभग 1.14 लाख हैक्टार क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने के लिए 140.49 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई थी।

लेकिन, राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार 1979-80 से इस योजना को राज्य क्षेत्र को हस्तान्तरण कर दिया गया।

दूरदर्शन के माध्यम से छात्रों को शिक्षा देना

1642. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च कक्षाओं के छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों को दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्चतर शिक्षा पर उपलब्ध किये गये कार्यक्रमों को दूरदर्शन द्वारा सम्पूर्ण दूरदर्शन संजाल पर सभी कालेज कार्य दिवसों को दोपहर पूर्व एक घंटे के लिए टेलीकास्ट किया जाता है तथा दोपहर बाद उतनी ही अवधि के लिए दुबारा टेलीकास्ट किया जाता है। मात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए अनन्य रूप से अभिप्रेत शैक्षणिक कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करने की कोई स्कीम नहीं है।

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी केन्द्र

1643. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए सुनिश्चित ढंग से प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु उक्त राज्य में प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी केन्द्रों के विकास के लिए कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) पश्चिम बंगाल में वर्ष 1985-86 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए क्या लक्ष्य और परिव्यय नियत किया गया है; और

(घ) उसके कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए जिला प्रशिक्षण तथा प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित एक नई योजना है। चूंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

दिल्ली स्कूल टीचर्स को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के मामले

1644. **श्री एम० महफूज अली खान** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के मामलों को एक प्रबन्ध समिति देखती है, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस प्रबन्ध समिति का चुनाव कब हुआ था;

(ख) वर्तमान प्रबन्ध समिति द्वारा कार्यभार संभालने के बाद से इसकी आय और व्यय के मुख्य शीर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सोसायटी के लेखों की विनिर्दिष्ट पद्धति से नियमित रूप से लेखा परीक्षा की जाती है और सोसायटी की सामान्य सभा द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सोसायटी के लेखों की लेखा परीक्षा पिछली बार कब की गई थी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी आवास निर्माण समिति लिमिटेड की प्रबन्धक समिति का चुनाव 17.8.1975 को हुआ था। समिति का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है और सिविल रिट याचिका संख्या 659/77 के अन्तर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशनों के अन्तर्गत प्रबन्धक समिति द्वारा समिति के कार्य किए जा रहे हैं।

(ख) 30.6.1983 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समिति के तुलन पत्र से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध है। आय का मुख्य शीर्ष बैंक में आवधिक जमा पर प्राप्त किया गया ब्याज है। व्यय के मुख्य शीर्ष वेतन, कानूनी व्यय तथा विविध व आकस्मिक मदों पर व्यय, पूंजीगत सम्पत्ति पर मूल्य ह्रास आदि हैं।

(ग) तथा (घ) सहकारी वर्ष 1983-84 तक के समिति के लेखों की नियमित लेखा परीक्षा की गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार 1967 से 1975 तक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट और 30.4.1978 की स्थिति के अनुसार लेखा स्थिति को समिति की आम सभा ने अनुमोदित किया था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्कूल टीचर्स को-ओपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी की भूमि को कब्जा दिया जाना

1645. **श्री एम० महफूज अली खान :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्कूल टीचर्स को-ओपरेटिव सोसायटी लि० का पंजीकरण कब हुआ और इसे दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का कब्जा कब दिया गया;

(ख) सोसायटी को कितनी भूमि आबंटित की गई और इसमें से कितने प्लाट बनाए गए; और

(ग) गैर-अध्यापक सदस्यों सहित इसके सदस्यों की संख्या क्या है (पृथक-पृथक आंकड़े बताये जाएं) ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी आवास निर्माण समिति लिमिटेड 27.3.1961 को पंजीकृत की गई थी। इस समिति को 440 बीघा तथा 5 विस्वा भूमि आबंटित की गई थी और इस भूमि का कब्जा 11.11.1967 को सौंपा गया था। इस आबंटित भूमि में 1031 प्लाट काटे गए हैं।

(ग) पंजीकार, सहकारी समिति दिल्ली द्वारा समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार इस समय समिति में 675 अध्यापक तथा 293 गैर अध्यापक सदस्य हैं।

समाचार-पत्रों तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसारणों में विपक्षी राजनैतिक दलों की गतिविधियों को स्थान देना

1646. **श्री चित्त महाता :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विपक्षी राजनैतिक दलों की गतिविधियों को समाचारपत्रों तथा दूरदर्शन और आकाशवाणी प्रसारणों में पर्याप्त स्थान नहीं दिया जाता जिसके परिणामस्वरूप पाठकों, दर्शकों तथा श्रोताओं को विपक्षी राजनैतिक दलों की गतिविधियों की अधिक जानकारी नहीं मिल पाती; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मिलों को आयातित खाद्य तेल उपलब्ध न होना

1647. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति मिलों को वाणिज्यिक दरों पर कोई आयातित खाद्य तेल नहीं मिलेगा;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में वनस्पति के बिक्री मूल्यों पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) वनस्पति एककों को, उनकी 60% तक की आवश्यकता के लिए आयातित खाद्य तेलों का आबंटन किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) तथापि, देश में वनस्पति के मूल्यों में परिवर्तन नहीं आया है। उत्पादन शुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किए जाने के कारण 19 मार्च, 1985 से इनके मूल्यों में वृद्धि की गई है।

इलैक्ट्रानिकी और कंप्यूटरोनिक्स में शिक्षण प्रदान करना

[हिन्दी]

1648. **श्री हरीश रावत** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का ब्यौरा क्या है जहां पर इलैक्ट्रानिकी और कम्प्यूटरोनिक्स में प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) क्या राज्य सरकारों को उनके यहां स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इलैक्ट्रानिकी और कम्प्यूटरोनिक्स में प्रशिक्षण देने के प्रबन्ध करने की सलाह दी गई है; और

(ग) जिन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ये पाठ्यक्रम अभी तक शुरू नहीं किये गये/लागू नहीं किये गये उनमें ये कब तक शुरू कर दिये जाएंगे ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, (आई० टी० आईज) जहां इलैक्ट्रानिक्स और कम्प्यूट्रोनिक्स में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, के ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए जाते हैं।

(ख) और (ग) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सी० टी० एस०) के अन्तर्गत राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, जो त्रिपक्षीय ढांचे सम्बन्धी एक एपेक्स सलाहकार निकाय है, की सिफारिशों पर श्रम मन्त्रालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अन्य सम्बद्ध नार्म्स/मानदण्ड निर्धारित किये जाते हैं। जब कभी भी किसी नए व्यवसाय को सी० टी० एस० के अन्तर्गत लाया जाता है, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सामान्य अनुदेश जारी किए जाते हैं ताकि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आई० टी० आईज में प्रशिक्षण संचालित करने के बारे में विचार करें। आई० टी० आईज का दिन-प्रतिदिन का प्रबन्ध तत्सम्बन्धी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। किसी एक आई० टी० आई० में एक विशेष व्यवसाय में प्रशिक्षण शुरू करने सम्बन्धी

निर्णय, एक विशेष क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार, जिसमें आई० टी० आई० स्थित है, सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा लिया जाता है। इस स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने सम्बन्धी प्रबन्ध अपनी-अपनी राज्य सरकार संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा किये जाते हैं। जैसा कि संलग्न विवरण से स्पष्ट होगा अधिकांश राज्यों में अनेक आई० टी० आईज में इलैक्ट्रानिकी में पाठ्यक्रम पहले से ही शुरू किये गए हैं। इलैक्ट्रानिक्स में अधिक पाठ्यक्रम और कम्प्यूट्रोनिक्स में नए पाठ्यक्रम शुरू करने सम्बन्धी निर्णय, स्थानीय आवश्यकताओं और पूंजी की उपलब्धता के आधार पर, अपनी-अपनी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा लिया जाता है।

विवरण

उन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का ब्यौरा जिनमें इलैक्ट्रानिक्स तथा कम्प्यूट्रोनिक्स में पाठ्यक्रम हैं।

क्रमांक	राज्य का नाम	उन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या जिनमें निम्नलिखित व्यवसाय हैं		
		मैकैनिक (रेडियो और टी०वी०)	मैकैनिक (जनरल इलेक्ट्रोनिक्स)	डाटा प्रेपरेशन सहायक/कंसोल ऑपरेटर-एवं-प्रोग्रामर सहायक
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	19	6	—
2.	असम	1	—	—
3.	बिहार	4	1	—
4.	गुजरात	13	5	2
5.	हरियाणा	17	4	—
6.	हिमाचल प्रदेश	5	1	—
7.	जम्मू व कश्मीर	2	—	—
8.	कर्नाटक	5	3	—
9.	केरल	31	25	—
10.	मध्य प्रदेश	15	3	—
11.	महाराष्ट्र	20	6	—
12.	मणिपुर	1	—	—
13.	मेघालय	—	—	—

1	2	3	4	5
14.	नागालैण्ड	1	—	—
15.	उड़ीसा	4	—	—
16.	पंजाब	28	6	—
17.	राजस्थान	6	1	—
18.	सिक्किम	—	—	—
19.	तमिलनाडु	10	6	—
20.	त्रिपुरा	—	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	36	21	—
22.	पश्चिम बंगाल	4	1	—
23.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
24.	चण्डीगढ़	1	1	—
25.	दादर व नागर हवेली	—	—	—
26.	दिल्ली	5	6	—
27.	गोवा, दमन व द्वीव	2	2	—
28.	मिजोरम	—	—	—
29.	पाण्डिचेरी	2	—	—
		231	98	2

टिप्पणी :—अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में और लक्षद्वीप में कोई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है।

उत्प्रवासी कामगारों के लिए कल्याण निधि

[अनुवाद]

1649. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश छोड़कर विदेशों में काम करने गये व्यक्तियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन उत्प्रवासी कामगारों के लिए अनिवार्य बीमा लागू करने और कल्याण निधि बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशों काम करने के लिए उत्प्रवासियों, जिन्हें देश छोड़ने की अनुमति दी गई, की संख्या निम्नानुसार है :—

1982	—	2,39,545
1983	—	2,24,995
1984	—	2,05,922

(ख) उत्प्रवासी श्रमिकों के लिए अनिवार्य बीमा योजना को शुरू करने और कल्याण निधि को गठित करने की पद्धति को सम्बन्धित एजेंसियों के साथ परामर्श करके तैयार किया जा रहा है।

गैर-सरकारी मुद्रकों को आबंटित मुद्रण कार्य

1650. **श्री० एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान गैर-सरकारी मुद्रकों को एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का छपाई का काम दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी मुद्रणालय, कर्मचारी और मशीनें काफी समय से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे सरकार को भारी और बेहिसाब नुकसान हो रहा है;

(ग) उक्त कार्य को सरकारी मुद्रणालयों से न कराये जाने के क्या कारण हैं जबकि मुद्रणालयों में अतद्यन मुद्रण मशीनरी उपलब्ध हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाई की गई ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, नहीं। गत 1½ वर्ष के दौरान गैर सरकारी मुद्रकों को दिए गए कार्य की कुल लागत लगभग 48.5 लाख रुपये थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) मुख्य कारण निम्निलिखित हैं :—

(1) कार्य अल्प अवधि में किया जाता था।

(2) सरकारी मुद्रणालयों का अन्य तत्काल तथा महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहना; और

(3) विशिष्ट प्रकृति के कार्य जैसे कि गुरुमुखी मुद्रण, एगमार्क लेवलों आदि का मुद्रण, जिनके लिए सरकारी मुद्रणालयों में सुविधाएं सुलभता से उपलब्ध नहीं थीं।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर-सरकारी फर्मों से छपाई के कागज की स्थानीय खरीद

1651. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान मुद्रण निदेशालय द्वारा गैर सरकारी फर्मों से पांच करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के छपाई के कागज की स्थानीय खरीद की गई;

(ख) यदि हां, तो यह खरीद किन-किन फर्मों से की गई और कुल कितनी राशि की खरीद की गई;

(ग) क्या पिछले दो दशकों के दौरान यह पहली बार है कि छपाई के कागज की बड़ी मात्रा निजी फर्मों से खरीदी गई जबकि पहले इसकी खरीद सरकारी लेखन सामग्री डिपो, कलकत्ता से की जाती थी;

(घ) क्या प्रबन्धकों को घटिया किस्म के कागज को मंजूर करने के लिए मजबूर किया गया;

(ङ) क्या घटिया किस्म के छपाई के कागज के हजारों रिम सरकारी प्रैसों के गोदामों में बेकार पड़े हैं; और

(च) यदि हां, तो क्या इससे सरकार को भारी हानि नहीं हुई है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी हां, कुल 6.6 करोड़ रुपये की खरीद की गई थी।

(ख) जिन फर्मों से खरीद की गई थी और प्रत्येक फर्म से की गई खरीद की राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां। जबकि सामान्य प्रक्रिया यह है कि दर ठेके को आपूर्ति तथा सम्भरण महानिदेशालय अन्तिम रूप देता है तथा भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, कलकत्ता अनुमोदित फर्मों को सप्लाई आदेश जारी करता है, फिर भी 1983-84 के दौरान दर ठेकों को आपूर्ति तथा सम्भरण महानिदेशालय ने अन्तिम रूप नहीं दिया। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार के सभी मुद्रणालयों में कागज़ की भारी कमी हो गई। तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आपूर्ति तथा सम्भरण महानिदेशालय द्वारा स्थानीय खरीद की अनुमति दी गई थी।

मुद्रण निदेशालय के लिए कागज की खरीद की प्रक्रिया, आपूर्ति विभाग (डी० जी० एस० एण्ड डी०) तथा वित्त मंत्रालय की सहमति से निर्धारित की गई थी। खरीद, क्रय समिति के माध्यम से की गई थी जिसमें वित्त प्रभाग का प्रतिनिधि भी शामिल था। डाकतार, रेल विभाग, रक्षा आदि जैसे अन्य सरकारी विभागों में भी इसी प्रकार की खरीद की गई थी।

(घ) कागज की कोटि की जांच करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। प्रक्रिया में सप्लाई को अनुमोदित परीक्षण गृहों में परीक्षण कराने की व्यवस्था है और यदि कागज की कोटि अस्वीकृत पायी जाए तो उसे दूसरे कागज से बदलने की भी व्यवस्था है। प्रबन्धकों को घटिया किस्म के कागज को अनुमोदित करने के लिए दबाव डालने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं। प्राप्त किया गया कागज खत्म हो गया है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

फर्मों की सूची

क्रम सं०	सप्लायर का नाम तथा पता	निर्माता का नाम जिसकी वस्तुओं का सप्लाई के लिए अनुमोदन किया गया	खरीद की राशि
1	2	3	4
1.	मैसर्स श्री रैलासीमा पेपर मिल प्रा० लि० अडोनी, आन्ध्र प्रदेश	अपना उत्पादन	5235422.95
2.	मैसर्स डेल्टा पेपर मिल्स, भीमाभरम, आन्ध्र प्रदेश	—वही—	4159775.78
3.	मैसर्स अपर इण्डिया कॉउपर पेपर मिल, लखनऊ	—वही—	3470912.30
4.	मैसर्स प्रफैक्ट पैक लि०, फरीदाबाद	—वही—	9242339.54
5.	मैसर्स अंसल पेपर लि० बुलन्दशहर (जिला) उ० प्र०	—वही—	6372197.90
6.	मैसर्स विनोद पेपर मिल्स, मलैरकोटला (जिला) पंजाब	—वही—	1736529.00
7.	मैसर्स जे० बी० पेपर मिल्स महेन्द्रगढ़ हरियाणा	—वही—	2680939.29
8.	मैसर्स पेपर एण्ड एलाइड कारपोरेशन, नई दिल्ली	कृष्णा पेपर मिल्स रायबरेली, उ० प्र०	1060371.85
9.	मैसर्स राजधानी पेपर हाउस दिल्ली	प्रताप/संगल/पापाईरस/मैसूर/श्री गोपाल पेपर मिल्स	8475200.90
10.	मैसर्स के० सी० इन्टरप्राइसिस दिल्ली	प्रताप/संगल/टीटागढ़/पापाईरस	4367425.02
11.	मैसर्स प्रेम पेपर मार्ट, दिल्ली	मैसूर पेपर मिल्स	368712.44
12.	मैसर्स वृद्धि चन्द मोनोग्राम जैन, दिल्ली	टीटागढ़ पेपर मिल्स	450888.96

1	2	3	4
13.	मैसर्स ए० के० चौधरी एण्ड कम्पनी, कलकत्ता	इण्डिया पेपर पल्प कम्प० पापाईरस पेपर मिल्स	3664417.53
14.	मैसर्स राजेन्द्र ट्रेडर्स, दिल्ली	जे० बी० पेपर मिल्स	1263255.86
15.	मैसर्स छंगीया कामरशियल कारपोरेशन, कलकत्ता	पापाईरस पेपर मिल्स	4533716.40
16.	मैसर्स रामनाथ एण्ड सन्स, दिल्ली	सरसोहंस पेपर मिल्स	906725.44
17.	मैसर्स ईस्टएण्ड पेपर इन्डस्ट्रीज, कलकत्ता	अपना उत्पादन	7521285.59
		योग :	65510116.75

सातवीं योजना के दौरान मत्स्य पालन विश्वविद्यालय की स्थापना

1652. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं सातवीं योजनावधि के दौरान मत्स्य पालन के लिये एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान् । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने परिषद् के वर्तमान मात्स्यिकी संस्थानों के इर्द-गिर्द एक डीम्ड यूनिवर्सिटी विकसित करने का निर्णय लिया है । इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ, आवश्यक अवस्थापन सुविधाओं, जिनमें मछली फार्म तथा विशेष रूप से बुनियादी और मौलिक विषयों में स्नातकोत्तर और डाक्टोरल कार्यक्रम शामिल है, के द्वारा संस्थानों को उपयुक्त ढंग से सुदृढ़ किया जाएगा। विशेषीकृत श्रेणी के "एडवान्स कोर्स" और अनुसंधान के लिए सभी संस्थानों में जो सुविधाएं और विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, उनका उपयोग किया जाएगा ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) उपरोक्त (क) में दी गई सूचना को ध्यान में रखते हुए, उनका प्रश्न ही नहीं उठता ।

शिक्षा कार्यक्रम के लिए "इन्सैट" के अन्तर्गत आने वाले राज्य

1653. श्री बी० बी० देसाई : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन राज्यों में "इन्सैट" को शिक्षा कार्यक्रमों के लिए प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) सातवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान कितने राज्य इसके अन्तर्गत आ जायेंगे; और

(ग) शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए सभी राज्यों को इन्सैट का कब तक फायदा पहुंचने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) 5-11 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिये शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में स्थित सभी ट्रांसमीटरों द्वारा इन्सेट के माध्यम से सम्बन्धित भाषाओं में सभी स्कूल कार्य दिवसों को रिले किये जा रहे हैं । शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में स्थित ट्रांसमीटरों द्वारा भी इन्सेट के माध्यम से हिन्दी में रिले किये जाते हैं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उच्च शिक्षा पर उपलब्ध किये गये कार्यक्रमों को देश के सभी ट्रांसमीटरों द्वारा इन्सेट के माध्यम से सभी कालेज कार्य दिवसों को रिले किया जाता है । सातवीं योजना के दौरान इन्सेट आधारित शैक्षणिक दूरदर्शन सेवा का विस्तार करने के लिये फिलहाल कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है ।

एकीकृत परिवहन प्राधिकरण की स्थापना

1654. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर परिवहन की समस्या को हल करने के लिए एकीकृत परिवहन प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा बनाई जाने वाली योजनाएं तथा अन्य ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने महानगरों में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के अंश के रूप में एक एकीकृत परिवहन प्राधिकरण गठित करने की सिफारिश की थी । इस बारे में कोई विस्तृत योजना अभी नहीं बनाई गई है ।

देश में कृषि विश्वविद्यालय

[हिन्दी]

1655. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें प्रति वर्ष कितनी राशि या अन्य सहायता दी जाती है और इसके लिये क्या मापदण्ड अपनाये जाते हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : देश में 22 कृषि विश्वविद्यालय हैं ।

संलग्न विवरण में उनके नाम तथा स्थान दिये गये हैं। इन कृषि विश्वविद्यालयों में से 21 (शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, श्रीनगर को छोड़कर) तथा मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर का कृषि कम्पलैक्स, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से VI योजना के दौरान निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत विकास सहायता प्राप्त कर रहे हैं :

(1) कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा विकास

(2) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना;

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं के लिए कुल बजट आबंटन 89.88 करोड़ रु० है। "कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा विकास" से सम्बन्धित योजना के लिए योजना व्यय 50.88 करोड़ रु० है। अलग-अलग विश्वविद्यालयों को निधि का आबंटन 24 स्वीकृत मदों के ऊपर पंचवर्षीय योजना के आधार पर किया जाता है बशर्ते कि अधिकतम रु० 3.00, रु० 2.50, रु० 2.00 तथा रु० 1.50 करोड़ हों जोकि राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या (क्रमशः 1, 2, 3 तथा 4) पर निर्भर करता है।

राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना के लिए योजना व्यय 39.00 करोड़ रु० है। तीन प्रकार की उप प्रायोजनाओं के लिए पांच वर्ष की अवधि में किये जाने वाले कुल खर्च के लिए अलग-अलग विश्वविद्यालयों को निधि का आबंटन किया जाता है जो निम्न प्रकार है :—

1. अनुसंधान निदेशालय को सुदृढ़ करने हेतु प्रशासनिक उप-प्रायोजना।

2. विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर हेतु मूल अनुसंधान उप-प्रायोजना।

3. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना के लिए अनुसंधान उप-प्रायोजना।

राज्यों में जहां एक कृषि विश्वविद्यालय हो वहां पांच वर्षों के लिए कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान की सीमा रु० 5.00 करोड़ होती है। उन राज्यों में जहां एक से अधिक कृषि विश्वविद्यालय हों वहां अनुसंधान समीक्षा दल द्वारा पता लगाई गई अनुसंधान आवश्यकताओं के आधार पर निधि का आबंटन किया जाता है।

विवरण

कृषि विश्वविद्यालयों का नाम तथा स्थान दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	स्थान
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	राजेन्द्रनगर (हैदराबाद)
2.	असम कृषि विश्वविद्यालय	जोरहाट
3.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय	पूसा (समस्तीपुर)
4.	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय	पालमपुर

1	2	3
5.	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय	हिसार
6.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय	हेब्बल (बंगलौर)
7.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय	लुधियाना
8.	जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय	जबलपुर
9.	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय	दन्तीवाड़ा
10.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	श्रीनगर
11.	गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	पन्तनगर (नैनीताल)
12.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	कानपुर
13.	नरेन्द्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	कुमारगंज (फैजाबाद)
14.	विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय	हरिनघट्टा (नाडिया)
15.	केरल कृषि विश्वविद्यालय	मन्नूथी
16.	कोकण कृषि विद्यापीठ	डपोली (रत्नागिरि)
17.	महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ	राहुरी (अहमदनगर)
18.	पंजाब राव कृषि विद्यापीठ	अकोला
19.	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय	परभणी
20.	उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	भुवनेश्वर
21.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय	कोयम्बटूर
22.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	रांची

श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कदम

[अनुवाद]

1656. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल में हुई दुर्घटना के बाद श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय में श्रमिकों की सुरक्षा की निगरानी करने के लिये कोई स्थायी समिति है; और

(ग) यदि हां, तो इस समिति के राज्यों में कार्य स्थितियों के बारे में क्या निष्कर्ष हैं और असफलता के मामलों में समिति द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) भोपाल दुर्घटना के बाद सरकार

खतरनाक और जहरीली प्रक्रियाओं से जोखिमों की समस्याओं के प्रति पूर्णतः सजग है। इसलिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे सभी यूनिटों का तुरन्त सर्वेक्षण करने के लिए "टास्क फोर्स"/विशेषज्ञ ग्रुपों को गठित करें ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जा सकें कि सभी सुरक्षात्मक और निवारक उपायों को अपनाया गया है। सरकार कारखाना अधिनियम, 1948 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिवर्तन करने पर भी विचार कर रही है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अधिक कठोर बनाया जा सके। सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से तकनीकी सहायता पाने के लिये जिन क्षेत्रों का पता लगाया है उनमें अन्य बातों के साथ-साथ खतरनाक विनिर्माण प्रक्रियाओं में, जिनमें रसायन उद्योग भी शामिल हैं, मुख्य जोखिम नियंत्रण पद्धति भी शामिल है, इस समस्या पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मिशन के विशेषज्ञों द्वारा भी तब विचार किया जाएगा जब वे अप्रैल, 1985 में इस काम पर शुरू करेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव प्राधिकारियों और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच मतभेद

1657. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव प्राधिकारियों (दसवां) और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों के बीच तथा महोत्सव से संबद्ध निदेशक और संयुक्त निदेशक के बीच मतभेद था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस मतभेद से उक्त महोत्सव पर क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) विदेशों से कितने लोग आये थे और उनकी यात्रा पर कितनी राशि व्यय की गई;

(घ) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एक उच्च अधिकारी के कुछ मित्रों को विदेश से आमंत्रित किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में, जिससे देश का अपमान हुआ और परिहार्य व्यय हुआ, क्या कार्रवाई की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विदेशों से आये जिन व्यक्तियों ने समारोह में भाग लिया था, उनकी संख्या जूरी के 7 सदस्यों तथा उनके संगियों/अनुरक्षकों को मिलाकर 106 थी। उनकी यात्रा पर 24,16,109.10 रुपए की राशि व्यय हुई।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य को खतरा और जीवन को जोखिम का सामना करना

1658. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 310 लाख से भी अधिक महिला श्रमिकों को अपने स्वास्थ्य के खतरों और जीवन की जोखिम का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में महिला श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) जबकि स्वास्थ्य-जोखिमों का सामना करने वाली महिला श्रमिकों की सही संख्या बताना संभव नहीं है, फिर भी यह सही है कि अधिकांश श्रमिकों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कार्य-पर्यावरण में श्रमिकों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के बारे में सामान्य प्रावधान के अतिरिक्त श्रम कानूनों में महिला श्रमिकों की सुरक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान है। जब कभी श्रम कानूनों के अधीन किसी उल्लंघन को समुचित सरकार के ध्यान में लाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

महानगरों में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे

[हिन्दी]

1659. **डा० ए० के० पटेल :**
श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे महानगरों में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे के अलग-अलग कितने मामले पाए गए हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है और इस नीति के बावजूद इन महानगरों में अलग-अलग गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और अब तक इस वर्ष के दौरान हुए अवैध कब्जे की संख्या कितनी है और क्या सरकार को मालूम है कि कुछ लोग इस तरह की भूमि पर कब्जा करने के लिए प्रायः दूसरों को उकसाते रहते हैं; और

(ग) क्या नवम्बर, 1984 के मध्य से इस वर्ष मार्च के प्रथम सप्ताह तक इस प्रकार के अवैध कब्जा करने के मामलों में अत्यधिक वृद्धि हुई है; और यदि नहीं, तो प्रत्येक नगर में इसमें कितनी वृद्धि हुई है और उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास सहित महानगरीय शहरों में सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत दखल के सम्बन्ध में अखिल भारतीय स्तर पर कोई सूचना संकलित नहीं की गई है।

(ख) सार्वजनिक भूमि से अनधिकृत दखल को हटाने का विषय राज्य सरकार का है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए नीतियां तथा कानून हैं। ऐसे मामले हो सकते हैं, जब किसी व्यक्ति ने दूसरे को सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने के लिए प्रेरित किया हो, ये मामले सम्बन्धित राज्य कानूनों के अन्तर्गत निपटाये जायेंगे।

(ग) यह प्रमाणित करने के लिए कि क्या नवम्बर, 1984 के मध्य से इस वर्ष मार्च के

प्रथम सप्ताह तक सार्वजमिक भूमि पर अनधिकृत दखल की संख्या में असामान्य वृद्धि हुई थी, हमारे पास कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है ।

कर्मचारियों को सरकारी आवास का आबंटन

[अनुवाद]

1660. **श्री मोहन लाल पटेल : क्या निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के कितने प्रतिशत कर्मचारियों को अब तक दिल्ली में सरकारी आवास आबंटित किए गए हैं;

(ख) सरकार द्वारा और अधिक कर्मचारियों को आवास प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जिन सरकारी कर्मचारियों ने सामान्य पूल आवास की मांग की थी उनमें से 44.64 प्रतिशत को 1-1-1985 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में सरकारी क्वार्टर आबंटित कर दिए गए हैं ।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त निर्माण कार्यक्रम हाथ में लेने तथा रिहायशी आवास को बढ़ाने का सरकार का विचार है । तथापि, ब्यौरों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

बड़े तथा छोटे औद्योगिक एककों की रुग्णता के कारण बेरोजगार हुए श्रमिक

1661. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1983 तक 40 बड़े औद्योगिक एककों तथा 8111 छोटे औद्योगिक एककों की रुग्णता के कारण बेरोजगार हुए कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन श्रमिकों को भूख तथा भुखमरी से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) से प्राप्त सूचना के अनुसार, औद्योगिक रुग्णता के कारण बेरोजगार हुए श्रमिकों की संख्या के बारे में सूचना नहीं रखी जाती । उद्योग मंत्रालय से सूचना रखने के लिए कहा जा रहा है ।

श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा संबंधी उपाय

1662. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों में सुधार के लिए तैयार किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनके क्रियान्वयन में क्या पगति हुई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) हाल ही में तैयार किए गए प्रस्तावों के ब्यौरे तथा उन्हें कार्यान्वित करने की प्रगति निम्नानुसार है :—

(i) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन सभी पेंशनभोगी परिवारों के लिए 1.4.85 से 60 रुपये से 90 रुपए तक प्रतिमाह अनुपूरक वृद्धियां मंजूर की गई हैं; और

(ii) यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सदस्यों के लिए मकान बनाने के लिए उनकी भविष्य निधि में से वित्तीय सहायता दी जाए। प्रारम्भ में, विभिन्न भवन निर्माण एजेंसियों के माध्यम से दिल्ली और इसके आस-पास 1000 मकान बनाए जायेंगे, जिसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपेक्षित धनराशि पेशगी के रूप में देगा।

सातवीं योजना के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज सहायता

1663. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति परिवार राज सहायता को यथेष्ट रूप से बढ़ाये जाने की सम्भावना है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह निर्णय राज्यों के ग्रामीण विकास के प्रभारी मंत्रियों के दो दिवसीय सम्मेलन के बाद लिया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या बैठक में यह निर्णय भी किया गया था कि सातवीं योजना में विस्तार के बजाय इसके कारगर कार्यान्वयन पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो सम्मेलन में अन्य क्या निर्णय किए गए और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

ग्रामीण विकास के प्रभारी राज्य-मन्त्रियों के 4 तथा 5 सितम्बर, 1984 को नई दिल्ली में हुए दो दिवसीय सम्मेलन में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रगति तथा कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा की गई थी। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में सम्मेलन द्वारा दी गई विस्तृत सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(1) कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया हेतु सुदृढ़ आधारभूत ढांचे की आवश्यकता है, लोगों की भागीदारी तथा सरकारी और गैर-सरकारी लोगों का प्रशिक्षण भी इन कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन हेतु महत्वपूर्ण है। पंचायती-राज तथा प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

(2) लाभार्थियों का चयन ध्यानपूर्वक और सावधानी से किया जाना चाहिए, ताकि चयनित परिवारों को वास्तविक लाभ मिल सके और आखिरकार वे गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें। ऋणों की अदायगी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि ऋणों की मंजूरी।

(3) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के एक मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन के अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए कि निर्णय-कार्य स्थायी स्वरूप के हों।

(4) अधिकारियों द्वारा खण्डों के नियमित क्षेत्रीय दौरों तथा निकट से निगरानी द्वारा अधिक वास्तविक परिणाम प्राप्त हो सकेंगे।

सम्मेलन की सिफारिशें राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों, जो इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे हैं, को उचित कार्रवाई करने हेतु भेज दी गई है।

न्यायालयों में भूमि की अधिकतम सीमा के लम्बित पड़े मामले

1664. **श्री चित्त महाता** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न न्यायालयों में भूमि की अधिकतम सीमा के कितने मामले लम्बित पड़े हैं; और

(ख) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, भूमि की अधिकतम सीमा कानूनों के अन्तर्गत पूरे देश में लगभग 16.05 लाख एकड़ क्षेत्र मुकदमेबाजी में फंसा हुआ है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस विभाग ने समय-समय पर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है कि वे न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु तेजी से कार्रवाई करें।

विवरण

1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	5,04,329
2. असम	76,000
3. बिहार	90,000
4. गुजरात	94,463
5. हरियाणा	28,000
6. हिमाचल प्रदेश	24,836
7. जम्मू तथा काश्मीर	—
8. कर्नाटक	1,76,000

1	2
9. केरल	28,157
10. मध्य प्रदेश	90,856
11. महाराष्ट्र	91,462
12. मणिपुर	165
13. मेघालय	—
14. नागालैंड	—
15. उड़ीसा	24,380
16. पंजाब	59,711
17. राजस्थान	68,455
18. सिक्किम	—
19. तमिलनाडु	21,106
20. त्रिपुरा	68
21. उत्तर प्रदेश	47,876
22. पश्चिम बंगाल	1,81,426
केन्द्र शासित क्षेत्र	
23. अंदमान तथा निकोबार दीप समूह	
24. अरुणाचल प्रदेश	
25. चंडीगढ़	
26. दादरा तथा नगर हवेली	2,179
27. दिल्ली	153
28. गोवा दमन तथा द्वीव	
29. लक्षद्वीप	
30. मिजोरम	
31. पांडिचेरी	1,248
	16,05,872

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की कीमत

1665. श्री चित्त महाटा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय शहरी क्षेत्रों में भूमि की कीमतें ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा है और इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में भूमि की कीमतें अधिक हैं। तथापि, इस सम्बन्ध में न तो अखिल भारतीय आधार पर और न ही राज्य स्तर पर कोई तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध हैं।

पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या

1666. **श्री चित्त महाटा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980, 1981, 1982, 1983 और 1984 में रोजगार कार्यालयों में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक कितने लोगों के नाम पंजीकृत किए गए; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस संख्या को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) प्रत्येक वर्ष के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज नौकरी चाहने वालों की संख्या (यह अनिवार्य नहीं कि उनमें से सभी बेरोजगार हों) नीचे दर्शाई गई हैं :

निम्नलिखित के अन्त में	संख्या (लाखों में)
1980	162.0
1981	178.4
1982	197.5
1983	219.5
1984	235.5

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, रोजगार को नीति के प्रत्यक्ष केन्द्रीय बिन्दु के रूप में माना जाना है। योजना में एक राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम होगा, जो लक्ष्य ग्रुपों को सम्मिलित करेगा जिसमें शिक्षित बेरोजगार शामिल होंगे। रोजगार योजनाओं के साथ सेक्टरल उत्पादन योजनाओं के एकीकरण के माध्यम से लाभकारी रोजगार के सृजन पर और चालू रोजगार कार्यक्रमों के विस्तार पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अपेक्षित प्रशिक्षण, ऋण, विपणन और संगठनात्मक संयोजनों द्वारा समर्थित आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य कार्यकलापों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्कीमों को जारी रखा जाएगा।

खाद्य तेलों के आयात को कम करने का प्रस्ताव

1667. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तिलहन के उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए खाद्य तेलों के आयात को कम करने का विचार है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार वनस्पति निर्माताओं को यह सुझाव देने का है कि वे आयातित खाद्य तेलों की बजाय स्वदेशी उत्पादन पर निर्भर करें; और

(ग) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में खाद्य तेलों का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) सरकार द्वारा आयात की जाने वाली मात्रा का निर्णय, देश में देशी तेलों के उत्पादन तथा इनकी मांग जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर किया जाता है।

(ख) वनस्पति उद्योग को, आयातित खाद्य तेलों का आबंटन घटाकर उनकी आवश्यकता के 60 प्रतिशत तक कर दिया गया है। उद्योग को शेष तेल देशी स्रोतों से खरीदना होता है।

(ग) वित्तीय वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान खाद्य तेलों की आयात की गई मात्रा और उस पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है :

वित्तीय वर्ष	आयात की गई मात्रा (लाख मी० टन में)	मूल्य (करोड रुपयों में)
1982-83	9.80	418.00
1983-84	14.09	846.00
1984-85 (अप्रैल, 84-फरवरी, 85) (अनन्तिम)	14.70	1219.00

कर्नाटक की विस्तृत बागवानी योजना

1668. **श्री वी० एम० कृष्ण अय्यर** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार द्वारा केन्द्र को एक विस्तृत बागवानी योजना भेजी गई थी;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) क्या सरकार का इसे जल्द मंजूर करने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) कर्नाटक में समेकित बागवानी विकास से संबंधित परियोजना 13 फरवरी, 1985 को प्राप्त हुई है।

(ग) भारत सरकार इस परियोजना पर विचार कर रही है।

रोजगार कार्यालयों में दर्ज कुशल और अर्धकुशल लोगों की संख्या

1669. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 84 और 1 जनवरी, 85 को रोजगार कार्यालयों में दर्ज कुशल और अर्ध-कुशल लोगों की संख्या कितनी थी;

(ख) उनमें से कितने लोगों को उक्त अवधि के दौरान रोजगार प्रदान किया गया और उनकी प्रतिशतता क्या थी; और

(ग) क्या 1985-86 के दौरान और अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई विशेष उपाय किये गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) 31.12.83 और 31.12.84 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज कुशल/अर्ध-कुशल और अकुशल नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या (यह अनिवार्य नहीं कि उनसे सभी बेरोजगार हों) नीचे दर्शायी गई है :

संख्या (लाखों में)

निम्नलिखित के अनुसार	कुशल/अर्ध-कुशल	अकुशल
31.12.83	10.40	45.18
31.12.84 (अनन्तिम)	10.84	43.96

40 रोजगार कार्यालयों से सूचना प्राप्त न होने के कारण 1984 में चालू रजिस्टर पर दर्ज अकुशल व्यक्तियों की संख्या में कमी हुई ।

(ख) 1984 के दौरान रोजगार कार्यालयों द्वारा भरी गई रिक्तियों की संख्या से संबद्ध उपलब्ध सूचना और 31.12.83 को चालू रजिस्टर पर दर्ज व्यक्तियों की संख्या में उनकी प्रतिशतता निम्न प्रकार से है :

(लाखों में)

	1984 के दौरान भरी गई रिक्तियां (अनन्तिम)	31.12.83 को चालू रजिस्टर पर दर्ज व्यक्तियों की संख्या की प्रतिशतता (अनन्तिम)
कुशल/अर्ध-कुशल	0.28	2.7
अकुशल	1.63	3.6

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, रोजगार को नीति के प्रत्यक्ष केन्द्रीय बिन्दु के रूप में माना जाना है । योजना में एक राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम होगा जो विशेष लक्ष्य ग्रुपों

को सम्मिलित करेगा जिसमें शिक्षित बेरोजगार शामिल होंगे। रोजगार योजनाओं के साथ सैक्टरल उत्पादन योजनाओं के एकीकरण के माध्यम से लाभकारी रोजगार के सृजन पर और चालू रोजगार कार्यक्रमों के विस्तार पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, अपेक्षित प्रशिक्षण, ऋण, मार्किटिंग और संगठनात्मक संयोजनों द्वारा समर्थित आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य कार्यकलापों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिये स्कीमों को जारी रखा जाएगा। 1985-86 के दौरान इन उपर्युक्त उपायों द्वारा और अधिक व्यक्तियों को लाभ होगा।

श्रमिक बल की कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा स्वीकृत सिफारिशों का कार्यान्वयन

1670. **श्री धर्म पाल सिंह मलिक :** क्या श्रम मंत्री विश्व श्रमिक बल की कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन द्वारा स्वीकृत संकल्पों और सिफारिशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में 25 जुलाई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 341 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा स्वीकृत संकल्पों और सिफारिशों की जांच की है और उनके कार्यान्वयन का निर्णय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह मामला किस स्थिति में है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सम्मेलन में स्वीकृत सभी संकल्प और सिफारिशें सदस्य देशों के लिए मार्गदर्शी रूपरेखा के स्वरूप में हैं, सिवाय अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के मामले में, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संविधान के अंतर्गत कुछ दायित्वों पर जोर डालते हैं। जून, 1984 में हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने केवल एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक अर्थात रोजगार नीति सिफारिशें संख्या 169 को स्वीकार किया। सरकार ने सम्बन्धित पक्षकारों को इस सिफारिश का मूलपाठ परिचालित किया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आगे कार्यवाही करने के लिए दृष्टिकोण/विचारों को प्राप्त किया जा सके।

हड़तालों के बारे में त्रिपक्षीय सम्मेलन

1671. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह हड़तालों और तालेबन्दियों के बारे में विलम्बन-काल (मोरटोरियम) प्राप्त करने के लिए एक त्रिपक्षीय सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में आमंत्रित किये जाने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सम्मेलन 1983 में हुई राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा लिये गये निर्णयों पर भी विचार करेगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय खाद्य निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

1672. प्रो० मनोरंजन हाल्दर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के सभी कार्यालय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित कोटे का अनुपालन नहीं कर रहे हैं; और

(ख) भारतीय खाद्य निगम के प्रत्येक कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं और उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी कितने हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के सभी कार्यालय, सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षणों के सम्बन्ध में जातीय (कम्युनल) रोस्टर रख रहे हैं। भर्तियां/पदोन्नतियां संगत नियमों के अनुसार की जाती हैं।

(ख) भारतीय खाद्य निगम के मुख्यालय और अंचल-वार अन्य कार्यालयों में पहली जनवरी 1985 को कुल कर्मचारियों की संख्या और उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

कार्यालय	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या
मुख्यालय	1,793	261	59
पूर्वी अंचल	17,770	1,754	807
दक्षिणी अंचल	15,718	3,916	331
उत्तरी अंचल	26,625	6,783	399
पश्चिमी अंचल	10,864	1,650	536

होटलों तथा अन्य उद्योगों में बच्चों का शोषण

1673. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में होटलों तथा अन्य उद्योगों में काफी संख्या में बच्चों को रोजगार दिया जा रहा है तथा उनका शोषण किया जा रहा है;

(ख) क्या ऐसे बच्चों की संख्या तथा उनके काम करने के हालत का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) क्या सरकार का कानून बनाकर बाल रोजगार पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में होटलों तथा अन्य उद्योगों में बच्चों को नियोजित किया जाता है। भारतीय उद्योगों में, जिनमें होटल, रेस्तरां और भोजनालय शामिल हैं, श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा वर्ष 1979 में द्रुत (रेपिड) सर्वेक्षण किया गया था।

(ग) और (घ) हालांकि देश में विद्यमान सामाजिक, आर्थिक दशाओं को देखते हुए बाल श्रम को निकट भविष्य में पूर्णतः समाप्त करना सम्भव नहीं हो सकता, फिर भी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सतत् प्रयत्नशील रही है कि जिन बालकों को परिस्थितिवश मजबूरन काम करना पड़ता है, उनका शोषण न हो सके और वे स्वास्थ्य तथा स्वच्छता की बेहतर दशाओं में काम कर सकें। सरकार ने काम-काजी बच्चों के कल्याण से सम्बन्धित परियोजनाएं बनाई हैं जिन्हें इस क्षेत्र में काम कर रही विभिन्न एजेन्सियों द्वारा लागू किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बाल श्रम संबंधी समिति की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार को बाल श्रम से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में सलाह देने के लिए बाल श्रम संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड गठित किया गया है। राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य तथा जिला स्तर पर बाल श्रम संबंधी बोर्डों का गठन करें।

श्रम मंत्रियों के गत सम्मेलन के निर्णय के अनुसार, राज्य श्रम मंत्रियों की एक समिति गठित की गई है जो रोजगार में आने के लिए बालकों की न्यूनतम आयु तथा बाल श्रमिकों के बारे में व्यापक विधान बनाने के मसले की जांच करेगी।

केरल में नारियल के पेड़ों को प्रभावित करने वाला नया रोग

1674. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक नया रोग फैल रहा है, जिससे नारियल के पेड़ प्रभावित हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस रोग को फैलने से तुरन्त रोकने के लिए उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) केरल में नारियल के पेड़ों को प्रभावित करने वाले एक नए रोग का पता चला है।

(ख) उपचारात्मक कार्यवाही रोग के स्रोत आदि के संबंध में किए जा रहे अध्ययनों/अनुसंधानों के परिणामों पर निर्भर करेगी।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

1678. **श्री सी० डी० गामित** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982 से 1984 की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं अर्थात् चावल, गेहूं, मोटे अनाजों, दालों, चीनी, चाय, खाद्य तेलों, साबुन, मोटे कपड़े और मिट्टी के तेल आदि के मूल्यों में हुई वृद्धि का वार्षिक ब्यौरा क्या है;

(ख) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार आवश्यक वस्तुओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाएगी; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों ही लोगों को आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही हैं । सरकारी नीति में मुख्य बल आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर जो कम मात्रा में उपलब्ध हैं, का उत्पादन बढ़ाने पर दिया गया है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है और उसमें सुधार लाया जा रहा है । कुछ आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की अनुपूर्ति आयात द्वारा की जाती है । आवश्यक वस्तुओं का निर्यात विनियमित किया गया है । राज्य सरकारें, जमाखोरों और चोरबाजारियों तथा अन्य असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम और ऐसे ही कानूनों के उपबंधों को लागू कर रही है ।

विवरण

चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक

(आधार 1970-71 = 100)

	वार्षिक औसत		
वस्तु	1982	1983	1984
1	2	3	4
चावल	247.5	290.1	275.6
गेहूं	203.4	223.1	211.7
ज्वार	223.7	236.1	243.6
बाजरा	221.6	233.2	213.8
चना	314.6	298.8	453.9
अरहर	304.7	373.1	359.7
मूंग	305.3	320.6	405.3
मसूर	326.8	316.3	410.4

1	2	3	4
उड़द	263.2	320.3	383.6
आलू	146.7	203.6	181.5
प्याज	335.9	405.4	339.0
वनस्पति	254.5	255.5	268.3
मूंगफली का तेल	275.4	309.8	329.9
सरसों का तेल	245.8	280.3	292.6
नारियल का तेल	214.4	305.3	486.3
जिंजली का तेल	265.5	288.8	312.9
दूध	225.9	243.0	266.0
मछली	429.8	451.6	433.8
मांस	358.0	376.5	409.2
चीनी	235.9	227.2	241.2
गुड़	281.1	316.2	379.5
मिट्टी का तेल	321.4	345.1	345.0
कोक	431.2	463.5	572.9
आटा	208.7	230.9	222.8
लाल मिर्च	189.6	120.6	238.9
चाय	264.5	407.0	494.2
दियासलाइयां	129.0	129.0	129.0
नमक	228.2	212.0	233.1
साबुन	236.3	255.9	310.4
सूती कपड़ा (मिल का)	241.1	250.9	254.9
हथकरघा व बिजली करघा का कपड़ा	212.7	226.6	240.0

चीनी का उत्पादन और खपत

1679. श्री सी० डी० गामित : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से 1984 तक की अवधि के दौरान देश में चीनी के उत्पादन और उपभोग के वार्षिक आंकड़े क्या हैं; और

(ख) क्या फालतू चीनी का विदेशों को निर्यात किए जाने की कोई नीति बनाई गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) चीनी वर्ष 1980-81 से 1983-84 के दौरान चीनी के उत्पादन और खपत के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(आंकड़े लाख मीटरी टन में)

चीनी वर्ष	उत्पादन	खपत
1980-81	51.48	49.89
1981-82	84.38	57.11
1982-83	82.32	64.79
1983-84	59.16	75.70

(ख) अब तक यह निर्णय लिया जा चुका है कि पंचांग वर्ष 1985 के दौरान लगभग 28,000 मीटरी टन के ई० ई० सी० और यू० एस० अधिमानी कोटों सहित लगभग 34,000 मीटरी टन चीनी का निर्यात किया जाए।

गुजरात द्वारा भेजी गई ग्रामीण सड़क विकास योजना

1680. **श्री सी० डी० गामित : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात में गांवों के विकास हेतु एक ग्रामीण सड़क विकास योजना केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन हेतु भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना के अन्तर्गत कितने किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़क बनाने का प्रस्ताव है तथा उन पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(ग) भारत सरकार द्वारा इस योजना के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है तथा मंजूर की गई राशि में से वास्तव में अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) भारत सरकार द्वारा बकाया धनराशि कब तक दे दिये जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ) गुजरात सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए चार परियोजनाएं भेजी हैं जिनमें से अब तक तीन परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गयी हैं। स्वीकृत परियोजनाओं में 1225.70 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली 1329 किलोमीटर लम्बी सभी मौसमों में काम आने वाली सड़कों का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। चौथी परियोजना में 802.32 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली 796 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण-कार्य शामिल है। यह परियोजना भारत सरकार के विचाराधीन है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अलग-अलग परियोजनाओं के लिए निधियां बंटित नहीं की

जाती हैं बल्कि राज्य सरकार के लिए संपूर्ण आबंटन दो किस्तों में मुक्त कर दिया जाता है जिसमें सभी स्वीकृत परियोजनाओं पर होने वाला व्यय शामिल होता है। वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के लिए गुजरात को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1625.00 लाख रुपये की निधियां मुक्त की गयी थीं जिनमें से राज्य सरकार द्वारा 1074.19 लाख रुपये का व्यय होने की सूचना दी गई है।

कृषि मूल्य आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में कृषकों को गेहूं के बीज रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराने की सिफारिश

1681. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं की अधिक उपज देनें वाली किस्मों के मूल्य अधिक होने के कारण मध्य प्रदेश तथा बिहार के अधिकांश किसानों द्वारा कृषि के विकसित तरीके न अपनाए जाने को ध्यान में रखते हुए कृषि मूल्य आयोग ने वर्ष 1984-85 के रबी सीजन के लिए अपने प्रतिवेदन में गेहूं के बीजों पर 150 रु० तक का अनुदान देने की सिफारिश की है;

(ख) क्या सरकार ने कृषि मूल्य आयोग की इस सिफारिश पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां। कृषि मूल्य आयोग ने वर्ष 1984-85 की रबी फसलों के लिए मूल्य नीति सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश तथा बिहार में गेहूं के बीजों का वितरण करने के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की राज-सहायता देने की सिफारिश की है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रस्ताव के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

कम लागत के मकानों के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को राशि आबंटन

1682. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में कम लागत के मकानों का निर्माण करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि दी;

(ख) किन क्षेत्रों के लिए कम लागत के मकानों का निर्माण करने के लिए उक्त धनराशि दी गई थी;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार उक्त मकानों का निर्माण किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो अभी कितने मकानों का निर्माण होना बाकी है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (घ) आवास राज्य का विषय है। केन्द्रीय सहायता 'समेकित ऋणों' एवं 'समेकित अनुदानों' के रूप में दी जाती है जो किसी विशेष योजना या विकास शीर्ष से जुड़ी नहीं होती है। राज्य सरकारें अपनी-अपनी आवश्यकताओं एवं योजना की प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न सामाजिक आवास योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

आदिवासी क्षेत्रों में बनाए गए कम लागत के मकान

1683. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में बनाये गये कम लागत के मकानों में से कितने कमान अब तक आबंटित किये जा चुके हैं;

(ख) क्या इन सभी मकामों में आबंटी रह रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (ग) आवास राज्य का विषय है और समाज के किसी विशेष वर्ग के लिए या किसी विशेष क्षेत्र में मकान बनाने और आबंटन करने के बारे में निर्णय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लिया जाता है।

सामाजिक आवास योजना आरम्भ करने के लिए राज्य को ऋण

[अनुवाद]

1684. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय सामाजिक आवास योजना आरम्भ करने के लिए विभिन्न राज्यों को ऋण मंजूर करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी राशि के ऋण मंजूर किये गए;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने उस राज्य को मंजूर किये गये ऋण की राशि बढ़ाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो 1985-86 में सामाजिक आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा को कितनी राशि मंजूर किये जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (ग) आवास राज्य का विषय है। केन्द्रीय सहायता राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समस्त निधियों की उपलब्धता के आधार पर समेकित ऋणों और समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी विशेष योजना या विकास शीर्ष से जुड़ी नहीं होती है।

(घ) वर्ष 1985-86 के लिए आबंटनों को अन्तिम रूप अभी दिया जाना है।

स्वरोजगार योजना

1685. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने कोई स्वरोजगार योजना आरम्भ की है;

(ख) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण की सुविधा दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; जहां ये योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं; और

(घ) सरकार ने उक्त योजना को सफल बनाने हेतु क्या उपाय किये हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए रोजगार कार्यालयों/विश्व विद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए श्रम मन्त्रालय सितम्बर, 1983 से एक केन्द्रीय प्लान स्कीम का कार्यान्वयन करता रहा है।

(ख) इस स्कीम के अन्तर्गत कोई प्रशिक्षण सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। तथापि, रोजगार कार्यालय स्वरोजगार के लिए और विभिन्न वर्तमान प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण लेने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रेरित करते तथा भेजते हैं।

(ग) यह स्कीम 23 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों नामतः आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, गोवा, दमन और दीव, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वयनाधीन है।

(घ) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं और इस स्कीम की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए लगातार मानीटरिंग की जा रही है।

भारतीय खाद्य निगम में भंडारण के समय चने की हानि

1686. **प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम की साइलों में चने का भंडारण करते समय उसकी 12 से 15 प्रतिशत ग्राम तक की मात्रा की हानि हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस हानि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम के साइलों में चने का भण्डारण नहीं किया जाता है, अतः हानि होने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल को चावल का आबंटन

1687. श्री एस० कृष्ण कुमार : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केरल जैसे कमी वाले राज्यों को केन्द्रीय पूल से चावल के आबंटन की किस्म और मात्रा के संबंध में सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने चावल की कमी वाले राज्यों को चावल के मासिक आबंटन के निर्धारण में जनसंख्या में वृद्धि और अनिश्चित उत्पादन के कारण मांग में हुई वृद्धि को ध्यान में रखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कमी वाले राज्यों के राज्य नागरिक पूर्ति निगमों को चावल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को बढ़ाने के लिए फालतू चावल वाले राज्यों को खुले बाजार में चावल खरीदने की अनुमति देता है; यदि नहीं तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से केरल को घटिया किस्म के चावल की पूर्ति के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) केरल सहित विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय भण्डार से चावल के आबंटन, केन्द्रीय भण्डार में स्टाक की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं, बाजार उपलब्धता और अन्य समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मास के आधार पर किए जाते हैं । ये आबंटन केवल अनुपूरक स्वरूप के होते हैं । सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्न पी० एफ० ए० सीमाओं के अन्तर्गत उत्तम औसम किस्म के अनुरूप होने चाहिएं ।

(ग) राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को केन्द्रीय सरकार की विशिष्ट अनुमति लिए बिना खुले बाजार से चावल की अन्तर्राष्ट्रीय खरीदारी करने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि उनके द्वारा बड़े पैमाने पर खरीदारी करने से अधिशेष खाद्यान्न वाले राज्यों में बाजार उपलब्धता और मूल्यों पर और केन्द्रीय पूल के लिए की जाने वाली वसूली पर प्रभाव पड़ सकता है ।

(घ) केरल सरकार ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री को लिखे दिनांक 19 मार्च और 21 मार्च, 1985 के पत्रों द्वारा अनुरोध किया है कि उन्हें पंजाब के सुपरफाइन सेला चावल, जिसे पकाने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, की बजाय आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से बेहतर किस्म के चावल का आबंटन किया जाए ।

(ङ) स्टाक की उपलब्धता और परिचालन सम्बन्धी बाधाओं को देखते हुए, केरल को आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक सहित विभिन्न स्रोतों से चावल सप्लाई किया जा रहा है । भारतीय खाद्य निगम ने भी अपने संबंधित यूनिटों को बेहतर किस्म का चावल भेजने की सलाह दी है ।

"मच पेस्टीसाइड्स" शीर्षक से समाचार

1688. श्री के० प्रधानी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 13 मार्च, 1985 के "स्टेट्समैन" नई दिल्ली में "मच पैस्टीसाइड्स इनसाइड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कीटनाशकों और उनके अवशिष्टों के मनुष्यों और पशुओं पर घातक प्रभाव के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं और जब तक उनके प्रभाव का खतरा न्यूनतम न हो जाये तब तक कीटनाशकों के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के दीर्घावधि आधार पर क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद और औद्योगिक विषाक्तता विज्ञान अनुसंधान कैन्द्र, लखनऊ जैसे विभिन्न संगठनों ने कीटनाशी दवाइयों के हानिकारक प्रभावों और मनुष्यों तथा पशुओं में उनके अवशेषों के विभिन्न पहलुओं पर कतिपय अध्ययन किए हैं।

(ग) उपर्युक्त विभिन्न संगठनों द्वारा दिए गए अध्ययनों से पता चला है कि मनुष्यों और पशुओं में आंगनो-क्लोरीन योगों विशेषकर डी० डी० टी० के अवशेष मौजूद हैं। फिर भी, उन अध्ययनों से संकेत मिलता है कि मनुष्यों के एडीपोज-टिशु में ऐसे अवशेष दिन-प्रतिदिन कम हो रहे रहे हैं। तथापि कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) ने एक समिति गठित की है, जो आंगनो-क्लोरीन योगों सहित ऐसी कीटनाशी दवाइयों की समीक्षा करेगी जिन पर विकसित देशों में प्रतिबन्ध लगा हुआ है। जिनका प्रयोग धीरे-धीरे बन्द किया जा चुका है, लेकिन इस दिशा में उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। यह समीक्षा यह सिफारिश करने के लिए की जायेगी कि उक्त कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग जारी रखा जाये या धीरे-धीरे बन्द कर दिया जाए।

भारतीय भाषाओं में विदेशों के लिए प्रसारण

1689. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों के लिए प्रसारण में आकाशवाणी द्वारा कौन-कौन-सी भारतीय भाषाओं का उपयोग किया जाता है;

(ख) ऐसे प्रसारण शुरू करने के मानदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में केरल वासी लोगों की बड़ी संख्या देखते हुए मलयालम भाषा विदेशी प्रसारण करने की अत्यन्त आवश्यकता है; और

(घ) क्या सरकार मलयालम भाषा में विदेशों के लिए प्रसारण हेतु केरल में एक "शार्टवेव ट्रांसमीटर" लगाने पर विचार करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) (क) : भाषाएं हैं बंगला, गुजराती, हिन्दी, कोंकणी, पंजाबी, सिन्धी, तमिल और उर्दू।

(ख) समुद्रपारीय प्रसारण विदेशों के लक्ष्य श्रोताओं के लिए होते हैं। भारतीय भाषाओं के प्रसारणों के मामले में, भारतीय मूल के विदेशों में बसे हुए लोगों को मुख्य लक्ष्य स्रोता समझा जाता है।

(ग) और (घ) खाड़ी देशों/पश्चिमी एशिया में भारतीय कर्मकारों और व्यावसायिक व्यक्तियों के लिए आकाशवाणी द्वारा मई, 1984 से शुरू की गई विशेष मिश्रित सेवा में मलयालम संगीत कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। मलयायम में नियमित विदेश सेवा प्रसारण शुरू करने के प्रश्न पर विचार के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने तक प्रतीक्षा करनी होगी। तो भी इस प्रकार की सेवा शुरू करने का जब भी निर्णय लिया जाता है, उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि शार्ट-वेव ट्रांसमीटर केरल में ही लगाया जाए।

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें

[हिन्दी]

1690. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 1984 के दौरान कितनी बैठकें हुई;

(ख) उक्त बैठकों में क्या संकल्प पारित किए गए; और

(ग) उक्त संकल्पों के कार्यान्वियन संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की 1984 के दौरान दो बैठकें हुई।

(ख) और (ग) समिति ने इन बैठकों में कोई संकल्प पारित नहीं किया। तथापि, समिति ने मंत्रालय और उसके अधीनवर्ती कार्यालयों में सरकारी काम-काम में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की और राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किए गए वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वियन पर बल दिया।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सामाजिक आवास योजना पर व्यय एवं उपलब्धियां

[अनुवाद]

1691. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 से 1985 तक की छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र और राज्य क्षेत्र में सामाजिक आवास योजना के लिए योजना परिव्यय और वास्तविक लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक रूप में कितना कम किया गया और क्या उपलब्धियां हुई; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान भारत के अन्य राज्यों में कार्यनिष्पत्ति की तुलना में पश्चिम बंगाल में क्या कार्यनिष्पत्ति रही ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) आवास राज्य का विषय है। केन्द्रीय सहायता राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को समेकित ऋणों एवं समेकित अनुदानों के रूप में दी जाती है जो किसी योजना विशेष या विकास शीर्ष से जुड़ी नहीं होती है।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र में केवल एक सामाजिक आवास योजना अर्थात् बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना है। 31-12-84 तक इस योजना से सम्बन्धित पश्चिम बंगाल का कार्य निष्पादन 107.7 प्रतिशत के समूचे कार्य-निष्पादन की तुलना में 83.9 प्रतिशत रहा है जो इस कारण से है कि इससे पहले आरम्भ किए गए आवासों का निर्माण कार्य की छठी योजना अवधि के दौरान पूर्ण किया गया था।

जहां तक राज्य क्षेत्र में योजनाओं का सम्बन्ध है, 28-2-1985 तक 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल की गई योजनाओं के बारे में समग्र उपलब्धि, जिसके लिए प्रगति का प्रबोधन किया जाता है, की तुलना में राज्य का कार्य-निष्पादन (प्रतिशतता में) भारत सरकार द्वारा इस प्रकार दिया गया है :

	समग्र कार्य-निष्पादन (प्रतिशत)	पश्चिम बंगाल का कार्य-निष्पादन (प्रतिशत)
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास	49.51	3.34
आवास स्थल तथा निर्माण सहायता योजना		
(i) आवास स्थलों का आबंटन	78.07	62.92
(ii) निर्माण सहायता	50.49	64.87

उड़ीसा में सम्बलपुर में आकाशवाणी केन्द्र के लिए समाचार यूनिट का गठन

1692. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा सरकार को उड़ीसा में सम्बलपुर में आकाशवाणी केन्द्र के लिए एक पृथक समाचार यूनिट गठित करने का आश्वासन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पिछड़े क्षेत्रों में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

1693. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने को प्राथमिकता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना अवधि के दौरान उड़ीसा के कितने पिछड़े जिलों में इस प्रकार के दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किए गए हैं; और

(ग) उड़ीसा के फूलबनी जिले में दूरदर्शन की सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) छठी योजना अवधि के दौरान, देश के कई पिछड़े जिलों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध की गई है। इस समय उड़ीसा के 9 पिछड़े जिलों के भागों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध है। क्षेत्र का पिछड़ापन दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना करने के लिए मानदंडों में से एक है।

(ग) उड़ीसा के फूलबनी जिले सहित देश के जिन भागों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है, उनमें दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करना भावी योजना अवधियों के दौरान इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

छठी योजना में तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि

1694. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी योजना के दौरान तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना अवधि के दौरान तिलहनों के उत्पादन में राज्यवार उपलब्धियां क्या रहीं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) छठी योजना अवधि के दौरान तिलहनों के उत्पादन की राज्य-वार उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

(हजार मीट्री टन)

राज्य	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	928	1547	1256	1815
असम	112	112	135	153

1	2	3	4	5
बिहार	110	112	114	121
गुजरात	1862	2518	1785	2473
हरियाणा	189	151	117	164
हिमाचल प्रदेश	6	6	6	7
जम्मू तथा कश्मीर	64	69	51	54
कर्नाटक	620	863	784	1023
केरल	16	12	12	12
मध्य प्रदेश	861	933	876	1165
महाराष्ट्र	1005	1007	1060	1458
उड़ीसा	485	597	590	687
पंजाब	187	169	133	115
राजस्थान	385	652	626	952
तमिलनाडु	719	1297	914	1157
उत्तर प्रदेश	1652	1713	1336	1244
प० बंगाल	149	176	170	194
अन्य	22	26	30	30
अखिल भारत	9372	12080	9995	12814

केरल में ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन सुविधाएं

1695. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि केरल में कालिकट, कन्नानोर, कोयनाड और कासरगोड जिलों की ग्रामीण जनता को अभी दूरदर्शन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई हैं; और

(ख) क्या सरकार बहुसंख्यक ग्रामीण जनता तक दूरदर्शन सुविधाएं पहुंचाने के लिए कन्नानोर अथवा कोयनाड में 10 किलोवाट क्षमता का एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) कन्नानोर तथा कालीकट जिलों के उन क्षेत्रों, जिनमें इस समय दूरदर्शन सिग्नल प्राप्त होते हैं, की ग्रामीण जनसंख्या लगभग 11 लाख है।

(ख) छठी योजना की स्कीमों के मई, 1985 तक पूरा हो जाने पर, केरल की लगभग 77% जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा प्राप्त होने की उम्मीद है। तथापि, देश के जिन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है, उनमें दूरदर्शन सेवा का उपलब्ध करना भावी योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिये साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

बनासकांठा जिले को दूरदर्शन नेटवर्क के अन्तर्गत लाना

1696. **श्री बी० के० गढ़वी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण बनासकंठा जिले को किस समय तक दूरदर्शन नेटवर्क के अन्तर्गत लाया जायेगा;

(ख) इस समय कितना क्षेत्र इसके अन्तर्गत आता है और अगले वर्ष के दौरान और कितने क्षेत्रों को इसके अन्तर्गत लाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य सीमावर्ती जिलों की भांति बनासकंठा को भी प्राथमिकता के आधार पर दूरदर्शन के अन्तर्गत लाने का है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ङ) अहमदाबाद के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर के 10 किलोवाट की पूर्ण शक्ति पर चालू होने पर बनासकंठा जिले के एक भाग में दूरदर्शन सेवा प्राप्त होने की आशा है। देश के विभिन्न भागों में दूरदर्शन सेवा का और विस्तार करना भावी योजना अवधि में इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

आयातित गेहूं का मूल्य

1697. **श्री० डी० बी० पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 में विदेशों से कितनी मात्रा में गेहूं का आयात किया गया था;

(ख) उक्त गेहूं के लिये प्रति क्विंटल क्या मूल्य अदा किया गया और उसकी प्रति क्विंटल ढुलाई पर कितनी लागत आई;

(ग) क्या कृषि मूल्य आयोग द्वारा वर्ष 1983-84 के लिये गेहूं के लिये निर्धारित किया गया मूल्य आयात किए गए गेहूं के मूल्य की तुलना में काफी कम था; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) 1983-84 में विदेशों से 21.30 लाख मीटरी टन गेहूं की मात्रा का आयात करने का सौदा किया गया था।

(ख) इस गेहूं का जहाज तक नि:शुल्क औसत अनुमानित मूल्य 158.59 रुपये प्रति क्विंटल था और परिवहन लागत 30.14 रुपये प्रति क्विंटल थी।

(ग) 1983-84 रबी विपणन मौसम के दौरान, गेहूं का समर्थन मूल्य 151 रुपये प्रति क्विंटल था।

(घ) समर्थन मूल्य वे मूल्य होते हैं जो किसान को उसके उत्पाद के लिए दिए जाते हैं और उनमें जहाज तक नि:शुल्क ऊपरी खर्चे शामिल नहीं होते हैं। हमारे आन्तरिक समर्थन मूल्यों को जहाज तक नि:शुल्क गेहूं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है।

महाराष्ट्र सरकार को कम धन दिया जाना

1698. श्री डी० बी० पाटिल : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास योजनाओं के लिये महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 1982-83 और 1983-84 के लिये मांगी गई पूरी धनराशि प्रदान नहीं की गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कम धन दिये जाने के कारण बृहद् बम्बई और महाराष्ट्र के बड़े नगरों में गन्दी बस्तियों में स्थिति बहुत तेजी से खराब होती जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो गन्दी बस्तियों में स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान आवास तथा नगर विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार की निधियों की मांग पर्याप्त रूप से पूरी कर ली गई है।

(ख) और (ग) मलिन बस्ती सुधार राज्य का विषय है तथा इसके अन्तर्गत योजनाओं के लिए परिव्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक योजना प्रावधानों में की जाती है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वयं ही योजनाएं बनाई तथा कार्यान्वित की जाती हैं।

देश में बंधुआ मजदूरों और अल्पव्यस्कों का शोषण

1699. श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक नौकरियों/कारखानों में "अमानवीय बंधीकरण" अर्थात् बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने तथा अल्पव्यस्कों के शोषण को रोकने के लिए पिछले दो वर्षों में क्या उपाय किए हैं; और

(ख) कितने राज्यों में अभी भी शोषण जारी है और इसके पूर्णतया उन्मूलन के लिए क्या तरीके अपनाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) सरकार को सार्वजनिक नौकरियों/औद्योगिक कारखानों में बंधुआ श्रम पद्धति की विद्यमानता के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। बंधुआ श्रम पद्धति की विद्यमानता की 12 राज्यों से सूचना मिली है। राज्य सरकारें,

से प्राप्त नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार 28-2-1985 को पता लगाए गए बन्धुआ श्रमिकों की कुल सं० 1,77,062 थी, जिनमें से 1,34,802 बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित किया जा चुका है।

बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अधीन, बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा उनके पुनर्वास का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण करें और उन्हें शीघ्र मुक्त कराने तथा उनके पुनर्वास हेतु आवश्यक कदम उठाएं।

राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुपूरित करने के दृष्टिकोण से, वर्ष 1978-79 में श्रम मंत्रालय ने केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना शुरू की, जिसके अन्तर्गत बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है।

खाद्यान्नों का उत्पादन

1700. **श्री एन० डेनिस** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान देश में खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन हुआ और यह सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के कितना निकट है;

(ख) वर्ष 1985 के दौरान देश में खाद्यान्नों की घरेलू खपत का अनुमान क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार फालतू खाद्यान्नों का निर्यात करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान, देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 1515.4 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है जबकि लक्ष्य 1420 लाख टन का है।

(ख) चूंकि देश में खाद्यान्नों की मांग जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण की सीमा, आय के स्तरों, अनुकल्प खाद्यान्नों के मूल्यों, आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करती है, इसलिए देश में खाद्यान्नों की कुल खपत के ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) सूखे से प्रभावित कुछ अफ्रीकी देशों को सहायता के रूप में एक लाख मीटरी टन गेहूं सप्लाई करने का निर्णय लिया गया है।

चालू भारत-रूस व्यापार प्रोतोकोल (जनवरी-दिसम्बर, 1985) में सोवियत संघ को पांच लाख मीटरी टन गेहूं निर्यात करने के लिए प्रावधान किया गया है।

यदि आवश्यक और व्यवहार्य हो, तो सरकार देश से गेहूं निर्यात करने के विकल्प को अपने पास सुरक्षित रखती है।

मराठी भाषा के कार्यक्रमों का दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारण

[हिन्दी]

1701. **श्री आर० एम० भोये** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां दूरदर्शन और आकाशवाणी से मराठी भाषा के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है;

(ख) इन कार्यक्रमों में कितने प्रतिशत साप्ताहिक कार्यक्रम हैं;

(ग) क्या सरकार को मराठी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए, इस भाषा के प्रसारणों का समय बढ़ाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) महाराष्ट्र में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की मुख्य भाषा मराठी है। मराठी के कार्यक्रम निकटवर्ती राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और संघ शासित क्षेत्र गोवा में स्थित केन्द्रों द्वारा भी प्रसारित किए जाते हैं। संजाल में अन्य केन्द्र भी कभी-कभी अपने भक्ति और क्षेत्रीय संगीत कार्यक्रमों में मराठी में संगीत प्रसारित करते हैं।

जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, बम्बई और नागपुर केन्द्रों से टेलीकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों की मुख्य भाषा मराठी है। दिल्ली केन्द्र भी नाटक, लोक संगीत, भक्ति गीतों जैसे कार्यक्रम तथा फीचर फिल्में मराठी में टेलीकास्ट करता है। दूरदर्शन के अन्य कार्यक्रम निर्माण केन्द्र भी कभी-कभी अन्य क्षेत्रों के लिए अभिप्रेत कार्यक्रमों में कुछ कार्यक्रम मराठी में टेलीकास्ट करते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि फिल्मों से अनुक्रमों तथा फीचर फिल्मों सहित मराठी के कुछ कार्यक्रम दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली से भी राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसे सभी ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किया जाता है, के अन्तर्गत टेलीकास्ट किए जाते हैं।

(ख) विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों और दूरदर्शन केन्द्रों से मराठी तथा अन्य भाषाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अवधि की प्रतिशतता के सम्बन्ध में आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ग) जी, हां। अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह सुझाव दिया गया है कि दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद से मराठी में कार्यक्रम चालू किया जाए तथा हैदराबाद, इन्दौर, ग्वालियर आदि जैसे आकाशवाणी केन्द्रों से इस प्रकार के कार्यक्रमों की अवधि बढ़ाई जाए।

(घ) जैसा कि भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, आकाशवाणी केन्द्रों/दूरदर्शन केन्द्रों की मुख्य भाषा सम्बन्धित सेवा क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा होगी। समग्र प्रसारण समय, जिसमें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय रुचि और महत्व की बहुत-सी बातें आवश्यक रूप से शामिल करनी होती हैं, सीमित है और टेलीकास्ट समय इससे भी, अधिक सीमित है। इन बातों को देखते हुए तथा सम्बन्धित सेवा क्षेत्रों के श्रोताओं की आवश्यकता को भी देखते हुए, इस प्रकार के अनुरोधों को इस समय स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं है।

महाराष्ट्र को खाद्य तेलों की सप्लाई

1702. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को, विशेषतः दूरस्थ जनजाति तथा आदिवासी क्षेत्रों

में रहने वाले लोगों को वितरण हेतु महाराष्ट्र राज्य को आयातित पाम ऑयल सहित खाद्य तेलों की कितनी मात्रा सप्लाई की जाती है;

(ख) खाद्य तेलों की सप्लाई के लिए उन्हें कुल कितनी वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है तथा सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) ये खाद्य तेल किस एजेंसी के माध्यम से सप्लाई किये जाते हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) तेल वर्ष 1984-85 (नवम्बर, 1984 से अक्तूबर, 1985) के दौरान मार्च, 1985 तक महाराष्ट्र को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को देने के लिए आयातित खाद्य तेलों की कुल 52,000 मी० टन (42,000 मी० टन पामोलीन तथा 10,000 मी० टन आर० बी० डी० ताड़ का तेल) मात्रा आबंटित की गई है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि उचित दर की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को आयातित खाद्य तेलों का उपयुक्त तथा एक समान वितरण सुनिश्चित करें और ग्रामीण क्षेत्रों के दूर-दराज के इलाकों तथा उन क्षेत्रों में जहां समाज के कमजोर वर्ग रहते हैं, इस योजना को मजबूत बनाएं।

(ख) महाराष्ट्र को आयातित खाद्य तेलों की सप्लाई के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गयी है।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेल, राज्य व्यापार निगम के माध्यम से दिए जाते हैं। राज्य सरकार उपभोक्ताओं को तेल का वितरण उचित दर की दुकानों के माध्यम से करती है।

बृहद् बम्बई में केन्द्रीय सरकार की जमीन

[अनुवाद]

1703. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बृहद् बम्बई में केन्द्र सरकार की कितने हैक्टेयर भूमि है;

(ख) कितने हैक्टेयर भूमि पर निर्माण हो चुका है, कितने हैक्टेयर भूमि खाली पड़ी है और उस पर झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वालों द्वारा अवैध कब्जा किया जा चुका है; और

(ग) क्या सरकार का झोंपड़ियों में रहने वालों को इस प्रकार की खाली भूमि बेदखल करने और उनका पुनर्वास करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

'हुडको' द्वारा ग्रामीण आवास परियोजनाओं को बढ़ावा देना

1704. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा शहरी विकास निगम हुडको ने ग्रामीण आवास परियोजनाओं का प्रवर्तन तथा वित्त पोषण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण अर आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हां ।

(ख) 28-2-1585 तक हुडको द्वारा धन दी गई ग्रामीण आवास योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

28-2-1985 तक हुडको द्वारा धन दी गयी ग्रामीण आवास योजनाओं के ब्यौरे

करोड़ रुपयों में

राज्य	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	स्वीकृत ऋण	स्वीकृत रिहायशी एकक
आन्ध्र प्रदेश	76	64.51	31.14	144967
बिहार	18	12.00	6.00	30000
गुजरात	115	78.43	35.14	189831
हरियाणा	2	1.26	0.63	3161
कर्नाटक	86	94.86	34.46	24201
केरल	51	64.42	31.78	13700
हिमाचल प्रदेश	42	8.08	4.04	20469
महाराष्ट्र	48	8.46	4.22	31328
उड़ीसा	7	7.33	5.50	20000
पंजाब	12	10.51	5.25	25241
राजस्थान	49	23.75	14.83	49490
तमिलनाडु	34	31.14	15.83	62941
योग	540	404.75	188.82	979229

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश को अतिरिक्त धनराशि का आबंटन

1705. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त धनराशि देने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1984-85 में उक्त दोनों योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित वास्तविक धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.84 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आबंटन के लिए कहा था और उक्त राशि उन्हें दे दी गई थी। राज्य सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत किन्हीं अतिरिक्त आबंटनों के लिए नहीं कहा था।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार को वर्ष 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 18.60 करोड़ रुपये की धनराशि तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 30.73 करोड़ रुपये की धनराशि दी गयी है।

गन्ने के लाभप्रद मूल्य का भुगतान

1706. **श्री सी० डी० गामित :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से किसानों को उनके गन्ने का पूरा भुगतान नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में गन्ने के लिए प्रति मीट्रिक टन कितना मूल्य दिया गया; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों को गन्ने का लाभप्रद मूल्य दिलाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है और तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार को इस आशय की कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं कि चीनी फैक्ट्रियां गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अधीन निर्धारित किए गए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य का भुगतान कर रही हैं।

(ख) 1982-83 मौसम से गन्ने के न्यूनतम सांविधिक मूल्य और चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने के वास्तव में दिए जा रहे मूल्यों की राज्य-वार रेंज संलग्न विवरण में दी जाती हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 757/85]**

(ग) गन्ना उत्पादकों को मिलने वाला प्रतिलाभ उन महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक पहलू है, जिस पर चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने का देय सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय विचार किया जाता है। लेकिन वास्तविक व्यवहार में, राज्य सरकारों की सलाह के अन्तर्गत, गन्ना उत्पादक अपेक्षाकृत काफी अधिक मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में समाविष्ट भार्गव शेयरिंग फार्मूले के लागू होने के फलस्वरूप, गन्ना उत्पादक अतिरिक्त मूल्य, जहां कहीं देय हों, प्राप्त करने के भी हकदार हैं।

12.00 मध्याह्न

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राजस्थान राजकीय दुग्धशाला विकास निगम सीमित, जयपुर के वर्ष 1979-80, हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित, शिमला के वर्ष 1983-84, आन्ध्र प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम सीमित, हैदराबाद, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा उनके वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

[अनुवाद]

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) राजस्थान राजकीय दुग्धशाला विकास निगम सीमित, जयपुर, के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राजस्थान राजकीय दुग्धशाला विकास निगम सीमित, जयपुर, का वर्ष 1979-80 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल० टी० 620/85]

(ख) (एक) हिमाचल प्रदेश कृषि-उद्योग निगम सीमित, शिमला, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश कृषि-उद्योग निगम सीमित शिमला, का वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल० टी० 621/85]

(ग) (एक) आन्ध्र प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम सीमित, हैदराबाद, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आन्ध्र प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग विकास निगम सीमित, हैदराबाद, का वर्ष

1980-81 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल० टी० 622/85]

(घ) (एक) पंजाब कृषि-उद्योग निगम सीमित, चण्डीगढ़, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब कृषि-उद्योग निगम सीमित, चण्डीगढ़, का वर्ष 1980-81 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे, तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल० टी० 623/85]

(ङ) (एक) कर्नाटक दुग्धशाला विकास निगम सीमित, बंगलौर, के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक दुग्धशाला विकास निगम सीमित, बंगलौर का वर्ष 1979-80 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त मद (1) के भाग (क) से (ङ) तक में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 624/85]

श्री कादम्बुर जनार्थनन (तिरुनेलवली) : जब नया तूतीकोरिन पत्तन न्यास बनाया गया तो पुराने पत्तन न्यास के श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया गया। सरकार ने पुराने श्रमिकों को रोजगार देने का वायदा किया है। लेकिन वैसा नहीं किया गया है। श्रमिक 14 मार्च से भूख हड़ताल कर रहे हैं। सैंकड़ों श्रमिकों को गिरफ्तार कर जेल में बन्द कर दिया गया है। स्थिति तनावपूर्ण है। सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप कर इस विवाद का समाधान करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई सूचना दी है?

श्री कादम्बुर जनार्थनन : हम यह सूचना दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय : हम तदानुसार इस पर विचार करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हड़ताल का नोटिस दिया गया है।

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव (विजयवाड़ा) : मैंने सहर हवाई अड्डे के निकट पंचतारा होटल के निर्माण सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी जाती है तो मैं उस पर विचार करता हूं। आप सहर्ष मेरे पास आकर मुझे बतायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आकर मुझे बता सकते हैं। हम उसे देखेंगे।

(व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : आंध्र प्रदेश में रबी की फसल काट ली गई है और वह बाजार में आ रही है। भारतीय खाद्य निगम ने आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में खरीद केन्द्र नहीं खोले हैं। किसानों को बड़ी हानि हो रही है और किसानों को अपने उत्पाद गैर-सरकारी चावल मिल मालिकों को कम मूल्य पर बेचने को बाध्य होना पड़ रहा है। हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है और सरकार से कहा कि किसानों से धान खरीदने के लिए तुरन्त खरीद केन्द्र खोले जायें।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइए। सैंकड़ों ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

(व्यवधान)

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव : यह बहुत गंभीर मामला है। आन्ध्र प्रदेश में यह गंभीर समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : सभी महत्वपूर्ण बातों पर प्राथमिकता के आधार पर चर्चा की जायेगी।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया उन्हें बताइए कि स्थगन प्रस्ताव की सूचना देकर यह मामला उठायें।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अध्यक्ष पीठ द्वारा कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद, सरकार द्वारा महत्वपूर्ण घोषणा सदन से बाहर की जाती है जबकि सदन का सत्र चल रहा होता है। उन्होंने लेवी चीनी का मूल्य 40 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ा दिया है। इसकी सूचना न तो संसद को ही और न ही राज्य सरकारों के खाद्य मंत्रियों को बताया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। वे संसद की बिलकुल परवाह नहीं कर रहे। घोषणा सदन में की जानी चाहिए। इससे समूचे देश में घरेलू चीजों पर प्रभाव पड़ेगा।

[हिन्दी]

आपकी क्या राय है। यहां पर बोलना चाहिए या नहीं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लिखकर दीजिए, देखेंगे।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : स्पीकर साहब, आप मेरे साथ इत्तिफाक करेंगे।

پروفیسر سیف الدین سوز : اسپیکر صاحب آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے

अध्यक्ष महोदय : किस बात का ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इस मुल्क में आज जितनी जरूरत शांति और प्यार की है, उतनी शायद इससे पहले कभी नहीं थी।

پروفیسر سیف الدّین سوز : اس ملک میں آج جتنی ضرورت شانتی اور پیار کی ہے
اتنی شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔

अध्यक्ष महोदय : क्या बढ़िया बात है ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : बहुत सारे लोग इस कोशिश में लगे हैं कि नफरत की आग खत्म हो जाए । लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं ।

پروفیسر سیف الدین سوز : بہت سارے لوگ اس کوشش میں لگے ہیں کہ نفرت کی آگ ختم ہو جائے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : हमारे यहां पीने के पानी की समस्या है ।··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए । आपकी बात भी सुन लूंगा ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कुछ ऐसे लोग है जो जलती पर तेल डालना चाहते है । इनमें ···**·;·····हैं, जो जगह-जगह जाकर नफरत की आग फैला रहें हैं । माइनोरिटीज के खिलाफ बोलते हैं । उन्होंने 31 मार्च को शिमला में रिपीट किया है ।

پروفیسر سیف الدین سوز : جو جلتی پر تیل ڈالنا چاہتے ہیں ان میں . . . ہیں۔ جو جگہ جگہ جاکر نفرت کی آگ پھیلا رہے ہیں مائنارٹیز کے خلاف بولتے ہیں۔ انہوں نے ۳۱ مارچ کو شملہ میں ریپیٹ کیا ہے۔

अध्यक्ष महोदय : आप किसी का नाम नहीं ले सकते।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कास्टीच्युशन आफ इन्डिया को नहीं मानना चाहते । फैसीलिटीज वापिस ली जाएं ।

پروفیسر سیف الدین سوز : کانسٹی ٹیوشن آف انڈیا کو نہیں ماننا چاہتے۔ فیسلٹیز واپس لی جائیں۔

अध्यक्ष महोदय : खण्डन कीजिए । बाहर जाकर बोलिए ।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या किसी को आजादी मिल गई है कि नफरत की आग फैला रहे हैं ।

پروفیسر سیف الدین سوز : کیا کسی کو آزادی مل گئی ہے کہ نفرت کی آگ پھیلا رہے ہیں۔

अध्यक्ष महोदय : जो आदमी बुरा बोलता है, वह बुरा करता है ।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : गवर्नमेंट को ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या नहीं ?

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

پروفیسر سیف الدین سوز : گورنمنٹ کو ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیئے یا نہیں

अध्यक्ष महोदय : आप लिमिट देखा कीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। आप बाहर जा सकते हैं। आप बाहर जाकर उसका विरोध कर सकते हैं। आप यह मामला कहीं बाहर उठाइये। इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यह बात अपने भाषण में कहें। इससे फर्क नहीं पड़ता।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों पंजाब के मसले पर बातचीत करने के लिए अपोजिशन पार्टीज को बुलाया था। लेकिन नेशनल कांफ्रेंस को नहीं बुलाया। पंजाब हमारे लिए लाइफ लाइन है।

شری عبدالرّشید کابلی : پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں پنجاب کے مسئلے پر بات چیت کرنے کے اپوزیشن پارٹیز کو بلایا تھا۔ لیکن نیشنل کانفرنس کو نہیں بلایا۔ پنجاب ہمارے لئے لائف لائن ہے۔

अध्यक्ष महोदय : शायद बुला लेंगे।

(व्यवधान)**

श्री अब्दुल रशीद काबुली : जम्मू काश्मीर के लोग······(व्यवधान)**

شری عبدالرشید کابلی : جموں کشمیر کے لوگ ... (انٹرپشنز)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री काबुली ने जो कुछ कहा, वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमान् काबुली, यदि आप इसी तरह करते रहे तो मुझे आपको सदन से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री काबुली, कृपया बैठ जाइए। अन्य लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। आप जो कहना चाहते थे आपने कह दिया······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं मन्त्री महोदय को कुछ कहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : **

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : मैंने पंचतारा होटल के निर्माण का मामला कई बार उठाया है······

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है। हम एक-एक करके मामलों पर विचार करेंगे। अन्य सदस्यों ने भी यह मामला उठाया है। हम उन सबको एक साथ नहीं ले सकते।

[हिन्दी]

आप बारी-बारी से क्यों नहीं बोलते, एक-एक करके बोलिए······

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपने पहले पूछे गए एक प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें मैंने कहा था कि नेशनेलाइज्ड बैंकों की ओर से गरीब किसानों को जो सहायता दी जाती है, उसमें अन्याय हो रहा है, अनियमितताएं हो रही हैं······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे बताया, कोई नोटिस दिया, कोई कालिंग अटेंशन दिया······

श्री गिरधारी लाल व्यास : हाफ-एन-आवर डिस्कशन मांगा था······(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह असंगत है।

[हिन्दी]

आप यह तो जानते हैं कि हाफ-एन-आवर ऐसे नहीं होता···(व्यवधान)

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई जगहों पर ड्रौट की स्थिति पैदा हो गई है, स्केयरसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाट की स्थिति भी बन गई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमने सूखा तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में पहले ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव गृहीत कर लिया है। अब कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

ड्रौट के लिए आलरैडी हो चुका है।

[अनुवाद]

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : मैंने अमरीका द्वारा पाकिस्तान को आधुनिकतम मिसाइल देने के निर्णय के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है।

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं उन पर यहां चर्चा नहीं कर सकता। मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बहुत-सी सूचनाएं मिलती हैं। यदि मैं यहीं से शुरू कर दूं तो यह कभी समाप्त ही नहीं होगा।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : हाल ही में टाटा नगर के निकट नीलांचल एक्सप्रेस दुर्घटना-ग्रस्त हुई। मैंने यहां यह मामला उठाया था तथा मन्त्रालय से इसका विवरण मांगा था। उपाध्यक्ष महोदय ने इस पर विचार करने का वायदा किया था……

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख सकते हैं। क्या आप इस सम्बन्ध में विवरण दे रहे हैं ?

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : महोदय, हमने उस सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : हम उसे देखेंगे। इस पर बारी-बारी से विचार किया जाएगा। आपके सहयोग से हमने एक सूत्र तैयार किया है कि जब तक वित्तीय कार्य पूरा नहीं हो जाता, सप्ताह में केवल दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के लिए अनुमति दी जायेगी। तदानुसार प्राथमिकता प्राप्त करने वाली सूचना पर चर्चा की अनुमति दी जायेगी।

श्री बृजमोहन महन्ती : एक वक्तव्य क्यों नहीं दिया जाता ? सदन को इसकी सूचना दी जानी चाहिए।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : हम इस गंभीर दुर्घटना के बारे में चिंतित हैं। यह समाचार प्रकाशित हुए हैं कि सैंकड़ों लोगों की जानें गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें तथ्य देने के लिए कहूंगा।

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि 'सीबजे फार्मों' में उगाई गई सब्जियां खाने से बंगलोर में हैजा और पेचिश फैलने से एक लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं तुरन्त कुछ नहीं कह सकता।

[हिन्दी]

आप मुझे लिखकर दे दीजिए……

[अनुवाद]

डा० कृपा सिंधु भोई (सम्भलपुर) : महामारी मेनिनजोकोकाल मेनिनजाइटिस, जो पहले दिल्ली में फैली हुई थी, अब पूरे देश में फैल रही है। इसके लिए जो एक लाख टीके आयात किये गये हैं, वे अपर्याप्त हैं। सबसे पहले सभी संसद सदस्यों को टीका लगाया जाना चाहिए……

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने सूचना दी है ?

डा० कृपा सिंधु भोई : जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : हम उस पर विचार करेंगे। मैंने इसे रद्द नहीं किया है।

[हिन्दी]

आप मिसेज किदवई को बोलने दीजिए, शायद वे कुछ मदद करवा सकें।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं काफी देर से खड़ी हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप सज्जन महिला हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आपने चीनी के मूल्य बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति नहीं दी थी। क्या आप कृपया मंत्री महोदय को यह निदेश दे सकते हैं कि जब तक इस पर संसद में चर्चा नहीं होती वह इसे आस्थगित रखें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : भारत और आस्ट्रेलिया के बीच खेला गया अन्तिम क्रिकेट मैच न तो रेडियो पर प्रसारित किया गया न ही दूरदर्शन पर इसे दिखाया गया। हमारी जनता के प्रति उनका यह क्या रवैया है?

अध्यक्ष महोदय : हम उन्हे कहेंगे। बल्कि मैं उनसे पूछताछ करूंगा।

सभा पटल पर रखे गए पत्र—जारी

वित्त अधिनियम, 1979 तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 312 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 27 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 8 अप्रैल से 11 अप्रैल, 1985 तक नई दिल्ली में "विकास में महिलाओं का योगदान" पर होने वाले निर्गुट और अन्य विकासशील देशों के सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए आने वाले प्रतिनिधियों को विदेश-यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 625/85]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 298 (अ) से 303 (अ) तक की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 25 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो वित्त मन्त्री द्वारा 25 मार्च, 1985 को लोक सभा में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में घोषित किये गये परिवर्तनों और छूटों के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 626/85]

वर्ष 1985-86 के लिए गृह मंत्रालय की ब्यौरे-वार अनुदानों की मांगें

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : मैं वर्ष 1985-86 के लिए गृह मंत्रालय की ब्यौरे वार अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखती हूं।

ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 627/85]

12.15 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

कतिपय राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा एक भारतीय व्यापारी के स्वामित्वाधीन लन्दन-स्थित फर्म के लिए बहुत बड़ी धनराशि के ऋण मंजूर किए जाने में कपटपूर्ण सौदों का समाचार

[अनुवाद]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"कतिपय राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा एक भारतीय व्यापारी के स्वामित्वाधीन लन्दन स्थित फर्म के लिए बहुत बड़ी धनराशि के ऋण मंजूर किए जाने के कपटपूर्ण सौदों का समाचार और इस विषय में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।"

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव का आशय संभवतः कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लन्दन की एक फर्म "एसल कमोडिटीज लि०" को दी गयी ऋण संबंधी सुविधाओं से है । इस मामले के तथ्य ये हैं :—

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि एसल व्यापारिक समूह ने अपने व्यापार के लिए तीन भारतीय बैंकों अर्थात् पंजाब नेशनल बैंक, सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया और यूनियन बैंक आफ इंडिया से और लन्दन के चार विदेशी बैंकों से भारी वित्तीय सहायता प्राप्त की थी । इस समूह की मुख्य कम्पनी अर्थात् एसल कमोडिटीज लि० अधिकांशतः नाईजीरिया और सूडान को वस्तुओं का निर्यात करती थी । बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों का एक बहुत बड़ा भाग लम्बे अर्से से बकाया है । तीनों बैंकों द्वारा किए गए और भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे गए मूल्यांकन के अनुसार इस समूह को दिए गए अग्रिमों का काफी बड़ा हिस्सा प्राप्य दावा बिलों, प्रतिभूतियों और गारंटियों के अन्तर्गत आता है । नवम्बर, 1984 में यह कम्पनी अर्थात् एसल कमोडिटीज लि० लन्दन की एक अदालत द्वारा अनिवार्य रूप से परिसमापनाधीन कर दी गयी । जनवरी, 1985 में एसल कमोडिटीज लि० के प्रबन्ध निदेशक श्री राजेन्द्र सेठिया को दिवालिया घोषित कर दिया गया । इन परिस्थितियों में बैंकों को अपनी बकाया रकमें वसूल करने के लिए अपने पास उपलब्ध प्रतिभूतियों को लागू करना होगा और जहां कहीं आवश्यक होगा, परिसमापक के सम्मुख अपने दावे दायर करने होंगे ।

एसल समूह की कम्पनियों को उधार देने में अनियमितताएं हुई हैं । तीनों भारतीय बैंकों की लन्दन स्थित शाखाओं के कुछ अधिकारियों ने अपने-अपने प्रधान कार्यालयों का अनुमोदन प्राप्त किए बिना स्वीकृत सीमाओं से कहीं अधिक अग्रिम प्रदान किए थे । बैंकों को ठगने के उद्देश्य से अधिकारियों और कम्पनी के बीच सांठ-गांठ का भी शक है ।

सरकार ने इसे अत्यधिक गम्भीर मामला माना है । बैंक अपनी बकाया रकमें वसूलने के लिए कदम उठा रहे हैं । उन्होंने अनियमितताओं और कदाचार में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है । सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने अपने लन्दन स्थित दो भूतपूर्व अधिकारियों के खिलाफ स्काटलैंड यार्ड के पास एक आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई है । तीनों बैंकों के वरिष्ठ

स्तरों पर प्रबन्ध में और उनकी लन्दन स्थित शाखाओं में परिवर्तन किए गए हैं। इस सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पहली मार्च, 1985 को दिल्ली में श्री राजेन्द्र सेठिया को गिरफ्तार कर लिया है। लन्दन में पंजाब नेशनल बैंक के भूतपूर्व महाप्रबन्धक श्री अमर जीत सिंह को भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो सारे मामले की जांच कर रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अपनी विदेशी शाखाओं के परिचालनों पर बेहतर ढंग से नजर रखने के लिए अपनी निगरानी और नियंत्रण प्रणालियों को मजबूत करने का परामर्श दिया है। विदेशों में नियुक्त व्यक्तियों को ये अनुदेश दिए गए हैं कि वे बैंक के अध्यक्ष या इस प्रयोजन के लिए अध्यक्ष द्वारा गठित समिति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना किसी भी हालत में उन्हें दी गयी शक्तियों से आगे न जाएं। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन अनुदेशों का पालन न करने पर बहुत कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस मामले पर पूरी तरह से गौर कर रही है और दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने जो अपना स्टेटमैंट दिया है—

[अनुवाद]

"एसल समूह की कम्पनियों को उधार देने में अनियमितताएं हुई हैं।"

[हिन्दी]

सही बात यह है कि दूसरी बार एक बहुत बड़ा आर्थिक धक्का इस देश को पहुंचने वाला है। पहली बार 1977 से 1980 के बीच में जब जनता सरकार ने फैसला लिया कि देश के सोने को भारतवर्ष की सड़कों पर नीलाम कर दिया जायेगा और दूसरी बार एक बहुत बड़ा फ्राड इंडियन बैंकों की हिस्ट्री में सामने आया है।

एक तरफ छोटे-छोटे कारखानेदारों, व्यापारियों को बैंक से लोन लेने में जगह-जगह धक्के खाने पड़ते हैं, उनके सारे डाक्युमैंट्स की स्कुटनी की जाती है और उनके परिवार का सारा इतिहास लेकर 10-20 हजार रुपये दिया जाता है। इन्हीं बातों को देखते हुए प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक ठोस कदम उठाया था।

12.20 म० प०

[श्री एम० थम्बी दुरई पीठासीन हुए]

बैंकों को नेशनलाइज किया, जिसके अन्दर यह कोशिश की गई कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को बैंकों से आसानी से पैसा मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, इस समय यह देखना जरूरी है कि उस कंपनी को, जिसको ढाई सौ करोड़ रुपये दिया गया, उसकी वर्किंग क्या थी? वह कंपनी 1977 में शुरू हुई और वह ट्रेडिंग करती थी, नाइजीरिया से दूसरी जगह माल भेजती थी। वह मिडल ईस्ट से नाइजीरिया माल भेजती थी।

उनका काम करने का तरीका बहुत अलग था। वह माल नाइजीरिया से मिडल ईस्ट भेजती थी और उसके डाकुमेंट लन्दन बैंक में देती थी, जिसको वेरिफाई करने की कभी भी कोशिश नहीं की गई, व यह देखा गया कि जो बिल ऑफ लेडिंग या शिपिंग ऑफ कारगो डाकुमेंट वहां पर दिये जाते हैं वह सही हैं या गलत। उसके माध्यम से करोड़ों रुपया उस बैंक में उस कंपनी को दे दिया। इसके साथ-साथ उन डाकुमेंट्स में यह भी नहीं देखा गया कि जो नाइजेरियन गवर्नमेंट नॉटिफिकेशन है, उसके डाकुमेंट्स पूरे हैं या नहीं। उस कंपनी का काम था सस्ता माल एक जगह से लेकर दूसरी जगह डम्प कर देना, करोड़ों रुपये बैंक से ले लेना।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि यह जो ढाई सौ करोड़ रुपया दिया गया है यह पिछले 3 साल में उस कंपनी को दिया तो, क्या किसी एक कंपनी को एक नेशनलाइज बैंक के द्वारा इतना सारा पैसा दिया जा सकता है। क्या इसके लिए कोई रूल्स रैगुलेशन नहीं थे, क्या उस कंपनी को जिसको वह पैसा दिया गया उसके लिए भारत में जो उनके मैनजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन या आर० बी० आई० थे, उनके रूल्स के अन्तर्गत वह पैसा देने की परमीशन थी या नहीं थी। कोई व्यक्ति बाहर बैठकर भारतवर्ष का पैसा इस तरह लुटा सकता है। आपने देखा कि उस कंपनी ने बड़े-बड़े अफसरों को 707 बोईंग में घुमाया और उनसे वह रुपया सैंक्शन करवाया।

जिस समय 1983 में अरब एलाइड बैंक ने जो मिडल ईस्ट की है, एक दावा इस कंपनी के ऊपर फ्रोड का किया तो उसने गलत डाकुमेंट बैंक में पेश किये। उस समय हमारे बैंकों ने यह क्यों नहीं देखा कि जिस कंपनी को इतना रुपया दे रहे हैं, वह सही है या नहीं। क्या कंपनी की अच्छी स्टैंडिंग है या नहीं, साख है या नहीं? क्या ऐयाशी करने के साधन बनाकर उस कंपनी को इतना रुपया दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, बैंकिंग सिस्टम में एक अन्य वार्निंग सिस्टम होता है, जिसके द्वारा बैंक यह देखता है कि हमने जो पैसा दिया है, उसका कहीं मिस-यूज तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें उसका ध्यान नहीं रखा गया।

कंपनी के जो शेयर थे, उसको बैंक ने अपने हाथ फलैज किया, सिर्फ उसको फेस वैल्यू पर पेश किया, मार्किट वैल्यू देखने की कोशिश की गई, जिससे इतना नुकसान हुआ। यह बहुत बड़ा मजाक है कि कोई व्यक्ति कोई मकान खरीदता है, जिससे खरीदता है, उस आदमी को वह फलैज कर देता है और वह मकान अपने नाम करवा लेता है। इस तरह यह बैंक के इतिहास में काला धब्बा है। इस तरह किसी कंपनी को इतना पैसा दे दिया जाये, उसके डाकुमेंट को कभी चैक नहीं किया गया, यह नहीं देखा गया कि बिल आफ लेडिंग जो है, वह सही है या नहीं। सवाल यह पैदा होता है कि क्या नेशनलाज बैंक एक ही कंपनी को ढाई सौ करोड़ रुपये दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं और किस रूल के अन्दर दे सकते हैं जबकि हिन्दुस्तान में अगर 4 करोड़ से ऊपर किसी भी कंपनी को लोन दिया जाता है तो उसकी आर० बी० आई० से परमीशन ली जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से मालूम करना चाहता हूं कि क्या बैंक आफ इंगलैंड ने कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जिसके अन्तर्गत बैंक की जो पूंजी है, उसका कितना प्रतिशत हिस्सा एक कंपनी को दिया जा सकता है।

एक टंडन कमेटी थी जिसने इंडस्ट्री को एडवांसिस देने के लिए कुछ अपनी रिकमंडेशन दी थीं, क्या उसको फॉलो किया गया या नहीं। इसी तरह दो कमेटी बनी थीं जिसने 1979 में कुछ

हिदायतें दी थीं। तो क्या वह इंस्ट्रक्शंस ओवरसीज एडवांसेज पर लागू होते हैं या नहीं होते हैं और क्या उसको ध्यान में रख कर यह लोन दिया गया या नहीं दिया गया ? इसमें एक और बहुत बड़ा फ्ला है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और चेयरमैन है वह एक ही व्यक्ति है जिसकी वजह से इस तरह के हादसे हुए और आगे भी हो सकते हैं। पहले भी एक बार 18 करोड़ का गबन लन्दन के एक बैंक में हुआ था लेकिन उस गबन को ध्यान में नहीं रखा गया और जो कमियां और प्रोसीजरल डिफेक्ट्स थे उनको दूर करने की कोशिश नहीं की गई। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो रेकमेंडेशंस थीं उनको ध्यान में रखा गया या नहीं रखा गया ?

[अनुवाद]

श्री जर्नादन पुजारी : महोदय, माननीय सदस्य ने हमें बहुत ही अच्छे मुद्दे बताए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने बैंक में हो रही धोखाधड़ियों तथा अनियमितताओं का भी उल्लेख किया है। इसलिए कुछ समय पूर्व सदन में दिए गए अपने मुख्य जवाब में मैंने विस्तार में सभी कुछ बताया है। महोदय, जैसा आप जानते हैं कि हमारे पास जो तथ्य थे उनके आधार पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को जांच करने के आदेश दिए गए हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो पूरे मामले को समझ गया है और सभी प्रकार की अनियमितताएं तथा धोखाधड़ी के मामलों का पता लगा लिया गया है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी इन पहलुओं की जांच करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक भी इस मामले की जांच कर रहा है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : भारतीय रिजर्व बैंक की भी जांच किए जाने की आवश्यकता है।

श्री जर्नादन पुजारी : मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं। हम इस तरह की बातों से खुश नहीं हैं। इस मामले को भारत सरकार ने भी गम्भीर रूप में लिया है और इस तरह के कार्य करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : टंडन समिति तथा चोरे समिति की सिफारिशों का क्या हुआ ?

श्री जर्नादन पुजारी : हमने उन सिफारिशों पर भी ध्यान दिया है और हमने उन सभी बातों को पूरा किया भी है। इसके बावजूद भी ऐसा हुआ है। इससे किसी भी व्यक्ति को प्रसन्नता नहीं हुई है और हमें गम्भीर कार्यवाही करनी चाहिए। इसीलिए बहुत से व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ लोगों को बदल दिया गया है। सभी चीजों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल करवाई जाएगी।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : एक तरफ तो आप पान मसाले जैसे आइटम पर 7 करोड़ रुपये लेने के लिए टैक्स लगा देते हैं और दूसरी तरफ एक आदमी को ढाई सौ करोड़ रुपए किसी भी आदमी को देने की परमीशन देते हैं।

श्री ललित माकन (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय का स्टेटमेंट सुनने के बाद उनके बयान के अनुसार लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस बयान में यह लिखा है :

[अनुवाद]

अग्रिमों का काफी बड़ा हिस्सा प्राप्य बिलों, दावों, प्रतिभूतियों और गारंटियों के अन्तर्गत दिया गया है।

[हिन्दी]

मैं बताना चाहता हूं कि इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा फ्राड तो आज तक दुनिया के किसी भी कोने में नहीं हुआ है। इससे बड़ा फ्राड और क्या हो सकता है कि जिस आदमी का कैपिटल सिर्फ एक हजार पौंड हो वह दुनिया के तमाम बैंकों को बेवकूफ बना कर, वहां के चार बैंकों और हिन्दुस्तान के तीन बैंकों को बेवकूफ बना कर चार सौ करोड़ रुपए का लोन ले ले? इससे बड़ा फ्राड और क्या हो सकता है कि 1 हज़ार पौंड जिसका कैपिटल हो वह सबको बेवकूफ बना कर 400 करोड़ का लोन ले ले ? मैं यह समझता हूं कि इससे हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मन्त्री महोदय ने कहा कि यह ज्यादातर लोन सेक्योर्ड है। अभी मैं डाटा दूंगा, आंकड़े दूंगा और बताऊंगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा डूबने वाला है। इसके अलावा हमारी बैंकिंग इण्डस्ट्री जिसकी दुनिया में क्रेडिबिलिटी थी, एक साख थी उसकी वह साख नष्ट हो गई है और इसका बहुत बड़ा असर उस पर पड़ने वाला है। हमने नाम सुना था कि नटवर लाल का कि नटवर लाल बहुत बड़ा धोखेबाज और फ्राड करने वाला है लेकिन यह सेठिया साहब तो उसके बाप दादा और परदादा से भी आगे निकल गए। हमें खुशी है कि हमारी सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार ने यह साबित कर दिया कि किसी भी फ्राड करने वाले को किसी भी धोखेबाज को बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी। हमारी सरकार ने उसको जेल में भेजकर यह साबित कर दिया है।

(व्यवधान)

मैं क्वैश्चन्स पर ही आ रहा हूं। पंजाब नेशनल बैंक से लगभग 130 करोड़ रुपए के लोन दिए गए। जब पहला लोन दिया गया 1980 में, उस समय बैंक के चेयरमैन थे श्री ओम प्रकाश गुप्त। जब 5 करोड़ का पहला लोन दिया गया तो उस समय उन्होंने इस कम्पनी को ब्लैक-लिस्ट कर दिया और कहा कि जब तक ये पिछला पैसा नहीं देंगे, तब तक दूसरे बिल्स को डिस-काउन्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसको ब्लैक-लिस्ट करने के बावजूद लगातार लोन दिए जाते रहे। नतीजा यह हुआ कि पंजाब नेशनल बैंक का लोन 5 करोड़ से बढ़कर 130 करोड़ तक पहुंच गया। उसके बाद लगातार इन्क्वायरीज होती रहीं। 1982 में पहली इन्क्वायरी हुई। श्री आई० बी० बंसल उस समय ए० जी० एम० थे, उन्होंने लन्दन जाकर इन्क्वायरी की। उसके बाद श्री के० सी० मेहरा गए नाइजीरिया जो कि जनरल मैनेजर थे। उसके बाद लेट मि० ए० एन० मुखर्जी गए थे लन्दन में जो उस समय डी० जी० एम० थे। उसके बाद मि० एस० सी० नाखरा गए लन्दन को जो उस समय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और आखिर में 1984 में मि० यू० के० शर्मा गए। इस तरह से करोड़ों रुपए लन्दन आने-जाने पर खर्च किए गए लेकिन सारी रिपोर्टों को दबा दिया गया। जिसने भी रिपोर्ट एग्जामिन करने की कोशिश की, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। मि० यू० के० शर्मा के जूनियर आफिसर ने जब एग्जामिन करने की कोशिश की तो उसको दिल्ली से श्रीनगर भेज दिया गया।

इसी प्रकार से सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया में भी हुआ। पहला लोन 2.1 मिलियन पाउण्ड का दिया गया। उस समय आडिटर्स ने क्वैश्चन किया कि यह जो लोन दिया गया है इसमें सिर्फ 1

मिलियन पाउण्ड के लिए लीगली एन्फोर्सिएबल सिक्योरिटी है, बाकी बिल्कुल फ्राड है। लेकिन उसके बावजूद भी, आडिटर्स द्वारा क्वेश्चन तथा सावधान करने के बावजूद भी 1982 में 34.5 मिलियन पाउण्ड दोबारा सेठिया को दे दिए गए। उसके बाद ** साहब जो लन्दन में आफिसर थे, उन्होंने अपने रिटायर होने के तीन महीना पहले 10 मिलियन पाउन्ड भी दे दिए। उसके बाद वहां पर इन्क्वायरी हुई। आर० बी० आई० ने इन्क्वायरी के लिए डी० एस० आर० सिंबूजी को भेजा जिन्होंने मेहनत करके इस फ्राड को एक्सपोज किया। लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि उनको हैदराबाद ट्रांसफर कर दिया गया। इस प्रकार के काम होते रहे।

अभी मन्त्री जी ने कहा कि लोन सिक्योर्ड है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये लोन बिल्कुल सेक्योर्ड नहीं हैं। मेरी सूचना के अनुसार 90 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है, वह लायड बैंक ने इन्श्योर किया और 90 करोड़ के ट्रांजैक्शन में से 30 करोड़, जो हमारी बैंकें हैं वे वहां से ले चुकी हैं, और मजेदार बात यह है कि 30 करोड़ में से 10 करोड़ लायड बैंक वालों ने वापिस मांग लिया। उन्होंने कहा कि 30 करोड़ जो आपको दिया था, उसमें से 10 करोड़ हमें वापिस दे दो क्योंकि जिस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट यह दिया था, वह नाइजीरिया का ट्रांजैक्शन था और वहां की पार्टी ने कहा है कि ऐसा कोई डील नहीं हुआ है, यह फ्राड है। इसलिए उन्होंने कहा कि 10 करोड़ वापिस कर दिया जाए। अब जो 90 करोड़ का इंश्योरेंस हुआ है यह 90 करोड़ मिलने वाला नहीं है। 30 करोड़ जो मिला, उसमें से 10 करोड़ डिसप्यूट में चला गया। केवल 20 करोड़ ही सेफ है और बाकी जो 60 करोड़ है वह मिलने वाला नहीं है।

मैं मन्त्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो इन्श्योरेंस हुई, इस 90 करोड़ के ट्रांजैक्शन की, इसमें कुछ क्लाजेज थे। क्योंकि कम्पनी लिक्वीडेशन में चल रही थी इसलिए उसमें साथ-साथ यह क्लाज था कि कोई फ्राड नहीं होगा किसी भी ट्रांजैक्शन में और दूसरा क्लाज यह था कि किसी के द्वारा कोई फाइनेंशियल डिफाल्ट नहीं होगा। लेकिन यहां पर डिफाल्ट भी हुआ और फ्राड भी हुआ और कम्पनी लिक्वीडेशन में चली गई। इसलिए मन्त्री जी का यह कहना कि हमारा पैसा बिल्कुल सेफ है, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि 90 करोड़ में से 30 करोड़ जो मिला है उसमें भी 10 करोड़ डिसप्यूट में चला गया क्योंकि नाइजीरिया की कम्पनी ने कह दिया कि यह माल हमें मिला नहीं; बाकी 60 करोड़ भी झगड़े में पड़ने वाला है क्योंकि जो क्लाज है इन्श्योरेंस कम्पनी का उसका वायलेशन हुआ है।

इसके अलावा एक जो 15 करोड़ का एडवांस दिया गया उसके अगेंस्ट हांगकांग की एक पार्टी ने कह दिया कि हमारी कोई डील नहीं हुई है। और नाइजीरिया की गवर्नमेन्ट ने कहा कि 35 करोड़ के जो बिल एडवांस दिए गए और डिसकाउन्ट दिया गया उसकी कोई डील ही नहीं हुई इसलिए वे पैसा देने के लिए तैयार नहीं हैं। 15 करोड़ रुपया हांग-कांग की पार्टी और 35 करोड़ रुपया नाइजेरिया की पार्टी ने देने से इन्कार कर दिया है। मैं सदन की नोटिस में लाना चाहता हूं कि इस प्रकार 50 करोड़ रुपया डूबने वाला है। इसके अलावा मैं सबसे बड़ा फ्राड आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। पंजाब नेशनल बैंक ने सेठिया साहब को 20 करोड़ रुपया ओकाई-टी० शेयर्स खरीदने के लिए दिया और आप शेयर्स खरीद लीजिए। कानून के मुताबिक जिस कम्पनी को आपने शेयर्स खरीदने के लिए पैसा दिया है, तो उस कम्पनी के शेयर्स या तो मोर्टगेज होने चाहिए थे या उनके नाम में रजिस्टर्ड होने चाहिए थे। मेरी सूचना के मुताबिक न तो शेयर्स बैंक के नाम रजिस्टर हुए और न

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

ही मोर्टगेज हुए । मजेदार बात यह है कि शेयर खरीदने के लिए बैंक से पैसा लिया और उन्हीं शेयर्स को लन्दन में ले जाकर एगेन्स्ट में 20 करोड़ रुपए ले लिए । मेरी दृष्टि में इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है कि 20 करोड़ रुपया बैंक से लेकर शेयर्स खरीदे और उन्हीं को लन्दन में उसी बैंक की ब्रान्च में ले जाकर मोर्टगेज करके 20 करोड़ रुपए वहां रख दिए । इस प्रकार यह 20 और 20, चालीस करोड़ रुपया भी डूबने वाला है।

कहा जा रहा है कि सेठिया साहब की मूवेबिल प्रापर्टी है । एक बोइंग विमान जिसकी कीमत करीब तीन करोड़ है, एक होटल यू० एस० ए० में है और लन्दन में एक घर है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि कागजों पर जो कीमत लगाई गई है, उसको ओवर-वैल्यू किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सौ करोड़ रुपया डूबने वाला है, जिसनें हांग-कांग की पार्टी का 15 करोड़ रुपया, नाइजेरियन गवर्नमेंट का 35 करोड़ रुपया, लॉयड कम्पनी के 10 करोड़ जो कि उसने वापिस मांगे हैं, 20 करोड़ रुपया जो बैंक ने शेयर्स खरीदने के लिए दिए और उन्हीं शेयर्स के एगेन्सट फिर 20 करोड़ रुपया लिया। इस प्रकार 100 करोड़ रुपया देश का बिल्कुल डूबने वाला है । वह हमको मिलने वाला नहीं है । सेठिया साहब के बेनामी एकाउन्ट में कम से कम 50 करोड़ रुपया दिया गया है। मैं नाम भी देना चाहता हूं । श्री पुजारा जो सेठिया साहब के एम्पलायी हैं, उनके नाम 20 करोड़ रुपया बेनामी एकाउन्ट में दिया गया है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कम से कम 50 करोड़ रुपया सेठिया साहब के बेनामी एकाउन्ट में दिया गया है । इसके अलावा जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम हैं, श्री अमरजीत सिंह और श्री बालूजा। इन दोनों को सेठिया साहब ने अपने बैंक में से 15-15 करोड़ रुपए दिए हैं। मेरे पास बेनामी एकाउन्ट के नाम हैं, मैं उनको देने के लिए तैयार हूं । 15 करोड़ रुपया अमरजीत सिंह को दिया गया और 15 करोड़ रुपया श्री बालूजा को दिया गया । यह जो घोटाला हुआ है, वह इन तमाम लोगों से मिलकर हुआ है।

माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि ज्यादातर जो हिस्सा एडवांस का है, वह बिल-रिसीवेबिल क्लेम, सिक्योरिटीज और गारन्टेड है । मैं पूछना चाहता हूं कि कितना हिस्सा रिकवरेबिल है और कितने पैसे का फ्रॉड हुआ है? सौ करोड़ रुपया, जिसकी डिटेल में पहले भी दे चुका हूं, 15 करोड़ रुपया हांग-कांग का, 35 करोड़ रुपया नाइजेरिया का, 20 करोड़ रुपए के जोकाई-टी० शेयर्स, इसके एगेन्स्ट 20 करोड़ रुपया जो लन्दन में लिया गया और 10 करोड़ रुपया लायड कम्पनी वाले वापिस मांग रहे हैं, क्या यह सच नहीं है कि लॉयड्स ने वहां पर इंशारेंस पालिसी की क्लाज को वायोलेट किया है? कम्पनी लिक्वीडेशन में जा रही थी, वहां पर आडिटर ने कहा है कि फाइनेंशियल डिफाल्ट हुआ है । क्या यह बात सच नहीं है कि पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमेन, श्री ओ० पी० गुप्ता जो कि उस समय के चेयरमेन थे, ने इस कम्पनी को ब्लैक-लिस्ट कर दिया है? पांच करोड़ रुपए का लोन देने के बावजूद भी इनको लोन दिया गया और वह बढ़ते-बढ़ते आज 150 करोड़ रुपया हो गया है। क्या यह सच नहीं है, सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने जब पहला लोन 1980 में 2.8 मिलियन पाउन्ड्स का दिया, तो आडिटर ने वार्न कर दिया था कि यह फ्रॉड है और उसके बावजूद भी वह लोन देते रहे ? आखिरी सवाल यह है, क्या मन्त्री महोदय विश्वास दिलाएंगे कि जिस प्रकार सेठिया साहब ने अमरजीत सिंह और बालूजा को 15-15 करोड़ रुपए दिए, उसकी इन्क्वायरी अलग से कराने का विश्वास दिलाते हैं ? ···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। आप कतिपय लोगों पर आरोप लगा रहे हैं और उनका

नाम ले रहे हैं। आपने बैंक के अध्यक्ष का नाम बताया है। अखबारों में इसे छापा होगा। आप कुछ आरोप लगा रहे हैं कि कतिपय राशि···

श्री ललित माकन : यह सभी बातें अखबारों और पत्रिकाओं में छपी हैं। मैं जांच करवाने की मांग कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अखबार वाले ऐसा कर सकते हैं। यह बिल्कुल अलग बात है। परन्तु कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाने के लिए आपको अध्यक्ष ने इजाजत नहीं दी है। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति का नाम लेना, जो कि अनुपस्थित हो, ठीक नहीं है। अखबारों में ऐसा हो सकता है। यह एक अलग बात है। आप इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते हैं।

श्री ललित माकन : मैं इसे लिखित में देने के लिए तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इसकी अनुमति नहीं मिली है। जिन व्यक्तियों पर आरोप लगाए गए हैं उनके नाम कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वह पूर्व प्रभावी तारीख से इजाजत ले सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं अगर यह दी भी जाती है तो भी नहीं, उनकी पुष्टि करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है।

श्री ललित माकन : महोदय, अगर आप इन अधिकारियों का नाम कार्यवाही में सम्मिलित नहीं करना चाहते हैं तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : भाषण में नाम लेने में कोई कठिनाई नहीं है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाना और उसका नाम लेना, जो यहां पर उपस्थित न हो, स्वीकार्य नहीं होगा।

श्री ललित माकन : जहां तक नामों का सम्बन्ध है, उनके स्थान पर 'व्यक्तियों' का उल्लेख किया जा सकता है। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : अगर वे कहते हैं कि 'उच्च नैतिकता वाले व्यक्ति' तो इससे काम चलेगा।

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं। सच तो यह है जैसा कि पहले बताया गया था कि इन बातों से कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है।

श्री ललित माकन खड़े हुए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं आपके प्रश्नों को ले रहा हूं।

माननीय सदस्य ने बीमा दावे के बारे में एक प्रश्न पूछा है। यहां पर भी हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। बीमा कराने के लिए कुछ शर्तें एवं नियम हैं। जो कुछ हम यहां पर कहते हैं वह हमारे विरुद्ध नहीं होना चाहिए। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं कहूंगा कि बीमा कम्पनियों के वकील और अधिकारीगण पहले ही यहां पहुंच चुके हैं। वे इसे ऐसा रूप देना चाहते हैं कि यह राशि देय नहीं है। इसके विपरीत, इस लेन देन में जो कुछ भी पैसा खर्च हुआ है वह भी वापस मिलना चाहिए। जब कभी भी इस तरह की अनियमितताएं बरती जाती हैं तो बैंक की सबसे पहली चिंता होती है पैसों को वापस प्राप्त करने की।

अब हमें उस राशि की चिन्ता है जो हमने इन कम्पनियों को अग्रिम रूप में दी गई हैं। साथ ही हमें इन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए जो इन कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, साथ ही उनसे राशि भी वसूल की जानी चाहिए। अपने मुख्य जवाब में हमने कहा है कि अनियमितताएं हुई हैं और उन्होंने अपनी निर्धारित सीमा भी पार की है। रिजर्व बैंक इसकी जांच कर रहा है और यह सभी पहलुओं पर ध्यान दे रहा है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी जांच कार्य करवा रहा है। मैं यहां पर पूछना चाहता हूं : क्या आप इस सम्मानीय सदन को जांच-पड़ताल एजेन्सी में परिवर्तित करने जा रहे हैं ? आखिरकार, हमारा उद्देश्य है दोषी व्यक्तियों को सजा देना। पर ऐसा न हो कि जो कुछ भी हम यहां पर कहें वह कल को अदालत में हमारे विरुद्ध प्रयोग किया जाये। इसीलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं—मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता को जानता हूं, इस विषय पर आप लोग, सम्पूर्ण सदन और पूरा देश उत्तेजित है, इसीलिए मैं सदन से एक नम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप इसमें ज्यादा गहराई में न जाएं क्योंकि जांच कार्य चल रहा है। वे इसके ब्यौरों की जांच कर रहे हैं।

जैसा कि पहले मैंने कहा है, सरकार किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगी। कार्यवाही की जायेगी। मैं आपको आश्वासन देता हूं और फिर कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। इन परिस्थितियों में हाथ जोड़कर मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इसके विस्तार में न जायें। सम्बन्धित जांच एजेन्सी द्वारा इन ब्यौरों की जांच-पड़ताल की जाएगी। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए, उन्हें समाप्त करने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री माकन, कृपया बैठ जाइए। उन्हें समाप्त करने दीजिए। **(व्यवधान)** मैं सिर्फ उन्हीं सदस्यों को अनुमति दे सकता हूं जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है न कि अन्य सदस्यों को। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

(व्यवधान)**

श्री ललित माकन : मुझे यह समझ नहीं आया। मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मन्त्री जी अनिच्छुक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री माकन, आप क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं ?

श्री ललित माकन : वह इन सभी प्रश्नों का सुस्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। तो संसद में इस मामले पर चर्चा करने के लिए अध्यक्ष द्वारा इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को गृहीत क्यों किया गया है ? उसी समय यह कहना चाहिए था कि यह राष्ट्रीय हित का मामला है और यदि आप इसकी संसद में चर्चा करेंगे तो इसका देश हित पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह बहुत चिंता का मामला है। उन्होंने पहले ही मेरा एक प्रश्न स्वीकार किया है कि लॉयड कम्पनी के लोग यहां दिल्ली में आए हैं तथा वे सरकार से और बैंक से वापस पैसा लेने के लिए कह रहे हैं। वे कितना पैसा वापस लेने के लिए कह रहे हैं,

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

इस बारे में उन्हें जवाब देने दो, कितने लेन देन का बीमा किया गया ? ये सभी प्रश्न साफ-साफ हैं। यह बात पहले ही जनता तक पहुंच चुकी है। इसको सभी समाचार पत्रों में छापा गया है; यह सभी पत्रिकाओं तथा दैनिक समाचार पत्रों में आ चुका है। मैं नहीं जानता कि वह क्यों इसको गुप्त रखने की कोशिश कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मन्त्री जी पर उत्तर देने के लिए दबाव नहीं डाल सकता हूं क्योंकि उन्होंने पहले से ही बताया है कि यदि आप इसकी गहराई में जायेंगे तो जांच-पड़ताल पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इन परिस्थितियों के अन्तर्गत मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता क्योंकि इससे जांच पर प्रभाव पड़ेगा।

श्री ललित माकन : उन्होंने नाइजीरियन सरकार के बारे में कुछ नहीं बताया है। (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : पूरे देश के लोग इन लोगों को दण्ड देना चाहते हैं, देश भी उस पैसे को वापस लेना चाहता है। हमने बीमा कम्पनी से कुछ राशि प्राप्त की है। जो कुछ वक्तव्य मैं यहां दे रहा हूं कि इसके लिए हमारे अधिकारी जिम्मेदारी हैं और एक धोखा किया गया है तो वे कम्पनी में इसे बताएंगे और कहेंगे कि 'इस बारे में मंत्री जी ने पहले से ही वक्तव्य किया है' आप हमें पूरी राशि दो। आप हमें पैसा क्यों नहीं दे रहे हो जबकि मंत्री जी ने संसद में पहले से ही वक्तव्य दिया है ? यह मेरी समस्या है। मैंने आपके सामने सब कुछ बता दिया है। हर पहलू पर विचार किया जायेगा। मैं जानता हूं कि यह आपके लिए भी चिन्ता का विषय है। लेकिन आज मेरा कहना यह है कि मैं जो कुछ यहां बोलूं, उसे कल हमारे विरुद्ध प्रयोग न किया जाए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं और जैसा कि मैंने शुरू में कहा है, हम आपके इस विचार तथा आपकी इस दिलचस्पी के साथ हैं कि हमें वह राशि वापस लेनी है और साथ ही देश हित को भी ध्यान में रखा जाए। यही नहीं बैंक प्रणाली विदेशों में चल रही है और हम विदेशों में भी कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं।

श्री ललित माकन : दूसरा प्रश्न भी है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत—अनुपस्थित। प्रो० मधु दण्डवते।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने सभी औपचारिकतायें पूरी कर ली हैं। मैंने आपको नियम के अन्तर्गत सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसे देख लिया है। ठीक है। आप उस व्यक्ति पर आरोप नहीं लगा सकते जो सदन में उपस्थित नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : हम किसी बेनाम शहीद को पसन्द नहीं करते हैं, उनके नामों की जानकारी होनी चाहिए। मुझे उनका उल्लेख करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां यदि सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो आपको किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाना चाहिए। यह समस्या है। अन्यथा मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : जब हम यहां तक पहुंचेंगे तो हम इसका भी निर्णय कर लेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : बिना आरोप लगाते हुए वह नामों का उल्लेख कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सामान्य रूप से नामों का उल्लेख किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कपटपूर्ण ढंग से अंधाधुंध ऋण देने के मामलों में केवल बैंक अधिकारी ही शामिल नहीं हैं बल्कि इसमें बैंक के अधिशासी अति विशिष्ट व्यक्ति, भूतपूर्व केबिनेट मंत्री, बहुत से अन्य बडे लोग तथा विदेशी एजेन्सियां भी शामिल हैं। मैंने जो प्रश्न पूछे हैं, उनके सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उस पर गम्भीरता से ध्यान दें और अपनी योग्यता तथा क्षमतानुसार उत्तर में हमें जानकारी उपलब्ध करायें। शुरू में ही मैं एक उद्धरण दूंगा जिससे इस समस्या के विस्तार का पता चल सकेगा। राजेन्द्र सेठिया और उसकी कम्पनी अनेक गैर-कानूनी व्यवसायों में लगी हुई है। हमारा देश कीर्तिमान स्थापित करने वालों का है। क्रिकेट में हमने कीर्तिमान स्थापित किया, खेलों में हमने कीर्तिमान स्थापित किया। आपको आश्चर्य और विस्मय होगा जब आप कुछ तथ्यों को जानेंगे यदि आप गिनीज बुक आफ रिकार्ड को पढ़ेंगे। आपको पता चलेगा कि विश्व के विभिन्न स्थानों में जिनको पहले दर्जे का दिवालिया बताया गया है वह अमेरिका के बिलियम स्टून थे। उन्हें दिवालिया के रूप में घोषित किया गया था और ऋणदायित्व कितना था जो वह नहीं दे पाए थे? यह 1430 लाख पौंड था। और अब भारत में एक नीचा कीर्तिमान राजेन्द्र सेठिया ने स्थापित किया जिनका कीर्तिमान 1700 लाख पौंड है। 1700 लाख पौंड के 15 से गुणा करके जो रकम आती है वह भारतीय रुपयों में है, अतः यह नया कीर्तिमान है जिसे स्थापित किया गया है।

सबसे पहले हमें समस्या के विस्तार के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। इस तरह की समस्या पर सुरक्षा के पहलू से और साथ-साथ भारत की अर्थ-व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इससे क्या हानि उठानी होगी। और इसलिए मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे विभिन्न प्रश्नों का जवाब दें। मैं नहीं चाहता कि शामिल हुए बैंकों की संख्या आदि के बारे में जो कुछ उन्होंने पहले जानकारी दी है उसे वह दोबारा से बतायें।

मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि पिछले वर्ष अगस्त में वित्त मन्त्रालय की बैंकिग शाखा ने रिजर्व बैंक के गवर्नर को इन समस्याओं से सम्बन्धित कुछ कपटपूर्ण मामलों के बारे में बताया था और यदि माननीय मन्त्री इस बात से मुकरते हैं तो मैं इससे सम्बन्धित एक दस्तावेज सदन के पटल पर रखने को तैयार हूं। मैं इसको करने के लिए तैयार हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको लिखा था कि मैं इस सदन में जो कुछ आरोप लगाऊंगा, मैं उन आरोपों की प्रमाणिकता के लिए पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और मैं उन आरोपों को वैयक्तिक रूप से किसी की निन्दा के लिए नहीं बल्कि उनकी पुष्टि कराने के लिए सत्यापित कर रहा हूं जहां तक कि अनियमितता का सम्बन्ध है, ठेकेदारों को अनियमित भुगतान करना, उन्हें अन्धाधुंध भुगतान करना, इस तरह के सभी राशियों के ब्यौरे उपलब्ध हैं। 23 मार्च, 1985 के इलस्ट्रेटिड वीकली आफ इण्डिया के अंक में श्री सेठिया की कम्पनी के बारे में पूरा ब्यौरा प्रकाशित किया गया है। मैं इनको दोहराना नहीं चाहता हूं। केवल संदर्भ के लिए मैंने उसका उल्लेख किया है। वह इसको गहराई से देख सकते हैं। क्या यह सही है कि इन बैंकों के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि वित्त मन्त्रालय में कहीं 25 लाख रुपए की राशि इधर से उधर की गई है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन यह सही है कि वित्त मन्त्रालय में 25 लाख रुपए इधर-उधर हुए हैं और इसके परिणामस्वरूप बैंक के कुछ अधिकारियों पर कोई आंच नहीं आई? राजेन्द्र सेठिया कम्पनी 'ऐसाल कोमोडिटीज' को 100 करोड़ रुपए की विशाल राशि का ऋण क्यों दिया गया था? क्या आपने उन्हें बताया कि ऋण जारी करने के लिए स्वीकृत नियम है, मानदण्ड है और कुछ

औपचारिकतायें हैं । इस सम्बन्ध में यदि बातचीत हुई हो तो क्या आप इसे सभापटल पर रखने को तैयार हैं ? पिछले समय में जब ग्राहक विशाल राशि के ऋण की मांग करता था तो उसे इसके नियम और औपचारिकताओं के बारे में बताया जाता था । क्या आप उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को सभापटल पर रखने को तैयार हैं, जिनमें इतनी विशाल राशि का ऋण देते समय नियमों और औपचारिकताओं का पालन किया जाता है ।

अब एक दिलचस्प पहलू आया है । लन्दन की अदालत ने सेठिया की ऐसाल कोमोडिटीज फर्म का परिसमापन करने और लन्दन में पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धक को सेठिया फर्म के साथ कपटपूर्ण कार्यों में शामिल होने के कारण गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं और जिस समय न्यायालय ने अपना निर्णय दिया, मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं—वह गृह मन्त्री से पूछ सकते हैं जो उनके बाईं तरफ बैठे हैं कि क्या जब श्री सेठिया को दिवालिया घोषित किया गया था उस निर्णय के तुरन्त बाद से श्री सेठिया लन्दन से फरार हो गए और वह स्पेन में कहीं चले गए हैं ? और क्या स्पेन में ही उन्होंने यहां के कुछ अधिकारियों तथा कुछ मन्त्रियों के साथ पहले से ही सम्पर्क बनाया हुआ था और उनसे सम्बन्ध स्थापित करके कतिपय सूचना से प्राप्त करने के लिए भारत आने में सफल हो गये । मैं चाहता हूं कि वे हमें बताएं कि लन्दन की अदालत ने जब उनके विरुद्ध निर्णय दिया तो क्या वह स्पेन से भी फरार हो गये थे और यह कैसे हुआ कि वह भारत आने में सफल हो गए । क्या आपने इस बात की जांच की है अथवा क्या आप इसकी जांच करने को तैयार हैं कि उनके स्पेन से दिल्ली आने में वित्त मन्त्रालय के कौन-से व्यक्तियों का हाथ है तथा इस बारे में ब्यौरा क्या है ? क्या मन्त्रिमंडल के किसी भूतपूर्व मन्त्री—मैं किसी के नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूं क्योंकि जब मैं यह कहता हूं कि मन्त्रिमंडल का भूतपूर्व सदस्य, मैं भी उनमें से एक हो सकता हूं—और भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के सचिवालय के कर्मचारीवृन्दों में से एक प्रतिष्ठित सदस्य के राजेन्द्र सेठिया से सम्बन्ध थे ? यदि उनके सम्बन्ध थे तो क्या आपने इस बात की जांच की है कि किसके कहने पर राजेन्द्र सेठिया, जो स्पेन भाग गया था, भारत आया ? पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष श्री बालूजा तथा सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष श्री सोनालकर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया था ? इसमें सन्देह नहीं कि उनको उनके पदों से हटा दिया गया है । किन्तु उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? अब एक रोचक कहानी सामने आई है । जब उन्होंने इस सज्जन व्यक्ति—मैं उन्हें सज्जन व्यक्ति कह रहा हूं मुझे इसके लिए क्षमा करें—को गिरफ्तार किया तो उनके पास से 7 पासपोर्ट निकले थे । क्या यह सत्य है कि कुछ पासपोर्ट इस सरकार के अधिकारियों की सहायता से प्राप्त किये गए थे और अन्य पासपोर्ट किसी से सांठगांठ करके प्राप्त किए गए थे ? आपको यह तथ्य जानकर आश्चर्य होगा और मैं मन्त्री महोदय से इस बात की पुष्टि करना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि जब श्री राजेन्द्र सेठिया को गिरफ्तार किया गया था तो उस समय उसके पास विदेश जाने के लिए एक हवाई टिकट था । उनके पास सात पासपोर्ट तथा एक हवाई टिकट था, एक पासपोर्ट एक व्यक्ति श्री दुग्गर के नाम में था । उनका चित्र उसमें लगा हुआ था । उनका नाम श्री दुग्गर था । शायद उनकी शक्ल उन सज्जन व्यक्ति से मिलती थी और वे श्री दुग्गर के नाम से जा रहे थे । वे विदेश जा रहे थे । गिरफ्तारी के समय उनके पास सात पासपोर्ट पाए गए थे । और तथाकथित दुग्गर का सचित्र पासपोर्ट मिला था । यह पासपोर्ट उनके बैग में था और वे उस सूटकेस के साथ, जिसमें वह जाली पासपोर्ट और जाली पहचान पत्र था, के साथ जाने वाले थे । क्या यह सच है । मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्हें भगाने में किनका हाथ था ? (व्यवधान)

मैंने कहा है कि अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों एवं भूतपूर्व केबिनेट मन्त्रियों का हाथ है । मैंने

आपको नोटिस दिया है कि मैं कुछ दस्तावेजों और लेखों का उल्लेख करूंगा जो प्रकाशित हो चुके हैं। मैंने विशेष रूप से नियम 353 के अन्तर्गत नोटिस दिया है जिसमें कहा गया है कि मैं विभिन्न तिथियों को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुए 'बिहाइंड दी सीन्स' के पीछे के कुछ महत्वपूर्ण स्तम्भों का उल्लेख करूंगा। मेरे पास आज का 'हिन्दुस्तान टाइम्स' है। मैं इसमें से रोचक उद्धरण दूंगा :

> "राजेन्द्र सेठिया की गिरफ्तारी से कई बने बनाए काम चौपट हो गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सभी की उसके भागने में रुचि थी। अब उन महत्वपूर्ण लोगों का नाम लिया जा रहा है जो कभी स्वयं और नई दिल्ली में दूरी रखना चाहते थे। इस बात को कोई नहीं जानता कि सेठिया कितने भेद उगलेंगे। एक तथ्य उभरकर सामने आया है; सेठिया एक उदार लन्दन मेजबान था। वह अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों की बेटियों एवं पत्नियों के नृत्य दौरों का दायित्व ले सकता था, उनकी खर्चीली खरीदारी का बोझ उठा सकता था और उनके पतियों को प्लेबआय क्लब' की सैर करा सकता था। इन क्लबों में अनौपचारिक कपड़े पहनने की आवश्यकता होती है बल्कि कपड़े पहनने की आवश्यकता ही नहीं होती...।"

1.00 म० प०

यह तो वित्त मन्त्री की तरह हुआ जो बहुत कम छिपाता है, बताता अधिक है, यह हमारे वित्त मन्त्री के बिलकुल विपरीत...(व्यवधान)

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : क्या वे उन्हें नग्न क्लबों में भी ले गए थे ?

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह बात नहीं जानता।

> "भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऊंचे पदों पर आसीन कार्यकारी अधिकारी जब कार्यवश विदेश दौरे पर जाते थे तो वे इन क्लबों में भी कई बार जाते थे। सेठिया कांड से हो सकता है, क्लब में लिए गए स्नैपशाट भी सामने आएं जिनसे कई रहस्योद्घाटन हों।"

मैंने जिस लेख को उद्धृत किया है उसमें यह बातें कही गई हैं।

एक माननीय सदस्य : केबिनेट मन्त्री कौन है ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं।

क्या वित्त मन्त्री महोदय ने पहली अप्रैल, 1985 के 'नवभारत टाइम्स' में प्रमिला कल्हन द्वारा लिखित 'पर्दे के पीछे' स्तम्भ तो पढ़ा है ?...(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं किसी की रक्षा नहीं कर रहा किन्तु समाचार पत्र में जो कुछ प्रकाशित हुआ है क्या उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जा सकता है ? यह उनका बयान नहीं है, समाचार पत्र में जो लेख प्रकाशित हुआ है, उन्होंने उसका एक अंश पढ़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इसमें कहीं आरोप लगाया गया है तो यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जा सकता है।

प्रो० मधु दंडवते : पहली बात तो यह है कि कोई आरोप नहीं है। यह तो एक भूतपूर्व मंत्री, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, एक कार्यकारी अधिकारी के बारे में है किन्तु उसमें किसी का नाम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर उसमें आरोप नहीं लगाया गया तो इसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित किया जा सकता है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आप ठीक कह रहे हैं। इसे 'उद्धरण' के रूप में कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित किया जाए। मैं उस उद्धरण का लेखक नहीं हूं वह किसी और ने लिखा है। मैंने एक नाम का भी उल्लेख किया है। अतः महोदय, मैं आपका आभारी हूं।

अब सेठिया को ही लीजिए। जब भी वह भ्रष्टाचार का सहारा लेता है तो वह कोई एक भ्रष्ट कार्य नहीं करता, बल्कि वह तो हमेशा भ्रष्टाचार का भण्डार है। जैसे कि कोई एक एकाधिकारी नहीं है, एकाधिकार गृह हैं उसी प्रकार इन मामलों में भी जब भ्रष्टाचार एवं कदाचार का सहारा लिया जाता है तो यह कार्य अकेले नहीं किए जाते बल्कि इसमें सामूहिक दायित्व होता है। जैसे कि हमारे यहां केबीनेट राष्ट्रपति के समक्ष सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, वे अनुभव करते हैं कि जहां तक कदाचारों का सम्बन्ध है, उनकी बैंक एवं सरकार के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए और इसलिए केवल एक ही सेठिया का हाथ नहीं है। दो भाई भी हैं। मैंने नियम 353 अन्तर्गत एक और नोटिस दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा आपकी अन्तरात्मा को परेशानी किए बिना तीन नाम देता हूं। एक निर्मल सेठिया हैं, दूसरा रन्जीत सेठिया है और तीसरा राजेन्द्र सेठिया स्वयं हैं। अतः इन तीन व्यक्तियों के समूह ने कदाचार एवं छलयोजन किया है। जबकि इन तीनों में मुख्य भूमिका राजेन्द्र सेठिया की है। उसके दो अन्य भाइयों को विश्व के विभिन्न भागों में भेजा गया था। एक यह पता लगाने काठमांडू गया था कि क्या वहां से किसी प्रकार की सहायता मिल सकती है। दूसरा, जिनका नाम रन्जीत सेठिया है करांची गए थे। करांची के समाचार पत्रों में में भी इस बात का उल्लेख किया गया था कि वे वहां यह पता लगाने का प्रयास कर रहा था कि ब्रिटेन के कतिपय अधिवक्ता, जो वहां कार्यरत हैं, श्री सेठिया के लिए बचाव पक्ष के वकील के रूप में उपलब्ध किए जा सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है।

एक और बात से हमारा ध्यान विदेशी एजेन्सियों की ओर जाता है। क्या निर्मल सेठिया का रूस के तीसरे सचिव श्री गुनेजा को भारत से बाहर ले जाने में हाथ था? क्या सेठिया के विदेशी एजेन्सियों से सम्बन्ध थे? अब कोई यह कह सकता है कि क्योंकि उसका अपहरण किया गया है, शायद मैं साम्यवादियों से मिल गया हूं और पश्चिमी देशों के विरुद्ध समान उद्देश्य से प्रेरित हूं और इसलिए उनके विरुद्ध आरोप लगा रहा हूं किन्तु यही बात समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है और व्यापक रूप से प्रकाशित की गई है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या रूस के तीसरे सचिव श्री गुनेजा को भारत से बाहर ले जाने में श्री सेठिया का हाथ था और क्या उसका किसी विदेशी एजेन्सी से सम्बन्ध है। जब यह सभी बातें हो रही थीं तो बिलकुल उसी समय सेठिया के एक भाई का काठमांडु यात्रा का औचित्य क्या था? क्या मन्त्री महोदय ने उस पत्र को पढ़ा है जो पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष श्री बालूजा के एक निदेशक ने अनियमित वित्तीय सौदों के बारे में 15 फरवरी, 1985 को लिखा था? वह पत्र 23 मार्च, 1985 के **'इलस्ट्रेटिड वीकली'** में प्रकाशित हुआ है। अतः इस पत्र की जांच की जा सकती है। उस पत्र में काफी ब्यौरे दिये गए हैं। यदि आप उस पत्र को प्राप्त कर सकें तो आप उसे सभापटल पर रख सकते हैं। यदि आप उसे सभा पटल पर न भी रखें तो कोई बात नहीं यह पाठकों के समक्ष तो पहुंच चुका हूं। बैंक के अध्यक्ष को सम्बोधित बैंक के निदेशक द्वारा लिखित इस पत्र में यह कहा गया है कि बैंक में क्या हो रहा है, बैंक के अधिकारियों में कैसी सांठगांठ चल रही है, उसकी अनेक एजेन्सियों की सांठगांठ कैसे हुई।

इन सब बातों का उस पत्र में उल्लेख किया गया है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय उसे ध्यान से पढ़ें तथा यह देखें कि इस सम्बन्ध में क्या किया जाना है।

महोदय, सुरक्षा पक्ष तथा आर्थिक पक्ष, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। चूंकि मैंने यह कहा है कि विश्वस्त सूत्रों से यह पता चला है कि केबीनेट के कतिपय भूतपूर्व मंत्री इस सज्जन व्यक्ति के आतिथ्य का आनन्द उठा चुके हैं और उसने उनकी मेहमानवाजी की थी और उन्होंने अतीत में कुछ सूचनाएं दी हैं, चूंकि उनका इनमें हाथ है उनके नामों का भी उल्लेख हुआ है किन्तु मैं यहां की प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के कारण उनका उल्लेख नहीं कर सकता। चूंकि अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जो विभिन्न प्रकार के समझौतों पर हस्ताक्षर करने गए थे उनके नामों का उल्लेख किया गया है, अनेक अधिकारियों का नाम लिया गया है और कतिपय विदेशी एजेन्सियों एवं स्थानों का भी उल्लेख किया गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वे इन सभी पहलुओं पर विचार करेंगे और हमें बता सकेंगे कि सही वस्तुस्थिति क्या है।

महोदय, मैं मंत्री महोदय के इस तर्क को पूर्णतया अस्वीकार करता हूं कि यदि हमने इस मामले पर इस सभा में चर्चा की तो न्यायपालिका में उस मामले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम इस सभा के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं कर सकते हैं। न ही न्यायाधीश इस सभा के वक्ताओं के आचरण पर बहस करते हैं। यह बात अध्यक्ष महोदय पर निर्भर करती है और आपका निर्णय अन्तिम होगा। आपको यह स्मरण कर अत्यन्त प्रसन्नता होगी कि आपको तो संविधान द्वारा सुरक्षा मिली हुई है। जब आप मेरे इस अच्छे विचार को भी अस्वीकार कर देंगे तो मैं विधि न्यायालय में नहीं जा सकता—मैं वहां जाने का इच्छुक भी नहीं हूं क्योंकि संविधान की दृष्टि से भी आपको सुरक्षा मिली हुई है। इसी प्रकार, यह सभा तथा न्यायालय एवं न्यायाधीश भी सुरक्षित हैं। वे स्वतन्त्र निकाय हैं और आपको कभी भी चिन्तित नहीं होना चाहिए। और मैं अब एक पूर्वोदाहरण दूंगा, जब हम स्थापित किए गए विभिन्न न्यासों जो भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम का प्रयोग कर रहे थे, की समस्या पर विचार कर रहे थे तो इस सभा में व्यवस्था के प्रश्न उठाए गए थे। किन्तु मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अध्यक्ष महोदय, जो उस समय पीठासीन थे और अब भी लोक सभा के अध्यक्ष हैं, ने भूतकाल की सभी परम्पराओं को देखने के बाद विनिर्णय दिया था कि "मैं मधु दण्डवते को इन मामलों को उठाने से तब तक नहीं रोक सकता जब तक कि वह कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध इस प्रकार के आरोप नहीं लगाते जिन्हें वह सिद्ध नहीं कर सकते और साक्ष्य नहीं दे सकते।" अतः उस समय जो मैंने कहा वह सब कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित किया गया था।

एक तरह से मैं इससे सहमत हूं। यहां पर जो कुछ भी होता है उससे जांच पड़ताल में सहायता मिलेगी, न्यायालय को भी सहायता मिलेगी। प्रसिद्ध न्यास कांड में जिस पर हमने इस सभा में बहस की थी, जब यह मामला विधि न्यायालय में गया तो इस सभा में जो बातें कही गई थीं उन्हें न्यायाधीशों ने आभार प्रकट करते हुए उद्धृत किया था। यहां जो हुआ था उन्होंने उसे ध्यान में रखा और यहां पर कही गई अनेक बातों को अधिवक्ताओं ने आगे स्पष्ट किया। वे सभा की कार्यवाही के लिए कृतज्ञ थे। इसलिए यदि हमारे प्रधान मंत्री देश की राजनीति को स्वच्छ बनाना चाहते हैं तो उन्हें हमारे राजनीतिक और आर्थिक जीवन में सभी प्रकार की अस्वच्छता पर बहस का स्वागत करना चाहिए। और यदि इस सभा में यह बहस सही ढंग से की जाती है तो हो सकता है कि जो लोग इस मामले की जांच-पड़ताल कर रहे हैं और यहां तक कि न्यायाधीशों के लिए भी, जिन्हें इसका निर्णय करना पड़ेगा, इस सभा की यह कार्यवाही सहायक सिद्ध होगी। मेरे विचार से

विधायिका और न्यायपालिका को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। मैं दोनों में संघर्ष नहीं सहयोग चाहता हूं, दोनों को एक-दूसरे का पूरक चाहता हूं। यदि इस सभा में हम जो बातें कह रहे हैं उससे न्यायपालिका को सहायता मिले तो मुझे अतीत प्रसन्नता होगी। अतः इस सम्बन्ध में मैं क्षमा-प्रार्थी नहीं हूं, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मुझे इस पर गर्व है।

मुझे आशा है कि मैंने जो प्रश्न पूछे हैं, माननीय मंत्री उन सभी का उत्तर देंगे।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, अनेक प्रश्न पूछे गए हैं। महोदय, आप तो नियम जानते हैं और माननीय सदस्य भी नियम जानते हैं कि एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान एक माननीय सदस्य कितने प्रश्न पूछ सकते हैं और कितने प्रश्न······

प्रो० मधु दंडवते : कृपया मुझे क्षमा करें। यदि आप सभा की पिछले 20 से 25 वर्षों की कार्यवाही देखें तो आप पायेंगे कि नियम केवल कागज तक ही सीमित हैं और जो निर्वचन एवं प्रयोग से सामने आते हैं वही नियम हैं। इसलिए हमें यथासम्भव अनेक प्रश्न पूछने की अनुमति है।

श्री जनार्दन पुजारी : इस सम्मानित सदन में हम भी पिछले साढ़े पांच वर्ष से आ रहे हैं (व्यवधान) अब यह समस्या है। कमजोर वर्ग को ऋण देने पर कुछ लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी हैं और आपकी जानकारी के लिए मैं भी······

प्रो० मधु दंडवते : सेठिया कमजोर वर्ग का है?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं भी बात करता रहा हूं और हमारे पक्ष के माननीय सदस्य ने एक मुद्दा उठाया था कि जब आप कमजोर वर्ग को ऋण दे रहे हैं तो आप सभी नियमों और अन्य बातों के बारे में बहुत ही सावधान हैं और हम सभी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। मैं बैंक कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों तथा बैंक के प्रबंधकों से भी कहता आया हूं कि 'जब आप लोग ऋण दे रहे थे तो कोई भी व्यक्ति टिप्पणी नहीं कर रहा था' आज मैं बहुत खुश हूं कि सभी सदस्य प्रबंधकों के बारे में कह रहे हैं, जिसके बारे में मैं पिछले तीन वर्षों से कहता आया हूं। यहां तक कि इस समस्या का सामना मैंने पहले भी किया है। जब आप कमजोर वर्गों के बारे में बात कर रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि 'पुजारी कमजोर वर्गों तथा अन्य बातों के बारे में बात कर रहे थे।' एक सार्वजनिक सभा में भी मैं बता रहा था, और प्रबंधक का कहना था कि जहां तक बड़े लोगों, बड़े-बड़े उद्योगपतियों को ऋण देने का सम्बन्ध है, नियमों का पालन किया गया है। मैं इस बात को कहता आया हूं। अब मैं किसी भी व्यक्ति का बचाव नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इन मुद्दों को आपके सामने रख रहा हूं। माननीय सदस्य एक वरिष्ठ सदस्य हैं और पिछली सरकार में भी जनता शासन के दौरान वह मंत्रि-मंडल के सदस्य थे। वह प्रक्रिया तथा अन्य नियमों के बारे में जानते हैं (व्यवधान) वह इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं। मेरा मुद्दा सिर्फ यही है। उन्होंने बहुत से लोगों को इसमें घसीट लिया है और उन पर···आधारित है।

श्री जी० जी० स्वैल : उन्होंने कोई नाम नहीं दिए हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : उन्होंने कुछ नाम बताये हैं।

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : सेठिया के सिवाय उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया है।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने उनका हुलिया बता दिया है और मैंने उन दो अधिकारियों का भी

नाम बताया है जोकि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से सम्बन्धित थे और आपकी जानकारी के लिए इस पर मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है।

श्री जनार्दन पुजारी : हम एसल लिमिटेड से चिन्तित हैं। माननीय सदस्यों द्वारा बताए गए नाम उनके भाइयों के हैं। वे निदेशक नहीं हैं। इससे उनका कोई वास्ता नहीं है। यह एक मुद्दा है। और नामों को भी घसीटा गया है। मैं जो कर रहा हूं वह यह है कि हमने किसी भी व्यक्ति को नहीं बचाया है। इसके विपरीत, सभी अपराधियों को पकड़ने के लिए हमने यह सारा मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया है। यह हमारे देश की प्रमुख एजेंसी है जिसका संचालन ईमानदार तथा सच्चरित्र व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। हमने यह कार्य उन्हें राजनैतिक लाभ उठाने के लिए सौंपा है। अगर हमारी दिलचस्पी किसी व्यक्ति को बचाने की होती तो हम केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किए जाने का आदेश कभी नहीं देते। हम शिकायतें नहीं करते। बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया है और हमने उनके विरुद्ध कार्यवाही की है। उच्च स्तर पर प्रबन्धक हैं। उसका कार्य यह देखना है कि कुछ भी छिपाया नहीं जाये। वर्तमान सरकार की यही मंशा है।

मेरे माननीय मित्र श्री दंडवते जी ने कहा है कि "यहां पर एक 'मिस्टर क्लीन' है तथा यदि वह स्वच्छ प्रशासन चाहते हैं......"

जी हां, हम स्वच्छ प्रशासन चाहते हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने इस जांच का आदेश दिया है और अगर प्रेरित किया गया है और कोई सांठ-गांठ है तो हम किसी भी व्यक्ति को माफ नहीं करेंगे। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी स्पष्ट अनुदेश दे दिया गया है कि वह बिना किसी पक्षपात के व बिना किसी डर के जांच करें और सारे मामले को सामने लाएं तथा अपराधियों को दंड दें।

उन्होंने कुछ बैंकों को दिए गए अनुदेश के बारे में बताया है। उन्होंने यह भी बताया है कि 25 लाख रुपये की राशि आपस में बांट ली गई है। मैं इस आरोप को स्वीकार नहीं करता हूं और मैं यह कहता हूं कि इसको साबित करना उनकी जिम्मेदारी है, और मैं इस तरह से संकेत करने के बारे में तथा आज इतना बड़ा आरोप लगाने के बारे में कहूंगा कि यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। अगर किसी और ने यह बात कही होती तो शायद मैं मान लेता परन्तु प्रो० मधु दंडवते जैसे सम्माननीय सदस्य के मुंह से ऐसी बात कहना मेरी समझ से बाहर है। आज वह इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। जो अनुदेश दिया गया है उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं और मैं इसकी जांच करूंगा कि क्या इस तरह का अनुदेश भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। बहुत-सी बातों के प्रभाव के बारे में, उनके वहां जाने व उनके इशारे पर नाचने आदि से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है और मुझे विश्वास है कि इसमें कोई उकसाने वाली बात नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर वे स्वयं अपनी मर्जी से चलते हैं। परन्तु उन्हें इस बड़े व्यापारी के कहने के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए जोकि धन प्राप्ति के लिए अपने दबाव का इस्तेमाल करता है। मैं नैतिकता के मामले को नहीं उठा रहा हूं। वे नृत्य कर सकते हैं और मैं रूढ़िवादी नहीं हूं जोकि नृत्य को अच्छा नहीं समझते। आप नृत्य कर सकते हैं। परन्तु किसी व्यापारी के इशारे पर मत नाचिये।

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य ने आरोप मेरे ऊपर लगा दिया है कि मैं माननीय सदस्यों के लिए नृत्य कर सकता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं। आप कहीं पर भी नृत्य नहीं करते हैं। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं?

श्री जनार्दन पुजारी : जांच में मदद के वास्ते जब कभी भी चर्चा के दौरान यहां पर कोई नये मुद्दे आते हैं तो मैंने उन सभी मुद्दों को नोट करने के लिए अधिकारियों को, जो यहां पर मौजूद हैं, कह दिया है। अगर कोई भी व्यक्ति इस मामले में अंतर्ग्रस्त है यहां तक कि अगर किसी भी व्यक्ति ने पैसा दिलवाने के लिए अगर किसी भी व्यक्ति की कोई मदद की हो तो निस्सन्देह हम कार्यवाही करेंगे।

आपकी जानकारी के लिए मैं बता सकता हूं कि पहला ऋण 1978 में दिया गया था। उस वक्त वहां पर कौन था?

प्रो० मधु दंडवते : ऋण की रकम कितनी थी?

श्री जनार्दन पुजारी : किसके शासनकाल में यह दिया गया था और उस समय वहां पर किसने मदद की थी? हम इन बातों को नहीं कह रहे हैं। परन्तु एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैंने यह कभी भी नहीं कहा है कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा है। मेरा कहना था कि अगर कुछ था भी और अगर मैं कुछ कहने भी जा रहा था तो अभियुक्त इससे फायदा उठाने जा रहा हो जबकि उस दिन वे अपने बचाव पक्ष को मजबूत बना रहे थे। मैंने कहा था, "हमें मामले के विस्तार में नहीं जाना चाहिए।" मैंने यह कभी भी नहीं कहा कि इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। मैंने ऐसा बिलकुल नहीं कहा था कि इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। मैंने सिर्फ यह कहा था कि हमें जांच में मदद करनी चाहिए और देखना चाहिए कि अदालत में इन लोगों को दोषी ठहराया जाए। यही हमारी मंशा थी। मैंने इसे बुरी मंशा से नहीं कहा था। आखिरकार माननीय सदस्य इन सभी मुद्दों, इन सभी तथ्यों को लेकर सदन में आए हैं। इससे जांच में भी मदद मिलेगी। हम निस्सन्देह इस बात को ध्यान में रख रहे हैं। हम नहीं समझते कि इससे हमें मदद नहीं मिली है। अतः मैंने यही कहा है।

संक्षेप में मैं कहूंगा कि सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा।

प्रो० मधु दंडवते : माफ कीजिए, महोदय। मैंने कुछ स्पष्ट प्रश्नों को पूछा है जोकि आरोपों के रूप में नहीं हैं और न ही जांच से ही उनका सम्बन्ध है। उसका उन्होंने उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने सिर्फ वित्तीय पहलुओं का ही उत्तर दिया है। वह समूची सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। बैंकों के दो अध्यक्षों को, जिनके विरुद्ध आरोप सही लगाए गए हैं कि वे इन सौदों में शामिल हैं, उनके पद से हटा दिया गया है। ऐसा क्यों है कि जब वे प्रमुख पदों पर आसीन थे तो उन्हें गिरफ्तार तक भी नहीं किया गया? मैंने यह स्पष्ट प्रश्न पूछा है। अगर आपको याद हो—मैंने कहा था, "आपके बाईं तरफ गृह मंत्री जो बैठे हैं, कृपया उनसे सलाह-मशविरा कीजिए।" इसी उत्तर के लिए उन्हें आपसे परामर्श करने के लिए मत कहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं नहीं समझता कि मैंने इसे स्पष्ट नहीं किया है। मैंने यह कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को उकसाता है चाहे वह बैंक का चेयरमैन हो अथवा कोई भी चाहे पुजारी ही हो—मैं कह रहा था—कि किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यहां तक कि बैंक के अध्यक्षों को भी नहीं छोड़ा गया। उन्हें उनके पद से पहले ही हटा दिया गया

है। हमने तीनों बैंकों को अनुदेश दे दिए हैं कि वे इस कार्य में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ सहयोग करें जो कि इस मामले की जांच-पड़ताल कर रहा है।

इस जवाब में सारी बातें आ गई हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न सिर्फ दोषी पाए गए व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में ही नहीं है। निस्सन्देह उन्हें गिरफ्तार करना होगा और सजा भी देनी होगी और न ही इस प्रश्न का सम्बन्ध गए हुए पैसे में से जितना हो सके वसूल करने के बारे में ही है। परन्तु इस समय जो बात है वह है राष्ट्रीयकृत बैंकिंग प्रणाली की साख और प्रतिष्ठा की। इसी के लिए हम चिन्तित हैं क्योंकि लोगों का विश्वास हिल गया है। और मंत्री जी ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाने आदि के अपने अन्तिम निर्णय से अपनी ईमानदारी दिखाने की चेष्टा की है। ऐसा कहने से यह सिद्ध होता है कि हम सम्पूर्ण मामले में बहुत ही गंभीर हैं। परन्तु मैं उन्हें याद दिलाना चाहूंगा और उनसे पुष्टि करने को कहूंगा कि क्या यह सच है अथवा नहीं कि राजेन्द्र सेठिया को लन्दन की अदालत द्वारा दिवालिया घोषित करने के पश्चात् यह सारा मामला प्रेस द्वारा छापे जाने पर सामने आया कि यह व्यक्ति क्या कर रहा था। स्काटलैंड यार्ड इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था न सिर्फ केन्द्रीय जांच ब्यूरो ही। केन्द्रीय जांच ब्यूरो तो बहुत समय बाद सामने आया। स्काटलैंड यार्ड बहुत पहले से ही राजेन्द्र सेठिया की तलाश में था। इंग्लैंड में उसके कुछ कारनामों का पता लगने के पश्चात् से ही स्काटलैंड यार्ड उसे गिरफ्तार करना चाहता था। वे उसका पता नहीं लगा सके। वह भारत सहित सभी देशों में खोज-बीन का कार्य करवा रहा था और ब्रिटेन तथा अन्य विदेशी प्रेसों ने इस मामले पर प्रकाश डाला। सारा मामला इसी के पश्चात् सामने आया। यह ऐसा नहीं है कि मानो इस विषय में भारत सरकार ने पहल की हो अथवा कोई कार्यवाही की हो। अगर यह बात ब्रिटेन में सामने न आई होती तो मुझे शंका है कि शायद यह सरकार इस मामले में आप भी कुछ नहीं कर पाती। उन्हें बताना चाहिए कि किस प्रकार इस सारे मामले पर प्रकाश डाला गया, क्या इसका श्रेय भारत सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत या एजेन्सी को जाता है?

एक और बात का पता लगाना है—स्वभावतः मैं कुछ भी साबित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऐसा करने की स्थिति में नहीं हूं। यह एक साधारण-सी बात है कि इस प्रकार के प्रमुख बैंकों के अध्यक्ष किस प्रकार 2, 3, 4, 5 वर्षों तक इस व्यक्ति को गलत तरीके से ऋण देते रहे हैं जिनकी स्पष्टतः विद्यमान नियमों के अन्तर्गत मंजूरी नहीं दी गयी, जब तक कि वे यह अनुभव न करें कि उन्हें संरक्षण मिलेगा। क्यों वे इतना बड़ा जोखिम लेंगे? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं कि किस प्रकार के सौदे हुए। उनके बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, आदि में किस तरह से लोग काफी लम्बे अरसे से इस तरह का कार्य कर सकते थे जब तक कि उन्हें कहीं से यह आश्वासन न मिला हो कि उन्हें संरक्षण दिया जायेगा? और मैं यह जानने के लिए इच्छुक हूं कि वह संरक्षणदाता कौन थे? जब ये लोग लन्दन में थे तो यह बहुत छोटी-सी बात है कि इन विशिष्ट व्यक्तियों की सहायता की गई, उनका मनोरंजन किया गया, अथवा उन्हें रात्रिभोज दिया गया, मदिरा पान कराया गया या क्लब ले जाया गया यह मुर्गे को दाना डालने वाली बातें हैं। लोगों के मन में यह संदेह पैदा हो गया है कि इतनी बड़ी धनराशि, अनधिकृत पैसा इस व्यक्ति को इसलिए मुहैय्या कराया गया था कि बदले में उन्हें कुछ फायदा हो। परन्तु मैं एक मिनट के लिए भी यह विश्वास नहीं कर सकता कि इतने ऊंचे ओहदों पर कार्यरत व्यक्ति, वित्त मंत्रालय के व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक जोकि सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली का एक शीर्ष निकाय है, जिसे

बैंकों का बैंक कहा जाता है, जोकि इन राष्ट्रीयकृत बैंकों की विदेशी शाखाओं के कार्य-संचालन के ब्यौरों का वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करता है, के अधिकारी इन सब कार्यकलापों के बारे में कुछ भी न जानते हों। यह बरदाश्त से बाहर की बात है। मैं उनसे जानना चाहता हूं क्या वह इन सब बातों को जानते हैं अथवा नहीं। बहुत पुरानी बात है, मैं 1983 से पीछे नहीं जाऊंगा। इन सभी बैंकों के निदेशक बोर्डों की बैठक में, पंजाब नेशनल बैंक तथा सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, यहां पर निदेशक बोर्ड निदेशकों के समय बैठक में औपचारिक तौर पर इस मामले को उठाया था—आप इसे रिकार्ड में से देख सकते हैं—और चेतावनी दी थी कि इन बैंकों द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है जो कि पूरी तरह अवैध और अनधिकृत हैं और जो इन बैंकों के धन को बरबाद कर रहे हैं। क्या यह मामला उठाया गया था अथवा नहीं ? मैं उन निदेशकों के नामों का जिक्र नहीं कर सकता। मेरे पास उनके नाम हैं। वह रिकार्ड से, निदेशक बोर्ड की बैठकों के कार्यवाही-सारांश से इसका पता लगा सकते हैं।

एक मामले में, कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों में से एक को बोर्ड का निदेशक नियुक्त किया गया, जिसने यह मामला उठाया। उसने बताया कि 1981 के अन्त में तथा 1982 के शुरू में इस कंपनी के खाते से श्री गुलशन बालूजा को, जो कि भूतपूर्व अध्यक्ष के भाई बताये जाते हैं, भुगतान करने के लिए करीब 1 लाख अमरीकी डालर कुवैत भेजे गए। 1983 में निदेशक बोर्ड की बैठक में यह मामला उठाया गया। यह बताया गया कि श्री गुलशन बालूजा, जो कि अध्यक्ष के भाई थे, का लन्दन शाखा में एक बाह्य खाता था। मेरे पास ड्राफ्ट संख्या भी है। यदि आपकी रुचि हो और आप समझते हों कि इससे आपको जांच में सहायता मिलेगी, तो मैं आपको यह विवरण बाद में दे दूंगा। बैंक ड्राफ्ट इस खाते में डालने के लिए जारी किए गए। श्री गुलशन बालूजा के नाम के खाते की बजाय उन्हें श्री विजय कुमार के खाते में डाल दिया गया था। ऐसा दो बार किया गया। इसमें बहुत बड़ी राशि अन्तर्ग्रस्त थी। श्री विजय कुमार कौन थे ? वह लन्दन कार्यालय के भूतपूर्व प्रबन्धक थे।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि लन्दन स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एक मुख्य प्रबन्धक ने स्वयं बैंक से इस्तीफा देकर एक नौवहन कंपनी में, जिसके मालिक सेठिया थे, नौकरी कर ली। ऐसा केवल एक उदाहरण ही हो सकता है। इन बैंकों के ऐसे कई उच्चाधिकारियों को उनके लिए या उनके सम्बन्धियों के लिए कुछ सुविधाएं दी जा रही थीं, उन्हें सेठिया के पास ऐसी नौकरी मिल रही थी, जो कि एकमात्र आराम की नौकरी हो सकती है।

उस समय—मैं 1983 की बात कर रहा हूं—सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के एक कार्यकारी निदेशक ने निदेशक बोर्ड की बैठक में यह मामला उठाया और इन सब बातों का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि वे ऐसा करते रहे, तो बड़ा बवंडर खड़ा हो जाएगा। इस बैठक में अध्यक्ष, श्री सोनालकर संभवतः उस दिन किसी कारण छुट्टी पर थे। लेकिन कार्यकारी निदेशक द्वारा दी गई चेतावनी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब श्री सोनालकर ड्यूटी पर वापिस आए तो इस कार्यकारी निदेशक, श्री प्रेमजीत सिंह को उसके पद से हटा दिया गया। उसे जाना पड़ा। लेकिन श्री सोनालकर को, जो अध्यक्ष थे, निश्चय ही सरकार ने अब हटा दिया है—जब वह सेवानिवृत्ति आयु पर पहुंच गए थे, उस समय उनकी सेवावधि पुनः बढ़ायी गई थी।

यह सब कहने का मेरा मतलब यह है कि हालांकि ऐसी बात नहीं है कि पहले कोई चेतावनी नहीं दी गई थी, और ऐसी भी बात नहीं है कि कुछ लोगों ने निदेशक बोर्ड की बैठकों में सरकारी

तौर पर ये मामले नहीं उठाए थे। सरकार क्या कर रही थी? रिजर्व बैंक क्या कर रहा था? रिजर्व बैंक का कर्त्तव्य है कि वह इन सब बातों पर निगरानी रखे। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि यह सांठ-गांठ का एक स्पष्ट प्रमाण है और इस सांठ-गांठ का पता लगाना होगा कि क्या यह सांठ-गांठ केवल इन बैंकों के कुछ अधिकारियों तक ही सीमित थी अथवा और उच्चाधिकारियों के साथ भी इनकी सांठ-गांठ थी जिनमें वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक भी शामिल है। इसके बिना, यह जाच भ्रामक होगी।

आज का समाचार यह है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो का एक दल जांच के लिए लंदन रवाना हो गया है। मैं नहीं जानता कि वह स्काटलैंड यार्ड के अधिकारियों, जो स्वयं जांच कर रहे हैं, के साथ किस तरह का सम्पर्क स्थापित करने जा रहे हैं। लेकिन यदि उनकी जांच की शर्तें बैंकों के इन अध्यक्षों और इन अधिकारियों तक सीमित रहेंगी तो मुझे आशंका है कि हम इस मामले की जड़ तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे।

मैं बड़े खेद के साथ कह रहा हूं कि मुझे विश्वास है कि इसमें उन्हें कुछ लाभ दिया गया होगा। अन्यथा ऐसे महत्वपूर्ण बैंकों के अध्यक्ष जैसे प्रतिष्ठित पद के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वे इतने वर्षों तक ऐसा जोखिम उठाए रखें, जब तक इनके पीछे कोई ऐसी और ताकत न हो, जिसने उन्हें आश्वासन दिया हो कि उनको बचाया जाएगा और उनको संरक्षण दिया जाएगा।

मैं कहता हूं कि मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय बहुत नाराज होंगे। मैं कहता हूं कि यह भी इसी तरह के कई सौदों में से एक सौदा था, जो इसी तरह चलते रहते हैं, जिससे कि कुछ धन इकट्ठा किया जा सके। आपने अब केवल यह निर्णय लिया है कि कम्पनियां एक बार फिर वैध रूप से अपने खातों से राजनैतिक दलों को चंदा दे सकती हैं। उस समय उन पर प्रतिबंध था। क्या यह भी सेठिया के अपार काले धन के खाते से पैसा लेने का एक तरीका नहीं था ताकि 1985 के चुनावों में चुनाव का खर्चा किया जा सके? यह स्पष्ट है। ऐसा हो रहा था। दुर्भाग्य से लंदन न्यायालय, इंग्लैंड में सारी पोल खुल गई। इस व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया गया और यहां तक कि इन ऋणों के लिए भी, जिन्हें अब सुरक्षित राशि होने का दावा किया जा रहा है, मैं नहीं जानता कि सुरक्षित राशि कितनी है, क्योंकि न्यायालयों में उसे दिवालिया घोषित किया गया है। बैंक अधिकारी अब इन बातों पर पर्दा डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि उन्होंने एक प्राक्कलन तैयार करके सरकार के पास भेजा है। उन्होंने अपने विवरण में यह जिक्र किया है कि ऐसा समझा जाता है इन ऋणों का काफी भाग सुरक्षित है। मैं जानना चाहता हूं यह किस तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा है कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दिए गए 1300 लाख डालर के ऋण में से 1000 लाख डालर सुरक्षित हैं। किस आधार पर? हमें बताया गया है कि सैन्ट्रल बैंक के 495 लाख डालर में से 250 लाख डालर सुरक्षित हैं। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के 227 लाख डालर में से 170 लाख डालर सुरक्षित हैं। मैं इसे मानने से इंकार करता हूं क्योंकि वह दिवालिया है।

ये ऋण किस प्रकार से सुरक्षित हैं—यह मैं नहीं जानता। आपको हमें बताना ही होगा। क्या उन्होंने ये प्राक्कलन स्वीकार किए हैं जो इन बैंकों ने तैयार किए थे। यदि हम इसे स्वीकार कर भी लें तो फिर भी 600 लाख डालर या 72 करोड़ रुपए की राशि पूर्णतः असुरक्षित रह जाती है। इस पैसे का क्या होगा? क्या इन बैंकों को इस बात की अनुमति दी जाएगी कि वे इन ऋणों को खाते में दिखाते रहें और अभी इन्हें बट्टे खाते में न डालें और अंततः धीरे-धीरे इन बैंकों के लाभ

में से इन्हें अप्राप्य ऋण, संदिग्ध ऋण घोषित कर दिया जाएगा और एक साथ बट्टे खाते डाल दिया जाएगा? आप किस तरह की बैंक प्रक्रिया का पालन करने जा रहे हैं। मैं नहीं जानता। मैं इस बारे में जानना चाहता हूं क्योंकि हमने एक बड़ी राशि में से ऋणों के बारे में अकसर इस सदन में प्रश्न पूछे हैं और हमें नहीं बताया गया कि बैंक इन मामलों को कैसे निपटाते हैं। वे अपने खातों में, जिन्हें वे कई वर्षों तक अपने पास रखते हैं किस तरह दिखाते हैं। क्या वे इन सबको अप्राप्य ऋण या संदिग्ध ऋण घोषित कर बट्टे खाते में डालने जा रहे हैं? खैर, मैं नहीं जानता कि बैंकों द्वारा जो इतनी बड़ी राशि दी गई थी वह नियमानुसार ऋण प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत दी गई थी। मंत्री महोदय हमें इस बारे में बतायें। सी० एस० ए० का काम है कि यह बड़े ग्राहकों के लिए बड़ी राशि के ऋण देने की व्यवस्था करे। क्या उस योजना पर विचार किया गया था? जब यह धन दिया गया था, क्या उस समय उस योजना के नियमों का पालन किया गया था? यदि नहीं, तो रिजर्व बैंक क्या कर रहा है? यदि वह इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं देता है तो इसे हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों को वित्त व्यवस्था का अभिरक्षक क्यों माना जाता है। रिजर्व बैंक के भी कुछ व्यक्तियों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। यह जनता का पैसा है। एक दो बड़े बेईमान सट्टेबाजों द्वारा इस पैसे को ऐंठा या इसका घोटाला नहीं किया जा सकता।

जहां तक प्रतिभूत ऋणों का प्रश्न है, भुगतान किए गए बिलों पर बट्टा नहीं चुकाया गया था। बड़ी राशि के बिल देकर बिलों पर बट्टा चुकाया जाता था। यहां जिस पहले वित्त का जिक्र किया गया वह नाइजीरिया के साथ हुए सौदे का था, जो बाद में काल्पनिक पाया गया, क्योंकि नाइजीरिया सरकार ने इससे इंकार कर दिया था। उन्होंने कहा हमें यह माल कभी मिला ही नहीं। वह अपेक्षाकृत कम राशि थी, शायद 8½ लाख। उस मामले में धन वसूल नहीं किया जा सका। सेठिया ने क्या किया? उसने थोड़े समय बाद इन बैंकों को करोड़ों रुपए का एक दूसरा बिल दिया। वह स्वीकार कर लिया गया। वह ऋण दिया गया था। पहले इस राशि में से [illegible]2 लाख रुपए काट लिए गए और कहा गया कि वह प्राप्त किए जा चुके हैं। इस तरह से हम काम कर रहे हैं।

मैं पुनः ये प्रश्न अन्त में कर रहा हूं।

क्या आप कृपया हमें बतायेंगे कि पहली बार यह मामला कैसे प्रकाश में आया तथा भारत सरकार इसका श्रेय स्वयं क्यों लेने का प्रयत्न कर रही है? बल्कि यदि इसका राज विदेश में नहीं खुलता तो वह पूरे मामले पर चुप्पी साध लेती।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं इसका जिक्र करना भूल गया था। मैंने देखा कि श्री बालूजा और श्री सोमालकार के साथ-साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक श्री एस० एस० मास्टर की भी नौकरी समाप्त कर दी गई। जहां तक मेरा अनुमान है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कम-से-कम विदेश स्थित इसकी शाखाओं का सेठिया के मामले से कुछ सम्बन्ध नहीं था। उसे किसी अन्य घोटाले में शामिल किया गया होगा। सबको एक-सा समझने की बजाय क्या कृपया मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि चूंकि उन्हें श्री मास्टर से भी छुटकारा मिल चुका है, अन्य किस घोटाले से उसका सम्बन्ध था जिसका पता उन्हें बाद में चला—क्योंकि उन्हें सेठिया के मामले से कुछ लेना-देना नहीं था तो उसे क्यों हटाया गया? आपके पास कुछ अन्य कदाचारों के भी प्रमाण होंगे। कृपया सदन को विश्वास में लीजिए...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गुप्ता, अब आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्या यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सम्बन्धित है। आपने बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक का उल्लेख किया है। आप अन्य मामलों का भी जिक्र कर रहे हैं। कृपया आप इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सम्बद्ध मामलों का ही जिक्र कीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन अध्यक्षों को हटा दिया गया है, और उनके साथ ही एक और बैंक के एक कार्यकारी निदेशक को भी हटा दिया गया है...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या इसका ध्यानाकर्षण से सम्बन्ध है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आप जानने के इच्छुक नहीं हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक अलग मामला है। आप नोटिस दे सकते हैं और फिर हम...... चर्चा करेंगे ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जिज्ञासा होने पर ही प्रश्न उठते हैं। अन्यथा, हम यहां प्रश्न क्यों पूछते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस मामले से सम्बन्धित प्रश्न ही पूछिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह अन्तःसम्बद्ध मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह मामला उससे सम्बन्धित है तो आप इस बारे में कुछ कह सकते हैं, अन्यथा नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किसी भी हालत में, आपको उनको संरक्षण देने की जरूरत नहीं...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल उन्हें ही संरक्षण नहीं दे रहा हूं। मैं सबको संरक्षण दे रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अन्त में मैं कहूंगा कि हमारी राष्ट्रीयकृत बैंकिंग प्रणाली के कार्यकरण ऋण-नीति और प्रतिष्ठा के बारे में जनता में जो गहरा क्षोभ व्याप्त हो गया है, उसे दूर करने के लिए सरकार को मात्र वक्तव्य ही नहीं देना चाहिए, अपितु कुछ कार्यवाही भी करनी चाहिए। उनका विश्वास उठ गया है। उन्हें समय की मांग और महत्ता को ध्यान में रखकर कुछ कार्यवाही करनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि जब तक इसके विपरीत सबूत नहीं मिल जाता कि ऐसे अध्यक्षों ने ऐसे बड़े लोगों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संरक्षण किये बिना इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया है, और अन्य प्रश्नों के साथ इसमें एक प्रश्न यह भी उठता है कि इस सम्बन्ध में वित्त मन्त्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों का क्या दोष है और क्या इस व्यक्ति को किसी प्रकार के लाभ के बदले में इस जैसे बैंक से इतनी विपुल धनराशि देने के लिए प्रोत्साहित किया गया था या नहीं और इस सम्बन्ध में सन्देह यह पैदा होता है कि यह लाभ 1985 में होने वाले चुनाव लड़ने के लिए सत्तारूढ़ दल को गुप्त रूप से दान के रूप में दिया गया होगा।

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य ने अपने भाषण में देश की छवि तथा बैंकों की साख के सम्बन्ध में जो कुछ कहा, वह ठीक है। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। हमारे यहां पूरे देश में बैंकों की 46,173 से भी अधिक शाखाएं हैं। साथ ही बैंक प्रणाली में 70,000 करोड़ से भी अधिक धनराशि जमा है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि लोगों का विश्वास नहीं खोना चाहिए।

इस पृष्ठभूमि में, मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब इण्डियन बैंक में यह शिकायत दर्ज कराई तो क्या हुआ। 1983 में रिजर्व बैंक ने इस मामले पर एक रिपोर्ट देने के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त किया। उसने अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए जुलाई, 1983 और अक्तूबर, 1983 के बीच 3 प्रतिवेदन दिए। जैसा कि मैंने पहले बताया, सामान्यतया, उन्हें खास चिंता इस बात की है कि बैंकरों की धारणा यह होती है कि पहले वह अपना पैसा बचाना चाहते हैं और बाद में वे कहते हैं कि हम इस अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। पहले हम निधियों को लेते हैं। उन लोगों ने इस संस्था को जीवन देना, सुदृढ़ बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यह ऐसी संस्था है, जिसमें हमें भारी नुकसान हो रहा है और हमें इसे समाप्त नहीं होने देना चाहिए। पहले हमें उन्हें सक्षम बनाना होगा। एकक को पुनः सक्षम बनाने के पश्चात् हमें विभिन्न पक्षों की जांच करनी चाहिए और फिर राशि वापस लेनी चाहिए। उन्होंने पहले ये कार्य करने आरंभ किए। फिर क्या हुआ? बचाव के लिए हमारे भारतीय बैंकों ने ही नहीं बल्कि संबंधित चार विदेशी बैंकों ने एक प्रस्ताव रखा। इन सभी बातों पर विचार किया गया। इसी बीच, नवम्बर में लन्दन के न्यायालय में दिवालिया घोषित किए जाने संबंधित मुकदमे की कार्यवाही आरंभ हुई और इसी बीच लोग बचाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने कहा कि एकमुश्त सौदा (पैकेज डील) नहीं होगा। नवम्बर में क्या हुआ? सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने तत्काल ही स्काटलैंड यार्ड के पास शिकायत दर्ज करवाई। वहां के कानून के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न है और मार्च में यह वक्तव्य दर्ज किया गया। इसी बीच, जैसा कि माननीय सदस्यों ने भी कहा है, श्री राजेन्द्र सेठिया वहां से हटकर भारत आ गया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो, इन्टरपोल ने हमारे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को संदेश भेजा कि श्री सेठिया को गिरफ्तार कर वापस इंग्लैंड भेज दिया जाए। श्री सेठिया को दिल्ली मे देखा गया और हमारे लोगों, पुलिस विभाग ने तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और यहां उसे न्यायालय में पेश किया गया, लेकिन नवम्बर में दर्ज हमारी प्रथम सूचना रिपोर्ट पर स्काटलैंड यार्ड ने दिसम्बर तक कोई कार्यवाही नहीं की। अपनी पुलिस और केन्द्रीय जांच ब्यूरो की प्रशंसा में हमें कहना होगा कि उन्होंने शीघ्र कार्यवाही करके उसे गिरफ्तार कर लिया और यही नहीं, जैसे कि कुछ माननीय सदस्यों ने भी कहा है उन्होंने उससे जाली पासपोर्ट और अन्य वस्तुएं बरामद की हैं। विभिन्न धाराओं के अधीन उन्होंने श्री सेठिया के विरुद्ध मामले भी दर्ज किये। अब इन मामलों में उन्होंने करीब-करीब जांच पूरी कर ली है और मंजूरी का इन्तजार कर रहे हैं और फिर मुकदमा शुरू किया जायेगा।

अब एक प्रश्न उठाया गया है कि इंग्लैण्ड में स्काटलैंड यार्ड में ही मुकदमा क्यों दर्ज करवाया गया? अपराध लन्दन में किया गया था। सभी अधिकारी वहां थे। दस्तावेज भी वहीं थे। भारतीय बैंकों ने सोचा कि जांच को शीघ्र पूरा करने के लिए और शीघ्र न्याय पाने के लिए यही सही कदम है और सभी व्यक्तियों को पकड़ा जा सकेगा। इसी विचार से शिकायत वहां दर्ज कराई गई, कोई भी नहीं कह सकता कि इसका श्रेय हमें नहीं जाता है। हम अपना अनादर ही क्यों करेंगे? हम शीघ्र कार्यवाही कर रहे हैं—जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि भारत सरकार, भारतीय जनता और भारत की प्रतिष्ठा दांव पर है और हमने शीघ्र कार्यवाही करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। समय बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वह देश छोड़ने ही वाला था। अगर केन्द्रीय जांच ब्यूरो के हमारे लोग समय पर कार्यवाही न करते या समय बर्बाद करते तो निश्चित रूप से यह व्यक्ति देश छोड़ चुका होता क्योंकि उसने पहले ही कई देशों के लिए टिकट खरीद रखे थे। क्या यह ऐसा मामला नहीं है, जिससे हम अपनी केन्द्रीय जांच ब्यूरो एजेन्सी पर गर्व कर सकें? उन्होंने शीघ्र कार्यवाही करके उसे

गिरफ्तार कर लिया। हमारे न्यायालयों ने केस-डायरी देखकर उसकी जमानत की अर्जी रद्द कर दी। अब वह न्यायिक हिरासत में है। उन्होंने उसके प्रत्यर्पण के लिए कहा है और हम अपने मामले के निपटारे का इन्तजार कर रहे हैं। कोई भी नहीं कह सकता कि हमने मामलों को दबाया है या किसी को बचाया है या कार्यवाही नहीं की है। हमने कार्यवाही की है, लेकिन मैं केवल यही निवेदन कर रहा हूं—किसी उद्देश्य से नहीं—कि हमें कुछ धैर्य रखना चाहिए। आप जो कुछ कह रहे हैं उससे जांच में सहायता मिलेगी। आपकी बातों को ध्यान से नोट करने के लिए गृह विभाग के अधिकारी यहां बैठे हुए हैं।

श्रीमन्, जैसा कि मैंने पहले कहा, स्वच्छ प्रशासन मात्र बातों से ही नहीं आ जाता। हम इसे कार्यवाही से हासिल करेंगे। अगर हम किसी को बचायेंगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसा कहने का अवसर मिलेगा। आप इसे उछाल सकते हैं, लेकिन हमें इसे राजनैतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि, जैसा कि आप जानते हैं, कि इस मामले में हमारी बैंकिंग व्यवस्था का प्रश्न जुड़ा हुआ है और इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। हमें व्यवसाय भी करना है। आपने मुझे ध्यान रखने के लिए कई एक मुद्दे बताये हैं और निश्चय ही मैं उनका ध्यान रखूंगा। मैं यह नहीं कहता कि हमारे माननीय सदस्य गैर-जिम्मेदार हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि उन्हें इसका पूरा आभास है और इसमें राष्ट्रीय हित शामिल है। हमें इस प्रकार अपनी छवि नहीं बनानी चाहिए। हमारी बैंकिंग प्रणाली अच्छी है और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बैंकिंग प्रणाली इससे गड़बड़ाये नहीं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

1.48 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) विदिशा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में पेयजल की व्यवस्था करने तथा विदिशा, रायसेन और सेहोर जिलों को सूखाग्रस्त जिले घोषित करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, विदिशा संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत विदिशा, ग्यारसपुर, नटेरन, सांची, बेगमगंज, उदयपुरा एवं बुधनी विकास खण्डों के सैकड़ों ग्रामों में पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है।

1.49 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

कुओं में जल-स्तर काफी घट चुका है, पिछले वर्ष वर्षा की कमी के कारण नदियों आदि में भी तेजी से पानी की कमी आती जा रही है। अतः केन्द्र एवं मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि विदिशा, रायसेन एवं सीहोर जिलों के सभी समस्यामूलक गांवों में पेयजल के नये स्रोतों के उत्खनन हेतु युद्ध-स्तर पर कार्यवाही की जावे तथा पहाड़ी स्थानों पर गहराई तक बोरिंग करने वाली मशीनों से डीप हेण्ड पम्प लगाये जाने चाहिए। उपरोक्त तीनों जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाना चाहिए।

बुलाकगंज, पठारी, ग्यारसपुर, उदयपुर, बेगमगंज, गैरतगंज, सलामतपुर, देवरी, छीपानेर, कमलाताल आदि कस्बों में स्वीकृत जलप्रदाय योजनाओं को ठीक ढंग से सुधार एवं संचालन कर ग्रामवासियों को पेयजल सुविधा अविलम्ब उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(दो) रामगुंडम में और उसके आसपास के क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा कोयला खानों द्वारा नियोजित कर्मकारों के लिए मकान बनाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जी० भूपति (पेद्दापल्ली) : रामगुंडम सरकारी उपक्रम के आस-पास रामगुंडम में सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। भारतीय खाद्य निगम, सीमेंट फैक्टरी और कोयला खानें जो गोदावरीखनी पर स्थित हैं, रामगुंडम से ज्यादा दूर नहीं हैं। मंडामरी, रामाकृष्णपुरम और बेल्लमपल्ली जो कि सिंगरेनी कोयला खानों के भाग हैं, इसी के नजदीक स्थित हैं। इन उपक्रमों में करीब 50,000 लोग कार्य करते हैं।

यह सारा इलाका ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इन 50,000 से अधिक मजदूरों के पास रहने के लिए कोई उपयुक्त जगह नहीं है। यह एक गम्भीर समस्या है, जिसका कि वे सामना कर रहे हैं। अभी तक किसी भी उपक्रम ने अपने कर्मचारियों को क्वार्टर देने के लिए कदम नहीं उठाये हैं।

अतः, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहां पर बड़े पैमाने पर मकानों का निर्माण करें ताकि इस क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों के मजदूरों की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके।

(तीन) लोहा तथा इस्पात के सम्बन्ध में भाड़ा समकरण योजना को समाप्त करने के समाचार तथा उन आदेशों को वापिस लेने अथवा केरल राज्य को मुआवजा देने की आवश्यकता

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट)* : समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि केन्द्रीय सरकार ने लोहा तथा इस्पात के सबंध में भाड़ा समकरण योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से केरल जैसे राज्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह अनुमान किया जाता है कि भाड़ा समकरण योजना को वापिस लिए जाने से केरल में लाये जाने वाले इस्पात का मूल्य वर्तमान मूल्य से 700 से लेकर 800 रुपये तक अधिक बढ़ जाएगा। इससे केरल के उद्योगों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा।

केरल सरकार ने केन्द्र सरकार के निर्णय पर अपनी चिंता व्यक्त की है। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि सरकार या तो इस योजना को समाप्त करने का निर्णय छोड़ दे अथवा राज्य को होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति किसी अन्य प्रकार से करें।

(चार) अफीम उत्पादकों की सहायता करने के लिए अफीम के मूल्य पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : मैं नियम 377 के तहत देश के अफीम

* मलयालम में दिए गए वक्तव्य के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उत्पादक किसानों की समस्या की तरफ वित्त मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। अफीम जिसका हम निर्यात करते हैं तथा जीवन रक्षक औषधियों के काम आती है, इसके उत्पादकों की स्थिति बहुत खराब है। इन किसानों की संख्या राजस्थान के कोटा तथा चित्तौड़गढ़ जिला तथा मध्य प्रदेश के रतलाम तथा मंदसौर जिले में ही सबसे अधिक है। इन किसानों को इस अफीम की नाजुक फसल उगाने में बड़ी कठिनाई होती है। मौसम का थोड़ा-सा बदलाव इस फसल को नष्ट कर देता है। एक-एक बूंद इकट्ठी करने में सारा परिवार लगा रहता है, पर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। सरकारी खरीद मूल्य बहुत ही कम है। उत्पादक मूल्य तथा श्रम का उचित पारिश्रमिक भी किसानों को नहीं मिल पाता। अभी सरकार ने सभी फसलों का सरकारी खरीद मूल्य बढ़ाया है, जबकि अफीम का सरकारी खरीद मूल्य औसत 200 रुपये प्रति किलोग्राम तक आता है। वित्त मन्त्री जी से निवेदन है कि सरकारी खरीद मूल्य पर पुनः विचार करें। अफीम का निर्यात बढ़ाकर विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है तथा कई जीवन रक्षक औषधियों के बनाने के नए उद्योग लगाकर इसकी उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है। एक-एक बूंद इकट्ठी करके किसान बड़े परिश्रम से इस फसल को इकट्ठी करता है। यदि किसान को उचित मूल्य न मिला तो निकट भविष्य में इस नाजुक फसल को बोना किसान बन्द कर सकता है।

(पांच) बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए हैलीकाप्टर सेवा

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : भारत भूमि अन्य देशों से कई मायनों में सदियों से महान मानी जाती है। यहां पर हिन्दू व अन्य धर्मों के अनुयाइयों के कई एक स्थल ऐसे हैं, जिन पर कदम रखने के लिए हर एक हिन्दू लालायित रहता है। मोक्ष प्राप्त करने के चार मार्गों में भक्ति का मार्ग सर्वप्रिय एवं सरल है, ऐसा हिन्दुओं के आदि से लेकर अन्त तक के ग्रंथ मानते हैं। अनन्तकाल से बद्रीनाथ, केदारनाथ एवं अमरनाथ धामों की यात्रा इस भक्ति मार्ग का एक सक्षम रूप माना गया है, परन्तु इसमें कई एक बाधाएं हैं।

विशेष समस्या इन स्थानों पर पहुंचना है। आज के जैट युग में अभी भी ये स्थान साधारण व्यक्ति के लिए अक्षम बने हुए हैं। ऊंचे-ऊंचे पहाड़ी मार्ग होने के कारण रेल एवं सड़क यातायात का विकास संभव नहीं जान पड़ता है। यद्यपि बद्रीनाथ एवं केदारनाथ के लिए काफी दूरी तक सड़क यात्रा संभव है, तथापि सड़क मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं। इससे श्रद्धालु लोग या तो वहां जाने मात्र के मंसूबे बनाते हैं या फिर बीच तक ही जा पाते हैं। अमरनाथ की यात्रा तो और भी दुर्गम है।

मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि हिन्दुओं की धार्मिक आस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए तुरन्त ऐसी कार्यवाही करें, जिससे कि ये यात्राएं सुलभ हों, जिसके लिए आज हर एक हिन्दू हृदय से लालायित है। इस संबंध में तुरन्त कार्यवाही एक हेलीकाप्टर सर्विस से इन तीनों तीर्थस्थानों को जोड़ कर की जा सकती है।

अतः मेरा उड्डयन मन्त्री जी से यह अनुरोध है कि वे इस बारे में शीघ्रातिशीघ्र विचार करें।

(छः) मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) में बैंकों की और अधिक शाखायें खोलना

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्व-रोजगार योजनायें,

आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम बैंकों के माध्यम से चलाए जाने के कारण ग्रामीण जीवन में बैंकों की भूमिका बढ़ गई है। कृषि क्षेत्र में बचत राशि को जुटाने में बैंकों की गांवों में स्थित शाखायें भी सहायता कर सकती हैं। इसलिए, यह बहुत ही आवश्यक है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखायें ग्रामीण बैंकों में खोली जायें।

इस विचार से, यह खेद की बात है कि यद्यपि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में 146 नई शाखाओं के लिए विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों ने नवम्बर, 1983 से भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त किए थे किन्तु 15 फरवरी, 1985 केवल 65 शाखायें खोली गई। यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया इस जिले की लीड बैंक है। ऐसा पता चला है कि यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया ने 25 लाइसेंस वापिस कर दिए हैं। संयोगवश मिदनापुर पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा जिला है।

मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस स्थिति की ओर दिलाता हूं और उनसे इसमें हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं जिसस कि सभी लाइसेंसों का शीघ्र उपयोग किया जा सके और नई शाखायें खोली जा सकें।

(सात) उत्तर प्रदेश की कताई मिलों में रेशा-सूत (स्टैपल यार्न) तैयार करने के लिए अनुमति देने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : सभापति महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को उठाते हुए भारत सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत प्रतिष्ठान राज्य कताई मिलों में स्टैपल यार्न के उत्पादन की समुचित व्यवस्था की जाए।

मेरे लोक सभा क्षेत्र अकबरपुर में 1974 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राज्य कताई मिल का शिलान्यास करते हुए कहा था कि इस क्षेत्र के बुनकरों की भयंकर स्टेपल सम्बन्धी मांगों को देखते हुए ही इस मिल की स्थापना की जा रही है और इससे उत्पादित स्टैपल धागे से यहां के बुनकरों की समस्या का समाधान होगा, परन्तु दुख है कि कुछ समय तक स्टेपल धागे का उत्पादन होने के बाद स्टेपल धागे का निर्माण बन्द कर दिया गया है और अन्य धागा बनाया जा रहा है।

मान्यवर, सम्बन्धित मिलें बुनकरों की समस्या के समाधान हेतु ही खोली गई थीं, परन्तु स्टेपल यार्न न बनने से बुनकरों की समस्या ज्यों की त्यों है और उनमें व्यापक असन्तोष है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें ज्यादा मूल्य पर स्टेपल खरीदना पड़ रहा है। जिससे उनकी स्थिति अत्यन्त ही दयनीय हो गई और इससे मेरे क्षेत्र के करीब पचास हजार श्रमिक, जो कि अत्यन्त ही निर्धन हैं, भुखमरी के शिकार हो रहे हैं।

अस्तु उपरोक्त के आधार पर समस्या की गम्भीरता को देखते हुए एवं बुनकरों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत राज्य कताई मिलों खासतौर पर जनपद फैजाबाद के अकबरपुर में स्थित राज्य कताई मिल में अविलम्ब स्टेपल यार्न बनाने हेतु निर्देश देने की कृपा करें जिससे बुनकरों की समस्या का समाधान हो सके।

(आठ) उन सभी व्यक्तियों को, जो अपेक्षित शर्तें पूरी करते हैं, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित करने के लिए एक व्यापक विधेयक का शीघ्र अधिनियमन

[अनुवाद]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : यह अत्यधिक चिन्ता का विषय है कि "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (संशोधन) विधेयक" अभी तक अधिनियमित नहीं किया गया है यद्यपि आयोग की सिफारिश के बाद 1967 में इसे दोनों सदनों में पुरःस्थापित किया गया था। संसद के अन्दर और संसद से बाहर माननीय सदस्यों ने अनेक बार कुछ ऐसी जनजातियों और जातियों को इसमें शामिल किए जाने का सुझाव दिया है, जिन्हें मान्यता प्रदान नहीं की गई है। गृह मन्त्री ने बार-बार यह आश्वासन दिया है कि वह इन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को सम्मिलित करने के लिए एक विधेयक पेश करेंगे किन्तु अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। ऐसा समझा जाता है कि इस बारे में कुछ राज्यों ने अभी तक अपनी सिफारिशें नहीं भेजी हैं। इसीलिए इस व्यापक विधेयक को लाने में देरी हो रही है। अब यह आवश्यक हो गया है कि जो समुदाय सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं तथा जो अनुसूचित जातियों अथवा जन-जातियों के रूप में घोषित किए जाने के लिए निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं उन्हें इस प्रकार की मान्यता तत्काल दी जाए जिससे कि कम से कम सातवीं पंचवर्षीय योजना में उन्हें उन विकास योजनाओं का लाभ मिल सके जो उनके लिए कार्यान्वित की जायेंगी।

गृह मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह संसद के इसी सत्र में एक व्यापक विधेयक लायें।

———

1.59 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86

गृह मन्त्रालय

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा गृह मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 46 से 56 तक की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान करेगी, जिसके लिए 8 घण्टे का समय नियत किया गया है।

इस सभा में उपस्थित माननीय सदस्य, जिनके अनुदानों की मांगों से सम्बन्धित कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं, तो जिन कटौती प्रस्तावों को वे पेश करना चाहते हैं, वे उनकी क्रम संख्या लिख करके अपनी पर्चियां 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को पेश किया गया माना जाएगा।

2.00 म० प०

जिन कटौती प्रस्तावों को पेश किया गया माना जाएगा उनका क्रमांक दर्शाने वाली एक सूची शीघ्र ही नोटिस बोर्ड लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को सूची में कोई गलती मालूम पड़ती है, तो उसे चाहिए वह शीघ्र उसकी सूचना पटल अधिकारी को दे दे।

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत गृह मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें, 1985-86

मांग संख्या मांग का नाम	25 मार्च, 1985 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की रकम	
1 2	3		4	
गृह मन्त्रालय				
46. गृह मन्त्रालय	1,25,85,000		6,29,28,000	
47. मन्त्रिमंडल	1,23,54,000		6,17,71,000	
48. पुलिस	97,45,71,000	6,40,32,000	4,87,28,60,000	32,01,63,000
49. अन्य प्रशासनिक तथा सामान्य सेवायें	46,65,97,700	6,99,91,000	2,33,29,85,000	34,99,59,000
50. पुनर्वास	25,30,56,000	1,29,33,000	1,26,52,84,000	6,46,66,000
51. गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	65,66,39,000	36,69,76,000	3,05,09,95,000	1,50,28,78,000
52. दिल्ली	67,67,51,000	45,82,19,000	3,38,37,58,000	2,29,10,99,000
53. चण्डीगढ़	11,19,44,000	6,24,58,000	55,97,24,000	17,64,59,000
54. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10,63,06,000	6,18,60,000	53,15,34,000	30,93,02,000
55. दादरा और नगर हवेली	1,37,62,000	98,33,000	6,88,13,000	4,91,65,000
56. लक्षद्वीप	3,14,81,000	55,52,000	15,74,05,000	2,77,59,000

श्री डी० एन० रेड्डी (कडप्पा) : किसी देश की सभ्यता उस क्षेत्र में व्याप्त कानून और व्यवस्था की स्थिति से आंकी जाती है। प्रशासन ऐसा होना चाहिए जो शोषण से निर्बल की रक्षा कर सके और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सभी वर्गों के लोगों को समान अवसर प्रदान कर सके। स्वतन्त्र भारत के प्रथम गृह मन्त्री, महान् सरदार पटेल ने देश को सुव्यवस्थित, अनुशासित, ईमानदार और कठिन परिश्रम करने वाला प्रशासन दिया था। तत्कालीन सरकार की राष्ट्रीय एकता, धर्म-निरपेक्षता, साम्प्रदायिक सद्भाव सम्बन्धी नीतियों और कानून और व्यवस्था की संतोषजनक स्थिति ने हमारे देश

को पूरे संसार में एक अत्यधिक प्रगतिशील देश बना दिया था। बाद के वर्षों में, गृह प्रशासन के स्तर में बहुत अधिक गिरावट आई है जिससे अत्यधिक अराजकता फैली है, साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण बिगड़ा है, चुनावों के दौरान हिंसा का वातावरण बढ़ा है, जनाक्रोश और उन्मादपूर्ण आन्दोलन बढ़े हैं जिसके फलस्वरूप पुलिस को गोली चलानी पड़ी और हत्यायें हुई हैं तथा सरकारी और निजी सम्पत्ति को भारी नुकसान हुआ है। अतः पुलिस वालों को जन साधारण से विश्वास पैदा करना होगा। इस समय जो स्थिति है, उसमें वे जनता से अलग होते जा रहे हैं और उन्हें जन-सुरक्षा के प्रति उदासीन समझा जाता है। चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है और अनेक मामलों में पुलिस अपराधियों से मिली हुई होती है। हाल ही में बम्बई में, पुलिस के दो उच्च अधिकारी, जैसा कि समाचार है, एक कुख्यात गिरोह के नेता बर्दराजन से मिले थे और उनमें जो बातचीत हुई थी, उसे संवाददाता ने टेप कर लिया था, जिसने अपनी जान के भय से अपना नाम बताने से इनकार कर दिया था। मैं उन दो अधिकारियों का नाम बता सकता हूं किन्तु मैं ऐसा करना नहीं चाहता? वे दोनों अब निलम्बित कर दिए गए हैं।

पुलिस विभाग की अकुशलता का उदाहरण स्वयं राजधानी नगर है। दिन दहाड़े बैंकों को लूटे जाने, चोरी होने, महिलाओं से छेड़छाड़ और निर्दोष व्यक्तियों पर घोर अत्याचार की घटनायें आए दिन होती हैं। ऐसी स्थिति में हम कानून के रक्षकों पर किस तरह विश्वास कर सकते हैं, जबकि उन्होंने देश की प्रधानमन्त्री और एक अन्तर्राष्ट्रीय नेता को उनके अपने ही रक्षकों के हाथों अपने ही निवास स्थान पर हत्या की जाने दी? गृह मन्त्रालय और आसूचना स्कन्ध को अपनी सम्माननीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के जीवन की रक्षा करने में असमर्थ रहने के कारण शर्म से गढ़ जाना चाहिए। हत्या हो जाने के परिणामस्वरूप एक विशेष समुदाय के लोगों की संगठित रूप से हत्या की गई, जिसके कारण राजधानी दिल्ली शहर में उस समुदाय की महिलाओं, बच्चों और निर्दोष नागरिकों की जो बर्बर हत्या की गई उससे गृह मन्त्रालय और इसके प्रशासन पर एक अमिट धब्बा लग गया है। इसके पश्चात् दिल्ली के उप-राज्यपाल श्री बली ने यह कहा कि कोई कार्यवाही न करने के लिए पुलिस पर दबाव डाला गया है। महोदय, मुझे विश्वास है कि आपने भी समाचार पत्र में श्री बली जैसे व्यक्ति की यह टिप्पणी पढ़ी होगी कि कोई कार्यवाही न करने के लिए पुलिस पर दबाव डाला गया था। गृह मन्त्रालय कृपा करके इस पर ध्यान दे।

हाल के वर्षों में उग्रवादियों की गतिविधियां बढ़ी हैं। वे कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप अनेक निर्दोष व्यक्तियों, उन राजनीतिज्ञों, जिन्हें वे नहीं चाहते तथा प्रसिद्ध विद्वानों तथा ऐसे ही अनेक व्यक्तियों की हत्या की गई हैं। पंजाब, असम और देश के अन्य भागों में जो खतरा बना हुआ है, प्रशासन उसे रोकने में सर्वथा असफल रहा है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से ही देश को जिन चुनौतियों का समाधान करना पड़ा है, उनमें पंजाब की समस्या सबसे बड़ी चुनौती है। यह समस्या केवल पंजाब तक ही सीमित है अपितु इसका पूरे देश में प्रभाव पड़ा है। इसका राजनैतिक हल निकालने की आवश्यकता है, किन्तु प्रधान मन्त्री आर्थिक समाधान का पता लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में विलय का प्रस्ताव करके इस मामले को और अधिक उलझा दिया है और इसके कारण सारी समस्या और पेचीदा बन गई है।

मुझे प्रसन्नता है कि इन समस्याओं को सुलझाने में प्रधानमन्त्री ने अन्ततोगत्वा विरोधी दलों को विश्वास में लिया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि इस सभा में पंजाब की समस्या पर चर्चा उनके

प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में की जा रही है। इसलिए, तत्काल चुनाव कराये जानें चाहिए और इस समस्या का यथाशीघ्र समाधान ढूंढ़ने हेतु चर्चा के लिए जन-प्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया जाना चाहिए। अन्यथा, राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत को खतरा पैदा हो जाएगा और किसी भी सिख को यह सोचना पड़ेगा कि क्या वह भारत में रह भी सकता है, अथवा नहीं।

असम में 1979 से आन्दोलन चल रहा है। अखिल असम छात्र संघ के प्रतिनिधियों को बातचीत करने के लिए अनेक बार आमन्त्रित किया गया किन्तु सरकार कोई समाधान न पा सकी। आन्दोलनकर्ताओं का एक प्रमुख तर्क यह भी रहा है कि 1979 की मतदाता सूचियां दोषपूर्ण थीं। स्थानीय लोगों की इच्छा के विरुद्ध जो चुनाव कराया गया वह जन प्रतिनिधियों का अपमान था और इससे मामला और बिगड़ गया है। यह जन आकांक्षाओं के साथ एक धोखा था। सरकार को मतदाता सूचियों की वैधता के प्रश्न को शीघ्र हल करना चाहिए और आसाम में चुनाव कराने चाहिए। ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूं कि हमारी संसद दो महत्वपूर्ण राज्यों अर्थात पंजाब और आसाम के प्रतिनिधियों के बगैर अधूरी हैं। हम उनकी समस्याओं पर उनकी अनुपस्थिति में चर्चा कर रहे हैं। चूंकि मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं, अतः मैं इस बात को दोहराता हूं कि यह संसद अपूर्ण है क्योंकि यह दो राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

श्रीलंका की समस्या पर बार-बार चर्चा की गई है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं हुआ है। इस बीच हमारे देश के बहुत से लोगों की या तो हत्या कर दी गई है या उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया है। जहां बेकसूर तमिलों पर हमले बराबर बढ़ते जा रहे हैं वहां सरकार के उदासीनतापूर्ण रवैये से सारे देश में गहरी चिन्ता हो रही है।

केन्द्र राज्य सम्बन्धों को सुधारना होगा। केन्द्र ने धीरे-धीरे सभी राज्यों की शक्तियां हड़प लेते हैं, यहां तक कि गरीब तथा दलित वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों सम्बन्धी छोटे मामलों में भी उनके पास कोई शक्ति नहीं रही है। वित्त, कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण और खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की वसूली तथा आबंटन के मामलों में भी राज्यों को स्वतन्त्रता नहीं दी जाती है। राज्यों को उपरोक्त मामलों में अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए और केन्द्र को राज्यों पर अपने नियंत्रण को ढीला करना चाहिए।

प्रधानमन्त्री अथवा उन मन्त्रियों के लिए जो राज्यों का दौरा करते हैं, राज्यों के अच्छे कल्याणकारी योजनाओं की आलोचना करते हुए राजनीतिक भाषण करना अनुचित है। कुछ केन्द्रीय मन्त्री, जो राज्यों का दौरा करते हैं, संसद सदस्यों को अपने कार्यक्रमों की सूचना देने अथवा उनको अपने जन-समारोहों में आमंत्रित करने जैसा थोड़ा भी शिष्टाचार नहीं दिखाते हैं।

राज्यपाल के पद का संवैधानिक सरकारें गिराने के लिए दुरुपयोग किया जाता है—जैसा कि अभी हाल ही में आन्ध्र प्रदेश और कश्मीर में हुआ है। राज्यपालों की शक्तियों की स्पष्टतः व्याख्या की जानी चाहिए और इस मामले को केवल संसद में ही निपटाया जाना चाहिए।

आप जानते हैं कि हाल ही में आन्ध्र प्रदेश में क्या हुआ। राज्यपाल को वापिस बुलाया गया और बर्खास्त सरकार को बहाल किया गया। इस तरह से यह सहमति व्यक्त की गई कि राज्यपाल ने बड़ी गलती की। किसी भी स्थिति में ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। हमारी राय में राज्यपाल के पद की बिलकुल आवश्यकता नहीं है और यह एक आडम्बर है। अक्सर केन्द्र राज्यपाल के पद का उपयोग या तो सरकारें गिराने के लिए करता है या उसका किसी अन्य प्रकार से दुरुपयोग करता है।

चुनावों में हिंसा काफी बढ़ती जा रही है जिससे बहुत मौतें होती हैं और मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना, उम्मीदवारों को जबरदस्ती उठाकर ले जाना आदि कदाचार हो रहे हैं। पुलिस बल या तो पर्याप्त नहीं है या अकार्यकुशल है। होमगार्डों को चुनावों के दौरान ड्यूटी पर तैनात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें जनता को संरक्षण प्रदान करने की कोई रुचि नहीं होती है। कदाचारों को रोकने के लिए चुनाव सुधारों को यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए, नहीं तो प्रजातंत्र स्वयं खतरे में पड़ सकता है।

अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं और शांत वातावरण है। मैं चाहता हूं कि जन-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग तथा सद्भावना का वातावरण रहना चाहिए न कि टकराव का।

अन्त में, महोदय मैं उच्च पदों की नियुक्तियों के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहता हूं। केन्द्र स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के स्तर पर लोक सेवा आयोग सबसे बड़े भरती बोर्ड हैं। मुझे अपने राज्य के लोक सेवा आयोग में पहले सदस्य के नाते तथा बाद में चार वर्ष के लिए प्रभारी अध्यक्ष के तौर पर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस सम्मानित निकाय में लोगों की नियुक्ति करते समय बहुत अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए। वे विशेषकर होने चाहिए। विभिन्न कार्य क्षेत्रों के सत्यनिष्ठ तथा उच्च चरित्र वाले व्यक्ति इस निकाय के लिए चुने जाने चाहिए और शिक्षा, कृषि, ग्रामीण कल्याण, सेना इत्यादि क्षेत्र में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सेवा निवृत्ति के लिए आयु-सीमा संविधान के अनुसार निर्धारित की जाती है। लेकिन भरती के लिए भी आयु-सीमा होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत ही परिपक्व तथा अनुभवी दिमाग की आवश्यकता होती है जो प्रतियाशियों के व्यक्तित्व तथा योग्यताओं को पहचान सकें। आजकल कुछ राज्यों में 50 या 45 वर्ष से भी कम आयु के लोगों को इस सम्मानित निकाय का सदस्य नियुक्त कर दिया जाता है। संविधान में यह नियम होना चाहिए कि एक निश्चित आयु से कम व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए जैसा कि एक व्यक्ति को सेवा-निवृत्ति की आयु के लिए एक नियम है। इन निकायों में सत्य-निष्ठ तथा चरित्रवान लोगों की नियुक्ति करने के बाद सरकार को उन लोगों पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और उनके द्वारा किए गए किसी भी निर्णय को सरकार को बिना शर्त मान लेना चाहिए। आजकल ऐसी बहुत-सी बातें राज्य और केन्द्र सरकार में भी हो रही हैं कि जब सरकार की इच्छा के विपरीत कोई बात होती है तो वे कहती हैं कि वे लोक सेवा आयोग अथवा संघ लोक सेवा आयोग से सहमत नहीं हैं और दो वर्षों के पश्चात संसद या विधानसभा के समक्ष एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले किया गया है कि इसमें हमारी कतई रुचि नहीं है। सरकार ने निर्णय को क्यों नहीं स्वीकार किया इसके कारण सरकार बहुत समय बाद देती हैं। अतः यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि संसद या विधानसभा इस पर फैसला कर सकती है। अतः स्वयं संविधान में यह शर्त होनी चाहिए कि एक बार उनकी नियुक्ति होने के बाद आयोग द्वारा दिया गया निर्णय सरकार पर बंधनकारी होना चाहिए। ऐसे बहुत से मामले हो सकते हैं जिसमें अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के अन्तर्गत आयोग ने निर्णय करने के बाद कुछ अधिकारियों के विरुद्ध गलत टिप्पणी की और सरकार ने उन टिप्पिणियों को चतुराई से अनदेखा करके उन लोगों की पदोन्नति कर दी। इस तरह के बहुत से मामले हो सकते हैं और इससे राज्यों में या देश में अच्छा प्रशासन नहीं लाया जा सकता।

तदर्थ नियुक्तियों के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि ये वर्षों तक निरन्तर चलती रहती हैं और उसके बाद आयोग से अनुरोध किया जाता है कि इसका अनुमोदन किया जाए। सिद्धांततः

यह गलत है और तदर्थ नियुक्तियों को एक निश्चित समय से आगे नहीं चलने दिया जाना चाहिए।

पुलिस और सेना में भर्ती बड़ी सावधानी से की जानी चाहिए। एक आयोग नियुक्त किया जाए और पुलिस सुधारों को लागू किया जाना चाहिए। उनकी सेवा-शर्तें प्रोत्साहनजनक नहीं हैं। आवास भी अच्छा नहीं है। उनके वेतन अपर्याप्त हैं और सेवा-शर्तें असन्तोषजनक हैं। उनसे कुशल सेवा की आशा करते समय उनकी सेवा-शर्तों में सुधार करने के लिए इन सब बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

जासूसी गतिविधि काफी बढ़ गई है और इन घृणित गतिविधियों में उच्च अधिकारी लिए हैं। अभी हाल ही में प्रधानमन्त्री ने सदन को सूचना दी थी कि उच्च पदों पर आसीन कुछ अधिकारियों पर संदेह है और उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। यहां तक कि राजनयिक भी दिल्ली शहर में सुरक्षित नहीं है। अभी हाल ही में एक मित्र देश के दूतावास के कर्मचारी की हत्या कर दी गई और अपराधियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों को विदेशों में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। कई जासूसी गतिविधियां इस कारण से हुई हैं क्योंकि सेना के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन बड़े अधिकारियों ने विदेशों में नौकरियां प्राप्त कर ली हैं। वास्तव में, उनसे वचन लिया जाना चाहिए कि किसी देश में उन्हें कोई पद नहीं दिया जाएगा।

हमें देश को वहां तक आगे ले जाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, जिसकी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आधुनिक भारत के निर्माता जवाहर लाल नेहरू ने कल्पना की थी और मैं चाहता हूं कि हमारा देश विश्व के देशों में एक सबसे बड़ा, समाजवादी तथा लोकतंत्रीय राष्ट्र बने।

कटौती प्रस्तावों का पाठ

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

पंजाब समस्या का अविलम्ब हल करने की आवश्यकता। (2)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

पंजाब में लोकप्रिय सरकार को शीघ्र बहाल करने की आवश्यकता। (3)

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

आरक्षण विरोधी आन्दोलनों को कल्पनाशील ढंग से निपटाने की आवश्यकता। (4)

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

गिरफ्तार लोगों के साथ अमानवीय और गैर-कानूनी व्यवहार को समाप्त करने के लिए सामान्य संहिता बनाने की आवश्यकता। (5)

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

जनता में पुलिस के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न करने की आवश्यकता। (6)

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

कानून और व्यवस्था सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करने के लिए पुलिस बल में कार्य-कुशल बनाने हेतु राज्यों को प्रेरित करने की आवश्यकता। (7)

"कि पुलिस शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस और अपराध जांच-तंत्र का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता। (10)

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि गृह मन्त्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

आरक्षण नीति की अखिल भारतीय स्तर पर फिर से जांच करने की आवश्यकता। (39)

सभापति महोदय : सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं। अब श्री ब्रह्मदत्त।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मदत्त (टिहरी गढ़वाल) : सभापति महोदय, समय देने के लिए धन्यवाद। गृह मंत्रालय के जो काम हैं उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा बहुत मुख्य है और यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस दिशा में 1980 से लेकर अब तक जहां तक वित्तीय व्यवस्था का सवाल है, बहुत संतोषजनक और सराहनीय कार्य हुआ है। यह इससे स्पष्ट है 1979-80 में 5967 करोड़ रुपए के पूरे स्टेट प्लान थे और उनमें से कुल 250 करोड़ रुपए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान जो हरिजनों के लिए होते हैं, उनके लिए थे। यह केवल 4 परसेंट पड़ता था जो 1984-85 में 18342 करोड़ रुपये में 1001 करोड़ रुपया हो गया है। लेकिन सब से बड़ी प्रसन्नता की बात यह है और पिछली सरकार जो इसके लिए कार्य करती रही वह बधाई की पात्र है कि स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस जो 1979-80 में 5 करोड़ रुपए थी वह 1984-85 में 140 करोड़ रुपये हो गई।

प्रदेशों में अनुसूचित जातियों के लिए निगम बनाए गए, उनको भी यहां से सहायता दी जाती है। इस सहायता में तो इतनी बढ़ोत्तरी हुई है कि 1980 से 85 के बीच की सरकार को हम उसके लिए बहुत ज्यादा बधाई देना चाहते हैं। 1978-79 में यह सहायता जो 5 लाख रुपए थी वह 5 लाख से 15 करोड़ रुपए हो गई। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन तीन बातों की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। अनुसूचित जातियों को ऊपर उठाने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनमें 50 प्रतिशत अनुदान का अंश होता है। चाहे वह बैंकों के जरिए ऋण देते हैं या और जरिए से उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा घपला होता है। मुझे उत्तर प्रदेश में एक जगह देखने का मौका मिला। लखनऊ के पास के एक गांव में दस आदमियों को बारह-बारह हजार रुपया मंजूर किया गया जिसमें 6 हजार रुपया ऋण देना था बैंक को और 6 हजार रुपया अनुदान देना था। प्रदेश सरकार से अनुदान लेने के लिए बैंक का रुपया तो स्वीकृत हुआ लेकिन वह दिया नहीं गया और सब्सिडी जो अनुदान का अंश था, वह ले लिया गया। लेकिन उस आदमी को कुछ मिला नहीं। कुछ कर्मचारियों की जेब में चला गया, कुछ बैंक कर्मचारियों की जेब में गया। उस व्यक्ति तक कुछ पहुंचा नहीं। खैर, उसकी जांच हुई और बाद में कार्यवाही हुई। लेकिन इस ओर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मैं तो निवेदन करूंगा कि इस अनुदान का स्वरूप बदला जाय। नकद अनुदान देने के बजाय आप ब्याज की दर कम करें और चुकाने की अवधि लम्बी कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

दूसरी बात यह है कि इन जातियों के लिए जो मकान बनाने की योजना है, उसमें जहां तक जमीन देने का सवाल है, वह राज्य सरकारों का काम है, लेकिन एक अनुभव हमें उत्तर प्रदेश में हुआ है। हम लोग 2 हजार रुपया मैदान के लिए और 3 हजार रुपया पहाड़ों पर अनुसूचित जाति के लोगों को मकान बनाने के लिए देते थे लेकिन हमने देखा कि उसमें मकान नहीं बन रहे थे। कारण यह था कि इतने पैसे में मकान बन नहीं सकते थे, हालांकि प्रदेश सरकार का 60-70 लाख रुपया हर साल खर्च हो जाता था। अतः वहां के वर्तमान मुख्य मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी और हमने बैठकर एक नयी स्कीम निकाली कि इस रकम को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया जाए परन्तु बैंकों के माध्यम से लोन दिया जाए तथा पूरा मकान बनाकर अनुसूचित जाति के लोगों को दिए जायें। इस वर्ष उस योजना के अन्तर्गत 10 हजार मकान बनाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार का इतना रुपया तो खर्च होगा लेकिन उनके लिए मकान बन जायेंगे। मैं मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि इस सम्बन्ध में भी वे अध्ययन करायें।

अब मैं अनुसूचित जनजातियों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यह अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वे भारत के आदिवासी हैं और इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके ऊपर आज के विकास का जो प्रभाव पड़ रहा है वह ऐसा पड़ना चाहिए कि वे मुख्य धारा से जुड़ जाएं लेकिन अपनी धरती से उजड़े नहीं। मैंने मिर्जापुर में देखा है कि जब वहां पर रिहन्द डैम बनाया गया तो उन लोगों को वहां से उखाड़ा गया। फिर दूसरी परियोजना बनी तो फिर वहां से उखाड़ा गया और तीसरी जगह से फिर उखाड़ा जा रहा है। इनके लिए जंगलों का बड़ा महत्व है। एक तरफ जंगलों का संरक्षण भी जरूरी है, वाइल्ड-लाइफ का संरक्षण भी जरूरी है लेकिन साथ ही साथ यह भी बहुत जरूरी है कि जो लोग जानवरों जैसी जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं, उनका भी संरक्षण हो। इन लोगों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जानी चाहिए और सामाजिक वानिकी का जो काम है, उसमें इनको इन्वाल्व किया जाना चाहिए।

मैं जिस निर्वाचन-क्षेत्र टेहरी-गढ़वाल से यहां पर आता हूं, वह क्षेत्र तिब्बत के बार्डर से शुरू होकर देहरादून तक आता है। तिब्बत के बार्डर पर भोटिया लोग रहते थे और हम जानते हैं कि वे नमक आदि खरीदने के लिए आते थे तथा अपने साथ ऊन व सुहागा लाते थे। उनका वह परम्परागत व्यापार तो समाप्त हो गया लेकिन समस्या यह पैदा हो गई कि वे करें क्या? वहां पर खेती-बागबानी हो नहीं सकती है। जाड़ों में उनको नीचे आना पड़ता है। जब वे नीचे आते हैं तो जंगल के लोग भेड़ों के चरागाह के लिए उनको जमीन नहीं देते हैं। अतः उनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस काम के लिए 9 करोड़ का प्रावधान किया है लेकिन जब तक कोई समन्वित योजना उनके लिए नहीं बनाई जाएगी तब तक उनकी समस्या हल नहीं होगी। उनके लिए अच्छी नस्ल की भेड़ों का प्रबन्ध करना होगा तथा उनकी ऊन की बिक्री की व्यवस्था करनी होगी।

इसके अलावा मैं एक बात गूजरों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जो कि कश्मीर और उत्तर प्रदेश के बार्डर पर आज भी हजारों गाय-भैंसों (विशेषकर भैंसों) का पालन करते हैं। वे जाड़ों में नीचे आते हैं और गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं। उन लोगों का बड़ा भयंकर शोषण किया जाता है। उनको जगह नहीं मिलती है। हर जगह से उनको भगाया जाता है। केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकार ने मिलकर उनके पुनर्स्थापना की योजना बनाई लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि कल्पनाहीन योजना बनती है। उनको जमीन देकर कहा गया कि वे चारा उत्पन्न कर सकते हैं लेकिन

गेहूं बोने पर पाबन्दी लग गई। हमने जंगलात के लोगों से कहा कि गेहूं से आदमी को खाना मिलता है, साथ ही जानवरों के लिए चारा मिलता है, इसलिए गेहूं बोने में क्या दिक्कत है। इस तरह की समस्याओं का निराकरण करना चाहिए।

अब एक विशेष बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां जंगलात के अन्दर बहुत सारे लोग टोंगिया सिस्टम में लगाए गए हैं जब जंगलात बन जाते हैं तो उनको वहां से भगा दिया जाता है, उनके बसाने के लिए सरकार की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है। हमारे यहां तराई के क्षेत्र में हजारों एकड़ के फार्म हैं, उन पर किसी तरह की पाबन्दी लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए कि इन लोगों को दूसरी जगह बसाया जाए ताकि उनको परेशानी न हो।

हमारे यहां थारू और बोक्सा लोग ऐसी जिन्दगी व्यतीत करते हैं, जैसे किसी समय अमरीका के नीग्रोज व्यतीत करते थे। इन लोगों के अधिकारों की रक्षा बहुत ज्यादा आवश्यक है।

अब मैं एक दिलचस्प बात की ओर माननीया गृह राज्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरी कांस्टीचूएन्सी में तीन जिले हैं—उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून। देहरादून के दो विकास खण्ड हैं—कालसी और चकराता। इन दोनों विकास खण्डों को जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनके यहां पोलिएण्डी सिस्टम (बहुपति प्रथा) प्रचलित है। पहले वहां पर स्लेवरी भी थी, कोल्टा जनजाति के लोगों को उनके मालिक ऐसा समझते थे जैसे गाय-भैंस हैं। पिछले तीस सालों में यह काफी कम हो गई है, लेकिन बहुपति प्रथा अभी भी कायम है, इसीलिए उनको जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है। इस घोषणा से वहां के लोगों को काफी लाभ पहुंचा है, लेकिन अभी भी बहुत से मामलों में, जैसे बैंकों के ऋण हैं, खेती के उपकरण, यन्त्र तथा अन्य वस्तुएं जो उन लोगों को दी जाती थी, वे बड़े-बड़े लोग हथिया लेते थे और उन वस्तुओं का लाभ इन लोगों को नहीं पहुंच पाता था। इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है।

लेकिन इसी के साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर यमुना नदी के उस पार उत्तरकाशी व टिहरी जिलों में चार विकास खण्ड हैं—मोरी, जौनपुर, पुरोला और थत्युड़। इन चारों विकास खण्डों में भी ऐसे लोग रहते हैं जैसे कालसी और चकराता में रहते हैं। इनके यहां भी बहुपति प्रथा है। उनकी ओर से बहुत वर्षों से यह मांग होती रही है कि हमको भी जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाय। मैं "जनजाति" नहीं, "जनजाति-क्षेत्र" घोषित करने की बात कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था, लेकिन 1977 में उसे अस्वीकार कर दिया गया। 1984 में फिर निवेदन किया लेकिन गृह मंत्रालय में किस प्रकार से अध्ययन होता है, मैं इसके सम्बन्ध में माननीया गृह राज्य मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं। मैंने 11 फरवरी को एक चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद वहां के लोगों ने मुझे एक ज्ञापन दिया, मैंने दोबारा उनके ज्ञापन को आपके पास भेजा। उसके बाद 19 फरवरी को मैंने प्रधान मंत्री जी को लिखा और उसमें यही अनुरोध किया कि इस तमाम क्षेत्र को जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाए क्योंकि ये जो चार विकास खण्ड उत्तर काशी व टिहरी के हैं इनके यहां भी वही प्रथाएं प्रचलित हैं जो देहरादून के कालसी और चकराता में हैं। दोनों ही अर्थ-व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था एक समान हैं। वहां पर एक बड़ा भारी राजनीतिक सवाल बन गया है कि जमुना के इस पार रहने वालों के लिए वे सब सहूलियतें प्राप्त हैं, लेकिन उस पार रहने वालों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने तत्कालीन प्रधान मंत्री जी के सामने भी अपनी समस्याओं को रखा था तथा उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक उनकी बातों

को सुना था । मुझे गृह मंत्री जी तथा प्रधान मंत्री जी दोनों के पत्र प्राप्त हुए हैं। प्रधान मंत्री जी के पत्र में लिखा है कि इसका परीक्षण किया जा रहा है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि गृह मंत्रालय को दो एक-जैसे पत्र लिखे गए, लेकिन दोनों के उत्तर अलग-अलग मिले । एक में कहा गया है कि यह सम्भव नहीं है, क्योंकि वहां जनजातियों की परसेन्टेज बहुत कम आती है। उन्होंने कहा कि उत्तर काशी में 190948 में से 1817 जनजाति के हैं और टिहरी में 497710 में 68 जनजाति के हैं। इसलिए इसको जनजाति क्षेत्र घोषित करना ठीक नहीं है। मैं थोड़ा निराश हो गया । यह 12 मार्च के पत्र में लिखा गया । लेकिन 21 मार्च को जो पत्र मिला, उससे फिर से आशा जागी । उन्होंने कहा—इस पर दूसरे प्रदेशों के साथ विचार किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों की टिप्पणियां अभी प्रतीक्षित हैं। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे यहां यह एक बड़ा भारी सवाल बन गया है कि इस पार के रहने वालों को, जो बहुपति प्रथा को मानते हैं, यह सहूलियत प्राप्त है लेकिन उस पार के लोगों को प्राप्त नहीं है, उनमें इस तरह का भेद नहीं होना चाहिए । उनकी समाज व्यवस्था एक तरह की है और एक तरह से हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इसके लिए निवेदन किया है। मेरा आपसे आग्रह है कि कृपा करके इसको कीजिए। आज एक माननीय सदस्य ने भी इसके लिए आपका ध्यान आकर्षित किया था ।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : कौन-सा भेदभाव किया जा रहा है ? हमें उसका पता नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त : भेदभाव यह है कि यमुना नदी के दोनों किनारों पर एक ही तरह की जनजाति—जौनसारी और खालटा—रहती है। दोनों जनजातियों में बहुपति प्रथा है। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से वे एक जैसी हैं लेकिन यमुना नदी के दायीं ओर के लोगों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है जबकि बायीं ओर के लोगों को नहीं। भेदभाव यह किया गया है।

[हिन्दी]

मान्यवर, ये कुछ चीजें हैं। इनके लिए हमारे कुछ कार्यक्रम हैं, जिन पर हम बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं और जिनके कारण देश में 1980 के बाद से बड़ा भारी क्वान्टेटिव परिवर्तन आया है लेकिन इनमें हमें क्वालिटेटिव परिवर्तन लाने की जरूरत है।

मेरे पूर्व-वक्ता ने ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन के बारे में कहा । उन्होंने चुनावों के दौरान होने वाली हिंसा के बारे में कहा, पंजाब की समस्या के बारे में कहा । ये तीनों समस्याएं सामाजिक समस्याएं हैं जिनको कि हमें दलबन्दी से ऊपर उठ कर हल करना है। चाहे ला एण्ड आर्डर की बात हो, चाहे चुनावों में बढ़ती हुई राजनीतिक हिंसा हो, चाहे पंजाब की समस्या हो, इन सबके लिए हमें एक होकर सोचना पड़ेगा और एक होकर इन्हें हल करना पड़ेगा। क्योंकि यह किसी एक राजनीतिक पार्टी का सवाल नहीं है। इनके बारे में हमें एक राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करनी चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि पोलिटिकल पार्टीज के लिए एक आचार संहिता एक (कोड आफ कंडक्ट) बनना चाहिए क्योंकि हम बात तो शांति की करते हैं, समस्या को सुलझाने की करते हैं लेकिन अपने आचरण और कार्यों के द्वारा समस्या को और उकसाते जाते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता बनाने की बहुत जरूरत है।

अन्त में मैं केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध के बारे में चन्द शब्द कहना चाहूंगा। इस सम्बन्ध में यहां भी बहुत कुछ कहा जाता है और बाहर भी बहुत कुछ कहा जाता है। हम कुछ राष्ट्रीय उद्देश्य तय करते हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं। किसी को यह अधिकार नहीं है कि उन उद्देश्यों या रास्ते से हट कर उन तमाम साधनों या राशियों का दुरुपयोग करें जो उनके लिए आबंटित किए जाते हैं। जो हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य हैं उन पर सभी को मिल कर साथ चलना है। हम सभी मिल कर राष्ट्रीय उद्देश्य तय करते हैं जिनके लिए यह बहुत जरूरी है कि कोई भी प्रदेश जो हमारी योजनाएं हैं, जो हमारे परिव्यय हैं उनको डाइवर्ट का खर्च न करें। उनको यह डाइवर्ट करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसमें सभी की सहमति होनी चाहिए।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं उन तमाम कल्याणकारी कार्यों और प्रयासों के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि उसने किए हैं।

धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप राम (गया) : सभापति महोदय, गृह विभाग की जो डिमांड्स यहां प्रस्तुत हुई हैं उनका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मैं गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने जो सरकार की मुख्य जिम्मेदारी कानून और व्यवस्था को सुधारने की होती है उसको बहुत ज्यादा सुधारा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने छठी पंचवर्षीय योजना में संकल्प लिया था कि हमारी सरकार प्रति वर्ष प्रत्येक खंड में पांच सौ परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठायेगी लेकिन यह सदन अंधकार में है। पता नहीं सरकार के पास या गृह विभाग के पास कोई इसकी रिपोर्ट आई है या नहीं गरीबी के सम्बन्ध में। (व्यवधान) मैं समझता हूं कि शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स लोगों की जो समस्याएं हैं, उनको मोनेटरिंग करने के लिए मुख्यतः गृह विभाग को रखा गया है। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा और वे अपने जवाब के समय यह बताएं कि आज हम छठी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रवेश करने वाले हैं, इसमें हमारी जो प्लानिंग हुई है प्रति वर्ष, प्रत्येक प्रखण्ड में गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की, उसमें हम कहां तक कामयाबी हासिल कर पाए हैं। ऐसे आंकड़ों की खेती करते-करते और यह कहना कि इतने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा दिया है, लेकिन जमीन पर जाकर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कोई विशेष प्रगति नजर नहीं आ रही है। पिछले वर्ष प्लानिंग मिनिस्ट्री से सम्बन्धित एक प्रश्न इसी सदन में आया था श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा द्वारा पूछा गया था, उस समय प्लानिंग मिनिस्टर ने बताया था कि 15 मिलियन पीपल्स को हम गरीबी की रेखा से ऊपर उठा चुके हैं, लेकिन यह नहीं बता सके कि स्टेटवाइज ब्रेकअप क्या है। मैं यह बात जानना चाहूंगा, यह बहुत आम सवाल है, आपने ही प्लानिंग किया है जब आप प्लानिंग मिनिस्टर थे।

दूसरी चीज आपके माध्यम से सभापति महोदय मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज विपक्ष के लोग देश में एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं, जिसमें आरक्षण के विरोध में एक वातावरण बनाया जा रहा है। यह बहुत शर्मनाक बात है उन लोगों के लिए। लालकृष्ण अडवानी राज्यसभा में या पब्लिक मीटिंग में कहीं उन्होंने कहा कि आरक्षण पर नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर ने भी यह कहा कि इस पर नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। यह बहुत शर्मनाक बात है। स्वयं बापू ने, डा० अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राजेन्द्र बाबू ने और हमारी

स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक प्रिंसीपल ले डाउन किया कि आरक्षण संविधान सम्यक बात है, इस पर कोई कंसेंसस नहीं होना चाहिए। आज इस तरह की बातों से ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे सब अस्त-व्यस्त हो और एक जन-मानस तैयार करना चाहते हैं। बाहर कहते हैं कि हम हरिजनों के, हम आदिवासियों के, हम गरीबों के बहुत बड़े चहेते हैं। हिन्दुस्तान में कोई पोलिटिकल पार्टी और कोई नेता हरिजन-आदिवासी का चहेता नहीं हो सकता। वह हो सकता है तो नेहरू परिवार और कांग्रेस पार्टी ही हो सकती है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। हम अपने प्रधानमन्त्री, श्री राजीव गांधी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने आरक्षण की नीति पर इस सदन में उठ कर कहा कि यह संविधान सम्यक बातें हैं, इस पर किसी तरह की विरोधी बात, किसी तरह का नेशनल कंसेंसस नहीं हो सकता। यह हमारी सरकार की नीति है, स्पष्ट नीति है। गृह मन्त्री जी, आपके ऊपर सारी जवाबदेही है, उन हरिजन-आदिवासियों के आरक्षण की रक्षा के लिए, उन गरीब वर्गों और कमजोर वर्गों के आरक्षण की रक्षा के लिए आपको सभी विभागों और पब्लिक अंडर-टेकिंग्स का मानेटरिंग करना चाहिए। रिजर्वेशन का जो हमको संविधान में अधिकार दिया गया है, उसमें किसी तरह की, किसी वर्ग की नौकरी हो, उसमें हरिजन-आदिवासी को 25 प्रतिशत के रिजर्वेशन की गारंटी रखी गई थी। जब आप विभाग को लिखेंगे तो पता चलेगा कि हर जगह पर रिजर्वेशज की पालिसी वायलेट हो रही है, चाहे वह पदाधिकारी करते हों या किसी और तरीके से होती हो। इतना ही नहीं, एक ऐसा शब्द आपने पदाधिकारियों के इस्तेमाल के लिए रख दिया है कि योग्य कैंडीडेट नहीं मिलते। योग्य कैंडीडेट की परिभाषा क्या हो सकती है। क्या 37 साल की आजादी के बाद भी हरिजन और आदिवासियों में चपरासी के योग्य क्षमता नहीं है। यह एक बहानेबाजी है। मेडीकल, इंजीनियरिंग, आई० ए० एस० और आई० पी० एस० में देख सकते हैं कि कोटा पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों के रिजर्वेशन लायक तो हरिजन और आदिवासियों को बनाया है। यह कहना कि योग्य कैंडीडेट नहीं मिल रहे हैं इसलिए डी-रिजर्व कर दिया जाए, यह प्रश्नवाचक चिह्न भारत सरकार के सामने है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि 37 साल की आजादी के बाद भी क्या हरिजनों को चपरासी और क्लर्क लायक नहीं बनाया गया है। उनमें पोटेंशियल डवलप किया है। आखिर, आपके पदाधिकारी ऐसा क्यों करते हैं। आपको एक संकल्प लेना चाहिए। जब भी पदाधिकारियों के सी० आर० लिखे जाएं, उसमें एक कालम होना चाहिए कि रिजर्वेशन के आधार पर नियुक्ति हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो उस सी० आर० में एन्ट्री कर दी जानी चाहिए। यह नेशनल इश्यू है। इसको उसी स्प्रीट से लेना चाहिए। हम लोग समाजवादी समाज की कल्पना करने की बात करते हैं। देश में 99 परसेंट हरिजन गरीब हैं। क्या एक परसेंट के लिए भी एजुकेशन को डवलप किया है। उसमें अगर आप सुधार नहीं कर सकते तो हम समझेंगे कि नया भारत बनाने के बारे में जो कल्पना है, उसमें आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। सातवीं लोक सभा में 28 अगस्त, 1982 को मैंने प्राइवेट मैम्बर्स रेजोल्यूशन के माध्यम से अनुरोध किया था कि रिजर्वेशन का जो अधिकार दिया गया है, उसमें हमको जॉब गारन्टी की व्यवस्था करनी चाहिए। आज, गांव में बी० ए० और एम० ए० पास लेबर की जिन्दगी बिता रहे हैं। जब कोई हरिजन नौजवान अपने पिता के साथ दूसरे के यहां काम करने के लिए आता है तो जो हरिजन लड़के पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, उनके दिमाग में मंशा पैदा होती है कि जब यह लड़का अपने पिता के साथ एग्रीकल्चरल लेबर की जिन्दगी बिता रहा है तो मुझे पढ़ने से क्या फायदा। इसलिए हरिजनों में ड्रोपआउट आफ एजुकेशन ज्यादा हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जॉब गारन्टी की व्यवस्था होनी चाहिए। सातवीं से लेकर एम० ए० पास तक जो हरिजन अन-एम्पलायड हैं, उनके लिए दो वर्ष में नौकरी देने की व्यवस्था होनी चाहिए। आपने कहा कि "लैन्ड टू० दी० टीलर्स" करेंगे और गरीबों को जमीन देंगे।

यह भी कहा कि भूमि के पर्चे देंगे। मैं समझता हूं दस वर्ष तक जो कानून चला, उसके मुताबिक कुछ जमीन तो बांटी गई। लेकिन, गांव में कुछ ऐसी प्रतिक्रियावादी ताकतें हैं जिन्होंने उस जमीन को छीन लिया है और उन पर कब्जा नहीं होने दिया जा रहा है उसकी फिजिकल वैरिफिकेशन के लिए राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी जानी चाहिए कि जो जमीन उन्होंने एक्वायर करके शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स तथा दूसरे गरीब लोगों के बीच बांटी, क्या उन्होंने उसकी कोई फिजिकल वैरिफिकेशन करवाई कि वह जमीन वास्तव में उन लोगों को मिली या नहीं, जिनको वह बांटी गई थी। सभापति महोदय, यह बहुत अहम सवाल है, इसलिए मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप राज्य सरकारों के द्वारा फिजिकल वैरिफिकेशन करवाएं और इस कार्य में केन्द्रीय सरकार को मानिटरिंग स्वयं करनी चाहिए।

जहां हमारी सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया है, उसके कारण देश भर में "ईरा ऑफ अवेकनिंग" पैदा हो गया है और आज देश भर के हरिजन लोग अपने हकों के लिए आगे आ रहे हैं। यह सब राजीव जी के नेतृत्व की वजह से हुआ है, ऐसा मैं मानता हूं। आपने मिनिमम वेजिज लागू कराया, जमीन बांटने का कार्यक्रम चलाया और कई दूसरे कार्यक्रम चलाये और यही कारण है कि आज देश में ये लोग अपने हकों के लिए आगे आ रहे हैं लेकिन गांवों में अभी स्थिति उतनी नहीं सुधरी है जितनी दूसरी जगहों पर देखने में आती है। गांवों में अभी हरिजन लोगों को भूमिपतियों की तरह-तरह की यातनाएं सहनी पड़ रही हैं और उसका नतीजा यह हो रहा है कि वे भूमिपतियों और राज्य सरकारों की पुलिस के बीच में सैंडविच की तरह पिसते चले जा रहे हैं तथा सामन्तवादी व्यवस्था के शिकार होते जा रहे हैं। यदि वे मिनिमम वेजिज की मांग करते हैं या जमीन की मांग करते हैं तो उनको भूमिपतियों और पुलिस के अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। उन्हें उग्रवादी कहकर पुलिस मार देती है। मैं आपको इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देना चाहता हूं।

हमारे बिहार के औरंगाबाद जिले में कैथी नामक स्थान पर 12 हरिजनों को गोलियों से उड़ा दिया गया, जिन्दा मार दिया गया। उनके 32 घरों को जला दिया गया। उसके बाद पुलिस ने जबरन दरवाजा खोला तो किसी एक नक्सली ने गोली चला दी और एक सिपाही वहीं ढेर हो गया। इससे सिपाही थोड़ा पीछे हट गए और डर गए। उन्होंने आसपास के गांवों से हथियारबन्द भूमिपतियों को जुटाया। पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ी आधुनिक हथियारों के साथ मंगाई गई और पुलिस ने भूमिपतियों को बन्दूकों और राइफलों की गोलियां मुहैया कीं। बजरंग बली की जय कहते हुए भूमिपति जुटे थे। भूमिपति कैरोसिन तथा पुलिस वाले अपनी जीप से पैट्रोल निकाल लाये तथा उनके घरों को जला दिया गया। इस तरह जहां बहुत से लोग जिन्दा जला दिए गए, वहीं उनकी सम्पत्ति को भी लूट लिया गया। वैसे तो उनके पास सम्पत्ति होती ही नहीं है लेकिन यह सोचने का विषय है और गम्भीर मामला है कि गांवों में इन लोगों पर कितना जुल्म हो रहा है। ऐसी बातें हर गांव में होती हैं। मैं समझता हूं कि यह सिर्फ ईरा ऑफ अवेकनिंग की वजह से है, क्योंकि राजीव जी के नेतृत्व के कारण उनमें आजकल जागृति आ रही है और वे अपने हकों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कोई नक्सलवाद या उग्रपंथियों वाली बात नहीं है बल्कि अपने हकों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भूमिपति और पुलिस मिलकर उन्हें गोलियों का निशाना बना रही है और वे सामन्तवादी व्यवस्था में पिस रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे तमाम केसेज की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसी हाउस की एक कमेटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति बनी हुई है, उसे भी देखना चाहिए कि वास्तव में वस्तुस्थिति क्या है क्योंकि कई सही चीजें सरकार के सामने पेश नहीं की जाती हैं और उसी का नतीजा है कि वे गांवों में रहकर परेशानी का सामना कर रहे हैं।

मैं एक निवेदन यहकरना चाहता हूं कि जहां-जहां सरकार की निगाहें उठती हैं, किसी न किसी तरह वहां पर इन लोगों को आरक्षण मिल जाता है लेकिन पब्लिक अंडरटेकिंग्स में आरक्षण लागू नहीं किया जाता है। प्राइवेट सैक्टर में जहां हमारी सरकार की कोलेबोरेशन से नई-नई इंडस्ट्रीज खड़ी की जा रही हैं, टाटा, बिरला ग्रुप या बिग हाउसेज के लोगों की ओर से जो इंडस्ट्री सैट-अप की जाती हैं, उन सबमें इन लोगों के लिए सरकार की ओर से घोषित नीति का पालन नहीं किया जाता। मेरा निवेदन यह है कि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसे उपाय करने चाहिए कि प्राइवेट सैक्टर में स्थापित उद्योगों में भी आरक्षण नीति का पालन हो सके।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि आये दिन हम अखबारों में देखते हैं, कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से कहा जाता है कि इस बार रिजर्वेशन का कोटा कुछ कम कर दिया गया है, कभी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में लिखा होता है कि मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेजों में लड़कों के नामांकन में संख्या कम कर दी गई है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस संबंध में एक समान नीति बनाकर उस पर अमल करना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा जहर है और यदि इस जहर को रोका नहीं गया तो उससे हमारा समाज प्रभावित हुए बच नहीं सकेगा। जब यह समाज कमजोर होगा तो देश की अखंडता और इंटेग्रिटी खंडित हो जायेगी। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि यह बहुत डेलीकेटेड इश्यू है इसको हमें एमीकेबली हल करना चाहिये। विपक्ष के लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको तेजी से बढ़ायें, लोगों के दिमाग में एंटी रिजर्वेशन का हौआ खड़ा करें ताकि लोग इसकी मुखालफत करें। हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि बाहर तो वे भी हरिजन और आदिवासियों की बात करते हैं लेकिन जब इस सदन के घेरे में आते हैं तो चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हों, मधु दंडवते हों, चन्द्र शेखर हों तो वह अपना स्वरूप बदल लेते हैं और यहां भूमिपतियों की वकालत करते हैं। साथ ही कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी बनाते हैं, हम सोशलिस्टिक मेजर्स चलायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि यह धोखा है।

हिन्दुस्तान में अगर कोई गरीबी दूर कर सकता है, हिन्दुस्तान को अखंड भारत के रूप में रख सकता है, सबको एक दस्तरखान पर बैठा सकता है तो वह हमारे श्री राजीव गांधी ही बैठा सकते हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी ही बैठा सकती है। आपके तो घड़ियाली आंसू हैं, लेकिन हम हकीकत में समाजवाद लाना चाहते हैं। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों में अन्तर है। तेलुगुदेशम तो रीजनल पार्टी है, पता नहीं उसका भविष्य क्या होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि रातों-रात जो एक पोलिटिकल पार्टी बनाते हैं, मजहब के नाम पर, धर्म और भाषा के नाम पर, मैं रीजनलिज्म के खिलाफ नही हूं, लेकिन रीजनलिज्म के नाम पर कहीं नैक्सलिज्म न पैदा हो जाये। इस तरह का खतरा पैदा हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्टेट की पोलिटिकल पार्टी हैं, जो धर्म, जाति, भाषा की बुनियाद पर खड़ी हो जाती हैं, उन पार्टियों पर बैन लगना चाहिये। ये अपने आपको सैकुलर कहते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि इस तरह की पार्टियां बैन होनी चाहिये, चाहे वह तेलुगु देशम ही हो। मुझे उसकी चिन्ता नहीं है। हिन्दुस्तान की जनता ने एक बहुत बड़ा मौका उनको दे दिया है, लेकिन वह बारबार उनको नहीं देगी।

मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि सोशलिस्टिक मेजर्स ज्यादा से ज्यादा राज्य-सरकारों का काम है, उन्हें करना चाहिये लेकिन उस पर आपकी मानिटरिंग की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं होम मिनिस्ट्री की डिमांड्ज का हार्दिक समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री बाजूबन रियान** (त्रिपुरा पूर्व) : सभापति महोदय, गृह मंत्रालय की मांगों पर बोलते समय मैं शुरू में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत कानून और व्यवस्था की स्थिति पर अपने दल के और अपने विचार रखना चाहता हूं।

देश में उग्रवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। हालांकि मंत्रालय की रिपोर्ट में यह बताने का प्रयास किया गया है कि उग्रवादी गतिविधियां घट रही हैं। हत्या, हमलों, आगजनी, आदि के कुछ आंकड़े इस दावे के समर्थन में दिए गए हैं। सरकार ने दावा किया है कि उग्रवादी गतिविधियां घट रही हैं। लेकिन वास्तव में हम क्या पाते हैं? स्थिति बिल्कुल उलटी है। पूरे देश में उग्रवादियों की हिंसात्मक गतिविधियों की बहुत-सी घटनाएं हुई हैं जो सरकार के ध्यान में नहीं आई हैं। हम समझते हैं कि उग्रवादियों तथा उग्रवादियों की गतिविधियों का उद्भव मुख्यतः पिछले 37 वर्षों में कांग्रेस सरकार की नीतियों और कार्यों के असफलता के कारण हुआ है। हमारा देश बहुभाषी देश है। साथ-साथ रहते हुए लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। विकास के लिए सभी भाषाओं के बराबर अवसर नहीं दिया गया है। देश में बोली जाने वाली अनेक भाषाओं में से केवल 14 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और उनके विश्वास के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। सभी प्रयास हिन्दी पर केन्द्रित हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि हिन्दी के विकास के लिए अधिक धनराशि आबंटन करने की आवश्यकता है क्योंकि यह भारतीय राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन 8वीं अनुसूची में शामिल की गई अन्य भाषाओं के विकास के लिए भी कदम उठाने चाहिए और उसी अनुपात में धन का आवंटन होना चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप विषमता बढ़ रही है और अन्य भाषा बोलने वालों के दिमागों में असंतोष की भावना पनपती जा रही है। साथ-साथ हम यह भी देखते हैं कि देश में विभिन्न राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तथा विभिन्न समुदाओं के बीच आर्थिक और सामाजिक असमानता भी होती जा रही है।

देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक उदाहरण लीजिए। इस क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र ने जिम्मेदारी ली है तथा इस प्रयोजन के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया है। यह बहुत अच्छी बात है। पूर्वोत्तर परिषद के अन्तर्गत सात राज्य आते हैं जो अधिकतर केन्द्र शासित क्षेत्र हैं। तीन राज्यों में विधानसभाएं हैं। छठी योजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र के मुख्य विकास संबंधी योजनाओं के लिए 340 करोड़ रुपए की धनराशि का आबंटन किया गया है और आपने अन्तिम रूप से 391.43 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया है लेकिन यदि आप जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर देश के अन्य राज्यों के लिए आबंटित धनराशि का तुलनात्मक अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आबंटित राशि अनुपातिक दृष्टि से बहुत कम है तो भी हम स्वीकार करते हैं कि यह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा है, व्यावहारिक दृष्टि से वहां कोई उद्योग नहीं है तथा अन्य विकास संबंधी कार्यों के लिए बुनयादी सुविधाओं की आवश्यकता होती है और उद्योगों की स्थापना भी वहां नहीं हुई है। धनराशि कम आबंटित करने का यह एक कारण हो सकता है लेकिन हमारे पास अन्य संभावनाएं हैं जिनके उपयोग और विकास किए जाने

*बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए यहां गैस और पेट्रोलियम मिलने की संभावना है लेकिन इस क्षेत्र के लोगों में न तो उसकी.खोज करने और न ही इसको उपयोग में लाने की क्षमता है। केन्द्र की यह जिम्मेदारी लेनी है। लेकिन केन्द्र वांछित रूप में तथा आवश्यक मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। इसलिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक और सामाजिक असमानता रहती है। हमारा विश्वास है इस आर्थिक असमानता का मूल कारण अनेक प्रकार की उग्रवादी गतिविधियां हैं जो देश के विभिन्न राज्यों में इस असमानता के विरुद्ध विरोध करने के लिए सिर उठा रही हैं। आपने बहुत बातें कहीं हैं और बहुत से काम करने का वायदा करते हैं। लेकिन क्या उन लोगों को लाभ मिला है जिनके लिए यह किया गया है ? आपने पंजाब के लिए बहुत कुछ करने का वायदा किया है। पंजाब एक पूर्ण राज्य है। लेकिन आज भी यदि आप उनकी राजधानी के बारे में पूछेंगे तो उन्हें कहना पड़ता है कि वह उनके राज्य में नहीं है परन्तु चड़ीगढ़ में है। अब चड़ीगढ़ एक संघ शासित क्षेत्र है जिसका केन्द्र प्रशासित है। हरियाणा को भी यह कहना पड़ता है कि इसकी राजधानी चंड़ीगढ़ है। पंजाब में यह असंतोष का एक कारण है। कुछ लोग इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं और कतिपय विदेशी ताकतों की मदद से पंजाब में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस अशांति और गड़बड़ी के परिणामस्वरूप पूरे देश की एकता और अखंडता के खतरा पैदा हो गया है। देश को एक करके रखना कठिन होता जा रहा है। हमारी स्वर्गीय प्रधामंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने समय के दौरान इस सदन को कई बार आश्वासन दिया था कि पंजाब और हरियाणा के लिए अलग-अलग राजधानियां बनाई जाएंगी आप आश्वासन दें कि आप इसे करेंगे लेकिन आप इसे नहीं कर रहे हैं। आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि आप इसे कब तक करेंगे, मुझे विश्वास नहीं होता कि जब तक आप सत्ता में हैं तब तक आप इसे कर सकेंगे। उग्रवादी आंदोलन को इन बातों से बल मिलता है।

महोदय, उग्रवादी आन्दोलन सबसे पहले हमारे देश में नागालैण्ड में शुरू हुआ था। वहां के लोग भारत के साथ नहीं रहना चाहते हैं, वे अपने आपको भारतीय नहीं समझते हैं। ऐसा क्यों है ? इसका कारण यह है आप वहां विकास संबंधी कार्यों को शुरू नहीं कर रहे हैं। वे विश्वास नहीं कर सकते हैं कि उनको भारतीयों की तरह रहने, और विकास तथा उन्नति करने का अधिकार है। उन्हें विकास के लिए कोई अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है। वे यह महसूस करते हैं कि उनके प्रति भेदभाव हो रहा है। वहां सब जगह अशांति है। अब उनको दबाने के लिए आपने 'असम राइफल्स' और अन्य केन्द्रीय पुलिस बल तथा परा सैनिक बल भेज दिए हैं। वहां आपात स्थिति और सैनिक शासन लागू कर दिया गया है। लेकिन इस सबके बावजूद स्थिति असामान्य बनी हुई है और प्रतिदिन हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं। मिजोरम, मणिपुर में इसी तरह की समस्या अपना सिर उठा रही है और यह समस्या मेरे राज्य में भी खड़ी हो गयी है। महोदय, मेरे राज्य की सीमा के साथ बंगलादेश लगा हुआ है, आज मेरे राज्य में जो लोग उग्रवादी गतिविधियों में लगे हुए हैं वे बंगलादेश में प्रशिक्षण और शरण प्राप्त कर रहे हैं। वे वहां से सीमा पार कर मेरे राज्य में आकर लोगों पर आक्रमण कर रहे हैं।

श्री तोमर की अध्यक्षता में एक संयुक्त अध्ययन दल ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें यह सिफारिश की गई है कि त्रिपुरा नेशनल वालन्टियर्स के उग्रवादी की गतिविधियों का सामना करने के लिए असम राइफल्स की दो बटालियनों को त्रिपुरा भेज दिया जाए। सिफारिशों को

कार्यान्वित नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि इन उग्रवादी ताकतों से निपटने के लिए असम राइफल्स एक उपयुक्त बल होगा क्योंकि उन्हें पहाड़ी क्षेत्र में काम करने का पर्याप्त अनुभव है। महोदय, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जहां किसी समय जनजातियों का बहुमत था, हमारे देश के विभाजन के बाद अधिक संख्या में लोग यहां आए और त्रिपुरा में बस गए। इतनी अधिक संख्या में आने के कारण जनजातीय लोग अल्पसंख्यक हो गए। इससे जनजाति लोगों में अविश्वास और भय पैदा हो गया कि यदि कांग्रेस सरकार निरन्तर सत्ता में रहती है तो जनजातियों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उस क्षेत्र के लोगों ने वामपंथी दलों के नेतृत्व में कई प्रदर्शन किए तथा जनजातीय लोगों के लिए स्वतन्त्रता की मांग की। जब जनता सरकार केन्द्र में सत्ता में आई तो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत उसके अधीन जिला परिषदों को गठित करके रियायत दी गयी थी। हमें खुशी है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय में कांग्रेस सरकार संविधान में संशोधन करने और त्रिपुरा को छठी अनुसूची का लाभ देने के लिए सहमत हो गयी थी। यह विधान बना दिया है और आज 1 अप्रैल, 1985 से यह वहां लागू होने जा रहा है। हमें खुशी है कि त्रिपुरा के लोगों को एक अधिकार दिया गया है। यह उनको संगठित करने में और साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) तथा वामपंथी दलों के सहयोग से प्रगति की ओर बढ़ने में मदद देगा। बंगाली, पहाड़ी जनजातीय लोग सभी अपने विकास के लिए मिलकर कार्य करेंगे।

लेकिन देश के अन्य स्थानों में अन्य जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वे लोग एकजुट होकर संघर्ष करने में असमर्थ हैं अतः उन्हें इन लाभों से वंचित रखा गया है। देश के अन्य राज्यों में आदिवासियों की दशा बहुत करुणाजनक है। उदाहरण के लिए संघ राज्य क्षेत्र अंडमान में आदिवासियों की क्या हालत है ? अभी भी वहां विधानसभा नहीं है। व्यवहारिक तौर पर वहां कोई सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार की जो झलक मात्र वहां दिखाई देती है वह केवल नौकरशाहों की सरकार है। चाहे अच्छे के लिए चाहे बुरे के लिए वे ही सब कुछ हैं। यदि उस प्रकार की सरकार ठीक है तो हमें यहां भी सरकार की जरूरत नहीं है। हम सब भी इस संसद से चले जायें और इसे बन्द कर दें, लेकिन हम महसूस करते हैं कि एक उपयुक्त सरकार जरूरी है। यदि अंडमान की जनता लोकप्रिय सरकार की मांग करे तो क्या आप उन्हें ऐसी सरकार दे सकेंगे। आप उन्हें कब तक इसे दे देंगे ? कितने सालों के बाद ?

आप अभी तक नहीं जानते कि वहां कितने लोग रह रहे हैं। वहां जनगणना नहीं की गई है। अभी भी वहां लोग नंगे घूमते हैं। बहुत से ऐसे द्वीप हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं होंगे कि वहां कौन लोग रह रहे हैं, वे लोग इंसान हैं या बन्दर। अपनी रिपोर्ट में आपने उल्लेख किया है कि 'सनटेनिलिस' आदिवासियों से सम्पर्क किया गया है और उनकी भी प्रतिक्रिया हुई हैं। वे भी मनुष्य हैं। आप किसी को चन्द्रमा पर भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन आप इस देश के इन नागरिकों के लिए कुछ नहीं कर सकते। इन्हीं कारणों से देश में कानून और व्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच मतभेद हैं। असम में समस्याएं हैं, मिजोरम में समस्याएं हैं, हर तरफ समस्याएं हैं। हम इन समस्याओं का हल चाहते हैं। हमारा विचार है कि राजनीतिक हल के बिना इन समस्याओं का अन्य कोई हल नहीं। आपका तरीका है कि यदि किसी जगह आंदोलन हुआ तो कुछ मांगें मंजूर कर लीं, कहीं दूसरी जगह रियायतें दे दीं और किसी जगह आन्दोलनकारियों को दबाने के लिए सेना या अन्य बल भेज दिए। आपका यह तरीका है। पंजाब में गड़बड़ी हुई उसके हल के लिए आपने वहां सैनिक शासन ही शासन स्थापित कर दिया। आदेश पारित कर दिए कि वहां विदेशियों को जाने की अनुमति नहीं है। इस तरह

आप समस्याओं को निपटाना चाहते हैं। सेना तथा अन्य बलों को वहां भेजने की जरूरत है लेकिन इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि वहां के लोगों को शिक्षित किया जाए और उन्हें स्थिति से वाकिफ कराया जाए। पंजाब के लोगों को यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए और उन्हें अहसास कराया जाना चाहिए कि इस तरह की तोड़फोड़ की कार्यवाहियों उपयुक्त नहीं हैं, और उनसे किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि सभी राज्यों के लोग ऐसा करने लगें तो एक दिन बिहार अलग हो जाएगा, उत्तर प्रदेश अलग हो जाएगा, त्रिपुरा अलग हो जाएगा, जम्मू-कश्मीर अलग हो जाएगा। भारत अखंड नहीं रहेगा और एक राष्ट्र नहीं रहेगा। निसंदेह सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। लेकिन आप केवल सेना और अन्य बलों के माध्यम से कार्यवाही कर रहे हैं और दूसरे प्रशासनिक कदम उठा रहे हैं। इससे काम नहीं चलेगा। पंजाब में एक राजनैतिक संगठन है। आपको वहां से मत मिले थे और आपने वहां सरकार भी बनाई थी। हलांकि इस समय सब कुछ स्थगित है। उन सदस्यों, विधायकों आदि को वह करने की अनुमति दी जाती जो वे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में कर सकते हैं। राजनीतिक दलों तथा उनके कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से आपको इन समस्याओं का हल करना चाहिए। राजनीतिक संदठनों को सामान्य रूप से काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यदि हमारा दल प्रभावित होता तो हमने चुनौती का सामना किया होता और हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते, आप चुनाव और सत्ता को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। आप जरूरी कदम नहीं उठा रहे। इससे आप समस्या का हल नहीं निकाल पाएंगे। जनता को इस बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए और उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए।

आपने पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया है और मंत्रियों की एक समिति गठित की गई है। मंत्रियों की समिति तथा सम्बन्धित सात राज्यों के मुख्य मंत्री एक साथ बैठ कर समस्याओं पर विचार करते हैं। वे कुछ सिफारिशें भी करते हैं। तदनुसार असम और त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों ने सिफारिश की थी कि पूर्वोत्तर परिषद के इन राज्यों को उस क्षेत्र में भूमि के नीचे तेल तथा गैस का पता लगाने तथा उसे निकालने की अनुमति दी जाए। आशा है कि उस क्षेत्र को यह अवसर दिया जाएगा।

महोदय, अब हमें गृह मंत्रालय की मांगों के साथ-साथ पुनर्वास पर भी चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत से भारतीय, जोकि विदेशों में रह रहे थे, अब भारत में बसने के लिए लौट आए हैं। उनका पुनर्वास भी एक समस्या का रूप धारण कर रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका सम्बन्ध हमारे देश में रहने वाली जातियों से है और वे यहां की ही कोई भाषा बोलते हैं बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और विश्व के अन्य देशों में रहने वाले ऐसे बहुत से व्यक्तियों को अब मजबूरन भारत लौटना पड़ रहा है। इससे उनके पुनर्वास की समस्या पैदा हो रही है। इस समस्या को भी ठीक ढंग से हल नहीं किया जा रहा है। आपने बताया है कि बहुत से लोगों को पुनर्वास के लिए प० बंगाल में तथा दंडकारण्य परियोजना क्षेत्र में व्यवस्था की गई है। लेकिन विस्थापित लोग न केवल प० बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या बिहार के कुछ भागों में बसाए गए हैं बल्कि उन्हें और बहुत से राज्यों में अनेक स्थानों पर बसाया गया है। वे त्रिपुरा में हैं, मणिपुर में हैं, असम आदि में हैं। लेकिन पुनर्वास समस्या के उपयुक्त और कारगर हल के लिए क्या इन सभी राज्यों को आपने वित्त आबंटित किया है। अगर आपने ऐसा किया होता तो क्या यह समस्या इतनी विकट हुई होती जो इस समय है। मेरा निवेदन है कि पुनर्वास समस्या को हल करने के लिए उन सभी राज्यों को पर्याप्त वित्त आबंटित किया जाए। कलकत्ता में शरणार्थियों की संख्या बहुत अधिक है। उनके पुनर्वास के लिए, उन्हें अधिकार देने के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ

निर्णय लिए थे और उन्हें मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार को भेजा था। प० बंगाल के मुख्य मंत्री कामरेड ज्योति बसु ने केन्द्र को अर्ध-सरकारी पत्र भेजे थे। मंत्रालय की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार को उक्त निर्णय कार्यान्वित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। लेकिन यह केवल पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान करने का ही प्रश्न नहीं है।

बहुत-सी शर्तें लगा दी गई हैं जिसमें 99 साल के लिए पट्टे पर देना भी शामिल है, इसे बदला नहीं जा सकता। इसी तरह की हजारों और शर्तें केन्द्र ने लगाई हैं। राज्य सरकार ने उन शर्तों को खत्म करने के लिए बार-बार आपको लिखा है। लेकिन आप तो उनको भी वापस ले रहे हैं। केवल यह कह कर कि 'दे दो' यह दी नहीं जा सकती। यह बिना शर्त दी जानी चाहिए। इसे प० बंगाल सरकार द्वारा सुझाए गए तरीके से ही दिया जा सकता है। एक दो साल को छोड़ कर 1977 से पहले प० बंगाल में आपकी सरकार थी। क्या आप इस समस्या को हल कर सके? आप शायद सोच रहे होंगे कि प० बंगाल में वामपंथी मोर्चे की सरकार है अतः इस समस्या का हल नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। आप भी इसे हल नहीं कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है। आपने केन्द्र राज्य संबंधों के बारे में सरकारिया आयोग का गठन किया है और यह जुलाई, 1983 से प्रभावी हुआ है। हम चाहते हैं कि बहुत से मामलों में राज्यों को और अधिक शक्ति प्राप्त हो। राज्य के पास वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां अधिक होनी चाहिए। पर मेरे विचार से रिपोर्ट में बहुत विलम्ब हो चुका है। समिति का कार्यकाल एक और वर्ष के लिए बढ़ाया गया है लेकिन इसके बावजूद इसमें संदेह है कि रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। मेरे पास सरकारिया कमीशन द्वारा प्रेषित प्रश्नावली की एक प्रति है। इसमें कई बढ़िया सिफारिशें की गई हैं। लेकिन अंतिम रिपोर्ट जल्दी तैयार की जानी चाहिए तथा सिफारिशों को तुरन्त लागू किया जाना चाहिए। ताकि विभिन्न राज्य सरकारों को महसूस हो कि वे वास्तव में सत्ता में हैं और सरकार चला रहे हैं शायद आपका विचार है कि जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार हो और राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार हो तो राज्य सरकारें, केन्द्र सरकार से जो भी भीख मिले उसी से काम चला सकेंगी।

लेकिन हमारा विचार है कि केन्द्र के अधिकार अलग हैं और राज्यों के अधिकार अलग। राज्य केंद्र सरकार के बिना और केन्द्र सरकार राज्यों के बिना काम नहीं कर सकती। वे एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे की पूरक हैं। राज्यों को प्रशासनिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। महोदय, राज्य की विधान सभाओं द्वारा पारित बहुत से विधेयक संकल्प आदि राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केन्द्र के पास विचाराधीन हैं। केन्द्र को उन्हें यथासंभव जल्दी मंजूरी देनी चाहिए। दिसम्बर, 1984 तक इस तरह के 250 प्रस्ताव केन्द्र को भेजे गए थे। जैसा कि मंत्रालय की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है उनमें से केवल दो के बारे में केन्द्र ने मंजूरी दी है। शेष पर भी केन्द्र सरकार को शीघ्र मंजूरी देनी चाहिए। आप या तो उन्हें कर दें अथवा नामंजूर कर दें। कुछ सकारात्मक कदम तो उठाएं। उन्हें लटकाये रखना या अनिश्चय की स्थिति में नहीं रखना चाहिए।

मैं आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। लेकिन हमारे दल के एक और वक्ता हैं जो आदिवासियों की समस्याओं के बारे में बोलेंगे।

अन्त में, मैं कहूंगा कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों पर जिसका मैं सदस्य हूं, बहुत

अत्याचार हो रहे हैं। अतः जहां भी ऐसे लोग हैं वहां हम उन्हें संगठित करेंगे और इस सरकार को उलटने की कोशिश करेंगे। जब तक केन्द्र में वर्तमान सरकार सत्ता में हैं तब तक दलित तथा उपेक्षित गरीब लोगों की समस्याएं हल नहीं हो सकतीं। हम सभी गरीब लोगों को एकजुट करना चाहते हैं ताकि वे वर्तमान सरकार को हटा दें और गरीबों की सरकार बनाएं तभी गरीबों की विभिन्न समस्याएं हल होंगी। आपके माध्यम से मैं देश के सभी गरीबों का आह्वान करता हूं कि वे एकजुट हो जाएं और इस कार्य के लिए आगे आएं। इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

3.15 म० प०

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का हार्दिक समर्थन करता हूं। यह मंत्रालय देश में कानून और व्यवस्था की समस्याएं देखता है, और ऐसा करने के लिए, समस्याओं को हल करने के लिए इसे एक बहुत बड़े बल को रखना पड़ता है। अर्ध सैनिक बल बहुत महत्वपूर्ण बल है और इस संकटापन्न स्थिति में देश की सुरक्षा और एकता को बनाए रखने के लिए इसे मजबूत बनाना बहुत जरूरी है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि देश के भीतर तथा बाहर कुछ निकृष्ट ताकतें देश की अखंडता और सुरक्षा को नष्ट करने के लिए सिर उठा रही हैं।

हम अपने पड़ोसी राज्यों जैसे पाकिस्तान, बंगलादेश, बर्मा और चीन की हालत जानते हैं। मुझे इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि भारत को भी कई अन्य देशों के साथ-साथ स्वतंत्रता मिली थी लेकिन उन देशों में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र यहीं है, केवल यहीं है। क्योंकि यहां बहुत समय से कांग्रेस का शासन है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तथा सरकार लोगों का भला कर सकती है। हाल के लोक सभा चुनावों में भारत की जनता ने प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में अपना विश्वास मत पेटियों के माध्यम से व्यक्त किया है और उनमें उनका विश्वास बना रहेगा।

गृह मंत्रालय अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण के प्रति बहुत चिंतित है। इस सम्बन्ध में योजनाएं तथा उप-योजनाएं है। इस सबके बावजूद, कुछ राज्य यह नारे लगा रहे हैं कि भारत सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। यह राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लगाए जाने वाले राजनीतिक नारे हैं। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को योजनागत धनराशि दी गयी है। यदि वे इसको गैर योजना कार्यों पर लगा देते हैं और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों तथा गरीबों की सामाजिक, आर्थिक दशा सुधारने के प्रयास नहीं करते तो यह नारा लगाना व्यर्थ है कि राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, यदि राज्य उस धनराशि को उन पर व्यय नहीं करता जिनके लिए यह मिली है तो इसमें केन्द्र सरकार का कोई दोष नहीं है और दोषी तो उन्हीं राज्यों को ठहराया जाना चाहिए।

अल्पसंख्यकों की आर्थिक दशा में भी सुधार हो रहा है तथा देश में साम्प्रदायिक सद्भाव बना हुआ है। भारत एक विशाल देश है और जनसंख्या के बढ़ने के साथ यहां-वहां कुछ घटनाएं घटना स्वाभाविक हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि देश में कानून और व्यवस्था नहीं है। एक छोटे से गांव में भी, जहां एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, कई बार समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। पीछे जनता पार्टी के शासन की तुलना में अब निश्चय ही साम्प्रदायिक सद्भाव अधिक है।

पुनर्वास के सम्बन्ध में हम बहुत-सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। भारत बहुत समय से विस्थापित व्यक्तियों, शरणार्थियों तथा प्रवासियों के पुनर्वास की समस्या का सामना कर रहा है। अब हमें श्रीलंका में घटी घटनाओं के कारण भी लोगों के पुनर्वास सन्बन्धी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गृह विभाग समस्या का सामना उचित ढंग से कर रहा है। इसी प्रकार यदि हम श्रमिकों की स्थिति की बात करें तो श्रमिक समस्याओं को लेकर होने वाली हिंसात्मक घटनाएं कम हो रही हैं। चुनाव से पूर्व की अवधि के दौरान भी अपराध की घटनाओं में कमी हुई थी। मानते हैं कि चुनाव के दौरान मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने की कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं परन्तु उनकी संख्या इतनी बड़ी नहीं थी कि उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना पड़े जैसा कि कुछ सदस्यों ने किया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। अंग्रेजों के शासन काल में भारतीय पुलिस सेवा में हमारे देश में से भी अधिकारी भर्ती होते थे लेकिन उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि वे प्रशासन के अनुकूल सिद्ध हो सकें। अब स्नातकोत्तर डिग्री लेने तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के बाद केवल साढ़े ग्यारह महीने का प्रशिक्षण लेने पर, कोई भी भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बन सकता है। फिर, किसी पुलिस थानों में कुछ महीनों का प्रशिक्षण ग्रहण करने के बाद उसे एक जिले का प्रभारी अधिकारी बना दिया जाता है। हमारा अनुभव यह है कि जब तक वह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या यहां तक कि पुलिस अधीक्षक बन जाने पर भी उसका व्यावहारिक प्रशिक्षण नाममात्र भी नहीं होता। इसीलिए यह सुझाव दिया जाता जाता है कि उसे कम से कम 1 वर्ष तक किसी थानें में सब-इन्स्पेक्टर (उप-निरीक्षक) के रूप में कार्य करना आवश्यक बनाया जाना चाहिए। उसे यह पता होना चाहिए कि मामलों की जांच कैसे की जाती है, केस डायरी (मामलों की बही) कैसे लिखी जाती है आदि। न्यायालय में उसके साथ जिरह की जाए ताकि वह उच्च अधिकारी बनने के बाद अधिक अच्छी तरह सब-इंस्पेक्टर के काम को देख सकें।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या अब ऐसा प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है?

श्री सोमनाथ रथ : वह पर्याप्त नहीं है। यह केवल कुछ महीनों के लिए है। इसीलिए मुझे दोबारा कहने की अनुमति दीजिए कि पुलिस में सब-इन्स्पेक्टर के रूप में कम से कम एक वर्ष तक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जनता के प्रति पुलिस के व्यवहार में भी परिवर्तन होना चाहिए। अंग्रेजी शासन के समय, उसे विदेशी सरकार के अभिकर्ता के रूप में, शासन करवाने में मदद देते के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। अब उन्हें लोगों की सेवा करनी है। उन्हें लोगों का खासकर गरीब वर्ग के लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। यदि आदिवासी, या हरिजन या गरीब लोग पुलिस थाने में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए तथा जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है कि उनको प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि भी दी जानी चाहिए? अब यह कभी-ही किया जाता है। छोटे अपराधों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जाता है। महोदय, आप यह जानते हैं कि चोरी के अपराध जो धारा 379 के अधीन आता है हेर-फेर करके धारा 395 के अधीन डकैती में बदला जा सकता है तथा किसी निर्दोष व्यक्ति को, जब तक उसकी जमानत न हो, जेल में रखा जा सकता है तथा अपराधी केवल सत्र न्यायालय द्वारा ही रिहा किया जा सकता है। इसीलिए मैं फिर एक बार जोर दे रहा हूं कि सब-इन्स्पेक्टरों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए तो यह और भी आवश्यक है, जो कि सारा काम सम्भालते हैं और न्याय प्रदान करने के लिए वे एक दिन

पुलिस महा अधीक्षक भी बनेंगे, वरना साधारण आदमी को परेशानी उठानी ही पड़ेगी। इसी प्रकार से जो लोग न्यायालयों में अभियोजन की पैरवी करते हैं जैसे सरकारी अभियोक्ता, अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता, सहायक सरकारी अभियोक्ता, उनका चयन उन वकीलों में से किया जाना चाहिए जिन्हें वकालत का लम्बा अनुभव हो। उन्हें प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। सरकारी अभियोक्ता या अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता अपना कार्य उचित ढंग से करते हैं तो क्यों न उनकी नियुक्ति उप पुलिस अधीक्षक के रूप में कर दी जाए ताकि उसे पद-सन्तुष्टि हो सके।

पुलिस प्रशासन का कार्य सिविल प्रशासन के साथ समन्वय करना है। जैसा अपेक्षित हो, दण्डाधिकारी द्वारा आदेश दिए जाने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। कई स्थानों पर कम से कम हस्तक्षेप करके बिना गोली चलाए या लाठी प्रहार के बिना ही समस्या का हल हो सकता है। इसीलिए यह पुलिस तथा दण्डाधिकारी अपने रुख तथा समझ-बूझ पर निर्भर करता है कि कानून तथा व्यवस्था कैसे बनाई रखी जा सकती है कई बार सब-इन्स्पेक्टर या सिपाही की गलती से मामला इतना बढ़ जाता है कि सरकार को बेकार में ही दोषी ठहराया जाता है। इन सबसे बचने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इस प्रतिवेदन में कुछ संकेत मिलते हैं कि जांच को वैज्ञानिक बनाने के लिए कुछ उपाय किए जा रहे हैं। परन्तु यह उपाय सभी राज्यों में ईमानदारी से किए जाने चाहिए। ऐसे उदाहरण कम नहीं हैं जब जांच का काम महीनों तक चलता ही रहता है। केस डायरी लिखी ही नहीं जाती। ऐसी तकनीकी त्रुटियों के कारण कई बार तो न्यायालय में अपराधी भी छूट जाता है। जब तक पुलिस अधिकारी को इन बातों की जानकारी न हो, केवल मामला दायर करने से तथा जांच पर समय और शक्ति बर्बाद करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए सब-इन्स्पेक्टर की सर्किल इन्स्पैक्टर या डी० एस० पी० के पद पर पदोन्नति इस बात पर निर्भर करनी चाहिए कि जांच अधीक्षण करते समय तथा न्यायालय में मामलों को सिद्ध करते समय अपने कर्त्तव्य का निर्वहन किस प्रकार किया है।

यह विभाग पुनर्वास कार्य से सम्बन्ध रखता है तथा यह अपने काम में बहुत सफल रहा है। यहां पर मैं उड़ीसा से सम्बन्धित केवल एक दृष्टान्त देता हूं। पोट्टेरू सिंचाई परियोजना को सन् 1975 में मन्जूरी दी थी। सन् 1979-80 में उस परियोजना के लिए 14.81 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। अब वह राशि 58.41 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है तथा यह इस वर्ष भी पूरी नहीं होगी। यह अगले वर्ष में चली जायेगी तब कीमतें और बढ़ जाएंगी तथा यह कई वर्षों तक अधूरी पड़ी रहेगी। मेरा तर्क यह है कि जब कोई परियोजना स्कीम बनाई जाती है तथा वह स्कीम लागू भी करनी होती है, तो यह एक निश्चित अवधि में पूरी की जानी चाहिए। संसाधनों का पता लगाना चाहिए, वरना बहुत-सी परियोजनाएं शुरू करने से तथा थोड़ी धनराशि का आबंटन करने से समस्या का हल नहीं होगा तथा हम यह भी पता नहीं लगा पायेंगे कि कब ये पूरी होंगी।

जेल प्रशासन का जहां तक सम्बन्ध है कैदियों के लिए अच्छे भोजन तथा कपड़े की व्यवस्था करके सफाई तथा उनकी रहन-सहन की दशा में सुधार आदि के कदम उठाकर, जेल प्रशासन में सुधार लाया जा रहा है। यहां मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सजा भयोत्पादक न होकर, सुधारात्मक होनी चाहिए। जेल में बाल अपराधी तथा महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कैदियों को यह सिखाना चाहिए कि वे जेल से अपनी रिहाई के बाद किस तरह से अपनी

जीविका कमा सकते हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि जो एक बार अपराधी हो जाता है, वह हमेशा ही अपराधी रहता है। किसी कारण से या कारणों से यदि किसी ने कोई अपराध कर दिया, परन्तु यदि उसे जेल में उचित शिक्षा दी जाए तथा इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए तो अपनी रिहाई के बाद वह एक कुलीन व्यक्ति की जिन्दगी व्यतीत कर सकता है।

अब मैं स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा। प्रतिवेदन से यह पता चलता है कि पेंशन के लिए काफी समय से लगभग 1,11,000 आवेदन पत्रों पर निर्णय नहीं लिया गया है जबकि सरकार का रुख उनके प्रति बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण है। इस ओर शीघ्र ध्यान दिया जाए।

दूसरी बात, जिस पर मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यह है कि देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग 7.5 प्रतिशत है। उनकी सामाजिक तथा आर्थिक दशा सुधारने के काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

महोदय, अन्त में, जैसा कि मैंने कहा है कि मैं पंजाब तथा असम के बारे में अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि इन समस्याओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा हो चुकी है तथा हम इसमें सुधार होने की आशा कर रहे हैं। परन्तु एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इस समस्या के बीज जनता शासन के दौरान बोए गए थे, वह कष्ट अब समाप्त हो गया है। इसीलिए हमें किसी को भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। यह राष्ट्रीय समस्या है। यह देखना प्रत्येक राजनीतिक दल का कार्य है कि भारत की सुरक्षा तथा अखण्डता बनी रहे, उग्रवादियों को जड़ से उखाड़ फेंका जाए तथा भारत आगे बढ़ता रहे।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय की मांगों के समर्थन में अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बात सही है कि पिछले तीन-चार वर्षों के दौरान हमारे देश के सामने कई तरह की जटिल समस्याएं आईं और उनसे जूझने के लिए हमारे गृह मंत्रालय ने जिस तरह से कार्य किया, हमारे प्रधान मंत्री ने जिस सूझ-बूझ का परिचय दिया, वह अद्वितीय है। यही कारण है कि देश पर आई बहुत-सी अप्रत्याशित घटनाओं के बावजूद भी हमारा देश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ता गया।

मान्यवर, जैसा कि आप स्वयं कह रहे थे कि इस सदन में पंजाब और आसाम की समस्याओं पर कई बार चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं उस विषय में ज्यादा डिटेल्स में जाना नहीं चाहता परन्तु मैं कुछ बुनियादी बातों की ओर ही गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। आम तौर से जहां तक लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था का प्रश्न है, वह राज्य सरकारों का विषय है, केवल कुछ संघ शासित क्षेत्रों में इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पर आती है। इसके अलावा हमारे देश में कुछ केन्द्रीय बल बने हुए हैं, जैसे सुरक्षा बल, इण्डो तिब्बत बोर्डर पुलिस या औद्योगिक उपक्रमों में सुरक्षा का कार्य करने वाले बल, आदि और इन बलों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के पास दूसरा कोई साधन नहीं है कि वह कहीं कोई सीधे कार्यवाही कर सके। जब इस सदन में हमारे विपक्ष के लोग छोटी-मोटी बातों के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय पर दोषारोपण करते हैं, राज्यों के सम्बन्ध में यहां बातें उठायी जाती हैं तो ऐसा लगता है और हम यह मानकर चलते हैं कि सारे देश में कानून और व्यवस्था की सांझी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पर है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। इसके साथ-साथ जब प्रदेशों को धनराशि देने का सवाल आता है, अधिक शक्ति

देने का प्रश्न आता है तो केन्द्रीय सरकार को कहा जाता है, कि वह देती नहीं या देना नहीं चाहती दूसरी ओर जब लॉ एण्ड आर्डर का प्रश्न आता है, जिसकी सीधी जिम्मेदारी राज्य

3.35 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

सरकार पर होती है, तो हमारे विरोध पक्ष के भाई कई तरह की बातें कर देते हैं। मान्यवर, हमारे देश में विविधता में एकता वाली बात चरितार्थ होती है इसलिए जहां तक सांझी व्यवस्था का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि वह टोटली केन्द्रीय सरकार का प्रश्न हो जाना चाहिए। जब विभिन्न अवसरों पर कहीं साम्प्रदायिक दंगे हो जाते हैं या दूसरे दंगे हो जाते हैं तो निश्चित तौर से राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की ओर देखती हैं। जन-मानस भी अगर कहीं लॉ एण्ड आर्डर की अव्यवस्था होती है तो केन्द्रीय सरकार पर दोषारोपण करता है। जब कहीं लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था बिगड़ती है तो उसे केन्द्र को ही संभालना पड़ता है, फिर क्यों नहीं यह विषय केन्द्र के पास हो ? इस सम्बन्ध में सरकारिया आयोग बैठा हुआ है जो कि केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियां देगा। मैं कहना चाहता हूं कि उसके सामने यह प्रश्न आनी चाहिए। आखिरकार हमें देश की अखंडता और एकता को बनाये रखना है, तो निश्चित रूप से यह ताकत केन्द्रीय सरकार के पास होनी चाहिए।

हमने कई अवसरों पर इस तरह की बिगड़ती दशा देखी है चाहे साम्प्रदायिक दंगा हो या कोई और हो, उसमें केन्द्रीय सरकार को बीच में आना पड़ता है। जिस सूझबूझ से इन विकट परिस्थितियों में गृह-मंत्रालय ने कार्य संभाला है, हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर अपराधों में भी कमी आई है और जहां औद्योगिक अशांति होती रही है उसमें भी उत्तरोत्तर कमी आई है। देश में पिछले सालों में जो छात्र आन्दोलन होते रहे है, उनमें भी कमी आई है। यद्यपि इनका सीधा सम्बन्ध राज्य सरकारों से है, लेकिन केन्द्रीय सरकार की दृष्टि सभी चीजों पर रहती है। केन्द्रीय सरकार की डायरेक्शन और निर्देशों पर जो सरकारें काम करती हैं, उनमें निश्चित सुधार आता है।

लॉ एंड आर्डर की बात अगर कहीं होती है तो उसका सम्बन्ध पुलिस से होता है। आज पुलिस की ट्रेनिंग की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। आज 37 वर्ष की स्वतन्त्रता के बाद भी बहुत काफी पुलिस के लोग ऐसे हैं, जिनकी मनोदशा इस तरह की नहीं है कि हमारा भारत स्वतंत्र हो गया है। इसलिये इनकी ट्रेनिंग में जो मौलिक परिवर्तन करना चाहते हैं, वह करने चाहियें। इसके लिये वित्त आयोग ने धनराशि उपलब्ध कराई है, इसलिये इनकी ट्रेनिंग का काम सैंटर का होना चाहिये।

जहां तक भर्ती का प्रश्न है, समय आ गया है कि सारी जातियों, सम्प्रदाय का बिना किसी भेदभाव के संगठन बनाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार का विचार भी था कि देश में कहीं भी साम्प्रदायिक दंगे अगर हों और शांति स्थापित करने के लिये यहां से पुलिस वगैरह जाये तो उसमें हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है।

पुलिस का प्रमुख काम हो गया है कि लॉ एंड आर्डर की व्यवस्था करना, चोरी का पता लगाना और किस प्रकार से जांच की जाये ताकि अपराध भविष्य में कम हों।

दिल्ली प्रशासन में जनमानस का एक विचार है कि अगर पुलिस न चाहे तो अपराध नहीं हो सकते हैं। यह बात सही है, अगर देश की पुलिस यह निश्चित कर ले कि अपराध नहीं होंगे तो फिर नहीं ही होंगे।

जब दिल्ली स्टेशन पर कोई आकर उतरता है तो पुलिस का गिरावट का काम वहीं से शुरू हो जाता है। टैक्सी स्टैंड पर पुलिस वाले की ड्यूटी होती है, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि जिसका नम्बर हो, उस पर मुझे बैठने का मौका मिल जाये। यह क्या काम है? जब जन-मानस रेलवे स्टेशन पर आता है दिल्ली की राजधानी का उसे तभी पता लग आता है कि वहां पुलिस का क्या स्तर है। इसे कौन सुधारेगा?

मैं आज ही दिल्ली में आया हूं। आप आश्चर्य करेंगे कि एक सिपाही को मुझे टैक्सी में बिठाने में 20 मिनट लगाने पड़े। कोई टैक्सी वाला कहता है कि हमारा टायर खराब है, कोई कहता है कि हमारा नम्बर नहीं है, इस तरह से उनका एक गुट बन जाता है। मैं सबसे पहले गृह मंत्रालय से यह कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के दोनों रेलवे स्टेशनों की व्यवस्था ही आप ठीक कर दें तो मैं मानूंगा कि स्थिति में कुछ सुधार है।

दिल्ली में जो बैंक डकैतियां होती हैं, उन पर भी कन्ट्रोल करना चाहिए। हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि जो अपराध यहां होते हैं वह क्यों होते हैं। केन्द्रीय सरकार के पास सारी ताकतें हैं, जब वह इस स्थिति को देखेगी तभी हम राज्य सरकारों को कह सकते हैं कि लॉ एंड आर्डर की स्थिति आप स्थापित नहीं करते, यह आपकी गलती है।

जहां तक शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्ज के कल्याण की बात है, मैं कहना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना में आपने 6 प्रतिशत राशि ही एलाट की है। आप केन्द्रीय सेक्टर में कुछ कम करें। आपने 39 प्रतिशत राज्यों को दे दिया, लेकिन यह आदेश होना चाहिए जो धनराशि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, वह उन्हीं पर खर्च होनी चाहिए और उस राशि में कोई कमी भी नहीं होनी चाहिए।

महोदय, आपने कमजोर वर्ग के उत्थान के लिये जो भी कार्यक्रम बनाये हैं, वह स्वागत के योग्य हैं, लेकिन जो इम्पीमेंटेशन राज्य स्तर पर रहा है, जो गरीबी की रेखा से ऊपर उठने के कार्यक्रम चल रहे हैं, इसकी जांच के लिये एक मूल्यांकन समिति होम मिनिस्ट्री को बनानी चाहिये जो यह देखे कि जो धनराशि इन पर खर्च की जानी है वह उन पर खर्च हो रही है या नहीं। क्या यह सही है कि स्पेशल कम्पोनेंट के अन्तर्गत जो सहायता दी गई है, वह उस तक पहुंच पाई है, या नहीं जैसे हरिजन को दूकान दी गई, लेकिन वह दूकान बन्द है, केन्द्र सरकार के रिकार्ड में आ गया कि वह हरिजन गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गया। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो रखता का रुपया है जो कि दूसरे कार्यों पर खर्च हो रहा है, इसको देखने के लिये आप एक मूल्यांकन समिति बनायें। यदि आप देहात में जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि जो लक्ष्य था, उसके अनुसार वहां कुछ काम नहीं हुआ है। आपकी मंशा ठीक है, लेकिन विभिन्न राज्यों ने ऐसा कबाड़ा कर दिया है कि उनका सही सदुपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि प्लैनिंग मिनिस्ट्री में नहीं बल्कि होम मिनिस्ट्री में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के कल्याण के जो कार्यक्रम है, मॉनिटरिंग के जो कार्यक्रम हैं, उसके लिये वह अलग से सैल खोलें।

मान्यवर, 1968 में इस सदन में स्वर्गीया प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी जी थीं, उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया था, लेकिन दुख की बात है कि विभिन्न कारणों से आज तक वह पास नहीं हो सका। हमने कई बार यहां पर उठाया और कई सदस्यों ने इस सदन के बाहर और अन्दर इसको उठाया और हमारे गृह मंत्री समय-समय पर

आश्वासन देते रहे हैं कि हम अगले सत्र में लायेंगे, इसलिये मैं आज मांग करता हूं कि जो जातियां बच गई हैं, जैसे किसी प्रदेश में शेड्यूल्ड कास्ट हैं, किसी में शेड्यूल्ड ट्राइब, उसमें एकरूपता लाकर इस बिल को इसी सत्र में लायें, एक काम्प्रीहेंसिब बिल लायें जिससे कम से कम उनको सातवीं पंचवर्षीय योजना में तो विकास करने का मौका मिल जाये।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें। दूसरे माननीय सदस्य भी वाद-विवाद में भाग लेने के इच्छुक हैं। इसीलिए हमें दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलने का अवसर देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत कम समय दे रहे हैं।

महोदय, मैं कह रहा था कि जो रीजनल असमतायें विकास के मामले में हो रही हैं, उनमें एकरूपता लाई जाये। इसको आपको अवश्य देखना पड़ेगा। मैं अभी छत्तीसगढ़ गया था। हमारे चन्द्राकर जी इस समय बैठे हुए हैं, उन्होने भी देखा कि छत्तीसगढ़ में ऐसी जातियां हैं जो एक जिले में तो ट्राइब हैं और दूसरे जिले में बैकवर्ड तक नहीं हैं। इसी प्रकार पङ्किा जाति है, मल्लाह जाति है, जिसको कई नामों से जाना जाता है, यह कहीं शेड्यूल्ड कास्ट में है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में नहीं है। इसी प्रकार बियार जाति है जो ट्राइब है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस ट्राइब नहीं मानते हैं, इसलिए इनमें एकरूपता लाना आवश्यक है। जब तक एकरूपता नहीं लायेंगे, तब तक मामला सुलझेगा नहीं, उससे हरिजनों में असमानता आ जायेगी। हमारी विभिन्न कौमों के विभिन्न सब-कास्ट हैं, उनको देखकर कमीशन और संसद सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। मेरा निवेदन है कि आप उन सुझावों पर अवश्य ध्यान दें और इस हाऊस में इसी सत्र में इस संबंध में एंशोरेंस जरूर दें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री राधाकांत डिगाल** (फूलबनी) : सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मांगों के बारे में बोलते हुए मैं कुछ राष्ट्रीय मामलों के बारे में भी बोलूंगा। यह बड़े खेद का विषय है कि असम और पंजाब में विधान सभाओं और लोक सभा के लिये चुनाव समय पर नहीं हो सके। सभा को उन कारणों का पता है जिनके कारण इन राज्यों में चुनाव को टालना पड़ा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी पंजाब और असम की समस्याओं को सुलझाने का हर संभव प्रयत्न करते रहे हैं। उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया है और उनके सच्चे प्रयत्नों से इन राज्यों में सामान्य स्थिति पुनः लाई जा सकती है। विरोधी दल के माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि असम और पंजाब की समस्याओं को शीघ्र सुलझाने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा किये जा रहे प्रयत्नों को कृपया अपना सहयोग प्रदान करें। यदि सभी बातें ठीक-ठाक रहीं तो मैं आशा करता हूं कि इन विक्षुब्ध राज्यों में, शांति का वातावरण पैदा हो जाएगा। भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन दोनों राज्यों में यथाशीघ्र चुनाव करवाने का वातावरण तैयार किया जाए।

जहां तक मिजो समस्या का संबंध है, यह वास्तव में बहुत अच्छी बात है कि मिजो नेता श्री लाल डेंगा ने समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाए जाने की पेशकश की है। प्रैस में छपे

*उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

समाचारों के अनुसार श्री लाल डेंगा ने इस संबंध में श्री राजीव गांधी और गृह मंत्री श्री चह्वाण से मुलाकात की है। हमारी सरकार भी मिजो समस्या को सुलझाने के लिए उतनी ही इच्छुक है। मुझे विश्वास है कि मिजो समस्या का समाधान हो जाने पर सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति का वातावरण बन जायेगा।

महोदय, हाल ही में आरक्षण के मामले को लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश में हिंसा और प्रदर्शन हुए थे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना सरकार का कर्त्तव्य है। पिछड़े वर्गों को भी उचित सुरक्षा मिलनी चाहिये। आरक्षण के मामले को आपस में मिलकर निपटा लेना चाहिए। गृह मंत्री से मेरा अनुरोध है वह इस बात का ध्यान रखें कि कमजोर वर्ग के लोगों के हितों पर कोई प्रभाव न पड़े।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं से संबंधित कुछ मामलों की मैं चर्चा करना चाहूंगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये उड़ीसा में जो विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं, उनकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। 1981 की जनगणना के आधार पर उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कुल आबादी क्रमशः 3,865,543 और 5,915,067 है। इस अवसर पर मैं अपनी स्वर्गीया प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने अपना जीवन देशवासियों के कल्याण के लिये उत्सर्ग कर दिया। उन्होंने आदिवासियों और हरिजनों के उत्थान के लिए अनेक उपाय किये। हम लोग वास्तव में उनके आभारी हैं। केन्द्र द्वारा प्रायोजित जनजाति उप योजना कार्यक्रम अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये बनाया गया है और विशेष संघटित कार्यक्रम अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए चालू किया गया है।

जनजाति उप योजना कार्यक्रम और विशेष संघटित कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार विभिन्न राज्यों के लिए करोड़ों रुपया स्वीकृत करती रही है। ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर श्रीमती इन्दिरा गांधी विशेष ध्यान देती थीं। यह बड़े संतोष की बात है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अनेक व्यक्तियों ने बेहतर शिक्षा प्राप्त की है। वे पहले की तरह अनपढ़ नहीं हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित बहुत सारे व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। उनमें से अनेक व्यक्ति सिविल सेवाओं में लगे हुए हैं। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सभी व्यक्ति आत्मनिर्भर हो गये हैं। इन लोगों के कल्याण के लिए भारत सरकार योजनाएं और कार्यक्रम बनाती रही है। इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों में विभिन्न कार्यक्रम चालू हैं। किन्तु वे फिर भी पिछड़े हुए हैं? इसका क्या कारण है? उनके पिछड़ेपन का मुख्य कारण उचित शिक्षा की कमी है।

यह बड़ी चिंता का विषय है कि जनजाति क्षेत्र के जनजातियों के अनेक छात्रों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। वे छात्र अपनी शिक्षा क्यों पूरी नहीं कर सके। हमें कारणों का पता लगाना होगा। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि बड़ी संख्या में पढ़ाई छोड़ने की इस समस्या को समाप्त करने के लिए अपेक्षित कदम उठाये जायें।

इस सिलसिले में मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की विभिन्न समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि इन छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति बहुत कम है। माननीय गृह मंत्री से मेरा अनुरोध है

कि मैट्रिक से पहले तक दी जाने वाली छात्र वृत्ति की राशि बढ़ा दी जाये । छात्र वृत्ति का भुगतान करने का सारा व्यय भार इस समय राज्य सरकारों को उठाना पड़ रहा है । कुछ मामलों में राज्य और केन्द्र सरकारें आधा-आधा व्यय भार वहन करती हैं । इस सम्पूर्ण राशि का भार केन्द्र को वहन करना चाहिए ।

इसके अलावा, हमारे देश में आवासीय स्कूलों की संख्या बहुत कम है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों के लिए छात्रावास भी बहुत कम हैं । इसलिये यह आवश्यक है कि जनजाति क्षेत्रों में और अधिक आवासीय स्कूल खोले जायें । अधिक संख्या में छात्रावास और आवासीय स्कूल के निर्माण के लिए उड़ीसा को विशेष सहायता मंजूर की जानी चाहिए । मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी अधिक संख्या में आवासीय स्कूल खोले जाने पर विशेष बल दे रहे हैं । मेरा सुझाव है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक आवासीय स्कूल खोला जाये । पहाड़ी क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लड़के और लड़कियों के लिए निर्मित किये जाने वाले छात्रावासों के लिए निर्धारित राशि की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया जाए ।

जनजाति क्षेत्र में स्थापित प्रत्येक स्कूल में दोपहर का भोजन देने की योजना चलाई जाए । उससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा । यदि वे सभी सुझाव कार्यान्वित किये जायें तो स्कूल छोड़ने विशेषकर प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या घट जायेगी ?

महोदय, देश में अनेक दुर्गम क्षेत्र हैं । इन क्षेत्रों में बेहतर संचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें । दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वालों को इन क्षेत्रों में कार्यान्वित किये जा रहे कल्याणकारी उपायों का पता नहीं होता है । वे आधुनिक सभ्यता से अनभिज्ञ हैं । इसलिए गृह मंत्री से मेरा सुझाव है कि इन क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार किया जाए । इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाए । इसलिए सातवीं योजना के अंत तक दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले सभी व्यक्तियों को शिक्षित बनाया जाए । अशिक्षा दूर करने के लिए पर्याप्त धनराशि निर्धारित की जाए ।

महोदय, मैं अपने कर्तव्य पालन में असफल रहूंगा, यदि मैं जनजाति क्षेत्रों में क्रियान्वित किये जा रहे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का उल्लेख नहीं करता हूं, ये कार्यक्रम हैं समेकित ग्रामीण विकास कर्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, और ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास की योजनायें । इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का स्तर ऊंचा उठाना है । इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिये बजट में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करने के लिए मैं केन्द्र सरकार का कृतज्ञ हूं । किन्तु वास्तव में यह दुख की बात है कि इन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित राशि, जो राज्य सरकारों को आवंटित की गई थी, उस सम्पूर्ण राशि का समुचित उपयोग नहीं किया जाता है । महोदय, इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का काम जिन कर्मचारियों को सौंपा गया है कभी-कभी वे स्थानीय राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं अथवा स्थानीयस्वयं सेवी संगठनों के सदस्यों की मिली-भगत से कभी-कभी धन का दुर्विनियोजन करते रहते हैं । अनेक स्थानों पर तो आवंटित राशि का 20 प्रतिशत भाग भी लाभभोगियों को नहीं पहुंच रहा है । कभी-कभी इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाले कर्मचारी लाभ भोगियों की जाली सूची प्रस्तुत कर देते हैं । ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों और फाइलों का यदि हम अध्ययन करें, तो यह कहना अनुचित नहीं होगा कि अपेक्षित व्यक्तियों को वास्तविक लाभ नहीं

मिल पाता है। इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाले यदि इसी प्रकार के व्यक्ति रहे तो आदि वासियों और हरिजनों को कोई लाभ नही होगा। इस संदर्भ में मेरा सरकार को सुझाव है कि एक संसदीय समिति गठित की जाय जो यह जांच करेगी कि अपेक्षित व्यक्ति कहां तक लाभान्वित हुए हैं ? जनजातियों के उत्थान के लिए निर्धारित राशि में धांधली या दुर्विनियोजन करने वाले कर्मचारियों को कठोर सजा दी जाय। यदि ये कदम उठाये जाते हैं तो जनजातियों और हरिजनों के उत्थान का कार्यक्रम उचित ढंग से कार्यान्वित हो सकेगा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इन सभी मुद्दों पर ध्यान देंगे और जनजाति तथा हरिजन कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की राह में आने वाले दोषों को दूर करने के लिए समुचित कार्यवाही भी करेंगे।

अन्त में, अपना सबसे पहला भाषण देने का अवसर दिये जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इन मांगों का हार्दिक समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री के० आर० डी नटराजन (डिन्डगुल) : सभापति महोदय, पंजाब, असम और हाल ही में गुजरात की स्थिति को सफलतापूर्वक सम्हालने के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को बधाई देता हूं।

मैं सामान्य रूप से पुलिस के बारे में और गृह मंत्रालय से सम्बद्ध अन्य विभागों के बारे में बोलना चाहूंगा।

पुलिस कर्मियों को वैज्ञानिक ढंग के अन्वेषण का उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। गुप्तचर विभाग की शाखा कुशल नहीं है। इसीलिए हमें अपनी महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी को खोना पड़ा। सोवियत संघ के गायब हो गये एक राजनयिक की तलाश शीघ्रता से नहीं की जा सकी। सोवियत संघ के एक अन्य राजनयिक पर हमला करने वालों को अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है यद्यपि हत्या दिन दिहाड़े और खुले बाजार में हुई थी। स्वाभाविक है कि हत्यारे के बारे में बताने के लिये साक्ष्य उपलब्ध होना चाहिये था। भाग्यवश प्रधान मंत्री पर आक्रमण करने वाले दो आक्रमणकारियों में से एक जीवित है जिससे इन्दिरा जी की हत्या के षडयंत्र का सुराग लग सकता है और सारी बात का पता चल सकता है। यदि वह व्यक्ति जीवित नहीं बचता तो हमारा अन्वेषण स्टाक आक्रमणकारियों और षडयंत्र रचने वालों का पता नहीं लगा सकता था। पुलिस बल अंधकार में भटकता रहता। मेरे कहने का तात्पर्य है कि पुलिस वालों में वैज्ञानिक ढंग के अन्वेषण के पर्याप्त प्रशिक्षण की, अपराधों का पता लगाने के अनुभव की और ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन करने की कमी है।

चिरकाल पूर्व अंग्रेजों ने सिविल सेवायें चालू की थीं। अन्वेषण का वही तरीका अथवा प्रणाली अब भी चालू है। आमतौर से यह कहा जाता है कि सिविल अधिकारी अर्थात् भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य सिविल अधिकारियों को अंग्रेजों से यह भावना विरासत में मिली है कि जनता पर शासन करने के लिये वही अधिकारीगण सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि वे जनता के सेवक हैं, अन्य शब्दों में कहें कि वे जनता के नौकर हैं। गरीब और पद-दलित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग को लोगों को सरकार की किसी भी योजना का अथवा सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सहायता के बारे में पता नहीं चल पाता है। पंडित नेहरू समाजवाद लाना चाहते थे और गरीब तथा पददलित व्यक्तियों का उत्थान करना चाहते थे, वे चाहते थे कि उनके लिए जीवन यापन के पर्याप्त साधन हों, राष्ट्र के भौतिक संसाधनों पर स्वामित्व और नियन्त्रण काफी हद तक समान हो और

अन्य असमानता को कम से कम करना चाहते थे। उनका प्रयत्न जीवन-यापन स्तर, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का था तथा आर्थिक प्रणाली का संचालन इस प्रकार करने का था जिससे कि धन और उत्पादन के साधनों का केन्द्रीकरण न हो जिसके कारण जन साधारण को नुकसान हो। वह चाहते थे कि हर एक को कार्य करने शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो तथा रोजगार प्राप्त करने के लिए वृद्धावस्था और बीमारी में या अपंगता की स्थिति में सरकार से सहायता मिल सके। वह यह भी चाहते थे कि खेतिहर और औद्योगिक श्रमिकों को जीने योग्य मजदूरी मिले, उनका जीवन स्तर अच्छा हो तथा वह यह भी चाहते थे कि कमजोर वर्ग के लोगों की विशेषकर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षिक और आर्थिक उन्नति हो। किन्तु नेहरू जी स्वयं इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सके। उनके योग्य उत्तराधिकारी श्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हीं की नीतियों का पालन किया। किन्तु 1½ वर्ष की अल्पावधि में वे कुछ भी नहीं कर सके। वह पाकिस्तान की लड़ाई में व्यस्त रहे। प्रगतिशील प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी समाजवाद का प्रसार करना चाहती थीं जिससे कि गरीब और पद-दलित व्यक्ति आजादी के फल का आनंद ले सकें। इन सभी महान प्रधान मंत्रियों ने उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से समाजवाद को विकसित किया। आमतौर पर इन उपक्रमों से कोई ऐसा लाभ अथवा इतनी आय नहीं हुई है जिससे कि सरकार को पर्याप्त आय अथवा राजस्व उपलब्ध हुआ हो। इन उपक्रमों से केवल हानि हुई है और अकुशलता और अनुत्पादकता ही बढ़ी हैं। वे तो बोझ बन गये हैं। एक छोटा उद्योगपति भी अपने उद्योग से लाभ कमाता है और सरकार को कर भी देता है किन्तु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में ऐसा नहीं है। करोड़ों रुपये का निवेश हो चुका है, परन्तु लाभ फिर भी नहीं होता।

4.00 म० प०

हमारी माता इंदिरा जी ने 1978 में छठी लोकसभा में किसी अन्य संदर्भ में यह घोषणा की थीं :

> "मैं अत्यंत निष्ठापूर्वक यह निवेदन करना चाहती हूं कि यदि देश का हित हो तो मैं प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन भी बलिदान करने के लिए तैयार हूं।"

जीवन के अन्तिम क्षण तक वह यही बात दोहराती रहीं वह देश गरीब और दलित वर्ग के सभी लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना चाहती थीं। यह दुख की बात है कि वह यह सब काम नहीं कर सकीं। इस सम्मानित सभा को समाज की इन बुराइयों का हल ढूंढ़ने के लिये प्रयत्न करना चाहिए। समाजवाद का पालन निष्ठा और ईमानदारी के साथ होना चाहिए।

हमारे युवा और कर्मठ प्रधानमंत्री से उन सब लोगों को, जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, यह आशा है कि वह उस व्यवस्था, लोगों के समूह, या वर्ग या सेवा का पता लगायेंगे जो लोगों में समाजवाद लाने के मार्ग में बाधक हैं, और इस बाधा को हटायेंगे ताकि आम आदमी का हित पूरा हो सके।

उच्च पदों पर नियुक्तियों के बारे में प्रधानमंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वह इस दिशा में कुछ कार्यवाही करें। राज्यपाल, राजदूत, मन्त्री और अन्य उच्च अधिकारियों की दक्षिण भारत के लोगों में से नियुक्ति की जानी चाहिए। दक्षिण में, विशेष रूप से तमिलनाडु में, यह एक आम धारणा बनती जा रही है कि ऐसी नियुक्तियों में उसे उपयुक्त हिस्सा नहीं दिया गया है। स्वतंत्रता

के पश्चात, हमारे महान प्रधान मन्त्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने साहसपूर्वक गैर कांग्रेस लोगों जैसे श्री अम्बेडकर को विधि मन्त्री, श्री आर० के० शनमुगम या त्रेन्तियार को वित्त मन्त्री, श्री एम० सी० छागला को शिक्षा मंत्री के लिए चुना था। मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों से यथासंभव अधिक व्यक्तियों का चयन करें। और जब भी संभव हो तब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों का भी इन उच्च पदों के लिए चयन किया जाये, ताकि गरीब और दलित वर्ग के लोग यह समझ सकें कि प्रधान मंत्री उनकी भावनाओं और आकांक्षाओं को भी सम्मान देते हैं।

यह सर्वविदित है कि सामान्यता गरीब और दलित लोग और विशेष रूप में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अनधि सूचित और पिछड़े वर्ग के लोग इन सभी वर्षों में कांग्रेस के पक्ष में ईमानदारी से मतदान करत रहे हैं।

मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री और गृह मन्त्री इन बातों पर ध्यान देकर उपयुक्त कार्यवाही करेंगे।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : सभापति महोदय, गृह मंत्रालय के अधीन अनेक विषय हैं। ये सब महत्वपूर्ण विषय हैं। लेकिन मैं यहां माननीय गृह मंत्री के विचार के लिए कुछेक बातों के बारे में ही कहूंगा।

पहली बात तो यह है कि गृह मंत्रालय सब मंत्रालयों का केन्द्र बिन्दु है और गृह मंत्रालय के सफल संचालन का अर्थ है कि सारे देश का काम सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। मैं अपने अतीत के अनुभव के आधार पर यह कहता हूं कि कागजी कार्यवाही कुछ भी करें, हम कोई भी लक्ष्य निर्धारित करें लेकिन बात यह है कि कभी हमारा पुलिस बल विफल रहता है, कभी आसूचना शाखा विफल रहती है, इसी कारण हमारी प्रिय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या जैसे अघन्य अपराध होते हैं। इसलिए हमें देश में काम कर रही उन ताकतों भारतीय उपमहाद्वीप में राजनीति स्थिति में अस्थिरता पैदा करने वाली ताकतों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। यह पहले असम में शुरू हुआ फिर पंजाब में और इसके बाद देश के अन्य भागों में भी। हमने देखा है कि उग्रवादी तत्व, उग्रराष्ट्रवादी ताकतें और साम्प्रदायिक ताकतें किस प्रकार इस देश में विघटन करने की कोशिश कर रही हैं। इसका मुख्य उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय पर है। इसके द्वारा उचित कार्यवाही करने और सावधानी बरतने से ही देश की रक्षा हो सकती है और इसे एकता के सूत्र में बांध सकती है। मैं नहीं जानता हूं कि क्या नये गृह मन्त्री ने पूरी स्थिति का जायजा ले लिया है, क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है लेकिन एक बात स्पष्ट है। अतीत में जब गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा होती थी तो गृह मंत्रालय के सब अधिकारी यहां उपस्थित रहते थे और सभा में होने वाली चर्चा को ध्यान के साथ सुनते थे। लेकिन आज हम यह देख रहे हैं कि वे इसे गम्भीरता के साथ नहीं लेते हैं और हम यह सोचने पर विवश होते हैं कि संसद में यह चर्चा कहां तक संगत है। प्रधानमन्त्री की हत्या से हम सबको सबक सीखना चाहिये। देश को एकता के सूत्र में पिरोने और गृह मंत्रालय को सफल बनाने के लिए उन्हें इन सभी मामलों पर ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने पुनर्वास का उत्तरदायित्व संभाल लिया है। पहले यह एक पृथक विभाग था। इसे हाल ही में गृह मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है। हमें गृह मंत्रालय का प्रतिवेदन मिल गया है जो एक घिसापिटा प्रतिवेदन है यदि आप इसे पढ़ेंगे तो आपको

वही आंकड़े वही रिपोर्ट और वही भाषा मिलेगी। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसमें अनेक कमियां हैं और इस रिपोर्ट से आप गृह मंत्रालय के कार्यकरण का मूल्यांकन कर सकते हैं और आप देखेंगे कि वह समूची स्थिति के प्रति कितना उदासीन है।

जैसा कि मैं कह रहा था कि पुनर्वास गृह मन्त्रालय से संबद्ध नहीं है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अभी 78,000 परिवारों का पुनर्वास होना है। इनमें से 68,000 परिवारों का पुनर्वास कर दिया गया है। लेकिन शेष 10,000 परिवारों के बारे में क्या किया गया है? यह रिपोर्ट में कहीं भी नहीं बताया गया है। यह भी नहीं कहा गया है कि क्या उनका पुनर्वास किया जायेगा और क्या उन्हें कुछ सुविधा आदि दी जाएगी। इसमें कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। आज देश भर में एक लाख से अधिक परिवार हैं जो सड़कों पर हैं और जिन्हें किसी प्रकार की पुनर्वास सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। अभी कुछ दिन पहले जैसलमेर हाऊस के सामने, जहां पुनर्वास मंत्रालय का दफ्तर स्थित है, सैकड़ों पूर्वी बंगाल के शरणार्थी एकत्र थे। इन्हें हस्तिनापुर में मदन मिल्स में बसाया गया है। इस मिल में उन्हें श्रमिक का काम दिया गया है। इन्हें मकान के लिए जगह अथवा मकान बनाने के लिए ऋण भी नहीं दिया गया है। इन्हें दैनिक मजदूरी का रोजगार दिया गया और सरकार ने कह दिया "हमने पुनर्वास कार्यक्रम पूरा कर दिया है।" इसके बाद यह मिल बंद हो गयी और ये सब लोग भूखों मर रहे हैं। पुरुष, स्त्रियां और बच्चे विवशता में जैसलमेर हाऊस के सामने धरना दे रहे हैं। उन्होंने गृह मन्त्रालय को अभ्यावेदन दिया है और मैंने भी इस सम्बन्ध में गृह मन्त्री को और उनके मन्त्रालय को लिखा है लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि इस मामले में क्या कार्यवाही हुई है। इस तरह की समस्या अनेक लोगों के साथ है। इन्हें मकान नहीं दिये गये हैं। इन्हें रहने की सुविधा या जगह अथवा मकान बनाने के लिए ऋण भी नहीं दिये गये हैं। अन्य लोगों की भांति इन्हें भी पुनर्वास सुविधा दी जाती चाहिये।

उस ओर बैठे हुये एक माननीय सदस्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) सरकार इन्हें पट्टों के कागजात देना चाहती थी लेकिन केन्द्र सरकार इसमें बाधक बन रही है। ऐसी 324 कालोनियां हैं। केन्द्र सरकार से प्राप्त रुपये से भूमि अधिग्रहीत की गई है और केन्द्र सरकार ने इस जमीन को अधिगृहीत कर लिया है और यह जमीन पट्टे पर देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को दे दी गई है। इस परिस्थिति में उन्हें पूर्ण स्वामित्व पर जमीन के कागजात मिलने चाहिये और किसी प्रकार की शर्त नहीं होनी चाहिये क्योंकि यह पुनर्वास योजना है इसलिए कोई शर्त इन पर नहीं लगाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में इन शरणार्थियों को पूर्ण स्वामित्व पर पट्टे दिये गये हैं और यह शर्त केवल शहरी क्षेत्रों में ही लगाई जाती है।

तीसरी बात मैं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। इन पर गृह मन्त्रालय का सीधा प्रशासन है। इसमें भी भेद-भाव किया जा रहा है। भेद-भाव बरता जा रहा है। पांडिचेरी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आदि संघ राज्य क्षेत्र हैं जहां पर विधान सभायें हैं। अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे संघ राज्य क्षेत्र भी हैं जहां पर इस प्रकार की विधान सभायें नहीं हैं। यद्यपि इसके लिए अनेक बार लोगों ने कोशिश भी की है और अभ्यावेदन भी दिए हैं। यहां के लोगों ने मांग की है कि इन संघ राज्य क्षेत्रों में भी मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और पांडिचेरी की भांति विधान सभा होनी चाहिए परन्तु इस पर विचार नहीं किया गया।

संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन संघ राज्य क्षेत्र में अच्छी सरकार की व्यवस्था की जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति की है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार की 'अच्छी सरकार' हमें मिली है। पहली चीज है कानून और व्यवस्था। मैं यहां पर एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। दिसम्बर, 1984 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवान ने एक युवक की हत्या कर दी थी। अंदमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने सी० आर० पी० जवान के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया। परन्तु क्या हुआ कि गृह मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन को उसे गिरफ्तार करने की इजाजत नहीं दी। हाल ही मुझे मालूम हुआ है कि सी० आर० पी० अधिकारी कलकत्ता उच्च न्यायालय में उस जवान की अग्रिम जमानत के लिए गए हैं। महोदय, अगर मैं किसी व्यक्ति की हत्या करता हूं तो उसके लिए कानून अलग होगा। अगर सी० आर० पी० का जवान किसी की हत्या करता है तो उसके लिए पृथक कानून होगा। यह भेदभाव है। कानून सबके लिए समान होना चाहिए। अगर सी० आर० पी० का जवान किसी अपराध के लिए जिम्मेदार है तो इसके लिए उसे सजा अवश्य मिलनी चाहिये।

गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कुछ आंकड़े दिये हैं। इसमें एक लम्बी सूची दी गई है कि कितने जलयान प्राप्त किये गए हैं, उनकी मरम्मत के लिए क्या-क्या सुविधाएं आदि उपलब्ध हैं। ये सभी बातें उनकी रिपोर्ट में बताई गई हैं। लेकिन आज कलकत्ता और मद्रास में यात्री रुके पड़े हैं। वे अपने-अपने स्थानों को नहीं जा सकते हैं। अब समस्या यह है कि वहां पर मरम्मत सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। सूखी गोदी का निर्माण किया गया है परन्तु वहां कार्यशाला नहीं है। प्रत्येक जगह अधूरी व्यवस्था है और इससे हमारे लिए अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इस पर विचार किये जाने की जरूरत है।

इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मंत्रियों की एक समिति है। इसलिए उनकी समस्याएं हल करने के लिये बेहतर समन्वय की व्यवस्था है। परन्तु अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के बारे में स्थिति भिन्न है। यद्यपि गृह मंत्रालय अनुदान पारित करता है किन्तु नौवहन, परिवहन संचार आदि संबंधित मंत्रालय इसमें कुछ नहीं कर सकते और अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह के बारे में केवल गृह मंत्रालय ही कुछ कर सकता है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि केन्द्र सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र की भांति, जहां मंत्रियों की एक समिति है, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप तथा दादरा और नागर हवेली के बारे में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए स्थिति का जायजा लेने और तालमेल बनाने के लिए समिति होनी चाहिए। मन्त्रियों की समिति को सभी बातों में तालमेल बनाए रखना चाहिए ताकि इस क्षेत्र के विकास में तेजी लाई जा सके। सरकार को इस बात को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए कि लोग यह महसूस न कर सकें कि बहुत दूर रहने के कारण उनकी उपेक्षा की जा रही है। सरकार को उनके हितों की समुचित देखभाल करनी चाहिए।

बजट पत्रों में दिए गए आंकड़ों यह पता चलता है कि गैर-योजना खर्च में इस क्षेत्रों में काफी वृद्धि हुई है परन्तु इन क्षेत्रों में योजना व्यय में कमी की गई है अथवा मामूली-सी वृद्धि हुई है। अल्प राशि का अल्प प्रावधान अपर्याप्त है। इससे लोगों की आवश्यकताएं और जरूरतें पूरी नहीं हो सकतीं। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह देखे कि नौवहन, शिक्षा, परिवहन, संचार तथा अन्य क्षेत्रों में पर्याप्त प्रावधान किया जाये।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं माननीय गृह मंत्री से दूरस्थ तथा अलग-थलग स्थित संघ राज्य क्षेत्रों के मामलों पर विचार करने और उन्हें उनकी समस्याएं हल करने में सहायता देने का अनुरोध करता हूँ। हमारा क्षेत्र समुद्र के मध्य में स्थित है। हमें हर प्रकार की सुविधाएं विशेषकर संचार सुविधाएं, नौवहन सेवाएं, कृषि तथा अन्य कार्यों में सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए ताकि हमारे यहां के लोग भी यह महसूस कर सकें कि केन्द्र सरकार उनकी देखभाल ठीक ढंग से कर रही है। अन्त में मैं गृह मंत्री से इन सब बातों पर गौर करने तथा आवश्यक समन्वय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मंत्रियों की समिति की नियुक्ति पर विचार करने का निवेदन करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री चिंतामणि जेना (बालासोर) : सभापति महोदय, गृह मंत्री द्वारा उनके मंत्रालय के लिए प्रस्तुत की गई अनुदानों की मांगों का मैं पूरे दिल से समर्थन करता हूं। मैं इस सदन में पेश किये गये सभी कटौती प्रस्तावों का विरोध भी करता हूं। महोदय, मैं अपने गृह मंत्री तथा उनके मंत्रालय को भी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि 1984 के दौरान साम्प्रदायिक स्थिति सारे देश में अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण रही। आपकी सूचना के लिए, 1983 में 4175 घटनाएं हुई जबकि 1984 में इनकी संख्या 3939 थी। 1983 में यह 16 प्रतिशत थीं और वर्ष 1984 में यह घटकर 14 प्रतिशत रह गयीं। इसी प्रकार छात्र असंतोष भी 1983 की तुलना में कम हुआ। 1983 में इसकी घटनाएं 7018 थीं लेकिन 1984 में इनकी संख्या सिर्फ 6603 थी।

महोदय, पंजाब की समस्या के बारे में पहले तथा आज इस सदन में बहुत सी बातों का जिक्र किया गया है। मैं अपने गृह मंत्री तथा प्रिय प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि वे गम्भीरतापूर्वक पंजाब समस्या का शान्तिपूर्ण हल ढूढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके लिए वे विरोधी नेताओं को भी विश्वास में ले रहे हैं। परसों ही विरोधी नेताओं के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें उनके साथ विचार-विमर्श हुआ था। मैं विरोधी नेताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि पंजाब के मसले को शान्तिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए वे अपना सहयोग तथा सहायता दें। लेकिन महोदय, कुछ सिख नेताओं के भड़काने वाले भाषण तथा बयान वास्तव में सारे मामले को और सारी स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। मैं उन नेताओं से, जो ऐसे भड़काने वाले भाषण दे रहे हैं, अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस बात पर अड़े रहकर स्थिति को न बिगाड़े कि वार्ता किए जाने से पहले आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव स्वीकार किया जाये। अतः पंजाब के बारे में हम सभी बहुत चिन्तित हैं और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री शान्तिपूर्ण हल के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे देश के सभी वर्गों के लोगों को पंजाब का शान्तिपूर्ण हल खोजने में अपना सहयोग देना चाहिए।

पंजाब और आसाम के संबंध में आपको मालूम है कि इन दो राज्यों में लोक सभा के लिए मतदान नहीं कराया गया और इस सम्मानित सदन में इन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं है। केन्द्रीय सरकार आसाम की मतदाता सूचियों को अन्तिम रूप देने की कोशिश कर रही है। ये सूचियां शीघ्र ही तैयार हो जायेंगी और मैं आशा करता हूं कि मंत्रालय सभी आवश्यक कदम आसाम में संसदीय चुनाव कराने के लिए उठायेगा। इसी प्रकार अगर हम सब सहयोग करें, तो पंजाब की स्थिति भी सामान्य हो जायेगी। तब पंजाब राज्य में भी लोक सभा के लिए चुनाव बहुत जल्दी ही कराये जायेंगे। गृह मंत्री कृपया यह बतायें कि आगामी मानसून से पहले पंजाब में चुनाव हो जायेंगे।

1983-84 वर्ष के लिए 10.36 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गयी है। यह एक स्वागत योग्य कदम है कि केन्द्र सरकार देश की जेलों में सुधार करने के लिए कदम उठा रही है। लेकिन सातवें वित्त आयोग ने कुछ उपायों की सिफारिश की है जो जेल प्रशासन का उचित स्तर तक सुधार करने में पर्याप्त नहीं हैं। जेलों में सुधार के लिए आबंटित की गई राशि 31 मार्च, 1984 को समाप्त हो गयी।

आठवें वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन में पुलिस और जेल प्रशासन का स्तर बढ़ाने के सम्बन्ध में सिफारिश की हैं। सरकार को उन्हें मान लेना चाहिए। मैं आठवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन को विशेष रूप से चपरासियों और महिलाओं तथा जेलों में सजा काट रहे युवा अपराधियों के कल्याण के बारे में दी गयी सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं। यह पूर्णतया स्वीकार किया जाना चाहिए।

होम गार्डों के बारे में, मंत्रालय के प्रतिवेदन में यह उल्लेख है कि उनकी अधिकृत संख्या सारे देश में 5,16,568 है लेकिन उनकी कुल 4,37,502 भर्ती की गई। परन्तु उस प्रतिवेदन में गृह मंत्रालय ने यह कहा है कि पिछले लोक सभा चुनावों के दौरान राज्य सरकारों ने लगभग 1.7 लाख होमगार्ड भर्ती किए हैं। मैं नहीं जानता कि क्या उनकी भर्ती केवल लोक सभा चुनावों को शान्तिपूर्ण ढंग से कराने के लिए की गई थी या कि उनकी भर्ती स्थायी तौर पर की गई। अगर उनको नियमित तौर पर भर्ती नहीं किया गया था तो मैं गृह मंत्री से इस मामले में गौर करके उन्हें स्थायी तथा नियमित करने का अनुरोध करूंगा। उनके प्रशिक्षण भत्ते और दैनिक भत्ते के सम्बन्ध में, मैं गृह मंत्री को उनका दैनिक भत्ता 8 रुपये से बढ़ाकर 15 रुपये और प्रशिक्षण भत्ता 7.50 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये करने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। इतनी महंगाई के दिनों में यह राशि पर्याप्त नहीं है। इस भत्ता राशि को और बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं गृह मंत्री से इस मामले पर गौर करने के लिए अनुरोध करता हूं।

बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने के बारे में मैंने यह मामला इस सदन में नियम 377 के अन्तर्गत उठाया था। आज मुझे गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रीमती राम दुलारी सिन्हा, से एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने कहा है कि मंत्रालय यह बताने की स्थिति में नहीं है कि कौन-सी तारीख तक यह कार्य होगा। इस सम्बन्ध में गत दो तीन दिनों से मैं परस्पर विरोधी समाचार पढ़ रहा हूं। कुछ समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि बाड़ लगाने के बारे में कुछ निश्चित नहीं है। लेकिन आज के समाचार पत्र में यह समाचार छपा है कि माननीय गृह मंत्री ने पहले से ही बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। मेरा गृह मंत्रालय से अनुरोध है कि यह कार्य समयबद्ध कार्यक्रम के साथ शीघ्र शुरू करके एक या दो वर्ष में पूरा किया जाये। इसको शीघ्र आरम्भ कराने के लिए इस प्रकार के समयबद्ध कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के कल्याण के सम्बन्ध में सामने बैठे मेरे माननीय मित्र ने बहुत से मामले उठाये हैं। मैं उनमें नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ गृह मंत्रालय के प्रतिवेदन के 20-21 पृष्ठ पर उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास मंत्रियों ने अपनी आठवीं बैठक में इस पर पुनर्विचार किया था और उन्होंने भी कुछ विकास कार्यक्रमों की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को पूर्णतया स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो असमानताएं विद्यमान हैं उनसे वहां के लोगों में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो रही है और इन विकास कार्यक्रमों को स्वीकार करके इन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के सम्बन्ध में मैं गृह मंत्रालय को कई विकास कार्यक्रम उनके उत्थान के लिए शुरू किए जाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। लेकिन एक निगरानी समिति होनी चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये सुविधायें वास्तव में उन्हीं लोगों को मिलें जिन्हें इनकी जरूरत है।

इस सम्बन्ध में मैं गृह मंत्री का ध्यान एक स्कीम की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जो उड़ीसा सरकार ने छात्रावासों का निर्माण करने के लिए भेजी हैं ताकि छात्र स्कूल की पढ़ाई बीच में न छोड़ सकें और केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रही है। मैं केन्द्रीय सरकार से इस स्कीम को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। इसके अतिरिक्त कुछ और आवासीय स्कूलों को आदिवासी जनपदों तथा आदिवासी क्षेत्रों में शुरू करने की आवश्यकता है, ताकि आदिवासी जनता में शिक्षा का प्रसार हो सके।

मैं गृह मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि केसूरिया समुदाय को, जिसे उड़ीसा के कुछ भागों में खडाला कहा जाता है और पश्चिम बंगाल में नामशूद्र कहा जाता है, उड़ीसा में अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। उड़ीसा सरकार ने भी इसकी सिफारिश की है। मैंने भी कुछ समय पहले इस मामले पर तत्कालीन गृह मंत्री को बहुत से पत्र लिखे थे। इसी प्रकार उड़ीसा में कुदमा जाति को भी सूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि कन्डारा जाति को शामिल किया गया है। यह एक सा ही मामला है कि कुछ क्षेत्रों में उड़ीसा के एक जनपद में जहां इसका नाम कन्डारा है इसे सूची में रखा गया है लेकिन कुदुमा को नहीं जैसा कि अन्य भागों में इसका नाम है। मैं बंगाला समुदाय का जो उड़ीसा के मयूरभंज और क्योझर जनपदों में रह रही है, उल्लेख करना चाहूंगा। इनको भी अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि यह भूमिया समकक्ष है जिसे जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है।

सभापति महोदय, आपने अपने भाषण में ठीक ही उन कठिनाइयों का जिक्र किया है जिनका सामना स्वतंत्रता सेनानी उड़ीसा में कर रहे हैं। कुछ स्वतन्त्रता सेनानियों को जिनकी संख्या लाखों में है, पेंशन नहीं मिल रही है। जब हम केन्द्रीय सरकार के पास जाते हैं तो वह कहती है कि उसने राज्य सरकार से कुछ जानकारी मांगी है और राज्य सरकार कहती है कि उन्होंने केन्द्र सरकार के पास पहले ही यह जानकारी भेज दी है। इस तरह से गत पांच या दस वर्षों से बहुत से मामले बकाया पड़े हैं और उड़ीसा में 3000 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें जाली नामों से जेलों में भेजा गया था और उसका कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। उनका मामला केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री चिंतामणि जेना : एक बात और है। मैं अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में कहना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि एक जलपोत वहां रोजाना भेजा जाना चाहिए।

सभापति महोदय : इसका उल्लेख उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य ने पहले ही कर दिया है। कुमारी ममता बनर्जी।

श्री चिन्तामणि जेना : स्वतंत्रता प्राप्ति के 37 वर्षों के बाद भी हमारे देश में अंग्रेजी न जानने वाला कोई वैज्ञानिक, कोई तकनीकी हिन्दू, कोई अभियन्ता नहीं है यद्यपि हमने हिन्दी को

अपनी राजभाषा स्वीकार कर लिया है। केन्द्रीय सरकार को इसके बारे में कुछ कार्यवाही करनी चाहिए ।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैंने दूसरे सदस्य को बुलाया है।

***कुमारी ममता बनर्जी** (जादवपुर) : सबसे पहले मुझे गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति प्रदाम करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। हम जानते हैं कि लोक सभा ही हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा न्यायिक मंच है। बन्दूक की नोक पर लोकतंत्र का स्रोत नहीं हो सकता। लोकतंत्र का स्रोत जनता की अदालत, जनता की आवाज तथा जनता की मांगें होती हैं। हम यहां पर उन लोगों के सुख-दुख पर प्रकाश डालने आये हैं जिन्होंने हमें इस सम्मानित सदन के लिए चुनकर भेजा है। मैं जादवपुर के एक बहुत ही उपेक्षित क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर आजादी के बाद पहली बार चुनकर आयी हूं। मेरे क्षेत्र के करीब लोगों की बहुत समस्याएं हैं और मैं उनमें से कुछ समस्याओं का उल्लेख करना चाहती हूं। महोदय बंगाल में शरणार्थियों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं उन अभागे लोगों की, जो स्वतंत्रता के बाद अपने घर-परिवार तथा अपनी सभी आशाओं और आकांक्षाओं को हमेशा के लिए अलविदा करने के बाद इस देश में आये, दुःखभरी कहानियों को सुनाऊंगी। वे यहां पर शरण पाने और अपना सिर ऊंचा रखने के योग्य होने के लिए आये थे। कई राजनीतिक दलों ने उन्हें अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशें कीं। लेकिन किसी ने भी उनके साथ उन्हें भविष्य के लिए आशा तथा सहायता देने के लिए अपनों जैसा व्यवहार नहीं किया। भारत सरकार का पुनर्वास विभाग 1974 में समाप्त कर दिया गया था परन्तु कलकत्ता में शरणार्थियों की समस्या आज भी काफी बड़ी समस्या है। बंगाल में इस समस्या को हल करने के लिए पुनर्वास विभाग का होना बहुत जरूरी है। यह अकेले मेरी मांग नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल के सभी लोगों की यह मांग है। कुछ समय पहले सी०पी०आई० (एम०) के एक मित्र कह रहे थे कि शरणार्थियों की समस्या के लिए केन्द्रीय सरकार पूर्णतया जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार की इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नहीं है। बंगाल में शरणार्थी पूर्ण स्वामित्व का अधिकार चाहते हैं। हम भी इन मांग का समर्थन करते हैं लेकिन एक शर्त होनी चाहिए और वह है कि किसी को भी सरकार की सहमति के बिना अपनी भूमि बेचने की अनुमति नहीं होगी। वहां वामपंथी सरकार षड्यंत्र रच रही है और उनके दल के सदस्य कह रहे हैं कि शरणार्थियों की सारी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है और वामपंथी सरकार की इसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह पूर्णतया असत्य है। यह झूठी अफवाह केवल केन्द्रीय सरकार की बदनामी करने तथा हमारे प्रधान मन्त्री की छवि बिगाड़ने के लिए फैलायी जा रही है। मैं इसका विरोध करना चाहती हूं और यह बताना चाहती हूं कि पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस के शासन काल में एक पट्टा दस्तावेज बनाया गया था। श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने उस पट्टे की प्रतियां लोगों को दी थीं और उसमें यह स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि यह पट्टा पहली बार 99 वर्ष के लिए होगा और इस समय के समाप्त होने पर अगर पट्टे के लिए इच्छा की गई तो सरकार उस पट्टे की अवधि बढ़ाने के लिए बाध्य होगी। लेकिन वामपंथी सरकार, जो आज केन्द्रीय सरकार को पट्टे के लिए दोष दे रही है, ने भी पट्टे दिये है जिनके अनुसार पट्टे 99 वर्ष के लिए होंगे लेकिन पट्टों की अवधि उस समय के बाद तभी बढ़ायी जायेगी अगर सरकार ऐसा करना चाहेगी। दो सरकारो, अर्थात कांग्रेस सरकार

*बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

तथा पश्चिमी बंगाल में वर्तमान वामपन्थी मोर्चा सरकार, में यही अन्तर है। कांग्रेस सरकार ने कहा यदि पट्टाधारी चाहते हैं तो पट्टे की अवधि बढ़ा दी जाएगी। वामपन्थी मोर्चा सरकार कहती है कि पट्टे को तभी बढ़ाया जाएगा जब सरकार ऐसा चाहेगी। इसका मतलब है कि जो वामपन्थी सरकार के समर्थक हैं केवल वही अपना पट्टा बढ़वा सकते हैं। इसी सौतेली मां की नीति ने तथा भ्रष्टाचार की नीति ने हमारे शरणार्थी भाईयों तथा बहनों के लिए पश्चिमी बंगाल में बहुत-सी समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं। (**व्यवधान**) भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के सदस्यगण व्यवधान न डालें, यह सर्व-साधारण का मसला है। यह सर्व-साधारण के हित में है। इसीलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं कि लोगों की आशाओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पुनर्वास विभाग को पुनर्जीवित किया जाए। उन्हें पूर्ण स्वामित्व अधिकार दिए जाएं तथा उनका आर्थिक पुनर्वास मजबूत आधार पर किया जाए। भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) ने उनके भाग्य के साथ राजनीतिक खेल खेला है, उन्होंने उनसे वोट लेकर उन्हें भुला दिया है। यह दोबारा नहीं होना चाहिए। ये गरीब लोग न्याय के लिए चिल्ला रहे हैं तथा इन्हें न्याय मिलना चाहिए। न्याय मांगने के लिए वे अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं। इस उच्चतम जन न्यायालय में, उनके लिए न्याय की मांग करने हेतु उनकी ओर से मैं अपनी आवाज उठा रही हूं।

दूसरे, महोदय, मैं स्वतन्त्रता सेनानियों की समस्या को उठाना चाहती हूं। महोदय, हम जानते हैं कि स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान हजारों स्वतन्त्रता सेनानियों ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व, अपनी जान बलिदान कर दी। आज उन स्वतन्त्रता सेनानियों, जिन्हें पेन्शन नहीं मिल रही या पूरी नहीं मिल रही, की हजारों अपीलें तथा आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। उनमें से कुछ को पेन्शन कुछ अवधि के लिए मिली है तथा फिर मिलनी बन्द हो गई है। केन्द्रीय सरकार को इन सब चीजों की जांच करनी चाहिए तथा उन्हें यह देखना चाहिए कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों की अपीलें तथा पत्र लम्बे समय से विचाराधीन हैं उन्हें उनकी उचित पेन्शन शीघ्र मिले। उनमें से बहुत से मृत्यु शैय्या पर पड़े हो सकते हैं तथा उनकी दशा बहुत खराब हो सकती है। वे बगैर पेन्शन लिए ही थोड़े समय बाद मर भी सकते हैं। भविष्य हमारे सामने है। हम भविष्य में कुछ और हासिल करने की आशा कर सकते हैं। परन्तु उन लोगों के बारे में क्या सोचा है जो भारत को अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए लड़े तथा इसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, सरकार को उनका भी ध्यान रखना चाहिए। यदि हम उनके चेहरे पर मुस्कराहट ला सकते हैं तो हमें इस पर गर्व तथा प्रसन्नता होनी चाहिए। अपने कठिन समय में वे भी प्रसन्न होंगे। इसके लिए सरकार उनकी पेन्शन की राशि में वृद्धि क्यों नहीं कर देती? मैं इस मांग को सभी स्वतन्त्रता सेनानियों के साथ मिलकर सरकार के सामने रखती हूं।

महोदय, मेरी मांग है कि पश्चिम बंगाल में एक नए औद्योगिक शहर की स्थापना की जाए। एक के बाद एक उद्योग रुग्ण होने के कारण पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। पश्चिम बंगाल की सरकार खस्ता हालत में है। हल्दिया पेट्रो रसायन कम्पलैक्स, दुमकुनी कोयला कम्पलैक्स, पन्नागढ़ मिन्ट कम्पनी तथा अन्य कई औद्योगिक इकाइयां रुग्ण होती जा रही हैं। विपक्ष के मित्र केन्द्र पर ही दोष देते रहते हैं। परन्तु पश्चिम बंगाल के लोगों को कौन बचाएगा। उनको बचाने के लिए यदि पश्चिम बंगाल की सरकार से अपील करें तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं एक उदाहरण दूंगी। कुछ स्थानीय लोगों की समस्या के समाधान हेतु मैं कलकत्ता नगर निगम के चेयरमैन, श्री आर० के० प्रसन्ना से मिलने गयी। मैंने औपचारिक

रूप से मिलने का समय लिया हुआ था। परन्तु जब मैंने लोगों की शिकायतें सामने रखीं तो उन्होंने कहा मेरे कमरे से निकल जाओ, लोगों की शिकायतें लेकर यहां मत आना। उनके बारे में यहां कुछ मत कहना। यदि हम कोई शिकायत पश्चिम बंगाल की सरकार को प्रस्तुत करते हैं तो हमारी कोई नहीं सुनता तथा कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसीलिए उनकी समस्या को मैं इस उच्चतम जन-न्यायालय में पेश कर रही हूं। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगी कि उनके अधीन चल रही योजनाओं को लागू किया जाए तथा पश्चिम बंगाल के लोगों को बचाया जाए। मैं अपने विपक्ष के मित्रों को कहूंगी कि उन्हें विरोध तो अवश्य करना चाहिए परन्तु यह रचनात्मक होना चाहिए। परेशान लोगों को बचाना ही हमारा परम लक्ष्य है। कांग्रेस या साम्यवाद को भूल जाएं। मौत के मुंह से लोगों को बचाने के लिए मिलकर कार्य करें। यही हमारा एक सामान्य लक्ष्य होना चाहिए। इसके बाद आप हमारा विरोध कर सकते हैं, हम आपका स्वागत करेंगे।

महोदय, पंजाब की समस्या पर आते ही मैं यह कहूंगी कि अभी कुछ समय पहले विपक्ष के हमारे एक साम्यवादी मित्र कह रहे थे कि आज की पंजाब की स्थिति के लिए केन्द्र जिम्मेवार है। महोदय, बड़े दुःख के साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि यह वही कांग्रेस है जिसकी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हमारे देश की एकता और अखण्डता को बचाने के लिए अपने जीवन का भी बलिदान कर दिया। हम जानते हैं कि उनकी यह आवाज हम फिर न सुन सकेंगे : "इन्सान के लिए इंसाफ चाहिए" अर्थात् प्रत्येक आदमी को न्याय मिलना चाहिए। परन्तु यह तथ्य है :

भावी पीढ़ियां हो सकता है,
विश्वास करेंगी मुश्किल से ही,
पैदा हुआ था इस धरा पर कभी,
हाड़-मास का ऐसा एक व्यक्ति।

यह एक सत्य है। हमारे इतिहास में इससे बढ़कर कोई और सत्य नहीं हो सकता। पंजाब को बचाने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। इसलिए मेरा विश्वास है कि हम, विघटनवादी विचारों से नहीं या दूसरे लोगों को दोषी बनाकर नहीं, वरन सहनशीलता तथा दूसरों की भावनाओं को महसूस करके लोगों का मन जीत लेंगे। आपसी मतभेद दूर करके हम लोगों का दिल जीत लेंगे। उस जीत के समय के लिए मैं कवि रवीन्द्र नाथ टैगोर के शब्दों में कहना चाहती हूं :

"दन्दीतेर साथे दन्दा दाता,
कन्डे जाबे सामन अघाटे,
सर्वा श्रेष्ठा से विचार"

उस 'विचार' या न्याय को पाने के लिए हमें अपनी पार्टी या राजनैतिक विचारधाराओं को भुलाकर एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। हम पंजाब को अलग नहीं होने देंगे। पंजाब तथा दूसरे सभी राज्य हमारी भारत मां के पुत्र हैं। विविधता में एकता ही हमारा मूल है। मैं इस सदन में भी यह अपील कर रही हूं कि हम सभी मिलकर एक समृद्ध, शक्तिशाली तथा खुशहाल भारत का निर्माण करें। हम भाईचारे तथा एकता से पंजाब की समस्या का हल करना चाहते हैं।

अन्त में मैं इस सदन का ध्यान कुछ अन्य मामलों की ओर आकर्षित कराना चाहूंगी। आज मेरे बंगला बोलने का एक मुख्य कारण यह है कि मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित कराने के लिए एक बंगला समाचार पत्र से कुछ समाचार उद्धृत करना चाहती हूं। मैं इस लोक सभा में न्याय चाहती हूं। महोदय, गोखले जी ने एक बार कहा था कि "बंगाल जो आज सोचता है, भारत उसे कल सोचेगा।" परन्तु आज स्थिति यह है कि, हमें यह कहना पड़ता है कि, मुझे यह कहते हुए दुःख है, कि "अन्य राज्य जो आज सोचते हैं बंगाल, वामपन्थी मोर्चा सरकार के नेतृत्व में वह बात परसों सोचेगा।" ऐसा इसलिए है कि रवीन्द्र नाथ टैगोर का सुनहरी बंगाल, जीवनानन्द दास का 'सुन्दर बंगाल' आज वामपंथी सरकार के हाथों में मारकाट तथा हत्याओं के एक गूंगे बंगाल में बदल गया है। इसलिए बंगाल में लोग न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं, परन्तु इसे सुनने वाला कोई नहीं है। उनकी शिकायतों को दूर करने वाला कोई नहीं है। रक्षक ही भक्षक बन गया है। न्याय की आवाज मूक आंसू बहा रही है। महोदय, मैं बंगाल में किए जा रहे अत्याचारों के बारे बताना चाहती हूं। मैं 28 मार्च के एक प्रमुख बंगाली दैनिक से पढ़ रही हूं। इसके एक समाचार का शीर्षक इस प्रकार है: "सत्ताधारी दल के अत्याचारों के कारण पुलिन जान को अपना घरबार त्याग कर मरना पड़ा। मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी ने उसकी अन्त्येष्टि आदि की।" उसका अपराध केवल यह था कि वह कांग्रेस का कार्यकर्ता था। उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्रों को उसका श्राद्ध अथवा क्रिया नहीं करने दी गई। साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के कार्यकर्ताओं ने उसका घर भी लूट लिया वह अपनी मौत से बचने के लिए पांच वर्ष से संघर्ष कर रहा था, उसे कोई औषधि भी उपलब्ध न थी। उसे बिना किसी चिकित्सीय उपचार के मरना पड़ा। मैं झूठ नही बोल रही, यहां आप देखिए इस समाचार पत्र में पूरा लेख प्रकाशित हुआ है। जब इस भाग्यहीन व्यक्ति ने, जिसे रात दिन तंग किया जाता था जिसका मकान तथा भूमि सी० पी० एम० द्वारा छीन लिए गए थे, सी० पी० एम० के साथ बैठने और समझौता करने की पेशकश की तो, उसे सी० पी० एम० पार्टी कार्यालय ने कहा, देखिए, सी० पी० एम० पार्टी के पैड पर लिखे गए एक पत्र की फोटो स्टेट प्रतिलिपि यहां प्रकाशित हुई है। सी० पी० एम० पार्टी कार्यालय द्वारा कहा गया कि 'पुलिन जान हम आपके साथ बैठकर इन मामलों पर चर्चा कर सकते हैं, परन्तु एक शर्त है; आपको हमारे जलपान तथा विनोद के लिए निम्नलिखित चीजों की व्यवस्था करनी होगी:

चोप	—	60
चाय	—	60
मिठाई	—	250
पान	—	100
मछली	—	500
नींबू	—	8

मांस, चावल इत्यादि

इससे पता चलता है कि मरते हुए व्यक्ति से भी उसका सब कुछ छीना जा रहा है। समायोजन तथा समझौते के लिए वह सी० पी० एम० पार्टी के कार्यकर्ताओं के पैरों पड़ गया परन्तु सी० पी० एम० पार्टी के कार्यकर्ता उससे पूर्व शर्त के तौर पर उसकी दीन हालत का फायदा उठाने के लिए सभी

तरह की महंगी खाद्य सामग्री मांगने लगे। वामपन्थी सरकार के शासन के अधीन पश्चिम बंगाल की यह दशा है।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात मन्दिर बाजार, के एक मामले का उल्लेख कर रही हूं। यह समाचार 29 मार्च के 'युगान्तर' अखबार में प्रकाशित हुआ था, जो पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख दैनिक है। एक गरीब महिला ने मुझे वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया। उसके इस अपराध के लिए चुनाव के अगले दिन सी० पी० एम० के आठ कार्यकर्ताओं ने उस पर हमला किया तथा उसके साथ बलात्कार किया। गुंडों को सजा देना तो अलग रहा पुलिस ने मामला दर्ज करने से भी इंकार कर दिया। जब मुझे इस बात का पता लगा तथा इस मामले को उठाया तो मामला 23 जनवरी को दर्ज किया गया। घटना 26 दिसम्बर को हुई परन्तु शिकायत केवल 23 जनवरी को दर्ज की गई तथा वह भी उस समय जब मुझे इसकी सूचना मिली तथा मामले को उठाया। पश्चिम बंगाल में कानून तथा व्यवस्था की दशा यह है।

महोदय, यह केवल मेरा ही कथन नहीं है, भारतीय साम्यवादी दल की श्रीमती गीता मुखर्जी यहां मौजूद हैं—पिछली 28 मार्च को आनन्द बाजार पत्रिका, जो पश्चिमी बंगाल का बहुत ही महत्वपूर्ण तथा लोकप्रिय पत्र है, में निम्नलिखित समाचार प्रकाशित हुआ? शीर्षक था, "गृहणी का शव तालाब में पाया गया।" बोबाजार क्षेत्र की युवा गृहणी का शव उसके गायब होने के 48 घण्टे बाद मंगलवार को नीलरतन सरकार अस्पताल के तालाब में पाया गया। उसका नाम सुताया नाग था तथा वह 18 वर्ष की थी। पुलिस के पास मामला दर्ज होते हुए भी उसके शव की जांच उसके माता-पिता को बताए बिना ही कर दी गई। उसके गायब हो जाने की सूचना मिलते ही सुताया के माता-पिता ने मामला पुलिस में दर्ज करा दिया था। पुलिस को सब कुछ पता था। इसके बावजूद भी शव-परीक्षा बिना उसके माता-पिता को सूचित किए की गई। भारतीय साम्यवादी दल का वक्तव्य इस घटना तथा पुलिस प्रशासन के विरुद्ध दिया जा रहा है। यह है कानून तथा व्यवस्था की स्थिति?

महोदय, अब मैं एक और समाचार जो 12 मार्च के 'आजकल' के सम्पादकीय में दिया है उसका उल्लेख करूंगी। पिछली 11 मार्च को इस समाचार पत्र का एक कर्मचारी अपने इकलौते लड़के राहुल की पहली पुन्य तिथि मना रहा था। मौत के बारे में सही पता लगाने या इसके पीछे किसका हाथ था इसके लिए एक वर्ष के असफल प्रयास के बाद मृतक की भाग्यहीन तथा बेसहारा मां ने प्रेस के माध्यम से मुख्य मन्त्री श्री ज्योति बासु से अपील की। अखबार कहता है "11 मार्च राहुल की प्रथम पुण्य तिथि है। राहुल की मां ने इस अखबार के माध्यम से मुख्य मन्त्री श्री ज्योति बासु से, इस विशेष प्रार्थना बैठक, जो आज होनी है, में शामिल होने की अपील की है। उसने 11 मार्च को लिखा है कि जब मैं राहुल की आत्मा की शान्ति के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रही हूंगी, उस समय माननीय मुख्यमन्त्री जी आप भी मेरे शोक में शामिल होने की कृपा करें। इस" दयनीय अपील के सिवाय एक मां, जिसका पुत्र मर गया है, और कर भी क्या सकती है? वह केवल अपने इकलौते प्रतिभाशाली मैनेजमैंट के प्रशिक्षणार्थी पुत्र की अस्वाभाविक मृत्यु के कारण को जानना चाहती थी। वह केवल उन लोगों का अता पता जानना चाहती थी जिन्होंने उसके पुत्र की हत्या बीच राजधानी में की थी। वह अपने पुत्र की हत्या के विषय में न्याय चाहती थी। पश्चिम बंगाल में यह दशा है। कुछ समय पहले दुर्गापुर के क्षेत्रीय महाविद्यालय में पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। (व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या हम प्रत्येक राज्य की कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पर यहां चर्चा कर सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, क्या आप इसकी अनुमति दे रहे हैं ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या हम बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों की कानून तथा व्यवस्था की स्थिनि के बारे में चर्चा कर सकते हैं ? यदि ऐसा ही है तो हमें आप प्रत्येक राज्य की कानून तथा व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा करने की अनुमति दे दीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : हम गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। आप इसकी अनुमति क्यों दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ? मैं सुन नहीं सका।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या हमें यहां सभी राज्यों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त कानून तथा व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा करने की अनुमति है ? यदि ऐसा ही है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें चर्चा करने दी जाए, हम बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा अन्य सभी राज्यों की आन्तरिक कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पर भी चर्चा कर सकते हैं। परन्तु क्या इसकी अनुमति है ?

(व्यवधान)

हम इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, यदि आप हमें भी इसकी चर्चा करने की अनुमति दें तो।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय हम आपका विनिर्णय चाहते हैं।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : वह अपने राज्य की वर्तमान कानून तथा व्यवस्था की स्थिति के बारे में बोल रही हैं। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : निश्चय ही हमें, जो उन्होंने कहा उसे कोई महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु हमें सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा का तो पालन करना पड़ेगा। माननीय गृह मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री भी मौजूद हैं। आप इस पर विचार करें। हमें उनके बोलने के तरीके पर कोई आपत्ति नहीं है। कभी-कभी हमें मनोरंजन की भी आवश्यकता होती है। परन्तु बात यह है कि क्या यह नियमों के अनुसार है या नहीं। इस वाद-विवाद के दौरान यदि हम महाराष्ट्र के बारे में कुछ कहें तो क्या उसकी अनुमति होगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह विशुद्ध रूप से आन्तरिक मामला हुआ तो हम इसकी अनुमति नहीं देंगे।

(व्यवधान)

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : क्या हम यहां एक राज्य की कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा कर सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : कानून और व्यवस्था की स्थिति पर सदन में हमेशा चर्चा होती है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपका नाम सभापति तालिका में है। क्या आपको नियमों की जानकारी नहीं है ? हमें कतिपय नियमों के अनुसार चलना पड़ता है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : क्या हमको महाराष्ट्र की आन्तरिक कानून और व्यवस्था की स्थिति पर भी चर्चा करनी चाहिए। जो कुछ वह बोलना चाहती हैं उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कुछ एक समान नियम होने चाहिए। **(व्यवधान)**

पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि इस सम्बन्ध में सभी राज्यों की चर्चा होनी चाहिए। हम आपको सुनना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, क्या आपने अपना भाषण समाप्त कर दिया है ?

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : वे किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। मैं जानता हूं यह नियम 376 है, लेकिन व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह पूर्ण रूप से किसी राज्य का आन्तरिक मामला है तो यह अच्छा होगा कि इससे बचा जाए।

श्री के० राममूर्ति (कृष्णागिरि) : मैं एक बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने केवल यही कहा है कि इससे बचा जाय ! जो कुछ मैंने कहा वह यही है।

श्री जैनुल बशर : देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के अन्तर्गत हमेशा चर्चा की गई है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए। आप सभी बैठ जाइए। मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। यदि यह किसी राज्य का पूर्णरूप से आन्तरिक मामला कानून और व्यवस्था का या किसी और बात का है तो मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इसका उल्लख न करें।

कुमारी ममता बनर्जी : वे मेरे भाषण के दौरान हमेशा बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपना भाषण कैसे जारी रख सकती हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरे विनिर्णय का पालन करें। यदि यह पूर्णतया किसी राज्य के आन्तरिक मामले से सम्बन्धित है तो इसका उल्लेख करने की कोशिश न करें। कृपया अपनी बात खत्म कीजिए। आप पहले ही 15 मिनट ले चुके हैं।

श्री के० राममूर्ति : इस सदन में कानून और व्यवस्था के बारे में चर्चा हमेशा की जाती रही है। कृपया आप मेरी बात सुनिए। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। यदि सामान्य कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में है तो आप चर्चा कर सकते हैं।

श्री के० राममूर्ति : क्या हमने यहां पंजाब या असम के बारे में चर्चा नहीं की है?

श्री जैनुल बशर : पूरे देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हमेशा की जाती है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जाइए। कृपया समाप्त करें।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि पश्चिम बंगाल को अधिक सहायता देनी चाहिए। वहां के लोगों के लिए कुछ और अधिक किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में आई० आर० डी० पी० तथा एन० आर० ई० पी० कार्यक्रमों के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि मैं जानती हूं कि जब कभी मैं सच बात कहूंगी तो भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के सदस्य शोर मचाकर मेरा विरोध करना शुरू कर देंगे लेकिन मैं फिर कहूंगी कि विपक्ष को विरोध जरूर करना चाहिए परन्तु यह रचनात्मक होना चाहिए। मैं कहती हूं कि एन० आर० ई० पी० और आई० आर० डी० पी० कार्यक्रमों को केन्द्र द्वारा दी जा रही धनराशि का लाभ पश्चिम बंगाल के ग्रामीण लोगों को नहीं मिल रहा है।

पश्चिम बंगाल में कई ऐसी सड़कें हैं जहां लोग चल भी नहीं सकते हैं। बंगाल के गरीब ग्रामीण लोग बहुत उपेक्षित स्थिति में रह रहे हैं। राज्य सरकार को अधिक शक्तियां देनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ज्योति बसु बार-बार यह दोहराते रहे हैं कि केन्द्र कोई सहायता नहीं दे रहा है और पश्चिम बंगाल की खराब स्थिति के लिए वे जिम्मेदार हैं। वह हर बात के लिए केन्द्र को दोष देते हैं। वह कहते हैं कि केन्द्र ने बंगाल के साथ सौतेला रवैया अपनाया है। इस तरह से वह लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि केन्द्र यहां के लोगों की उन्नति, राज्य के विकास के लिए उदारता से सहायता कर रहा है। लेकिन उस धन का राजनैतिक प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है और यह भारतीय साम्यवादी (मार्क्स०) दल के कोष में जा रहा है। भारतीय साम्यवादी (मार्क्स०) दल के कार्यालयों तथा दल के काम के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के लोग केवल भारतीय साम्यवादी (मार्क्स०) दल के ही नहीं हैं। एक समय लोकतंत्र की यह परिभाषा थी, "लोगों के लिए और लोगों के द्वारा सरकार" लेकिन महोदय, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की आज यह परिभाषा है, "सरकार मार्क्सवादियों की, मार्क्सवादियों के लिए, और मार्क्सवादियों द्वारा सरकार।"

महोदय, इसके साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं और अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[**हिन्दी**]

श्री शिव प्रसाद साहू (रांची) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं अपनी ओर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी सरकार की ओर से गृह विभाग की जो मांगें पेश की गई हैं, मैं उनका तहेदिल से समर्थन करता हूं।

गृह विभाग का यह कर्त्तव्य होता है कि देश में खासकर जो कमजोर तबके के पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, आदिवासी, हरिजन हैं या दूसरी कौम के लोग हैं, उनकी जानमाल की हिफाजत की जाए, उनका जीवन खुशहाल हो, उनकी रक्षा की जाए और साथ-साथ देश में जो खतरनाक तबके के लोग हैं, उन पर अंकुश लगाया जाए और शांति-व्यवस्था बरकरार रखी जाए।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह बिहार का सबसे पिछड़ा क्षेत्र छोटा नागपुर का रांची जिला है, उसकी मैं कुछ खास समस्याएं आपके सामने रखना चाहता हूं। मंत्री जी, आपको पता है कि

बिहार का छोटा नागपुर का क्षेत्र हिन्दुस्तान का हृदय-स्थल कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होंगी। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे छोटा नागपुर के जैसा शायद ही संसार में उस तरह का हिस्सा आपको कहीं मिलेगा। एशिया में सबसे ज्यादा कोयले का भण्डार वहां पर है। यूरेनियम का, लोहे का, तांबे का, सोने का, अभ्रक, बाक्साइड का भण्डार वहां पर है। पहाड़ों में कई चीजों के भण्डार हैं, बांस और कागज बनाने की सारी चीजें वहां पर, फायर क्ले, चाइना क्ले, सब उपलब्ध हैं। फिर भी वहां के लोगों का जीवन स्तर क्यों ऊपर नहीं उठ रहा है। मैं कुछ आंकड़े गृह विभाग को देना चाहता हूं। यह बड़ी गंभीर समस्या है। आप वहां की आबादी देखिए, छोटा नागपुर में लदा संथाल प्रगणा में संथालों की संख्या 1801304 है, ऊरांव जाति के लोग 876211 हैं, मुंडा जाति के लोग 723111 हैं, हो जाति के लोग 505172 और खड़िया जाति के 127002 लोग हैं। इस तरह से बिहार के छोटा नागपुर में करीब 30 उप जन-जातियां हैं। बिरहोर जाति के लोग हैं, असुर जाति के लोग हैं, कोरबा जाति के लोग हैं जो जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं और आज भी बंदर का भक्षण करके जीवन-निर्वाह करते हैं।

5.00 म० प०

मुझे यह कहने में थोड़ी-सी झिझक हो रही है कि हमारे छोटा नागपुर में एक विकट समस्या पैदा हो गई है। वहां पर बड़े-बड़े डैम खोले गए, यहां मैं सिर्फ दो डैम्स का जिक्र करना चाहता हूं। एक तो कोयल कारो डैम प्रोजेक्ट और दूसरा स्वर्ण रेखा डैम प्रोजेक्ट। कोयल कारो प्रोजेक्ट में लगभग 70 हजार एकड़ जमीन पानी के गर्भ में चली जाएगी। उसी तरह से स्वर्ण रेखा प्रोजैक्ट में 92 गांव और लगभग 52 हजार एकड़ जमीन पानी में चली जायेगी। सरकार कभी कहती है कि वे मुआवजे के रूप में बीस हजार या बाईस हजार रुपए दिए जाएंगे। आज तक उसका फैसला नहीं हुआ है। इतनी जमीन चले जाने पर कितने लोगों को मकान और नौकरी दी जायेगी, इसका भी कुछ पता नहीं है। ये सारी समस्याएं भयंकर रूप धारण करती जा रही हैं। वही हालत स्वर्ण रेखा डैम प्रोजेक्ट की है। बैंक खोलने के लिए कहते हैं तो बैंक के मैनेजर से यह जवाब मिलता है कि बैंक खोलने से क्या फायदा। इसी प्रकार बिजली विभाग के लोग कहते हैं बिजली की लाइन देने से क्या फायदा वह तो डैम में चली जायेगी। यह भी नहीं कहा गया कि लोगों को कहां बसाया जायेगा और कहां जमीन दी जायेगी। डैम बनाने से पहले रिहैबिलिटेशन का मामला अवश्य हल कर लेना चाहिए कि कितने लोगों को नौकरी और मकान देने की व्यवस्था होगी, इस पर ध्यान देना होगा।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या उन्हें कोई और भूमि नहीं दी जा रही है?

[हिन्दी]

श्री शिव प्रसाद साहू : कहीं पर भी जमीन नहीं मिल रही है। हमारे यहां कोयले का भण्डार भरा पड़ा है। कोल फील्ड में यह प्रावधान किया गया है कि जिनकी तीन एकड़ जमीन ली जायेगी, उन्हीं लोगों को नौकरी दी जाएगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनके पास डेढ़ या दो एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होती है। जब वे नौकरी मांगते हैं तो कहा जाता है कि तीन एकड़ से कम जमीन है इसलिए नौकरी नहीं दी जायेगी। नतीजा यह हो रहा है कि बाहर के लोग भरते जा रहे हैं और छोटा नागपुर के लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही है। रत्न गर्भा धरती होते हुए भी, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक उदाहरण

है, सिर्फ रांची और पलामू जिले से दो लाख से अधिक मजदूर ईंट के भट्टे में काम करते हैं, बनारस से लेकर पंजाब तक चले जाते हैं। बेकारी की वजह से ही वे लोग जाते हैं। वहां जाकर उनका भीषण शोषण होता है। हर साल वे लोग मजबूर होकर चले जाते हैं। कम से कम दो सौ या तीन सौ आदिवासी लड़कियां हर साल गायब हो जाती हैं। उनको कौन ले जाता है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। गृह विभाग को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनके जीवन-स्तर की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। आई० आर० डी० पी० के अन्तर्गत बैल खरीदने हेतु एक हजार और कभी आठ सौ रुपए दिए जाते हैं जबकि पन्द्रह सौ रुपए पर साइन करवा लिए जाते हैं। गृह मंत्रालय की ओर से एक आवश्यक जांच समिति जांच करे कि जो रुपया छोटा नागपुर में खर्च हो रहा है, वह सही ढंग से हरिजन और आदिवासियों के बीच में हो रहा है या नहीं। जो कमेटी भी जाती है, वह रांची शहर से ही वापिस आ जाती है। मुंडा और उरांव जाति के लोग जो पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं, उनके घर जाकर देखना चाहिए कि सही ढंग से काम हो रहा है या नहीं। श्रीमन् मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश से एक भयंकर तरह का शोला उठ रहा है। जहां देखिए वहीं गड़बड़, तोड़फोड़ की राजनीति आपको दिखाई देगी। चाइबासा में देखिए क्या हो रहा है, अलगाव की बातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ छोटा नागपुर में अलग करने की बातें हो रही हैं। इन सबके पीछे कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो हमारे गरीब आदिवासी लोगों का शोषण करती हैं और उनकी भावनाओं को भड़का कर उन्हें गुमराह करने का षडयंत्र रच रही हैं। इसीलिए मैंने कहा कि छोटा नागपुर आज बारूद के ढेर पर बैठा है और समय रहते यदि इस चिंगारी को काबू में नहीं लाया गया तो हमारे सामने बहुत बड़ा संकटमय समय आने वाला है।

जैसा मैंने पहले भी कहा था, गृह विभाग को मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं। हमारे यहां रांची जिले में रेलों का सर्वे कार्य कई बार किया गया, रांची से लोहरदगा तक, और लोहरदगा से टोरी तक और रांची से हजारीबाग होते हुए कोडरमा तक, क्योंकि वह कोयला क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र बौक्साइट तथा जंगलों से भरा क्षेत्र है लेकिन हर बार यह कह कर कि 3.4 घाटा होता है इसलिए उस काम को नहीं किया जा रहा है। वैसे चार-चार बार सर्वे कार्य हो चुका है। जब दो-दो और तीन-तीन लाख लोग वहां से हर साल दूसरे हिस्सों को भाग रहे हैं तो सरकार का ध्यान उस ओर जाना चाहिए और चाहे सरकार को कुछ कष्ट भी उठाने पड़ें, अलग से कुछ प्रावधान करना पड़े परन्तु विशेष प्रावधान करके इस आदिवासी इलाके को नई रेलवे लाइनों से जोड़ना चाहिए ताकि वहां नई-नई इंडस्ट्रीज स्थापित हों। जहां तक मेरी जानकारी है, बिड़ला ग्रुप आॅफ मिल्स की तरफ से एल्यूमीनियम कारखाना लगाने की बात वहां चल रही है, 7 अरब रुपये को ब्ल्यू-प्रिंट के साथ बौक्साइट का कारखाना स्थापित करने की चर्चा हो रही है लेकिन लोहरदगा में बड़ी लाइन न होने की वजह से वे हिचक रहे हैं। इसलिए वहां के लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए यह आवश्यक है कि बड़ी रेलवे लाइन का प्रावधान किया जाए।

अब मैं एक दूसरी भयंकर समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज पंजाब में, त्रिपुरा में, आसाम में और कई जगहों पर भयंकर वातावरण पैदा किया जा रहा है। उन्हीं शक्तियों ने हमारी पूजनीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की भी पिछले दिनों हत्या कर दी। अभी भी आये दिन धमकी भरे पत्र उनकी ओर से प्राप्त हो रहे हैं। उनमें कहा जाता है कि यदि कोई अकाली दल के खिलाफ बोला अथवा यह कहा कि उग्रवादियो अपनी हत्या की राजनीति

छोड़ो तो उसको तुरन्त धमकी भरा पत्र प्राप्त हो जाता है। आखिर यह सिलसिला हमारे देश में कब तक चलेगा ? आज हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों के खिलाफ हत्या की साजिशें चल रही हैं। इसलिए समय रहते हमारे गृह विभाग को सावधान हो जाना चाहिए और जो गलती पहले हो चुकी है, हम अपनी भारत मां इंदिरा गांधी को खो चुके हैं, कहीं ऐसा न हो कि हमारी गफलत का फायदा उठा कर वे और कोई षडयंत्र रचें इसलिए हमें दुश्मन से चौकस रहना चाहिए।

आज हमारी सीमाओं पर पाकिस्तान की फौजें खड़ी हैं, चीन की फौजें खड़ी हैं और हमारी सीमाओं पर चारों ओर से खतरा मंडरा रहा है। दूसरी ओर हर के अन्दर तरह-तरह की साजिशें चल रही हैं, हत्या की राजनीति चल रही है। छोटा नागपुर में आदिवासी लोगों को भड़काया जा रहा है, इसी तरह आसाम में, नागालैंड में भी लोगों को भड़काया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है और बौर्डर के इलाकों में गड़बड़ी की जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि विदेशी शक्तियां हमारे देश पर आंख लगाये बैठी हैं और हमारे देश की एकता को तोड़ना चाहती हैं। हमारे सामने कई तरह की गम्भीर समस्याएं विद्यमान हैं। जब इंदिरा जी कहती थीं कि हमारे मुल्क को खतरा है तो उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी जान देकर इस बात को सिद्ध कर दिया। आज मैं अपने विरोधी दल के लोगों से पूछना चाहता हूं कि बताइये कि हमारे मुल्क में खतरा है या नहीं। कितनी फौजें हमारे काश्मीर के सरहद पर हैं, आसाम और नेफा में दुश्मन की तोपों और बन्दूकों का मुंह किस ओर है, क्या वह हमारी सरहदों की ओर नहीं है। काश्मीर में ट्रेनिंग दी जा रही है, उग्रवादियों को, पंजाब में लोगों को भड़काया जा रहा है, नागालैंड और आसाम के लोगों को भड़काया जा रहा है, त्रिपुरा में गड़बड़ी हो रही है। ये सब इस बात के द्योतक हैं कि विदेशी शक्तियां हिन्दुस्तान की प्रगति नहीं देखना चाहतीं जो प्रगति हम राजीव जी के नेतृत्व में कर रहे हैं और इंदिरा जी के नेतृत्व में की। वह प्रगति उनको फूटी आंख नहीं भाती। आज हम हर मामले में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं ज़बकि 1947 में हमारे यहां एक सुई तक नहीं बनती थी, आज दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जो हम न बनाते हों। इसलिए अधिक समय न लेते हुए, मैं गृह विभाग के ध्यान में यही लाना चाहता हूं कि छोटा नागपुर की धरती रत्न-गर्भित भूमि है, वहां के लोगों की खुशहाली के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनके बाहर जाने से रोकने के लिए उस इलाके में रेलों का जाल बिछाया जाए ताकि वहां उद्योग स्थापित हों, वहां के लोगों को रोजगार मिले, शिक्षा का प्रसार हो और इसके साथ-साथ वहां जो गड़बड़ियां हो रही हैं, उनको भी रोका जा सके। हमारे देश पर जो विदेशी शक्तियां हावी हो रही हैं, गड़बड़ी फैला रही हैं, उन पर भी लगाम लगे ताकि राजीव जी के स्वप्नों का अखण्ड भारत हम बना सकें, मजबूत भारत बना सकें। आपने जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं गृह संत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

***श्री अनादि चरण दास** (जाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का मुझे जो अवसर दिया गया है उसके लिए शुरू में मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पूरे दिल से अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। महोदय, गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले विषय बहुत व्यापक हैं। मुझे जो समय दिया गया है उसके भीतर हर बात पर

*उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

चर्चा करना मेरे लिए सम्भव नहीं है। इसलिए मैं केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कुछ समस्याओं के बारे में चर्चा करूंगा।

इस सदन में और इससे बाहर यह कहा जाता है कि आदिवासी और हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों की घटनाओं में कमी आई है। लेकिन यह वास्तव में सही नहीं है। देश के कई लोगों में आदिवासियों और हरिजनों का अब भी शोषण किया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का शोषण होने वाले अत्याचार को खतम करने के लिए भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं लेकिन वे बहुत अपर्याप्त हैं। नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए उपायों के कार्यान्वियन हेतु जिस राशि की व्यवस्था की गई है वह केवल 3.60 लाख रुपए है। इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। आप आदिवासियों और हरिजनों की रक्षा के लिए पुलिस तैनात कर रहे हैं। लेकिन वह उन समुदाओं की मदद करने के लिए सक्षम नहीं है। कभी-कभी तो वह तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर देती है। अतः हमें वे मार्गोपाप करने हैं जिससे इन लोगों पर होने वाले अत्याचारों को खतम किया जा सके। इस संबंध में मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि स्वयंसेवी संगठनों को इस कार्य में शामिल किया जाए। लेकिन यह देखा गया है कि स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकलाप के लिए जो राशि दी गई है वह अपर्याप्त है। ये संगठन विभिन्न स्थानों में शांति का वातावरण पैदा करते हैं तथा आदिवासियों और हरिजनों पर होने वाले शोषण को रोकने के लिए जाते हैं। यदि हम चालू वर्ष में स्वयंसेवी संगठनों के विभिन्न कार्यकलाप के लिए दी गयी धनराशि को देखें तो हमें पता चलेगा कि यह बहुत कम है। मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि अगले वित्तीय वर्ष में स्वयंसेवी संगठनों के लिए धनराशि को बढ़ाया जाए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए हमें पुलिस बल पर और अधिक भरोसा नहीं रखना चाहिए। लेकिन हमें अधिक से अधिक स्वयंसेवी संगठनों को इस कार्य के शामिल करना चाहिए जो इन उत्पीड़ित समुदायों के दुःखों को दूर करने में सरकार की मदद कर सकें।

महोदय, यह बहुत दुःख की बात है कि आजादी के 37 वर्षों के बाद भी हरिजन गंदे पेशे में लगे हुए हैं। यह अच्छी बात है कि भारत सरकार ने आधुनिक मल निकास प्रणाली और सफाई प्रबन्ध कार्यक्रम शुरू करने के लिए 50 नगरों और शहरों को चुना है। इन योजनाओं के अन्तर्गत शुल्क शौचालयों को 'सेप्टिक' शौचालयों में बदला जाएगा। यह हमारा कर्तव्य है कि गंदे पेशे में लगे लोगों की दशा को सुधारा जाए। इस तरह के लोगों के बच्चों को और अधिक शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार को तुरन्त कदम उठाने चाहिए। उन बच्चों, जिनके मां बाप गंदे पेशे में लगे हुए हैं, वजीफे की राशि बढ़ायी जानी चाहिए। इस वर्ग के लोगों को कम लागत के मकान दिये जाने चाहिए। यह देखा गया है कि इन लोगों में से कई लोगों के पास मकान नहीं हैं। इसलिए उन्हें मकान देने की व्यवस्था करना ही हमारा पहला कर्तव्य है। उनके आर्थिक पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस समय हरिजनों की 50 जातियों को और लगभग 23 जनजातियों को इनकी सूची में शामिल किया गया है, लेकिन अब समय आ गया है जबकि 'हरिजन' के शब्द की नई परिभाषा दी जाये।

अतीत में जिन लोगों को छूआ नहीं जाता था उन्हें हरिजन कहते थे। धोबी उनके कपड़े नहीं धोता था। ब्राह्मण उनके सामाजिक कार्यों के अवसरों पर धार्मिक संस्कार नहीं करता था। नाई उनके बाल नहीं काटता था। पुराने समय में इस तरह के वही उपेक्षित लोग, जो पूर्णतः समाज से अलग कर दिए गये थे, हरिजन कहे जाते थे। आदिवासियों के बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा।

देश में हरिजनों के अतिरिक्त और भी लोग रह रहे हैं। हालांकि वे हरिजन नहीं हैं, लेकिन हरिजनों को जो सुविधायें उपलब्ध हैं, वे उन्हें मिल रही हैं। दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो समुदाय से सम्बन्धित हैं, लेकिन उन्हें इस तरफ की सुविधाओं से वंचित किया गया है यद्यपि वे उपेक्षित और पददलित हैं लेकिन कोई भी उनकी मदद करने की परवाह नहीं करता। मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि केवल उन लोगों को ही वास्तविक सुविधायें दी जायें जो इसके पात्र हैं। इन लोगों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाये जाने चाहिए।

महोदय, मुझे समूचे भारत में यात्रा करने का मौका मिला है। मैंने हरिजनों की दशा को बहुत नजदीक से देखा है। उपेक्षित लोग अभी भी उपेक्षित हैं जबकि जो लोग अच्छी स्थिति में हैं उन्हें अभी भी सुविधायें मिल रही हैं। इसलिए हमें इस मामले पर सोचना है। हरिजन समुदाय से सम्बन्धित लोगों के ग्रुप को अच्छी शिक्षा मिली है; उन्होंने नौकरियां प्राप्त की हैं और उनकी स्थिति में सुधार हुआ है।

लेकिन हरिजन समुदाय के होने के कारण उन्हें अभी भी सारा सुविधायें मिल रही हैं। दूसरी ओर जो हरिजन पिछड़े रहे हैं वे हरिजनों के समकक्ष नहीं आ पाये हैं जिन्होंने अपनी हैसियत पहले ही बढ़ा ली है। महोदय, ऐसे बहुत से समृद्ध हरिजन हैं जो अपने को हरिजन रूप में कहलाना पसंद नहीं करते। यह भी सत्य है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि मूलतः हरिजन नहीं थे, परन्तु किसी तरह से हरिजन बन गए हैं। ऐसे लोगों का उद्देश्य हरिजनों को मिलने वाली सुविधाओं को प्राप्त करना ही है। हमें ऐसे लोगों का पता लगाया जाना चाहिए। महोदय, हाल ही में कुछ लोगों ने, जो उड़ीसा में हरिजन-सूची में नहीं थे, न्यायालय में मुकदमे दायर करके उन्हें हरिजनों की सूची में शामिल करने का दावा किया। अंत में वे मुकदमा जीत गए और उनकी जाति को हरिजन समुदाय में शामिल कर लिया गया है। वे लोग अछूत नहीं थे। वे उच्च जाति के लोग हैं तथा उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी है। अतः ऐसे लोगों के प्रति हमें बहुत सतर्क रहना होगा।

महोदय, मेरा गृह मंत्री से अनुरोध है कि वह इन समस्याओं पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन करें या अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति अथवा अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयुक्त से समस्त भारत का नए सिरे से दौरा करने का अनुरोध करें। वे स्थिति का अध्ययन करेंगे तथा सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

छठी योजना के दौरान आदिवासियों तथा हरिजनों के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य योजना के अन्तर्गत 60,213.18 करोड़ रुपये, विशेष संघटक योजना के कार्यान्वियन के लिए 4,847.98 करोड़ रुपया तथा विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 605 करोड़ रु०मंजूर किए गए थे। अतः उक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुल 65,670.16 करोड़ रुपया मंजूर किए गए थे। हम उन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए इतनी अधिक धनराशि व्यय कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को इससे लाभान्वित होना चाहिए उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। यह बड़े खेद की बात है कि उनकी दशा में सुधार नहीं हुआ है। इस समय हर जगह प्रवृत्ति यही है कि विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभान्वित हुए लोगों की संख्या से सम्बन्धित आंकड़े प्रस्तुत कर दिये जायें। अधिकारियों में सभी जगह यही प्रतिस्पर्धा है कि सरकारी फाइलों में यह दिखाया जाए कि लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है। सभी निर्धारित लक्ष्य को या उससे भी अधिक लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन आदिवासियों और हरिजनों की दशा

सुधारने का यह तरीका नहीं है। हमें समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखनी होगी तथा यह देखना होगा कि अधिकारी वास्तव में लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों के ही आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। आशा है, माननीय मंत्री मेरे सुझाव पर ध्यान देंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे। यदि आप किसी को 50 रुपए किसी को 100 रुपए देकर यह कहते हैं कि उसकी स्थिति में सुधार हो गया है तो यह उचित नहीं है। आपको पता लगाना होगा कि आपने जो धनराशि उपलब्ध कराई है उसका सही उपयोग किया गया है, अथवा नहीं।

अब एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विभेदी ब्याज दर को भी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। सरकार ऐसी योजनाओं के अंतर्गत 3000 रु० या 5000 रुपया मंजूर कर रही है। धनराशि मंजूर करने के बाद सरकारी दल चुप्पी साध लेता है। कोई भी इस बात पर विचार नहीं करता है कि क्या स्वीकृत धनराशि का उपयोग लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों के लिए ही समुचित रूप से किया गया है अथवा नहीं। बिचौलिओं को, जो न तो अनुसूचित जाति तथा जनजाति के होते हैं और न यह लाभ प्राप्त करने के पात्र होते हैं, वास्तव में फायदा हो रहा है। वे आदिवासियों तथा हरिजन लाभग्राहियों का शोषण कर रहे हैं।

पिछले दिन मैं विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत सरकार द्वारा स्वीकृत की जाने वाली राज सहायता प्रणाली पर बोल रहा था। मेरी राय में राज सहायता के माध्यम से हम मुद्रा स्फीति को बढ़ाने का रास्ता खोल रहे हैं। मैं दोबारा यह कहना चाहूंगा कि इससे केवल बिचौलियों को ही लाभ हो रहा है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि राज सहायता की प्रणाली को समाप्त किया जाये। इसके स्थान पर ब्याज मुक्त ऋण प्रणाली शुरू की जानी चाहिये। लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को मन्जूर की गई कुल ऋण राशि उपयुक्त समय पर लौटा दी जाएगी। यदि बैंक ब्याज पर जोर देता है तो उसे सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए न कि लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों द्वारा।

महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीयसमिति ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विशेष संघटक योजना तथा 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों को ऋण वितरित करने की मौजूदा प्रणाली पर चर्चा की थी। समिति ने सरकार से 'परिवार कार्ड' शुरू करने की सिफारिश की थी। परिवार कार्ड या परिवार डायरी पहचान पत्र की भांति ही है जिनमें परिवार के सदस्यों के नाम, उनकी हैसियत, जिस श्रेणी के वे हैं, उसका नाम, उनको वितरित की गई ऋण की राशि, ऋण का किस हद तक सही ढंग से उपयोग किया गया, ये सब बातें उसमें लिखी होनी चाहिएं। आशा है सरकार इस सिफारिश को लागू करेगी।

महोदय, मुझे उड़ीसा के कोरापुट जिले में, जहां मुख्यतः आदिवासी रहते हैं, काम करने का अवसर मिला है। 1983 में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति ने उस जिले का दौरा किया था तथा वहां के लोगों की दशा देखी थी। हमें मालूम हुआ कि उस जिले में अभी तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के केवल 34 विद्यार्थियों ने स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। महोदय, कोरापुट भारत के बड़े जिलों में से एक जिला है। कुल जनसंख्या की 70 प्रतिशत आबादी आदिवासियों तथा हरिजनों की है। उस जिले में 10,000

प्राइमरी स्कूल और अनेक हाई स्कूल तथा कालेज हैं। इस सबके बावजूद यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से लेकर अब तक केवल 34 ने ही स्नातक की डिग्री ली है तो आप उस जिले में रहने वाले आदिवासियों और हरिजनों के भाग्य का स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। महोदय, मुझे मूल आदिवासियों के बारे में कुछ कहना है। उनके विकास के लिए हमने अभी तक पर्याप्त योजनाएं लागू नहीं की हैं। अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयुक्त का मत है कि उनके उत्थान के लिए और योजनाएं कार्यान्वित की जानी चाहिए, तभी वे अपने को मुख्य धारा से जोड़ सकेंगे। आजादी का फायदा सबको बराबर मिलना चाहिए। सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस सदन में मेरे द्वारा दिए गये सुझावों को कार्यान्वित करे। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जनाब डिप्टी स्पीकार साहब, आपके माध्यम से अपने होम मिनिस्टर से यह चाहूंगा कि जब हमारे इस मुल्क में एक पुर-अमन माहौल चाहिए ताकि हमारी तरक्की बढ़े और हमारा उत्पादन ज्यादा हो और इसके साथ-साथ इस मुल्क की मजबूती के लिए, इसको ताकतवर बनाने के लिए जम्हूरियत को मजबूत करना है तो वह ताकतें जिनकी निगाहें हिन्दुस्तान पर हैं और जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं उनका मुकाबिला करने के लिए यह जरूरी है कि रियासतों में अपनी अमान हो और इस सिलसिले में खास तौर से जो बोर्डर स्टेट्स हैं उनमें बड़ी अहमियत का प्रान्त जम्मू और काश्मीर की रियासत है, उसके सम्बन्ध में मैं होम मिनिस्टर को यह बताना चाहूंगा कि जब तक जम्मू और काश्मीर में सही तौर पर जम्हूरियत का बोलबाला नहीं होता तब तक वहां की हालत मजबूत नहीं हो सकती। हिन्दुस्तान के पूरे मुल्क के अन्दर 1947 के बाद जो आजादी का फल यह मुल्क खा रहा है और आजादी के साथ जी र.ा है, जब तक जम्मू व काश्मीर तहरीर व तकरीर की आजादी है, प्लेटफार्म की आजादी है, अपनी मर्जी के मुताबिक अपने नुमाइन्दे चुनने का हक है तब तक इस मुल्क की वह रियासत मजबूत रहेगी और वहां के लोगों का एक विश्वास हिन्दुस्तान के कांस्टीच्यूशन पर रहेगा। और जब कास्टीट्यूशन पर भरोसा होगा तो वे मेन-स्ट्रीम का एक हिस्सा रहेंगे। जो रियासत जम्मू -काश्मीर है यह तीन तरह से वैरूती ताकतों से घिरी हुई है—एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है और फिर अनफगानिस्तान का जो बार्डर है वह भी कुछ आरामदेह नहीं है। वहां रूस और मुकामी आबादी पसंद लोग बराबर टक्कर में हैं और इसका सारा का सारा असर जम्मू काश्मीर पर पड़ सकता है। इसलिए अगर रियासत में अमनो अमान रहेगा तो उससे हमारी आर्म्ड फोर्सेज को बड़ा एन्करेजमेन्ट और बड़ी हिम्मंत मिलेगी और वहां के लोगों और आर्म्ड फोर्सेज में जितना मजबूती का सम्बन्ध रहेगा उसी कदर आर्म्ड फोर्सेज के लिए भी दुश्मन का मुकाबला करना आसान होगा। मैं समझता हूं यह बड़ी बदकिस्मती की बात होगी कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को जम्हूरियत न मिले, वे अपनी मर्जी से अपनी चाहत के मुताबिक अपनी गवर्नमेन्ट न बना सकें और उसके बाद उन पर भरोसा न करके उनको शकूक, शक व शुबहा की निगाह से देखा जाए। यह चीज मुल्क के फायदे में नहीं है बल्कि यह इस देश की अखंडता के लिए खतरा है। होम मिनिस्टर साहब को इन बातों की तरफ खास तवज्जह देनी होगी। मैं कहना चाहता हूं कि रियासत जम्मू-कश्मीर में अमनो अमान तभी रहेगा जबकि वहां पर अवाम को अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी सरकार बनाने की इजाजत दी जायेगी। वहां पर 1983 में एलेक्शन हुए लेकिन उसके बाद जब से वहां पर दलबदलू सरकार कायम हुई है तब से वहां के लोगों

के दिल और उनकी हिम्मत टूट गई है । मैं तो कहूंगा कि लोगों का भरोसा आजादाना इन्तखाब से टूट चुका है । लेकिन उसके बाद अभी जो वहां पर लोकसभा के लिए चुनाव कराए गए वह चुनाव ईमानदारी के साथ कराने के लिए मैं एलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद देना चाहता हूं । लोक सभा के चुनावों की बिना पर जो नतीजे सामने आए उन्होंने इस बात को जाहिर कर दिया है और आज मैं भी उसी की बिना पर यहां आपसे बात कर रहा हूं । हमारे साथ कांग्रेस (आई) की तरफ से डोगरा साहब जीत कर आए हैं और जनक राज गुप्त जी आए हैं । हमारी पार्टी की तरफ से बेगम अब्दुल्ला और प्रो० सैफुद्दीन सोज आ सके हैं लेकिन यहां पर इस हाउस में उन लोगों की कोई नुमाइन्दगी नहीं जिन्हें सरकार इस बात का दावा करती है कि वहां पर हुकूमत करने की हकदार है और उसको वहां के लोगों पर हुकूमत करनी चाहिए । पिछले पार्लमानी इन्तखाब में वहां के अवाम ने गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को रद्द कर दिया यह बात माननी पड़ेगी । यह जम्हूरियत का फैसला है, जिसको मानना चाहिए । आज राजीव गांधी और चव्हाण साहब ट्रेजरी बेंचेज पर मौजूद हैं चूंकि अवाम ने उनका साथ दिया, अवाम ने बैलट के जरिए से फैसला कर दिया कि यहां पर कांग्रेस रहेगी उसके बाद अपोजीशन को कोई हक नहीं है कि वह आपकी जगह ले सके ।

इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उस बार्डर इलाके में अमनो अमान की हालत बिगड़ चुकी है, सरकार और अवाम का जो नाता है वह टूट चुका है और लोगों का उस सरकार से विश्वास उठ चुका है । इसलिए उस इलाके में खतरात मंडरा रहे हैं । इसलिए मैं समझता हूं कि वह जो एक सेंसिटिव एरिया है जिसकी हिफाजत पूरे देश की हिफाजत के बराबर है वहां पर इस सूरते हाल में ऐसी सरकार को गवारा करना नाइंसाफी है । यह हमारी जम्हूरियत और हमारे कांस्टीट्यूशन के लिए कोई अच्छी बात नहीं है । इस बात पर कांग्रेस पार्टी को गौर करना चाहिए जिनकी मदद पर दल-बदलू सरकार वहां पर हुकूमत चला रही है, हालांकि कांग्रेस उस सरकार में शामिल नहीं है···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जनक राज गुप्ता (जम्मू) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री काबुली ने कहा है कि जम्मू तथा कश्मीर में कोई भी सुरक्षित नहीं है । वह सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : वे लोग जो वहां पर नेशनल कांफ्रेन्स (अब्दुला गुट) से टूट कर एक नयी पार्टी बना ली है उन्होंने डेफेक्ट नहीं किया है ।

श्री जनक राज गुप्ता : यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सब्जुडिस है, यह बात मेरे ख्याल में माननीय सदस्य द्वारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोग छोड़ कर आए, उनके सहयोग से सरकार बनाई गई । मैं जानना चाहता हूं कि जिस वक्त शेख अब्दुल्ला की हुकूमत थी उस वक्त क्या काबुली साहब कह सकते थे कि इन पर गोली नहीं चलाई गई ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कानून और व्यवस्था पर इतना विस्तार से न बोलिए। आप अलग से नोटिस दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जनक राज गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री काबुली जी से एक ही बात जानना चाहता हूं, जब वे जनता पार्टी में थे, तो क्या शेख अब्दुल्ला की सरकार में···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। यदि आप बोलते रहेंगे तो कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। सिवाय श्री काबुली के मैं किसी और को अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हमें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं···

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा···**(व्यवधान)***

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मेरी भी एक राय है, आपकी अपनी एक राय हो सकती है। इसके बाद एक मिसाल मैं आपको और देना चाहता हूं। एक मामूली-सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। मैं आपको अपनी एक मिसाल दे रहा हूं। इस सदन को मुझे बताने का मौका मिल रहा है। मैं इस सदन का सदस्य हूं, चूंकि वहां के लोगों ने मुझे चुना है। इस चुनाव में मेरे मुकाबले में गुलाम मोहम्मद शाह का अपना बेटा था और वहां उसकी जमानत जब्त हो गई। लोगों का हमको विश्वास मिला और हम कामयाब हो गए। लेकिन मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं। आपकी नोटिस में शायद यह बात आई है या नहीं, लेकिन आनरेबिल स्पीकर साहब को मालूम है। मुझ पर कातिलाना हमले की वारदात के बारे में बाकायदा टैलोग्राफिकली इस सदन को बताया है। स्पीकर साहब को खबरदार किया है कि तीन मार्च को वहां क्या दुर्दशा हुई। मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब का बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर डिटेल्स मांगी। मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों के लिए काश्मीर में काम करना कितना मुश्किल हो रहा है। तीन मार्च को जब मैं जम्मू-काश्मीर में अपनी कान्स्टीचूयेंसी में काम करने जा रहा था, अपनी कामयाबी के बाद वहां की जनता को शुक्रिया अदा करने जा रहा था, तो रास्ते में मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, लेकिन वहां की पुलिस बेबस थी। उन्होंने कहा कि हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल मजबूर हैं। कुछ गुण्डे रास्ते में जमा है, वे लोग आपको मंजिल पर नहीं जाने देना चाहते हैं। रास्ते में 17 आदमियों ने लाठियों से आयरन-रॉड से मुझ पर हमला किया, यदि उस वक्त वहां की आबादी मेरी रक्षा के लिए नहीं आती, तो मेरी जान खत्म थी। इस वाकयात के बाद जिन लोगों के नाम मैंने थाने में दर्ज कराए, उनमें एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वे सब के सब सरकारी मुलाजिम, ठेकेदार और मुफादे खसूसी थे, लेकिन उन लोगों ने, जिन्होंने वारदात की, 17 लोगों में से एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। इस वारदात में तकरीबन एक दर्जन आदमियों के सिर फट गए, जानी नुकसान हुआ और जो लोग लहू-लुहान हुए, वे मेरे गवाह बनकर थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए गए, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया।···(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अन्य मामलों की चर्चा न करिए जिनका इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : इसका सम्बन्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक अलग से नोटिस दें। अनुदानों की मांगों पर ही बोलिये। आप बेकार में सदन का समय ले रहे हैं।

[**हिन्दी**]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैं आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर ने एन्क्वायरी के लिए जो खत लिखा उसका जवाब तक नहीं मिला। मैं एक बात कहना चाहता हूं अगर यह सरकार किसी के बारे में कोई तहकीकात करे, किसी के बारे में कोई शुकूक हों या किसी पोलिटीकल फिगर के बारे में कोई ऐसी शिकायत हो जिसका ताल्लुक मुल्क के डिफेन्स के साथ या कूशल ईशूज के साथ हो उनमें स्टेट का दखल नहीं होता है। लेकिन हमारी रियासती सरकार ने डा० फारूख अब्दुल्ला और हमारी नेशनल कान्फरेंस के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी किया। होम मिनिस्टर साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। इसमें उन्होंने बोहतानतराशी की है और इल्जामात लगाये हैं, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने एन्टीनेशनल एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। स्टेट गवर्नमेन्ट ने एडवोकेट जनरल को यह सारा मामला रेफर किया और व्हाइट पेपर पब्लिश किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। यह स्टेट सरकार की तरफ से अपने इख्तियारात के तजावुज के बराबर है। होम मिनिस्टर साहब इसकी तहकीकात करें उन्होंने कैसे इसको पब्लिश किया···

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री जनक राज गुप्ता : जम्मू और कश्मीर में बहुत-सी घटनाएं हो रही हैं। (**व्यवधान**)

श्री अब्दुल रशीद काबुली : या तो आपको फांसी हो जाएगी या हमें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं और दोनों माननीय सदस्य बोल रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

श्री अब्दुल रशीद काबुली : वे आपके दास नहीं हैं। बेफ़िक्र रहिए।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया दोनों माननीय सदस्य बैठ जायें। इस मामले को आप पहले भी बहुत बार उठा चुके हैं। पंजाब चर्चा के दौरान मैंने इसे स्वयं भी सुना था।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : आपकी मारफत एक बहुत जरूरी बात की तरफ मिनिस्टर साहब की तवज्जह दिलाना चाहता हूं । जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, पंजाब के बारे में हमको बहुत ज्यादा फिक्र है, उसका हल जल्द से जल्द निकलना चाहिए । क्योंकि जम्मू और कश्मीर की जो लाफ-लाइन है वह पंजाब से गुजरती है । सारी तिजारत, लेन-देन, जितनी एसेन्शियल कमाडिटीज आती हैं वे सब उसी लाइफ-लाइन से काश्मीर आती हैं । हमारा फ्रूट, टूरिज्म, फारेस्ट प्राडक्ट्स, वे तमाम चीजें जो हमारे यहां पैदा होती हैं या तैयार की जाती हैं, सबके बाहर जाने का रास्ता पंजाब से है । इसलिए इस मामले में हम बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं । लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमको गलत समझा जा रहा है । बहुत से लोगों ने हमारी सही बात को भी पालियामेंट के अन्दर और बाहर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है । मैं आनरेबिल होम मिनिस्टर को बतलाना चाहता हूं—अगर पंजाब का हल फौरी तौर पर नहीं निकलता है तो हम लोग इकानामिकली स्ट्रेंगुलेट हो जायेंगे । हमारी इकानामी बरबाद हो जायेगी ।

[अनुवाद]

हमें गलत समझा गया है । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप वही बात कहते जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद काबुली : हमारा दम घुट जाएगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस मामले को बहुत बार उठा चुके हैं । पंजाब पर चर्चा के दौरान भी आपने इस मामले को उठाया था । कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر) : جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کے مادھیم سے اپنے ——— ہوم منسٹر سے یہ چاہوں گا کہ ہمارے اس ملک میں ایک پرامن ماحول چاہیے تاکہ ہماری ترقی بڑھے اور ہمارا اُتپادن زیادہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی مضبوطی کے لیے اس کو طاقت ور بنانے کے لیے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے تو وہ طاقتیں جن کی نگاہیں ہندوستان پر ہیں اور جو ہمارے دشمن ملک ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ریاستوں میں امن و امان ہو اور اس سلسلے میں خاص طور سے جو بارڈر اسٹیٹس ہیں ان میں بڑی اہمیت کا پرانت جموں اور کشمیر کی ریاست ہے اس کے سمبندھ میں میں ہوم منسٹر کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب تک جموں اور کشمیر میں صحیح طور پر جمہوریت کا بول بالا نہیں ہوتا تب تک وہاں کی حالت مضبوط نہیں ہو سکتی۔

پورے ملک کے اندر، ۱۹۴۷ء کے بعد جو آزادی کا پھل یہ ملک کھا رہا ہے اور آزادی کے ساتھ جی رہا ہے جب تک جموں اور کشمیر میں تحریر و تقریر کی آزادی ہے پلیٹ فارم کی آزادی ہے اپنی مرضی کے مطابق اپنے نمائندے چننے کا حق ہے تب تک اس ملک کی وہ ریاست مضبوط رہے گی اور وہاں کے لوگوں کا ایک وشواس ہندوستان کے کانسٹی ٹیوشن پر رہے گا۔ اور جب کانسٹی ٹیوشن پر بھروسہ ہوگا تو وہ مین اسٹریم کا ایک حصہ رہیں گے۔ جو ریاست جموں کشمیر ہے وہ تین طرف سے بیرونی طاقتوں سے گھری ہوئی ہے۔ ایک طرف پاکستان ہے دوسری طرف چین ہے اور پھر افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ بھی کچھ آرام دہ نہیں ہے۔ وہاں پر روس اور مقامی آزادی پسند لوگ برابر ٹکریں ہیں اور اس کا سارا اثر جموں و کشمیر پر پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اگر ریاست میں امن و امان رہے گا تو اس سے ہماری آرمڈ فورسز کو بڑا انکریجمینٹ ملے اور بڑی ہمت ملے گی اور وہاں کے لوگوں اور آرمڈ فورسز میں جتنا مضبوطی کا سمبندھ رہے گا اسی قدر آرمڈ فورسز کے لیے بھی دشمن کا مقابلہ کرنا گر آسان ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی بد قسمتی کی بات ہوگی کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو جمہوریت نہ ملے وہ اپنی مرضی سے اپنی چاہت کے مطابق اپنی گورنمینٹ نہ بنا سکیں اور اس کے بعد ان پر بھروسہ نہ کر کے ان کو شکوک شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ یہ چیز ملک کے فائدے میں نہیں ہے بلکہ یہ اس دیش کی اکھنڈتا کے لیے خطرہ ہے۔ ہوم منسٹر صاحب کو ان باتوں کی طرف خاص توجہ دینی ہوگی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست جموں و کشمیر میں امن و امان تبھی رہے گا جب کہ وہاں پر عوام کو اپنی مرضی کے مطابق اپنی سرکار بنانے کی اجازت دی جائے گی۔ وہاں پر ۱۹۸۳ء میں الیکشن ہوئے لیکن اس کے بعد جب سے وہاں پر دل بدلو سرکار قائم ہوئی ہے تب سے وہاں کے لوگوں کے دل اور ان کی ہمت ٹوٹ گئی ہے۔ میں تو کہوں گا کہ لوگوں کا بھروسہ آزادانہ انتخاب سے ٹوٹ چکا۔ لیکن اس کے بعد ابھی جو وہاں پر لوک سبھا کے لیے چناؤ کرائے گئے وہ چناؤ ایمان داری کے ساتھ کرانے کے لیے میں الیکشن کمیشن کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔

لوک سبھا کے چناؤ ں کی بنا پر جو نتیجے سامنے آئے انہوں نے اس بات کو ظاہر کر دیا ہے اور آج میں بھی اسی کی بنا پر یہاں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے کانگریس (آئی) کی طرف سے ڈوگرا صاحب جیت کر آئے ہیں اور جنک راج گپت جی آئے ہیں۔ ہماری پارٹی کی طرف سے بیگم عبد اللہ اور پروفیسر سیف الدین سوز آسکے ہیں لیکن یہاں پر اس ہاؤس میں ان لوگوں کی کوئی نمائندگی نہیں، جنہیں اس بات کا دعوی کرتی ہے کہ وہاں پر حکومت کرنے کی حق دار ہے اور اس کو وہاں کے لوگوں پر حکومت کرنی چاہیے۔ پچھلے پارلیمانی انتخاب میں وہاں کے عوام نے غلام محمد شاہ کی سرکار کو رد کر دیا۔ یہ بات ماننی پڑے گی۔ یہ جمہوریت کا فیصلہ ہے جس کو ماننا چاہیے آج راجیو گاندھی اور چوہان صاحب ٹریژری بنچز پر موجود ہیں۔ چوں کہ عوام نے ان کا ساتھ دیا عوام نے بیلٹ کے ذریعہ سے فیصلہ کر دیا کہ یہاں پر کانگریس رہے گی اس کے بعد اپوزیشن کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آپ کی جگہ لے سکے۔

اس لئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بارڈر کے علاقے میں امن وامان کی حالت بگڑ چکی ہے س سرکار اور عوام کا جو ناطہ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور لوگوں کا اس سرکار سے وشواس اٹھ چکا ہے۔ اس لئے اس علاقے میں خطرات منڈرا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایک سینسیٹیو ایریا ہے! جس کی حفاظت پورے دیش کی حفاظت کے برابر ہے وہاں پر اس صورت حال میں ایسی سرکار کو گوارا کرنا ناانصافی ہے۔ یہ ہماری جمہوریت اور ہمارے کانسٹی ٹیوشن کے لئے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس بات پر کانگریس پارٹی کو غور کرنا چاہیے جن کی مدد پر دل بدلو سرکار وہاں پر حکومت چلا رہی ہے حالاں کہ کانگریس اس سرکار میں شامل نہیں ہے وہ لوگ جو وہاں پر نیشنل کانفرنس (عبد اللہ گٹ) سے ٹوٹ کر ایک نئی پارٹی بنالی ہے انہوں نے ڈفیکٹ نہیں کیا ہے۔

بے بس تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں کیوں کہ ہم بالکل مجبور ہیں۔ کچھ غنڈے راستے میں جمع ہیں وہ لوگ آپ کو منزل نہیں جانے دینا چاہتے ہیں۔ راستے میں ۷ا آدمیوں نے لاٹھیوں سے آئرن راڈ سے مجھ پر حملہ کیا یدی اس وقت وہاں کی آبادی میری رکشا کے لئے نہیں آتی تو میری جان ختم تھی۔

اس واقعہ کے بعد جن لوگوں کے نام میں نے تھانے میں درج کرائے ان میں سے ایک بھی آدمی گرفتار نہیں ہوا وہ سب کے سب سرکاری ملازم ٹھیکیدار اور مفاد خصوصی تھے لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے واردات کی ۷ا لوگوں میں سے ایک کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ اس واردات میں تقریباً ایک درجن آدمیوں کے سر پھٹ گئے۔ جانی نقصان ہوا اور جو لوگ لہو لہان ہوئے وہ میرے گواہ بن کر تھانے میں رپورٹ لکھانے کے لئے گئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔

.... (انٹرپشنز) ....

شری عبدالرشید کابلی: میں آپ کے مادھیم سے بتلانا چاہتا ہوں کہ ہوم منسٹر نے انکوائری کے لئے جو خط لکھا اس کا جواب تک نہیں ملا۔

میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ سرکار کسی کے بارے میں کوئی تحقیقات کرے کسی کے بارے میں کوئی شکوک ہوں یا کسی پولٹکل فیگر کے بارے میں کوئی ایسی شکایت ہو جس کا تعلق ملک کے ڈیفینس کے ساتھ یا کروشل ایشوز کے ساتھ ہوں ان میں اسٹیٹ کا دخل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہماری ریاستی سرکار نے ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کے خلاف وائٹ پیپر جاری کیا۔ ہوم منسٹر صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیئے اس میں انہوں نے اس طرح بہتان تراشی کی ہے اور الزامات لگائے۔

شری جنک راج گپتا : یہ معاملہ سپریم کورٹ میں سبجوڈس ہے۔ یہ بات میرے خیال میں مانئیے سدسے دوارا کہنا ٹھیک نہیں ہے کیوں کہ جو لوگ چھوڑ کر آئے ان کے سہیوگ سے سرکار بنائی گئی۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جس وقت شیخ عبداللہ کی حکومت تھی اور فاروق صاحب کی حکومت تھی اس وقت کیا کابلی صاحب کہہ سکتے تھے کہ۔ ۔ ۔ ۔

شری جنک راج گپتا : اپادھیکش مہودے۔ میں شری کابلی جی سے ایک ہی بات جاننا چاہتا ہوں جب وہ جنتا پارٹی میں تھے تو کیا شیخ عبداللہ کی سرکار میں ۔ ۔ ۔ (انٹرپشنز) ۔ ۔ ۔

شری عبدالرشید کابلی : میری بھی اپنی ایک رائے ہے آپ کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے اس کے بعد ایک مثال میں آپ کو اور دینا چاہتا ہوں۔ ایک معمولی سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ کو اپنی ایک مثال دے رہا ہوں۔ اس سدن کو مجھے بتانے کا موقع مل رہا ہے۔ میں اس سدن کا سدسیے ہوں۔ چوں کہ وہاں کے لوگوں نے مجھے چنا ہے۔ اس چناؤ میں میرے مقابلے میں غلام محمد شاہ کا اپنا بیٹا تھا اور وہاں اس کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ لوگوں کا ہم کو وشواس ملا اور ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی نوٹس میں شاید یہ بات آئی ہے یا نہیں۔ لیکن آنریبل اسپیکر صاحب کو معلوم ہے۔ مجھ پر قاتلانہ حملہ کی واردات کے بارے میں باقاعدہ ٹیلی گراف کل اس سدن کو بتایا ہے۔ اسپیکر صاحب کو خبردار کیا ہے کہ تین مارچ کو وہاں کیا دوردشا ہوئی۔ میں آنریبل منسٹر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر ڈیٹیلس مانگیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے لئے کشمیر میں کام کرنا کتنا مشکل ہو رہا ہے۔ تین مارچ کو جب میں جموں و کشمیر میں اپنی کانسٹی ٹیونسی میں کام کرنے جا رہا تھا اپنی کامیابی کے بعد وہاں کی جنتا کو شکریہ ادا کرنے جا رہا تھا تو راستے میں مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا لیکن وہاں کی پولیس

جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اور ان کی پارٹی نے اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا۔ اسٹیٹ گورنمنٹ نے ایڈووکیٹ جنرل کو یہ سارا معاملہ ریفر کیا اور وائٹ پیپر پبلش کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیئے تھا۔ یہ اسٹیٹ سرکار کی طرف سے اپنے اختیارات کے تجاوز کے برابر ہے۔ ہوم منسٹر صاحب اس کی تحقیقات کریں انہوں نے کیسے اس کو پبلش کیا۔

شری عبدالرشید کابلی: میں آپ کی معرفت ایک بہت ضروری بات کی طرف منسٹر صاحب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے پنجاب کے بارے میں ہم کو بہت زیادہ فکر ہے۔ اس کا حل جلد سے جلد نکلنا چاہیئے۔ کیوں کہ جموں اور کشمیر کی جو لائف لائن ہے وہ پنجاب سے گزرتی ہے۔ ساری تجارت لین دین جتنی اسینشل کماڈٹیز آتی ہیں وہ سب اسی لائف لائن سے کشمیر آتی ہیں۔ ہمارا فروٹ ٹورزم فارسیٹ پراڈکٹس وہ تمام چیزیں جو ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہیں یا تیار کی جاتی ہیں سب کے باہر جانے کا راستہ پنجاب سے ہے۔ اس لئے اس معاملے میں ہم بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کو غلط سمجھا جا رہا ہے۔

بہت سے لوگوں نے ہماری صحیح بات کو بھی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ میں آنریبل ہوم منسٹر کو بتلانا چاہتا ہوں۔ اگر پنجاب کا حل فوری طور پر نہیں۔ نکلتا ہے تو ہم لوگ اکانامکلی اسٹرنگولیٹ ہو جائیں گے۔ ہماری اکانامی برباد ہو جائے گی۔

[हिन्दी]

श्री रामनगीना मिश्र (सलेमपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो समय पहले ही बहुत कम है, दूसरे काफी समय इस वाद-विवाद में निकल गया है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि समय के मामले में मेरे साथ कुछ रियायत होनी चाहिये ।

मान्यवर, गृह मंत्रालय के द्वारा जो मांगें सदन के सामने रखी गई हैं, मैं उनके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । किन्तु हमको भी अपनी मांगें माननीय मंत्री जी के सामने रखनी हैं । समयाभाव के

कारण मैं शिष्टाचार नहीं कर पा रहा हूं। अब मैं अपनी सीधी-सीधी बात आपके सामने रखता हूं।

मैं जहां से आया हूं उस मेरे जिले से संयोग की बात है कि उसके बगल के जिले की हमारी गृह राज्य मंत्री जी भी हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं। एक तरफ नारायणी नदी बहती है और उसके पास ही पासी नदी बहती है। वहां करीब 25-30 किलोमीटर का इलाका नेपाल के बार्डर पर है। न वह इलाका उत्तर प्रदेश में है, न वह इलाका बिहार में है, ऐसा जान पड़ता है। जिस तरह से हम चम्बल घाटी की कहानी सुना करते हैं वैसी ही कहानी अब वहां चरितार्थ हो रही है।

हमारे यहां के गवर्नर साहब के पोते का अपहरण अभी चन्द दिन हुए कर लिया गया। वहां पर एक जंगल पार्टी है। उस जंगल पार्टी का समूचे बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर आतंक छाया हुआ है। इससे पहले मैंने एक पत्र माननीय गृह राज्य मंत्री जी को लिखा था। जैसे ही पत्र लिखा, उसके 15 दिन के बाद ही हमारे गवर्नर साहब के पोते का अपहरण हो गया था। ये जंगल पार्टी के लोग वहां आते हैं और अच्छे-अच्छे घरों के लड़कों को पकड़ करके ले जाते हैं। उनको छोड़ने के लिए फिरौती के एक लाख और पचास हजार रुपये तक मांगते हैं। रुपया मिलने के बाद ही लड़कों को छोड़ते हैं। गवर्नर साहब के पोते के लिए भी एक लाख रुपया मांगा गया। लेकिन वह गवर्नर साहब का पोता था। उसको छुड़ाने के लिए पूरी फोर्स वहां पर डाल दी गई। जिसके तीन दिन बाद वह लड़का मिल गया। इस जंगल पार्टी के लोगों ने पुलिस फोर्स को भी धमकी दी थी कि एक भी गोली चली तो लड़के की लाश मिलेगी, वह जीवित अवस्था में नहीं मिलेगा। तत्पश्चात् जंगल पार्टी ने उस लड़के को रात को घर पहुंचा दिया। इसके बाद न किसी की गिरफ्तारी हुई, न किसी को पकड़ा गया। इससे पहले भी जंगल पार्टी के लोग लड़कों को पकड़ कर ले गये हैं जिनको किसी से एक लाख रुपया लेकर और किसी को पचास हजार रुपया लेकर छोड़ा है। यह सारी बातें मैं लेक्चर देने की गरज से नहीं कह रहा हूं बल्कि एक वस्तु-स्थिति माननीय मंत्री जी के सामने रख रहा हूं कि वहां की हालत अच्छी हालत नहीं है। वहां पर किसी अच्छे घर का लड़का बाहर नहीं निकल पाता। वहां डर है कि जंगल पार्टी वाले उसे अपहरण करके ले जायेंगे और उसके मां-बाप को रुपया देना होगा।

हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में जो प्रशासन की स्थिति है वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमारी गृह राज्य मन्त्री जी यहां बैठी हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश के बगल के इलाके बिहार से आती हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिससे कि यह इलाका सुरक्षित हो। इतना ही नहीं नेपाल के बार्डर पर गांजे, अफीम तथा दूसरी चीजों की बहुत तस्करी होती है। बड़े-बड़े लोग इस तस्करी में शामिल हैं। इस तस्करी को रोकने के लिए और वहां पर ला एण्ड आर्डर मेन्टेन करने के लिए सेन्ट्रल की तरफ से एक विशेष पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। आज तो वहां लगता ही नहीं है कि वहां कोई शासन है। लोग वहां बहुत दुःखी है। ऐसी पुलिस की व्यवस्था हो जो दोनों राज्यों के बार्डरों को देखे और नेपाल के बार्डर की भी देखभाल करे। इससे वहां स्मगलिंग भी रुकेगी। इस स्मगलिंग में बड़े-बड़े लोग, अधिकारी लोग, पुलिस के लोग चरस, अफीम और दूसरी चीजों की तस्करी में लगे मालूम होते हैं। यह तस्करी का एक बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है। मैं प्रार्थना करूंगा कि भारत की सरहदों की सुरक्षा के लिए पुलिस की ऐसी व्यवस्था हो जिससे बार्डर पर रहने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश के आम लोगों का जीवन सुखी हो और वे सुख और आनन्द की नींद सो सकें।

मान्यवर, एक प्रश्न और है। जिस राज्य में खुफिया विभाग की व्यवस्था ठीक नहीं हो वह राज्य ठीक से नहीं चल सकता है। गुप्त काल से लेकर, चाणक्य के समय से लेकर आज तक जितने भी राजा हुए हैं, उनके यहां, जिस राजा के यहां गुप्तचरों की व्यवस्था ठीक रही, उनका शासन अच्छा रहा। मैं दोष नहीं देता, समय का दोष है और मैं तो समझता हूं कि प्रजातंत्र का दोष है, किसी और का दोष नहीं है। अपने यहां सी०आई०डी० विभाग है, खुफिया विभाग है, इसका काम बहुत ही खराब है। क्यों खराब है? जितने पुलिस अफसर होते हैं, अगर कोई नेता शिकायत करता है तो उसको उठाकर के सी०आई०डी० में भेज दिया जाता है, तो वह सी०आई०डी० उससे बदतर नहीं होगी तो और क्या होगी। एक परम्परा बन गई है कि कोई भी क्राइम हुआ तो उसको सी० आई० डी० में भेज दिया। सी० आई० डी० में भेजने का मतलब है कि मुकदमा समाप्त। यह क्या कम आश्चर्य है कि यहां पर इतनी बड़ी घटना हो गई, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, किन्तु यहां पर इतना बड़ा काण्ड हो गया, हमारे देश के सारे गुप्त दस्तावेज विदेशियों के हाथ में चले जा रहे हैं और पता चला मुद्दत के बाद। इतना ही नहीं, आप यह बता दें कि क्या यह सच नहीं है, विदेशों में रहने वाले खुफिया विभाग हो सकता है कि अच्छे लोग हों, मुझे जानकारी नहीं है, किन्तु प्रदेश और देश स्तर पर जो सी० आई० डी० वाले हैं, मैं समझता हूं कि सिर्फ खानापूरी है। मैं कोई किताब पढ़कर नहीं कह रहा हूं, मैं घूमा हूं और अनुभव की बात कह रहा हूं। अगर आप इस पर विचार करें तो क्राइम कम हो सकते हैं। अगर विजिलेंस ठीक होगा तो क्राइम बन्द होंगे। जैसे आपने और जगह कैडर बना रखे हैं, पुलिस में आई० पी० एस०, आई० ए० एस०, आई० ई० एस०, उसी तरह से मेरी राय यह है अगर आप पसंद करें तो विजिलेंस का भी एक कैडर बनाया जाए और वह कैडर इस तरह का हो कि क्राइम का पता कर सके। अगर कैडर अच्छा होगा तो क्राइम का पता लगाने की ताकत उनमें होगी। उनसे पुलिस अधिकारी भी डरेंगे, बड़े-बड़े अफसर भी डरेंगे और क्राइम भी कम होगा।

मान्यवर, यह कितना दुर्भाग्य है कि आज किसी अच्छे घर का पढ़ा-लिखा लड़का नौकरी में हो तो उससे पूछा जाता है कि ऊपर वाली आमदनी कितनी है। ऊपर वाली आमदनी का मतलब है कि कितनी घूस लेते हो, बाहर की आमदनी क्या है। इस तरह से मेरा सुझाव है कि विजिलेंस विभाग तपातपाया होना चाहिए। अगर इंस्पेक्टर की तनख्वाह एक हजार है तो विजिलेंस में डेढ़ गुनी होनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसने वह अपने को ठीक से मेंटेन कर सके। अगर यह सुझाव आपके देखने में अच्छा हो तो मैं समझता हूं कि इससे लाभ होगा। विजिलेंस विभाग अगर तगड़ा हो जाए तो सारे क्राइम रुक सकते हैं, सबको डर हो जाएगा। हमारे यहां एक जिलाधिकारी श्री राजकिशोर सिंह थे, पता नहीं अब हैं या स्वर्ग चले गए हैं, सारे के सारे लोग उनसे डरते थे कि कहीं राजकिशोर सिंह तो नहीं है। इसी तरह से हमारे किदवई साहब रहे, खुद विजिलेंस का भी काम कर लेते थे। तो मेरा कहना यह है कि विजिलेंस का काम ठीक हो।

दूसरी बात मान्यवर ये जो अपराध बढ़ रहे हैं, ये क्यों बढ़ रहे हैं। मेरे खयाल से जो कत्ल होते हैं, डकैतियां होती हैं, उनके मुकदमे दो-चार साल तक चलते रहते हैं और तब तक गवाह टूट जाते हैं। अगर इसमें यह प्रावधान हो जाए कि कत्ल और डकैती का मुकदमा 6 महीने में निपटा दिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि आधे कत्ल और डकैतियां इसी तरह से समाप्त हो जाएंगी। इसी तरह से जो लाइसेंस दिए जा रहे हैं बंदूकों के और रिवाल्वर के, किन लोगों को दिए जा रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। डकैतों को कहां से रिवाल्वर, बंदूकें और मशीनगनें मिलती हैं। इस संबंध में एक जानकारी है। पहले तो बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं के पास बंदूक धारी और डकैत

होते थे लेकिन अब एक नया तबका ठेकेदारों का बन गया है। शायद ही देश का कोई ठेकेदार हो जिसके पास बंदूक न हो, रायफल या मशीनगन न हो। उनके डर की वजह से अफसर भी कुछ नहीं कर सकते। ये ठेकेदार डकैतों से मिले रहते हैं और डकैतों को पनाह देते हैं। मैंने एक वृद्ध आदमी से पूछा तो उन्होंने बड़ी सादगी से कहा कि राम नगीना जी, जब प्रजातंत्र जन्म लेता है तो वहीं पर भ्रष्टाचार का बच्चा भी जन्म ले लेता है। जब अच्छे लीडर होते हैं तो भ्रष्टाचार का बच्चा दुबला-पतला रहता है। अगर अच्छे नहीं हैं तो बच्चा मोटा-ताजा हो जाता है। अभी यहां पर पूर्ववक्ता ने बंगाल की बात कही। मेरी समझ में नहीं आता कि इन लोगों को क्या परेशानी हुई। अपने प्रदेश की बात भी न कही जाए तो किसकी बात यहां पर की जाए। मैं तो सीधा-सादा आदमी हूं इसलिए कहता हू कि सच्चाई नहीं होती तो तड़पन नहीं होती। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस साहित्य में या डैमोक्रेसी में आपका नेता विश्वास करता है। आपका विश्व का सबसे बड़ा नेता यू० एन० ओ० में लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अगर मेज पर जूता पीट सकता है। तो उसके फालोअर्स से क्या आशा की जा सकती है। हमारे नेता गांधी जी ने हृदय परिवर्तन की बात कही। आपका नेता तलवार के बल पर चलना चाहता है। मैं तो कहता हूं कि हम सब भारत के रहने वाले हैं। "ग़र पाक हो दामन तो बैठकर के सी लो, पीकिंग के दर्जियों से सिलाना नहीं अच्छा।" भारत की परम्परा के अनुरूप गरीबी की परम्परा मिटाने की बात करनी चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इतनी तड़पन नहीं चाहिए। ··· (व्यवधान) कत्ल और डकैती के मुकदमों में जो लोग गवाही देते हैं, उनको सुरक्षा नहीं मिलती है। डकैतों द्वारा यह कहा जाता है कि गवाही दोगे तो ठीक नहीं रहेगा। वे लोग डरते हैं। मैं चाहूंगा कि उनकी सुरक्षा की गारन्टी शासन को करनी चाहिए, जो गवाही देने जाते हैं। आज पुलिस का रवैया क्या है। मैं यह नहीं कहता कि सारे पुलिस वाले खराब हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कुछ न कुछ हाथ अवश्य रहता है और जिनकी वजह से मुकदमे खारिज हो जाते हैं। मैं पोलिटिकल सफरर की बात करना चाहूंगा। सारी फार्मेलिटीज पूर्ण होने पर भी आज पेंशन नहीं मिल पा रही है। ऐसा हमारे प्रदेश में हो रहा है। जिनकी फार्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं, उनको अविलम्ब पेंशन दिए जाने के आदेश दिए जाने चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं

[अनुवाद]

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

गृह मंत्रालय कानून और व्यवस्था की देखभाल करने वाला मुख्य मंत्रालय है। यद्यपि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है फिर भी गृह मंत्रालय इसकी देखभाल करता है। पंजाब को छोड़कर बाकी देश में प्राय: कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।

जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है हमारे प्रधान मंत्री ने कई अकाली नेताओं को रिहा किया है और पंजाब की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए वह विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। अभी हाल ही में गृह मंत्री ने इस आशय का वक्तव्य दिया है कि सरकार ऐसे अनेक अकाली नेताओं तथा कुछ अन्य लोगों के मामलों पर भी विचार करेगी जिनका आपराधिक मामलों से कुछ संबंध नहीं है। इन उपायों से स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार पंजाब समस्या को हल करने के लिए उत्सुक है और वह चाहती है कि पंजाब में स्थिति फिर से सामान्य हो जाए।

पुलिस विभाग देश के लोगों की जान माल की रक्षा करता है। वह कानून और व्यवस्था

का संरक्षक है। 1962 में पहली बार पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की गई फिर 1979 में। उन्होंने पुलिस के कार्यकरण में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की ड्यूटी और काम दण्ड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम और पुलिस अधिनियम के तहत किए जाते हैं जो कि 1861 में बनाए गए थे और ये अब काफी पुराने हो चुके हैं और उनमें पूर्ण संशोधन की आवश्यकता है। पुलिस आयोग ने एक नए पुलिस अधिनियम बनाने का प्रस्ताव रखा है जो कि हमारे देश, ऐसा देश जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, के लिए उपयुक्त रहेगा, अतः यह नया विधान यथासमय शीघ्र लाया जाना चाहिए।

1973 में दण्ड प्रक्रिया संहिता में किए गए संशोधन से पुलिस विभाग द्वारा अपनाए जाने वाली प्रक्रियाओं तथा संहिता में काफी परिवर्तन हुए हैं। पिछले दो तीन वर्षों में हमने दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत विमुक्त हुए कुछ लोगों के मामलों के बारे में जनकारी हासिल करने के लिए भारत के कई स्थानों का दौरा किया। पुलिस अधीक्षकों तथा कलैक्टरों ने हमें बताया कि वह इन मामलों के विमोचन के बारे में कुछ नहीं जानते। यह स्थिति 1973 में दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन के बाद की है। जिला अफसर को विचाराधीन कैदियों के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट अदालत में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले स्टाफ द्वारा दी जाती थी अब नहीं दी जाती है। इन रिपोर्टों में उन गवाहों का हवाला रहता था जो अदालत में पेश हुए, साथ ही कितने विचाराधीन कैदी अदालत में हाजिर हुए तथा कितने मामलों में दोषसिद्धि हुई तथा कितने बरी हुए। फौजदारी मामले में गवाही देने वालों को विशेषकर गरीब लोगों को पैसे दिए जाते थे क्योंकि वह लोग दैनिक मजूरी करने वाले होते हैं और इनके पास खाने-पीने को नहीं होता, इसलिए चाहे उनकी गवाही हो या न हो अदालत में हाजिर होने पर उन्हें पैसा दिया जाता था और इसकी रिपोर्ट जिला अफसर को आवश्यक कार्रवाई हेतु दी जाती थी और अगर उन्हें भुगतान नहीं किया जाता था तो उन्हें भुगतान करने के लिए निदेश दिए जाते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। पुलिस वाले जो कि इन मामलों में मुकद्दमे दायर करने के लिए जिम्मेदार हैं उन्होंने यह पुरानी प्रक्रिया समाप्त कर दी है तथा वह इस बात की परवाह नहीं करते कि गवाह अदालत में हाजिर हुए हैं या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रधानी, क्या आप अपना भाषण समाप्त करना चाहेंगे अथवा इसे कल जारी रखना चाहेंगे ?

श्री के० प्रधानी : महोदय, मैं कल जारी रखूंगा ?

कार्य मंत्रणा समिति

चौथा प्रतिवेदन

5.59 म० प०

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

6.00 म० प०

तत्पश्चात्, लोकसभा मंगलवार, 2 अप्रैल, 1985/12 चैत्र, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, दिल्ली-153